खण्ड-412, अंक-3
बुधवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1916
(27 अप्रैल, 1994 ई0)

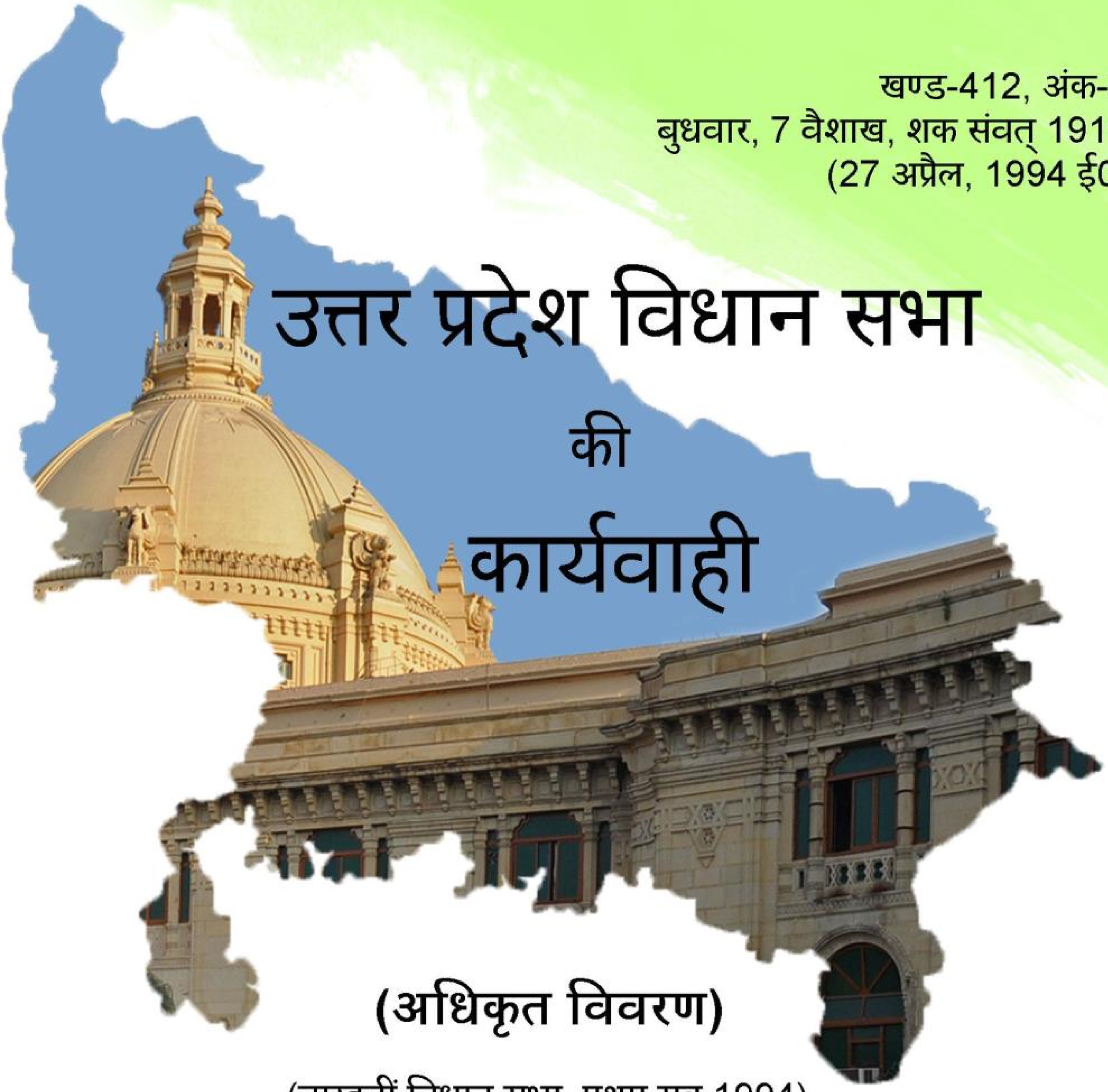

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 412 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–घ
प्रश्नोत्तर	1–105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	105–106
लखनऊ स्थित शेखूपुरा एवं कुर्सी रोड के बीच पड़ी आवास विकास परिषद् की खाली भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
गोण्डा के ग्राम कमरपुर, सादुल्लाह नगर एवं उससे संबंधित मार्ग का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106–107
गोंण्डा के ग्राम सभा मनकापुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	107–108
डा० हंसराज त्रिपाठी एवं डा० दुर्गा प्रसाद ओझा जो क्रमशः महाविद्यालय, प्रतापगढ़ व महाविद्यालय, लालगंज में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर में स्टोर कीपर के पद पर कार्य के दौरान संबंधित कर्मचारी द्वारा डेड स्टाक में भारी गोल-माल किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम मुख्यालय), लखनऊ में कार्यरत लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार श्री श्रीकृष्ण मिश्रा को गत 7-8 माह से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
भूतपूर्व क्षेत्रीय मंत्री, उ० प्र० मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, गोरखपुर मण्डल एवं लिपिक कलेक्ट्रेट, गोरखपुर को पुनः सेवा में लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
बैंकों में उ० प्र० सरकार के अनुरोध पर भुगतान में रोक लगा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के कई गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	110–111
देहरादून प्रशासन द्वारा अपनी मनमानी से डी० आर० डी० ए० योजना में निर्माण कार्य कराने एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में टप्पल विद्युत केन्द्र का निर्माण कराने एवं जट्टारी विद्युत उपकेन्द्र के पूराने जीर्ण-शीर्ण तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111–112
बी० टी० सी० प्रशिक्षण में चयन हेतु आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112–113
ग्राम डोटल गांव, जनपद अल्मोड़ा में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
राज्य सम्पत्ति विभाग के विधायक निवासों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्हें विभाग के अनुभागों में सम्बद्ध कर दिया गया है को उनके मूल विधायक निवासों में वापस बुलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ० प्र० के मुख्य अभियन्ता द्वारा शासनादेश के विरुद्ध अवैध नीतियों की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
मछुआ समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति लि०, सिसवारा, इकौना, बहराइच को बहाल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114–115
जौनपुर के क्षेत्र मछलीशहर में व्याप्त गम्भीर पेयजल के संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद बहराइच में बाल विकास योजना के अन्तर्गत आंगन बाड़ी कर्मियों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	115–116
जनता इण्टर कालेज, आलमबाग, लखनऊ में प्रबन्धक एवं पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किये गये अनियमित कार्य की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
टाउन एरिया सहसवार, जनपद बलिया में 33 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	116–117
कृष्णा नगर मार्केट, आलमबाग, लखनऊ के पार्किंग स्थल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
विद्युत भण्डार निरीक्षण मण्डल, महानगर, लखनऊ में तैनात सहायक अभियन्ता को निलम्बित करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117–118
ग्राम सभा घोड़वल, जिला फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि सं०–974 का आवंटन उक्त ग्राम सभा के पात्र व्यक्तियों को ही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
केन कैनाल, बांदा की ध्वस्त नहरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
21/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के समीप स्थित ईसाई समुदाय कालोनी में खड़ंजा एवं नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
लखनऊ विकास प्राधिकरण की भू-सम्पत्ति को प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से सहकारी आवास समितियों को बेचे जाने के कारण प्राधिकरण को हो रही हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119–120
जनपद फतेहपुर के खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त घोर अनियमितताएं एवं कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120–121
जनपद जालौन के सलइया बुजुर्ग (घाट) में पहूज नदी पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
डायमन्ड डेरी सरकारी कालोनी, लखनऊ में पेयजल समस्या का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121–122
वर्ग विशेष का अपमान करने की नीयत से "हरिजन" शब्द का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध स्पष्ट दण्डात्मक कार्यवाही हेतु नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
जिला विकास अधिकारी, बांदा के कथित भ्रष्ट कारनामों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122–123
ग्राम सभा रामा अमरापुर, जनपद उन्नाव की भूमि पर वर्ष 1986 में किये गये अनियमित पट्टे रद्द करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123–124
शासन के आश्वासन के बावजूद पूर्वांचल में डीजल की कमी होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	124–130
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	130–131
जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 94 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी की मांग (जारी) ...	131
इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कतिपय सुविधाओं से वंचित रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	131–132
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक हाई कोर्ट की बेंच न खोले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	132–134
उ० प्र० आबकारी, विकृत स्प्रिट का आयात-निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (17वां संशोधन) नियमावली, 1993 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना सं० 1099–ई–2/तेरह–293–88, दि० 1 अप्रैल, 1993....(सदन ने पटल पर रखी गयी)	134
आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना सं०–3628ई–2/तेरह–178-93, दिनांक 25 अगस्त, 1993 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	134
आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना सं०–780-ई-2/तेरह/93-37(1)-84, दिनांक 6 मार्च, 1993..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	135
उ० प्र० वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन .....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	135
उ० प्र० वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन .....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	135
रजिस्ट्रीकरण (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, 1994..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	135–137
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	138
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें..... (जारी)	139–155
उ० प्र० विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 ..... (पारित)	155–158
जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 1994 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी की मांग .....(जारी) ...	158–162
उ० प्र० डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994..... (पारित)	163–164
जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दि० 26 अप्रैल, 1994 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी की मांग (जारी)	164–165
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं० 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान सं० 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान सं० 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान सं० 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान सं० 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान सं० 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान सं० 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान सं० 82–सतर्कता विभाग, अनुदान सं० 84–सामान्य प्रशासन विभाग .....(जारी)	165–166
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं..... (जारी)	166–167

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान सं० 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान सं० 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान सं० 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान सं० 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान सं० 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान सं० 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान सं० 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान सं० 82–सतर्कता विभाग, अनुदान सं० 84–सामान्य प्रशासन विभाग .....(स्वीकृत)	167–173
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994.....(पारित)	173–182
रुड़की विश्वविद्यालय के सिनेट में सदस्यता हेतु नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव.....(स्वीकृत) ...	182
जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28–ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	182
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	182–183
जनपद पीलीभीत की तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	183–184
गाजियाबाद शहर के सीवर व बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ...	184–185
जनपद वाराणसी की दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई द्वारा फर्जी गन्ना भुगतान के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	185–186
जनपद आगरा की नगरपालिका अछनेरा की अव्यवस्था से सीवर लाइन तथा जलोत्सारण योजना के ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	186
जनपद उन्नाव में जलस्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..... (जारी) ...	187
जनपद हरदोई से जारी होने वाले शस्त्र लाइसेंसों की वैधता एरिया को बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	187–188
जनपद बरेली में दो सफाई कर्मियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	188–189
जनपद उन्नाव में जल स्तर के नीचे गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .....(क्रमागत) ...	189–190
लखनऊ की महानगर सचिवालय कालोनी में पार्क की भूमि पर आवासीय भवन बनाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ...	190–191

विषय	पृष्ठ-संख्या
बुनकारों के लिये रियायती दर पर आवंटित सूत की कालाबाजारी के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	191–193
दिनांक 19/20 मार्च, 1994 की रात में मुख्य सचिवालय भवन में 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	193–195
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधाएं प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय बनाये जाने विषयक नियम 49 की सूचना पर चर्चा	195–198
सत्र के लम्बे समय तक सफलतापूर्वक चलने के संबंध में आभार प्रदर्शन ...	198–212
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव.... (स्वीकृत)	213
राष्ट्र-गान.....	213
नत्थियां.....	214–226

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
अखलाख, श्री	मेरठ	चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	चन्द्र भूषण सिंह उर्फ	
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	मुन्नू बाबू, श्री	फर्रुखाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ		चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	चन्द्र विजय सिंह उर्फ	
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	चन्द्र शेखर, श्री	बस्ती
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	जमत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया	जगदम्बा, श्री	बस्ती
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी
इन्द्रदेव सिंह, श्री	बिजनौर	जमुना मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	तुलसीदास राय चन्दानी, श्री	गोण्डा
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	तुलाराम सैनी, श्री	मुरादाबाद
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़	तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद	तेजभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	दया सिन्धु शंखधार, श्री	बदायूं
गनपति सिंह, श्री	महराजगंज	दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर

दौलत राम, श्री — सीतापुर
धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
पीतम सिंह, श्री — एटा
पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
बंशीधर, श्री — नैनीताल
बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
बची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बाबू लाल, श्री — उन्नाव
बाल गोविन्द राजवंशी, श्री — सीतापुर
बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
बेचन राम, श्री — गोरखपुर
बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद

भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
भैरो प्रसाद मिश्र, श्री — बांदा
मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महावीर सिंह, श्री — बिजनौर
महावीर सिंह, कुंवर — हरदोई
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री — फतेहपुर
मातबर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
माम चन्द्र, श्री — सहारनपुर
माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री — बलिया
मुनीश गौड़, श्री — अलीगढ़
मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
रंगनाथ, श्री — वाराणसी
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री — चमोली गढ़वाल
रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राजकुमार शिवहरे, श्री	बांदा
राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजा राम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राधे श्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम गोपाल श्री,	खीरी
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम पाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम बाबू हरित, डा०	आगरा

राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री	प्रतापगढ़
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
वासुदेव सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शशि बाला भारती, श्रीमती	खीरी
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री	महराजगंज
शिव दानी, श्री	इलाहाबाद
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह संजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम देव राय चौधरी, (दादा)	वाराणसी
श्रीराम सिंह, श्री	गोण्डा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद
समर पाल, श्री	मुरादाबाद
सरजीत सिंह इंग, डा०	मिर्जापुर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री	बाराबंकी
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
हरी शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 1994

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप में दिन में 11.00 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग

**1–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री सुधीर कुमार बालियान, श्री हरपाल सिंह तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु बनी मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं तथा सरकार इनका क्रियान्वयन कब तक करेगी ? क्या इस रिपोर्ट में छात्र संघ को समाप्त करने या ऐच्छिक बनाने की भी संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो सरकार क्या इसके क्रियान्वयन पर विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम यादव)–

जी हां।

प्रमुख संस्तुतियां का विवरण संलग्न है।

मेहरोत्रा समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

जी हां।

मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 214 पर)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों द्वारा गेहूं की खरीद एवं किसानों को शोषण से बचाव हेतु कार्यवाही

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की सुविधा हेतु प्रदेश में कितने क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जा रही है ? किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने तथा शोषण से बचाव हेतु कौन सी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किसानों की सुविधा हेतु प्रदेश में अब तक 5,743 क्रय केन्द्र खोलकर गेहूं की खरीद की जा रही है।

किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों से सीधी खरीद की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों व खरीद की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए क्रय केन्द्रों का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया है। जहां बड़ी मात्रा में आवक की सम्भावना है ऐसे स्थानों पर एक से अधिक क्रय केन्द्र खोलने के आदेश दिये गये हैं। मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों तथा ऐसे स्थलों पर जहां हाट या बाजार लगती है, में भी क्रय केन्द्र खोले गये हैं। जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक तथा अन्य अधिकारी द्वारा समस्त क्रय संस्था द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिये गये हैं। जिला स्तर, सम्भाग स्तर तथा लखनऊ सचिवालय में गेहूं खरीद योजना के निरन्तर अनुश्रवण हेतु खाद्य नियन्त्रण कक्ष खोले गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ख) प्रश्न संख्या-1

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना की मांग

*1-श्री मातबर सिंह कण्डारी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना कब से नहीं की जा रही है ? क्या मैदानी भागों में वर्ष 1993-94 में 110 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त अस्पतालों की स्थापना न करने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में कोई उक्त अस्पताल पर्वतीय क्षेत्र में सरकार खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1991 से।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-2

आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्टों की पंजीयन के आधार पर नियुक्ति करने की मांग

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार एलोपैथिक फार्मेसिस्टों की नियुक्ति पंजीयन के आधार पर होती है उसी प्रकार आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्टों की नियुक्ति पंजीयन के आधार पर न करने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

एलोपैथिक फार्मेसिस्टों की नियुक्ति पंजीयन के आधार पर नहीं होती है । अतः आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों की नियुक्ति पंजीयन के आधार पर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की योजना का क्रियान्वयन

*3–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री बिजेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो उक्त योजना का क्या प्रारूप होगा इसके लिये कितना परिव्यय स्वीकृत करने का प्रस्ताव है यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

पहले से ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये जरीयो, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसम योजना, महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग योजना एवं विशेष रोजगार योजना संचालित है । ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उक्त योजनाओं में सम्पूर्ण 8वीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वित्तीय वर्ष में अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है । अतः कोई नई योजना बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी कृपा से मेरा प्रश्न तीन नम्बर पर लगा हुआ था सौभाग्य से पहले ही नम्बर पर आ गया । हम आपके आभारी हैं ।

मान्यवर, मेरा प्रश्न है ग्राम्य विकास मंत्री प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिये कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे, यदि हां, तो उक्त योजना का क्या प्ररूप होगा तथा इसके लिये कितना परिव्यय स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, यदि नहीं तो क्यों ?

पिछली बार उत्तर आया था जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता । लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने बैठे-बैठे कह दिया अनेक योजनायें चल रही है जैसे ट्राइसम योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना आदि यह सब गरीबी उन्मूलन के लिये ही हैं । आज यही उत्तर आया है । चलिये ठीक है कुछ तो उत्तर आया । तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नयी सरकार बनी है तो उसने भी अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने के लिये प्रदेश में कोई योजना गरीबों को उठाने के लिये होगी जिसके लिये यह वचनबद्ध है । तो वह नई योजना, नया विशेष कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिये बनाया है तो वह क्या है ? इसमें जो उत्तर आया है वह यह है कि पहले से ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये जरीयो, एकीकृत ग्राम्य

विकास योजना, ट्राइसम योजना महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग योजना एवं विशेष रोजगार योजना संचालित हैं। यह योजनायें पिछले कई वर्षों से चल रही हैं इनमें से कुछ तो भारत सरकार की योजनायें हैं सारा पैसा वहां से आया है, कुछ प्रदेश सरकार की हैं। यदि इनसे गरीबी उन्मूलन हो रहा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे है ?

दूसरा सवाल यह है कि जो योजनायें हैं इनके चलते पिछले तीन सालों से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का क्या प्रतिशत था और इन योजनाओं से गरीबी की रेखा से कितने प्रतिशत लोग ऊपर आये ?

श्री अध्यक्ष–

आपने पहले तो यह पूछा है कि गरीबी की रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग जीवन यापन कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न है उनको ऊपर उठाने के लिये क्या कर रहे हैं। तो पैसे से लोगों का वैलफेयर है तो क्या आप इन योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य पाल जी को बताना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको सभी जानकारी है कि कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं और कितनी योजनायें केन्द्र की हैं और कितनी प्रदेश की हैं। यह सही बात है। आपका प्रश्न था कि कोई नयी योजना बनाई जा रही है तो कोई नयी योजना ग्राम्य विकास के द्वारा नहीं बनाई जा रही है बल्कि जितनी योजनायें पहले से चल रही हैं जैसे आपने का यह योजनायें गरीबी उन्मूलन के लिये ही हैं।

मान्यवर, जो हमारे प्रदेश द्वारा विशेष रोजगार योजना चलाई जा रही है उसमें हमने 25 करोड़ रुपये का परिव्यय जो पिछले साल था उसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

जहां तक प्रश्न है कि प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इसका हमारे यहां चयन गांवों में बैठक करके तय किया जाता है और प्रतिशत उपलब्ध होने पर बता देंगे लेकिन राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए चालू योजनाओं के अतिरिक्त कोई ग्राम विकास योजना चालू करने का विचार नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दिया जा रहा है। श्री जगदम्बिका पाल ने तीन प्रश्न पूछे हैं लेकिन तीनों का उत्तर नहीं दिया गया है।

मेरा प्रश्न नीतिगत है, मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है, गरीब रेखा के नीचे जो रह रहे हैं, उसका मानक क्या है ? दूसरा प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं उनको ऊपर लाने का कब तक का आपका लक्ष्य है ? गरीबी उन्मूलन आप साल तक समाप्त कर देंगे, इस शताब्दी के अन्त तक कर लेंगे कि नहीं, यह लक्ष्य बता दें ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास पर जो व्यय किया जा रहा है वह गांवों के विकास के लिये है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ? मैं पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का मानक क्या है ? और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है ? और वह कब तक लक्ष्य पूरा कर लेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊदल–

क्या गरीबी रेखा के नीचे का जो मानक है उसको भारत सरकार ने निर्धारित किया है ? लेकिन श्री प्रमोद तिवारी जी मंत्री जी को यहां उलझा रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे का जो मानक पूरे देश के लिये उसे भारत सरकार ने निर्धारित किया है ? और जांच में 33 प्रतिशत पाया गया है, यदि हां, तो उसके उन्मूलन में सरकार का क्या लक्ष्य है ?

(उत्तर न दिये जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, देखिये स्थिति यह है कि यह प्रश्न पहली बार नहीं किया है जब पहली बार आया था तो शायद राज बहादुर जी उत्तर दे रहे थे, उनके उत्तर सन्तोषजनक न होने पर आपने कृपा पूर्वक स्थगित किया था.....(व्यवधान).....इस बार यह प्रश्न फिर लगा है और पूरे प्रदेश की गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, किन्तु सही जवाब नहीं दिया जा रहा है आज भी। लाभार्थियों को चयनित करने के बारे में हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आखिर इस प्रदेश में नई सरकार की अपनी कुछ मंशा है, कुछ कार्यक्रम है, उनके अनुरूप पिछले पांच माह में इस सरकार ने कितने लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे चिह्नित किया है और उनको ऊपर उठाने की कौन सी योजनाएं बनी ? जो रूटीन के कार्यक्रम चल रहे हैं वह मैं जानना चाहता हूं। किन्तु न प्रतिशत बताया जा रहा है न लक्ष्य बताया जा रहा है ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 93-94 में 4 लाख 76 हजार का लक्ष्य रखा गया था।

श्री प्रमोद तिवारी–

फिर नहीं आ रहा है, मेरा यह प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कब उसके ऊपर आएंगे ? हम उत्तर प्रदेश का जानना चाहते हैं, न आपके पास उत्तर हो तो कह दीजिए नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

उन योजनाओं से यह प्रतिशत घटा है या बढ़ा है, यही बता दें ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह बात सही है और बड़े प्रसन्नता की है कि इस सरकार ने प्रदेश के बजट का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की बात कही है, इसके लिए वह साधुवाद की पात्र है, मैं उत्तराखण्ड के बारे में पूछना चाहता हूं इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि उत्तर प्रदेश की जो समिति बनी है, उसके एक सम्मानित सदस्य हैं और सम्बन्धित विधेयक इसी सत्र में आने वाला था, किन्तु वह इस बार तैयार नहीं हो पाया, तो वह अगली बार आ जाएगा, लेकिन एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, पूर्वांचल में, बुन्देलखण्ड के लिए और उत्तराखण्ड के लिए भी विशेष निधि की बात कही थी और उस निधि की स्थापना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन ही था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के लिए जो विशेष निधि है, उस निधि की स्थापना कब तक हो जाएगी और उस निधि के तहत आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी उन्मूलन करने के लिए कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् गरीबी सबसे प्रमुख समस्या है प्रदेश और देश की...(व्यवधान).....और उसमें हम ही नहीं (व्यवधान) आप जवाब सुनेंगे नहीं.....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप एक साथ सबका जवाब दिलवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आजादी के बाद अब तक जितनी सरकारें बनी हैं, सबका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन ही रहा है, लेकिन अब समस्या अब भी बनी हुई है .....

मान्यवर, पाल साहब ने व्यापक प्रश्न किया है जिसका कोई इस तरह का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है कि कब तक गरीबी दूर कर सकेंगे .....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप अनुमति दें तो एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले इनकी बात पूरी सुन तो लीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इससे माननीय मंत्री जी को मदद मिल जायेगी, उत्तर देने के लिये । गरीबी उन्मूलन एक अभियान है, इसके तहत हर सरकारें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है जो सरकारों का उत्तरदायित्व है । मान्यवर, यह जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबन्धन की सरकार है, इसका गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत क्या लक्ष्य है ? मान्यवर, यह बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

कह तो दिया गया है कि 70 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

थोड़ी सहायता आप भी कर रहे हैं । यह सही है कि गरीबी उन्मूलन अभियान की जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने उसे चलाया है । हम भी वर्तमान समय में इस पर बल दे रहे हैं । 70 फीसदी ग्रामीण योजनाओं पर खर्च करने का लक्ष्य है । हम चाहते हैं कि गरीबी जल्दी दूर हो लेकिन मान्यवर, इसके लिये कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इस सदन में झूठ भी नहीं बोला जा सकता है आप बजट देखें पूर्वांचल विकास हो या ग्रामीण विकास योजनाएं कहीं भी आप देख लीजिये पहले से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है । पेयजल की समस्या लीजिये, इसके पहले ज्यादा 33 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं । यह सब विकास की योजनाएं हैं, इन पर पैसा खर्च होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, क्षेत्रों का विकास होता है, नये रोजगार सृजित होते हैं । इस तरह से आप देखिये 70 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च हो रहा है । गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत हमारी सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा पैसा लगा रही है । यह देश और प्रदेश की विकट समस्या है । आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी हद तक सुधार होगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने माना था कि जो विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए धन गांवों में जा रहा है वह 15 प्रतिशत ही पहुंच रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद उसमें कुछ सुधार हुआ है, यह 15 प्रतिशत से बढ़ा है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री राजीव गांधी ने एक नई योजना शुरू की थी, इससे सब लोग सहमत होंगे । ग्रामीण विकास पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ उसके लिए राजीव गांधी को श्रेय है । ग्रामीण विकास के लिए हम 70 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप अनुमति दें तो अभी पूछूं नहीं तो 12.20 पर पूछ लूंगा । मान्यवर, आज आप इतने प्रसन्न हैं, मुस्करा रहे हैं, इसका रहस्य क्या है ?

(प्रश्न करने के उपरान्त प्रमोद तिवारी के चले जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कुछ लोग आपकी नाराजगी पर क्षुब्ध होकर चले जाते हैं, प्रमोद जी आपकी मुस्कराहट देखकर बाहर चले गये।

श्री अध्यक्ष–

अब बड़ी मुश्किल है, क्या किया जाय ?

श्री जगदम्बिका पाल–

राम आसरे जी को ईर्ष्या क्यों है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की जानकारी

*1–श्री हरी शंकर माहौर, इंजी० राम लोटन सिंह पटेल तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कितना है ? क्या पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कम है ? यदि हां, तो इसे पूर्ण करने की दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? सामान्य रिक्ति के पद के विरुद्ध पिछड़ी जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ? पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध पिछड़ी जाति का विद्यमान पद में प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ?

श्री बलराम यादव–

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति प्रतिनिधित्व का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी के अनुसार	दि० 30-11-87 के पूर्व नियमानुसार स्वीकृत पदों की सं०	30-11-87 के पश्चात् परिषद् स्तर से बिना शासन की स्वीकृति के सृजित पदों की संख्या	योग	कुल कार्यरत	पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व की संख्या
1	2	3	4	5	6
एक	31	24	55	35	05
दो	92	44	136	73	12
तीन	2410	296	2706	2434	472
चार	2599	84	2683	2635	841
		(सफाईकारों के पदों को छोड़कर)			
महायोग	5132	448	5580	5177	1330

कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध कम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुल कार्यरत के विरुद्ध :–

श्रेणी–1 में	05/14.28 प्रतिशत
श्रेणी–2 में	10/13.70 प्रतिशत
श्रेणी–3 में	141/5..79 प्रतिशत
श्रेणी–4 में	452/17.15 प्रतिशत

श्रेणी–1 में सभी पद प्रोन्नति के कारण इ,में पिछड़ी जाति का आरक्षण अनुमन्य नहीं है । कार्यरत में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणी–2 में 02, श्रेणी–3 में 331 तथा श्रेणी–4 में 389 कर्मचारी पिछड़ी जाति के कार्यरत हैं जिनका प्रतिशत पूर्व अनुमन्य आरक्षण के अनुरूप 15 प्रतिशत है ।

इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारी नीति रही है । कि शासन और प्रशासन में बैकवर्ड समाज को हिस्सेदारी देने की बात, तो उसमें जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं हो पायी है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह हिस्सेदारी कितने दिनों में सुनिश्चित कर देंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इनकी चिन्ता सही है जिस विभाग के संबंध में जिस मण्डी उत्पादन समिति के संबंध में पूछा है पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो 15 प्रतिशत था सब श्रेणियों में इसका कोटा पूरा है । सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आरक्षण की नीति लागू हुई है नयी नीतियां जो हैं उनको भी पूर्ण रूप से लागू करेंगे जो निर्णय लिया गया है पिछड़े वर्ग के आरक्षण का, उसको लागू किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 15 प्रतिशत आरक्षण की पिछड़ी जातियों के लिए व्यवस्था थी पूर्व में । इस समय व्यवस्था यह है कि 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि मण्डी समितियों और मण्डी परिषदों में, 27 प्रतिशत का आरक्षण पूरा करने में कितने अभ्यर्थियों की और आवश्यकता पड़ेगी और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शासन क्या उपाय करेगा इसके लिए शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री बलराम यादव–

जितनी नयी नियुक्तियां होंगी उसमें जो नयी आरक्षण नीति लागू हुई है उसका क्रियान्वयन किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने रिक्तियों की बात स्वीकार की है जब मंत्री जी को पदों की संख्या पता है तो मंत्री जी को यह बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पिछड़ी

जातियों के अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठित किया जाता है। जिनको प्रतिष्ठित किया जाता है उसमें शासन क्या विचार कर रहा है। 18 को 27 प्रतिशत करने के लिए शासनादेश हो रहा था लेकिन उससे पहले ही पदों पर भर्ती कर ली गयी तमाम जिन जगहों पर नियुक्तियां होनी थीं उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी गयी इससे जो आरक्षण का प्राविधान किया गया है उससे पिछड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। इस तरह की साजिश उत्तर प्रदेश में हुई है। मण्डी परिषद् में मण्डी समितियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के तहत जितनी नियुक्तियां होनी हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गयी है ?

श्री बलराम यादव–

मैंने स्पष्ट जबाव दिया है जो पूर्व की नीति थी उसका पूर्णतया क्रियान्वयन हो चुका है जो नयी नीति आरक्षण की लागू हुई है नयी रिक्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण होना है उसका भी क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जाएगा।

श्री राम करन आर्य–

जो शिड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग के आरक्षण हुए हैं नयी रिक्तियां होने की सम्भावना है आने वाले दिनों में जगह निकलेंगी तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या आरक्षण पहले पूरा करा लिया जाएगा तब अन्य जातियों की नियुक्तियां की जानी है या उसमें पहले जैसे सरकार की व्यवस्था थी वैसे ही किया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, उसमें किसी किस्म की लापरवाही और किसी किस्म का व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का प्राविधान कर दिया गया है। जो नए पद सृजित होंगे उसमें जो 27 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। जो पद रिक्त पड़े हैं क्या उन पदों में से 27 प्रतिशत पद पिछड़े वर्गों से भरे जाएंगे ?

श्री बलराम यादव–

यह निश्चित तौर पर किया जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री सचान जी ने यह जानना चाहा है कि इस समय जो पद रिक्त पड़े हैं। उन रिक्त पदों को पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों से भर कर आरक्षण को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे ?

श्री बलराम यादव–

जो विद्यमान रिक्त पद हैं वह जब भरे जाएंगे तो आरक्षण की नीति का अक्षरशः पालन होगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो रिक्त पद हैं। उन पदों पर पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों में से विशेष अभियान चलाकर आप भरेंगे ?

श्री बलराम यादव–

जो रिक्त पद हैं, वह जब भरे जाएंगे तो पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का जो कोटा है, उसका पूरा पालन किया जाएगा।

श्री मित्रसेन यादव–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंडी परिषद् में जो आरक्षित पद हैं, उनको भरने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे तथा मंडी परिषद् में कुल कितने पद हैं ? उनको कैसे भरा जाएगा ? क्योंकि अभी तक होता यह रहा है कि दो-दो, चार-चार करके भर लिया जाता है और आरक्षण का वायलेशन किया जाता रहा है। इसलिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष कार्यक्रम कब तक चलाएंगे ? उन पदों को कब तक भर लेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मेरा स्पष्ट लिखित उत्तर है। माननीय सदस्य उसको पढ़ लें। सरकार की यह स्पष्ट नीति है। सरकार की साफ नीयत है कि आरक्षण की नीति का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जब गवर्मेंट की इच्छा शक्ति है तो किसी किस्म की बाधा इसमें नहीं आएगी। आरक्षण की नीति का निश्चित तौर पर पालन किया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट आ गया है, और उन्होंने इस पर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है, कि जो नई नियुक्तियां होंगी, उसमें पिछड़े वर्गों का २७ प्रतिशत कोटा भरा जाएगा। उनकी नियत पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नई नियुक्ति पर रोक लगी है तो उस पर रोक हटाने के लिए सरकार विचार कर रही है। जब नियुक्तियों पर रोक हटेगी, तभी तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर रोक हटाएगी तो कब तक हटाएगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह तो शासन की मंशा ही है कि आरक्षण का जो अवसर दिया गया है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबन्ध हटाकर नियुक्तियां कर ली जायंगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण की जो नीति है। वह सभी संवर्गों में पूर्णतः लागू होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शीघ्र की परिभाषा क्या है ?

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इधर हाई कोर्ट में जो रिजल्ट निकला है सरकारी नौकरियों के संबंध में उसमें 15 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है तथा लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट निकला है उसमें भी पिछड़ी जातियों के लिये 15 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। हमने प्रश्न किया था हमारे पास उसका उत्तर है। अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण में सरकार, शासन को धोखे में रखा जाता है और आरक्षण को पूरा किया जाता है। प्रोन्नतियों में भी आरक्षण की व्यवस्था है। सिंचाई विभाग में 45 पद रिक्त हैं लेकिन उसके लिये जो लिस्ट बनायी जाती है उसमें भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। अनुसूचित जाति का कोई भी अधीक्षण अभियन्ता नहीं बनाया गया है। शासन और सरकार को धोखा देकर काम किया जाता है। सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। यह 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा होना चाहिये यही मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप टण्टा जी का और वर्मा जी का प्रश्न सुन लें एक साथ उत्तर दे दीजियेगा।

श्री राम प्रसाद टण्टा–

मान्यवर, जो नियुक्तियों में प्रतिबंध लगाया गया है क्या वह अनुसूचित जाति के पद रिक्त हैं उन पर भी लगाया गया है। यदि प्रतिबंध नहीं है तो इन वर्गों के लोगों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर सरकार बिल्कुल बेनकाब हो रही है इसलिये अनुसूचित जातियों, जन जातियों के अभ्यर्थियों को भरने का एक अभियान चला रही है लेकिन कोटा नहीं भर पा रही है। इसी तरह से पिछड़ी जातियों के लिये जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है उसको भी मखौल के तौर पर सरकार ले रही है। पिछड़ी जातियों के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण पहले था तो 15 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण पूरा नहीं हो पाया है। अब 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जब इस सिलसिले में कोई प्रश्न किया जाता है कि यह रिक्तियां भरने के लिये सरकार कोई अभियान चलायेगी जिससे पिछड़ी जातियों का कोटा पूरा हो सके तो सरकार बिल्कुल मना करती है। मैं आग्रह करूंगा कि शासन की जो नीति है और सदन के अन्दर जिस पर मुहर लगायी गयी है सरकार उसके विपरीत आचरण कर रही है। तत्काल, जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, उस आरक्षण की व्यवस्था के लिये चाहे अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी जाति के लिए हो, उसको पूरा करने के लिए, एक अभियान चलायें और जब तक यह नहीं होगा, तब तक यह कागज पर ही पड़ा रहेगा और वह पूरा नहीं हो पायेगा। मान्यवर, एक तरफ तो नियुक्तियों पर रोक लगी हुई और दूसरी तरफ कहते जा रहे हैं कि हम आरक्षण पूरा करेंगे, मान्यवर, जब तक नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, तब तक नई नियुक्तियां हो नहीं पायेंगी, माननीय मंत्री जी उस रोक को हटा नहीं रहे हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, नियमित नियुक्तियों पर रोक नहीं है, लेकिन नियमित नियुक्तियों से ये कोटे को पूरा करने का काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन तदर्थ नियुक्तियों पर लगी हुई रोक को हटायेंगे और एक विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़ी जाति के कोटे को पूरा करने का काम करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, आदरणीय वर्मा जी हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ इनसे सीखा है। माननीय वर्मा जी की इस तरह की जो आशंका हैं, यह बड़ी निर्मूल आशंका है। इस तरह के जितने लोग पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनका कोटा न पूरा करने की किसी सरकार की हिम्मत है या किसी शासन के चलाने वाले की हिम्मत है ? मान्यवर, यह आरक्षण की नीति चाहे वह अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी जाति के लिये हो, उसका निश्चित रूप से क्रियान्वयन होगा और उसे पूरा किया जायगा।

श्री रामदास पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शीघ्र ही नियुक्तियों पर लगी हुई रोक खोल दी जायगी, मान्यवर, आज विधान सभा की बैठक का अन्तिम दिन है और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि माननीय मंत्री जी विधान सभा की बैठक के इस अन्तिम दिन पर जो नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके संबंध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रतिबन्ध किस तारीख से समाप्त किया जा रहा है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, हम सदन की भावनाओं से अवगत है, आज जो प्रश्न उठा है, यह किसी विशेष क्षेत्र का प्रश्न उठा है।

(व्यवधान)

श्री रामदास पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इस संबंध में आप ही मान्यवर, कोई निर्देश दे दें।

श्री ऊदल–

मान्यवर, आज तीन महीने से इस सदन में और सदन से बाहर भी माननीय मंत्री जी इस तरह की घोषणायें कर रहे है कि जो नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है, उस प्रतिबन्ध को बहुत जल्द हटा लिया जायगा और 3-4 महीने बीत जाने के बाद आज भी माननीय मंत्री जी वही बात कह रहे हैं कि बहुत शीघ्र उस प्रतिबन्ध को हटा लिया जायगा। एक बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही बात कहा था कि बहुत शीघ्र नियुक्तियों पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा लिया जायगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये सरकार के सामने कोई दिक्कत है ? यदि हां, तो उस दिक्कत को कब तक दूर कर दिया जायगा ? और उस प्रतिबन्ध को कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

इतने वरिष्ठ लोगों ने आज इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न किये हैं, लेकिन आज जिस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं वह कृषि मंडी से सम्बन्धित है, और यह जो प्रश्न है वह नीतिगत प्रश्न है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि निकट भविष्य में प्रतिबन्ध हटाकर आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां कर ली जायेंगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों का खिलवाड़ कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। नौकरियों पर लगे हुये प्रतिबन्ध को नहीं हटा रहे हैं और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, इस कारण मैं इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, बागेश्वर के डाक्टरों की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। हमारे यहां बागेश्वर के अस्पताल में आज भी पोस्टमार्टम के लिये डाक्टर नहीं है और उसका पद रिक्त है। पोस्टमार्टम कराने के समय क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि वहां पर डाक्टर उपलब्ध रहे। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वहां पर डाक्टर की नियुक्ति की जायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह संगत प्रश्न नहीं है।

[बुध० दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आर० एल० जी० ई० पी० में भूमि संरक्षण कार्यों पर व्यय धनराशि की जानकारी

*2–श्री मातबर सिंह कण्डारी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विगत कई वर्षों से आर० एल० जी० ई० पी० में भूमि संरक्षण कार्यों के लिए दस लाख रुपये की धनराशि बिना सदुपयोग किये हुए पी० एल० ए० में पड़ी हुई है ? क्या इस धनराशि का सदुपयोग करने के लिए कोई विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत धनराशि डी० आर० डी० ए० के पी० एल० ए० में जमा है।

इस धनराशि को उक्त योजना अन्तर्गत भूमि संरक्षण के अनुमोदित कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु दिनांक 24 मार्च, 1994 को निर्देश दे दिये गये हैं।

शासन की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 215 पर)

जनपद मिर्जापुर के तहसील लालगंज में चिकित्सालय निर्माण की जानकारी

*3-डा० सरजीत सिंह डंग (अनुपस्थित)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 की जनपद मिर्जापुर की जिला योजना में तहसील लालगंज की जिला अनुश्रवण समिति द्वारा 30 शैय्या के चिकित्सालय हेतु धनराशि की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो लालगंज में चिकित्सालय निर्माण अब तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या इस धनराशि का उपयोग अन्यत्र कहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति का उल्लंघन करके अन्यत्र धनराशि व्यय करने के लिए दोषी अधिकारी पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

*4-श्री मित्रसेन यादव-

[12वें मंगल में ता० प्र० सं०-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्ष 1993 तक खराब ट्यूबवेलों की संख्या एवं उनके सुधार की कार्यवाही

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 31-12-93 तक कितने ट्यूबवेल खराब थे ? शासन द्वारा उनको सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में सिंचाईरत कुल 28,446 राजकीय नलकूपों में से माह दिसम्बर, 1993 के अन्त में यांत्रिक दोष से 1,337 एवं विद्युत दोष से 1,198 अर्थात् कुल 2,535 राजकीय नलकूप अस्थायी रूप से चलते-चलते बन्द थे।

इन बन्द नलकूपों में से विद्युत दोष से बन्द 82 नलकूपों को छोड़कर शेष सभी नलकूप सम्भावना 31-3-94 तक चालू किये जा चुके हैं। विद्युत दोष से बन्द 82 नलकूपों को चालू कराने के प्रयास उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किये जा रहे हैं।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के आपरेशन थियेटरों में एण्टी स्टेटिक कण्डेक्टिव, एअर हैण्डलिंग यूनिट एवं डाइको लाइट लगाए जाने की जानकारी

*6–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आपरेशन थियेटर, अत्याधुनिक एवं अतिसंवेदनशील उपकरणों से लैस है ? यदि हां, तो उसकी क्षमता क्या है ? क्या इसमें एण्टी स्टेटिक कण्डेक्टीव लगाने, एअर हैण्डलिंग यूनिट तथा डाइको लाइट्स का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन कार्यों को ठीक से न करने के कारण मरीजों के जान का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उक्त कार्य समय से पूर्ण न होने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री बलराम यादव–

हां ।

इस आपरेशन काम्पलेक्स में 13 शल्य क्रिया कक्ष उपलब्ध है जो एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । ये समस्त आपरेशन थियेटर अत्याधुनिक उपकरणों एवं साज-सज्जा से सुसज्जित हैं तथा ये आपरेशन थियेटर कीटाणु रहित भी हैं । प्रत्येक आपरेशन थियेटर एक समय में एक मरीज की शल्य चिकित्सा किये जाने की क्षमता रखता है । इन आपरेशन थियेटरों में एण्टी स्टेटिक कन्डेक्टिव लगाये जा चुके है, एअर हैण्डलिंग यूनिट तथा डाइको लाइट्स लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है । इन कार्यों के ठीक से न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद गाजियाबाद के उपभोक्ता संरक्षण फोरम में पूर्णकालिक अध्यक्ष नामित करने की मांग

*7–श्री बालेश्वर त्यागी (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद के उपभोक्ता के संरक्षण फोरम में 1 जनवरी, 1994 को एक हजार से भी अधिक शिकायतें लम्बित थी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त उपभोक्ता फोरम में कुछ शिकायतों का निपटारा एक वर्ष या इससे अधिक समय से भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं को त्वरित गति से न्याय दिलाने के लिये दैनिक उपभोक्ता फोरम की बैठक किये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त उपभोक्ता संरक्षण फोरम की प्रतिदिन बैठक किये जाने के लिये आवश्यक औपचारिकतायें क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिला उपभोक्ता फोरम में एक अध्यक्ष और दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य होती है । फोरम के अध्यक्ष पद के लिये वही व्यक्ति पात्र होगा जो जिला जज हो, जिला जज रहा हो या जिला जज होने की अर्हता रखता हो परन्तु जिला फोरम गाजियाबाद के अध्यक्ष पद हेतु उक्त अर्हता रखने वाला पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण दैनिक बैठक करने हेतु पूर्ण कालिक अध्यक्ष नामित नहीं हो सका । इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है और अति-शीघ्र

ही फोरम में नामित कर पूर्णकालिक अध्यक्ष नामित कर दिया जायेगा और फोरम में दैनिक बैठकें होने लगेगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में महिला कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकी का ज्ञान कराये जाने की योजना

*8-श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में महिला कृषकों को कृषि तकनीक देने की क्या कोई विशेष योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की महिला कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकी का ज्ञान कराया जाता है । इस निमित्त गोष्ठियों का आयोजन तथा भ्रमण कराए जाते हैं एवं उन्हें नई तकनीकी का साहित्य उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया

*9-श्री राम कुमार शुक्ल (अनुपस्थित)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के नागरिकों को जिला आपूर्ति एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालयों द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो इस नये आदेश में राशन कार्ड तुरन्त जारी करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड पर बयान हल्फी आदि कागजों की पूर्ति हेतु रु० 25/- (पच्चीस) व्यय करने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

निम्न श्रेणी के लोगों को तुरन्त राशन कार्ड जारी किया जाता है :-

(1) पूर्व निवास स्थान से राशन कार्ड समर्पण प्रमाण-पत्र को प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करने पर ।

(2) पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करने पर ।

(3) सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में तैनात व्यक्ति को निवास एवं परिवार की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र देने पर । (हस्ताक्षर एवं मुहर सहित)

इस आशय के कोई आदेश शासन द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं ।

उत्तराखण्ड के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी

*(11) श्री [illegible] सिंह तथा श्री [illegible] सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र का नाम उत्तराखण्ड किन कारणों से किया गया है ? उत्तराखण्ड के विकास हेतु सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तरांचल से उत्तराखण्ड नाम परिवर्तन के मुख्य तीन कारण हैं :—

(1) [illegible] में ही इस भू-भाग को उत्तराखण्ड नाम से जाना जाता है ।

(2) [illegible] एवं [illegible] जो भी आन्दोलन चले उस दौरान भी इस भू-भाग को उत्तराखण्ड के नाम से ही जाना जाता था ।

(3) आज भी उक्त क्षेत्र के ज्यादातर लोग इसे उत्तराखण्ड नाम दिये जाने के पक्षधर हैं ।

उत्तराखण्ड के विकास हेतु वर्ष 1994-95 के मुख्य कार्यक्रमों में आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार जैसे सड़क एवं पुल, पेयजल व्यवस्था, ऊर्जा, सिंचाई, सामान्य शिक्षा व तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यक्रम मुख्य हैं । पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वानिकी तथा भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को भी वरीयता दी गयी है । उत्पादन एवं आय में वृद्धि के लिये बागवानी, पर्यटन, लघु उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना आदि मुख्य हैं । पिछड़ी जातियों–विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किये जायेंगे ।

(प्रश्न संख्या–11 पुकारे जाने पर)

(श्री राम आसरे वर्मा द्वारा नत्थी (ग) के नियम 38 (2) में ता० प्र० सं० 1 के संबंध में खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप तो इस पर वाक आउट कर गये थे, अब नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

डाक्टर की तलाश है, उसकी व्यवस्था करा दें ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, डाक्टर का पद रिक्त है । डाक्टर की व्यवस्था करेंगे या नहीं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

इनको डाक्टर की तलाश है और हमको मरीज की तलाश और वह लोग चले गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम प्रसाद टण्टा–

मान्यवर, क्या वहां पर सरकार डाक्टर की व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी ? यह उत्तर मैं जानना चाहता हूं। कम से कम वहां पर क्या व्यवस्था होगी इसका उत्तर तो हमको मिलना चाहिए। अगर आप इसका उत्तर नहीं दिलवायेंगे तो हमें इसका उत्तर कहां से मिलेगा ? वहां पर डाक्टर के न होने से अव्यवस्था हो रही है यह अखबार में भी छपा है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप तो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं डाक्टर की व्यवस्था, डाक्टर की व्यवस्था, डाक्टर की व्यवस्था, मान्यवर, आप पूछ तो लें कि दर्द क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ कह ही नहीं रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को स्पष्ट करे देता हूं। माननीय टण्टा जी ने किसी प्रश्न से उत्तरित हुए यह अनुपूरक पूछा है कि जिस प्रकार तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिबन्ध के नाते नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उनके क्षेत्र में जहां डाक्टर की बात कर रहे हैं नियुक्ति न होने के कारण वहां के लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं तो यह बता दें कि वहां डाक्टर की नियुक्ति होगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आप इसे अनुपूरक प्रश्न मानते हैं तो पूछ लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह यही कह दें कि नई नियुक्तियां खुलेंगी तो नियुक्ति होगी।

श्री राम प्रसाद टण्टा–

मान्यवर, वहां पर पोस्ट मार्टम करने के लिये डाक्टर नहीं है। वहां की जनता की भीड़, एस० डी० एम० के पास जाने पर उनकी पिटाई हो गयी है और वह अस्पताल में भर्ती हैं।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने टण्टा साहब से कहा था कि प्रश्न प्रहर के बाद इसे करें लेकिन अब ये मेरे संज्ञान में यह ला दिये हैं कि पोस्टमार्टम की दिक्कत है, डाक्टर का अभाव है तो उसे पूरा कर दिया जायेगा।

श्री राम प्रसाद टण्टा–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

जनपद उन्नाव में विकास खण्ड स्तर पर डी० आर० डी० ए० द्वारा स्वीकृत धन को खर्च करने के लिये गठित की गयी समिति को भंग किये जाने की जानकारी

*11–श्री हृदय नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी० आर० डी० ए० द्वारा चयनित प्रस्तावों हेतु स्वीकृत धन को खर्च करने के लिये प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिये विधायक, ब्लाक प्रमुख, परगनाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों की कोई चयन समिति सरकार ने बनायी है ? यदि नहीं, तो उन्नाव में इस प्रकार की समिति के गठन का औचित्य क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना में वर्ष के अन्त तक समस्त धन व्यय किया जाना महत्वपूर्ण होता है, ताकि अगले वर्ष के परिव्यय में कोई कटौती न की जाय । इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि खण्ड स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से एक समिति का गठन कर दिया जाय जो योजनाओं का चयन करें एवं अनुश्रवण करें । यह प्रकरण जब शासन के संज्ञान में आया तो दिनांक 1 मार्च, 1994 को खण्ड स्तर पर गठित की गयी समिति को भंग कर दिया गया है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में आपकी अनुज्ञा से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने स्तर पर और खण्ड स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से किसी समिति का गठन किया गया था जो योजनाओं का चयन करे । मान्यवर, इसका कारण इसमें यह कहा गया है कि वर्ष के अन्त तक योजनायें पूरी हो जायें । मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी के समक्ष इस बात के पर्याप्त कारण थे कि डी० आर० डी० ए०, जिसके हम सदस्य होते हैं और योजनायें प्रस्तावित करते हैं वह हम लोगों के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, वह वर्ष के अन्त तक सम्भव नहीं था । जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर एक समिति बना दी थी इसके मान लेने के कारण क्या थे । जो प्रस्ताव डी० आर० डी० ए० में रखे जाते हैं, उनको नजरंदाज कर एक अलग कमेटी बना दी जिसमें ब्लाक प्रमुख आदि रखे गये । उन्हें वह समिति बनाने का कोई अधिकार नहीं था । क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने शासनादेशों के विरुद्ध इस तरह की समिति बना दी ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, डी० आर० डी० ए० गवर्निंग बाडी की बैठक 22-1-94 में निर्णय लिया गया कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा वह डी० आर० डी० ए० को उपलब्ध कराये जायें । लेकिन अधिकांश जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव डी० आर० डी० ए० को उपलब्ध नहीं कराये गये । पूरा उत्तर तो कृपया कर मेरा सुन लें । फिर जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ऐसा किया गया । उसके बाद जब यह मामला नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में माननीय हृदय नारायण जी द्वारा लाया गया । उस संबंध में विधायी संसदीय कार्य विभाग द्वारा सूचना मांगी गयी ।

उसमें एक मार्च, 1994 को उक्त समिति भंग कर दी गयी। उसके बाद जो सूचना डी० एम० के यहां से आयी थी उसमें कतिपय बिन्दु स्पष्ट नहीं थे जिनके संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका स्पष्टीकरण आने के बाद इस पर विचार किया जायेगा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, डी० आर० डी० ए० के सिलसिले में जो उन्नाव का प्रश्न है उसमें उत्तर में यह बताया कि किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्तर पर कोई व्यवस्था कर दी गयी प्रस्ताव न मिलने के अभाव में। मैं जानना चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० के तहत कौन-कौन सी गाइड लाइन्स तय की गयी हैं गवर्निंग बाडी के सदस्य कौन-कौन से हैं क्या जो डी० आर० डी० ए० की समिति है उसमें विधायकों, सांसदों का प्रतिनिधित्व माना गया है या नहीं ? अगर माना गया है तो उनके प्रस्तावों को नकार कर अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से कर देने का औचित्य क्या बनता है ? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो जनप्रतिनिधियों के अधिकार अपने हाथ में ले उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, यह जो समिति डी० एम० ने बनायी थी, जिला स्तर की डी० आर० डी० ए० स्तर की कोई समिति नहीं थी, वह खण्ड स्तर की समिति थी। जब यह मामला नियम 300 में उठाया गया, तो तुरन्त ही इसे भंग कर दिया गया। इसके लिये सफाई मांगी गयी, यह नियम विरुद्ध किया है, सफाई आने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जब माननीय मंत्री जी ने दूसरा पैरा में यह स्वीकार किया है कि जिलाधिकारी द्वारा खण्ड स्तर पर एक समिति का गठन किया गया तो जो मूल प्रश्न है कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी० आर० डी० ए० द्वारा चयनित प्रस्तावों पर स्वीकृत धन को खर्च करने के लिये प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिये विधायक, ब्लाक प्रमुख, परगना अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों की कोई चयन समिति सरकार ने बनायी है तो इसका उत्तर "जी हां" में आना चाहिए था बाद में उत्तर यह आना चाहिए था कि बनायी गयी थी लेकिन उसे निरस्त कर दिया है। तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है और जैसा कि अन्य मंत्रिगण भी कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने कार्य को त्वरित करने के लिये कमेटी का गठन कर दिया। जब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गाइडलाइन्स दी गयी कि माननीय सदस्य उसके ऊपर प्रस्ताव करेंगे तो उसी के अनुसार वह कार्य करेंगे और इसी के आधार पर श्री हृदय नारायण जी ने नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न लगाया था कि संज्ञान में यह आया है कि जिलाधिकारी ने गलत किया और शासन ने तत्काल निर्देश दिया कि इस समिति को भंग किया जाये। तो जब प्रागदर्शन में यह साबित हो गया कि जिलाधिकारी ने गलत किया तो स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया ? स्पष्टीकरण उसमें लिया जाता है जिसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता हो, आरोप के संबंध में जवाब देने की बात हो। लेकिन नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर उसे भंग करने का निर्देश दे दिया जिसका गठन जिलाधिकारी ने किया था। तो जब यह साबित हो गया कि जिलाधिकारी ने अपने अधिकारों का

दुरुपयोग करके उस समिति का गठन किया तो फिर उसका औचित्य क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह सही है कि जो डी० आर० डी० ए० की गवर्निंग बाडी होती है उसमें माननीय विधायकों के सुझावों पर निर्णय होता है। माननीय हृदय नारायण जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिये, ब्लाक समिति उस कार्य के निस्तारण के लिये बना दी गयी फिर भी पाल साहब का आग्रह है तो हम इसे नियमानुसार दिखवा लेंगे।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न माननीय पाल साहब ने किया और यह बहुत ही सटीक प्रश्न था और अपनी जगह सही था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस उत्तर के संबंध में यह कह दिया कि वह हम इसे नियमानुसार दिखवा लेंगे। असलियत यह है कि जिलाधिकारी ने अपनी गलत बात को छिपाने के लिये प्रशासन से गलत जवाब बनवाया है। लोकतांत्रिक तरीके से, इन्हें अपने लोक की चिन्ता तो है नहीं और यह तंत्र की चिन्ता कर रहे हैं। प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से समिति गठित कर दी गयी। उन्हें लोक की चिन्ता ज्यादा हो गयी और तंत्र की कम, यही हम लोगों की पीड़ा है। मान्यवर, पाल साहब ने गाइडलाइन बता दी कि विधायकों के ही प्रस्ताव पर, पैसे के खर्च का प्राविधान होता है। यह जिलाधिकारी द्वारा जानबूझकर उनके प्रस्ताव की उपेक्षा करने का काम किया गया है। इस प्रकार उसने विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई है और जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। जब प्राग्दर्शन में बात सही है और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए कि शासन जिलाधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही किये जाने पर सहमत है ?

(इस समय 12 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम करन आर्य पीठासीन हुए)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह तो हमने पहले ही कह दिया कि नियमों की कहां पर अवहेलना हुई है, उसको पहले दिखवा लिया जायेगा और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसका प्रश्न तो बाद में आता है।

श्री ऊदल–

आप जिलाधिकारी की पैरवी कर रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे इस प्रश्न की चिन्ता इसलिये है क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसके उत्तर में कह दिया कि इस विषय को दिखवा लेंगे और नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, ठीक है, हम इससे आश्वस्त हो जाते हैं लेकिन यह नीति का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डी० आर० डी० ए० के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन होते हुए, अगर जिलाधिकारी द्वारा उसकी उपेक्षा की जायेगी तो इस पर शासन को संज्ञान लेकर कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, इसी तरह के मामले अन्य

जनपदों में भी हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिलाधिकारी ने डी० आर० डी० ए० के धन को अपनी मनमानी से खर्च किया है। पिथौरागढ़, देहरादून, शाहजहांपुर में इस तरह की चीज हुई है। मान्यवर, माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव डी० आर० डी० ए० में आने चाहिये और उनके प्रस्तावों के अनुरूप पैसा खर्च किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि कौन हैं, जो क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करता है, जो उस क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करता है, प्राथमिकतायें तो वहीं तय करेगा, जिलाधिकारी तो करेगा नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी देहरादून, पिथौरागढ़, शाहजहांपुर आदि के संबंध में जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जो चिन्ता है, वह हृदय नारायण जी के प्रश्न के अन्तर्गत ही है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह सभी चीजों का एक साथ उत्तर दे दें।

श्री ऊदल–

पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को शासन की तरफ से निर्देश जाने चाहिए कि वह अलोकतांत्रिक तरीके से कोई कार्यवाही न करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम ऊदल जी की राय से पूरी तरह सहमत हैं, उसी के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र जिलाधिकारियों को इस तरह के निर्देश भेज दिये जायेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अधिष्ठाता जी, विधायकों के प्रस्ताव इसलिये नहीं लिये जाते क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि इन्जीनियरों के माध्यम से उनका कमीशन तय होता है और कमीशन की दर 14 प्रतिशत से ज्यादा है। आर० ई० एस० में 40 प्रतिशत, सिंचाई विभाग में 39 प्रतिशत तक का कमीशन इनका फिक्स है, इसी कारण विधायकों से पूछकर धन खर्च नहीं किया जाता है। बिना कमीशन लिये धन का वितरण नहीं होता है। समस्या यह है कि जब काम की शुरुआत हो जाती है तब हमारे संज्ञान में आती है। अतः यह व्यवस्था कराने का कष्ट करें कि जो कार्य स्वीकृत होगा वह विधायकों की मर्जी से होगा। दूसरे जो भी काम क्षेत्र में होगा या जो भी संसाधन खर्च होंगे, कार्य शुरू होने के पहले उसकी सूचना विधायकों को दी जायेगी कि फलां काम कराया जा रहा है। और अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जो घपला किया जा रहा है, जैसे हृदय नारायण दीक्षित जी का मामला है, मेरे जनपद का मामला है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सम्मानित सदस्यों के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिये जिलो में कोई प्रकोष्ठ खुला है ? मैंने जनपद पिथौरागढ़ में इस सदन का सम्मानित सदस्य होने के नाते कुछ पत्र भेजे, पर उन पत्रों पर कोई विचार नहीं हुआ, सरकार को कोई जानकारी है कि उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है। शासन को यह नीति बनानी चाहिए कि माननीय सदस्यों

के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु प्रकोष्ठ बनाये । दूसरी बात मान्यवर, जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो जिलों में चाहे वह डी० आर० डी० ए० हो, क्षेत्र समिति हो या जिला परिषद् हो अथवा दूसरी कोई बैठकें हों, वह नहीं होनी चाहिए । जो मेरी जानकारी में आयी है कि जनपद पिथौरागढ़ में 29-4-94 को मीटिंग होने जा रही है और आज अभी हाउस चल रहा है, मुझे अपने जनपद तक पहुंचने के लिये कम से कम दो दिन लगते हैं, ऐसी स्थिति में हम उस बैठक में नहीं पहुंच सकते । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब विधान सभा चले तो डी० डी० सी० या डी० आर० डी० ए० की बैठकें न हों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, अभी हमको माननीय सदस्य पौड़ी गढ़वाल ने भी यह बात बतायी है और श्री माहरा जी सदस्य पिथौरागढ़ भी बता रहे हैं मैं इससे सहमत हूं । दिनांक 29-4-94 तक सभी माननीय सदस्यों को यहां चुनाव के लिये रहना पड़ेगा और 29 तारीख को यहां से चलने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य कम से कम दो दिन में पहुंच सकेंगे । आज ही मैं जिलाधिकारियों को फैक्स के जरिये सूचना भिजवा दूंगा कि 29 तारीख की मीटिंग स्थगित करके किसी दूसरे दिन बैठक आयोजित करें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दीक्षित जी आप अपना अन्तिम प्रश्न पूछिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

दीक्षित जी का सवाल आखिरी होगा, इसलिये इससे पहले अनुमति दे दें ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, नये सदस्यों को भी समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

दीक्षित जी को सुनने के बाद ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, आप नये सदस्यों को सुनें, पुराने सदस्य तो हमेशा बोलते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हृदय नारायण जी इनको समय दे दीजिये ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब से यह नई सरकार बनी है, जनपद देहरादून में डी० आर० डी० ए० की कोई बैठकें आयोजित नहीं की गयी और जो धन दिया गया उसको अपनी मर्जी से खर्च किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था जनपदों में लागू है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हृदय नारायण जी आप अपना प्रश्न पूछिये । दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी एक साथ दे देंगे ।

श्री मोहम्मद अरशद खान–

मान्यवर, मैं जौनपुर से चुनकर आया हूं, मैं जौनपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जिस मद में पैसा एलाट होता है, उस पैसे को.....

श्री अधिष्ठाता–

आपको समय नहीं दिया गया है, श्री हृदय नारायण जी को समय दिया गया है ।

श्री मोहम्मद अरशद खान–

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, चाहे एम० पी० हों या एम० एल० सी०, जो वहां पर विकास योजनायें चल रही हैं, उनके लिये विधायकों के निर्देश पर ही प्रस्ताव पर धन उपलब्ध कराया जाय और हमारे विधायकों की मर्जी से ही योजनायें बनायी जायं, ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे । जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी है वह विधायकों की मर्जी से न कार्य करते हैं और न ही धन उपलब्ध कराते हैं बल्कि अपनी मर्जी से योजनाओं के लिये धन वितरित करते हैं (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सबके प्रश्न आ जाने दीजिये श्रीमन् ।

श्री राम विशुन आजाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानकारी चाहता हूं जो डी० आर० डी० ए० में धन शासन से जाता है तो क्या अनुसूचित जातियों के लिये कोई धन आरक्षित करने की व्यवस्था है ? एक सवाल तो यह है । दूसरा सवाल है कि हमारे जनपद गोण्डा में, पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग हो, पी० डब्लू० डी० विभाग हो, भूमि संरक्षण विभाग हो या जितने भी विभाग हैं, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिये जो मीटिंग होती है, उसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है, इसका जवाब चाहता हूं कि क्या मीटिंग बुलाकर विकास कार्यों की समीक्षा करते समय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आपके सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, अब अन्तिम प्रश्न श्री हृदय नारायण जी का ।

श्री राम विशुन आजाद–

धन जो आवंटित किया गया है, मैं सरकार से जवाब चाहता हूं । डी० आर० डी० ए० में जो भी सम्पत्ति या धन जाता है तो क्या अनुसूचित जातियों के लिये कोई धन आरक्षित करने की व्यवस्था है ।

जैसे रोगजार योजना में साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये खर्च करने का प्राविधान है, किसी भी कार्य में मद का सभी पैसा खर्च नहीं हो जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक सवाल है, मैं दीक्षित जी से अनुरोध कर लूंगा, श्री हृदय नारायण जी का आखिरी सवाल होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अच्छा, सवाल कर लीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारियों को निर्देश देने की बात कह दी है, लेकिन मैं एक जानकारी और चाहूंगा और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे तथा उनकी जानकारी में भी है कि जो भी डी० आर० डी० ए० का पैसा आता है और इस डी० आर० डी० ए० द्वारा जो भी योजनायें तय की जाती हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने में पूरे धन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सा धन कमीशन के रूप में चला जाता है । हर विभाग की कमीशन की दरें तय हैं, जैसे आर० ई० एस० का चालीस प्रतिशत, पी० डब्लू० डी० का तीस प्रतिशत, सिंचाई विभाग का 30 प्रतिशत और जिला परिषद् का 40 प्रतिशत । यहां पर जो भी योजनायें तय की जाती हैं उसमें 30 या 40 परसेन्ट धन कमीशनखोरी के रूप में अधिकारियों की जेबों में चला जाता है, जब यह धन कमीशन के रूप में चला जायगा तो जनता इससे लाभान्वित नहीं होगी । माननीय मंत्री जी बता दें, वह स्वयं इस बात से अवगत हैं और इस तथ्य से सहमत होंगे कि किस तरह से इस पर अंकुश लगे और इस पर अंकुश लगाने के लिये किसी भी प्रकार के कोई उपायों पर विचार करेंगे । दूसरी बात मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि की है । माननीय चन्देल साहब बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं, हमारे अशोक कुमार सिंह चन्देल जी, उनको भी इसकी जानकारी होगी कि वहां पर जो भी प्रस्ताव लाये जाते हैं वह अधिकारियों द्वारा तय किये जाते हैं । जन प्रतिनिधियों द्वारा तैयार नहीं किये जाते हैं । तो बुन्देलखण्ड विकास निधि जो बनी हुई है उसमें क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी योजनायें तय की जायं वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही ली जायं ?

श्री अधिष्ठाता–

सब का जवाब मंत्री जी एक साथ देंगे हृदय नारायण जी आप भी पूछ लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इकट्ठा जवाब देना यह ऐसी बात हो गयी है जो उचित नहीं है । एक आध मौके पर तो कोई बात हुई लेकिन इसे परम्परा न बनने दें । यह पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के विपरीत है, इस पर अंकुश लगायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय वर्मा जी, हम से सहमत होंगे जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि डी० आर० डी० के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय। जहां तक धन के गलत इस्तेमाल का सवाल है इस पर हम सब को चिन्ता होनी चाहिए, हम सब सतर्क रहें तो मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी कार्य की जांच के लिये आप कहेंगे तो जो एजेंसी आप तय करेंगे जांच करा देंगे और जो पनिशमेंट देना होगा हम देंगे लेकिन उसमें हमें पूरा सहयोग आप दीजिये।

(व्यवधान – कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं और मंत्री जी को सूचना भी देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की उप-समिति उन्नाव जिले में बनी तो जिलाधिकारी के पास मैं स्वयं गया और नियम दिखाते हुए कहा कि यह समिति नियम के अन्तर्गत नहीं है तो उन्होंने कहा आप ऊपर जा सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं। तो आपकी अनुज्ञा से मैंने 300 में नोटिस दिया था। सरकार की सदस्यता पर मुझे कोई शंका नहीं है क्योंकि सरकार के निर्देश पर वह भंग कर दी गयी वह उप-समिति नियमों के विरुद्ध थी तभी भंग की गयी तो इससे जिलाधिकारी का आचरण स्पष्ट हो गया कि उप-समिति का गठन नियम विरुद्ध था। तब अब क्या जांच करायेंगे और उस जांच के बिन्दु क्या होंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, हृदय नारायण जी की शिकायत है वही जांच होगी। उसको दिखाया जायेगा और माननीय हृदय नारायण जी को अलग से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 12, 13, 14 और 15 के प्रश्न कर्ताओं के नाम पुकारे जाने पर और माननीय सदस्यों के अनुपस्थित होने पर)

जनपद सहारनपुर में आबादी के मध्य स्थित आई० ओ० सी० के पेट्रोल डीजल तेल का डिपो एवं आई० ओ० सी० की गैस एजेन्सियों को अन्यत्र स्थापित करने की मांग

*12–श्री लाजकृष्ण गांधी (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर सहारनपुर में इण्डियन आयल कारपोरेशन का तेल पेट्रोल डीजल का बल्क डिपो और गैस एजेन्सियों के गोदाम आबादी के मध्य स्थित हैं ? यदि हां, तो क्या आग लगने की स्थिति में प्रत्येक इकाई द्वारा की जाने वाली संहारक क्षमता का आंकलन

किया गया है ? यदि हां, तो इन इकाइयों द्वारा की जाने वाली संहारक क्षमता को देखते हुए इन इकाइयों को आबादी से बाहर दूर शिफ्ट कराने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ? इन इकाइयों को नगर की आबादी के बाहर दूर शिफ्ट कराया जाना कब तक सम्भव होगा ? इन इकाइयों को नगर की आबादी के बाहर शिफ्ट किये जाने तक जान माल की किसी संभावित हानि की स्थिति से निबटने के लिये इन इकाइयों द्वारा दावे भुगतान हेतु कितनी धनराशि सुरक्षित रखवाई जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । आई० ओ० सी० के पट्रोल, डीजल तेल का एक मात्र डिपो तथा आई० ओ० सी० की दो गैस एजेन्सियों के गोदाम आबादी के मध्य स्थित हैं ।

किसी दुर्घटना से बचने के लिये तेल डिपो/गैस गोदामों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गयी है ।

डीजल तेल के डिपो अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अनुमानतः इसमें तीन-चार साल का समय लग सकता है ।

तेल डिपो में जानमाल की हानि होने की दशा में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत जन दायित्व को देखते हुए बीमे की व्यवस्था की गयी है तथा प्रत्येक गैस वितरक ने दस लाख का पब्लिक लायब्लिटी बीमा कराया है ।

प्रदेश में खलिहान सुरक्षा बीमा योजना लागू किये जाने की योजना

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खलिहान सुरक्षा बीमा योजना लागू किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उसे लागू करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 16-12-93 से 15-12-94 तक एक वर्ष के लिये लागू की जा चुकी है ।

मण्डी परिषद् द्वारा अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में मड़ाई हेतु खलिहान में एकत्रित फसल में सामान्य 45 दिनों तक तथा असामान्य अवस्था (प्रतिकूल मौसम) में 60 दिनों तक, वाह्य दृष्टिगत कारणों द्वारा हुई दुर्घटना से अथवा तड़ित (लाइटनिंग) प्राकृतिक बिजली गिरने से अग्नि लगी हो, केवल ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति की जायेगी ।

खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना बीमा हेतु न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् ने ऐसी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की है । कृषकों को किसी प्रकार का प्रीमियम बीमा कम्पनी को नहीं देना है एवं मात्र सूचना देकर यह लाभ प्रभावित कृषक प्राप्त कर सकते हैं ।

योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कृषकों को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

जोत सीमा	देय धनराशि
1–सीमान्त कृषक एक हेक्टेयर 2.5 एकड़ भूमि रखने वालों को सम्मिलित करते हुए।	अधिकतम रु० 2000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो।
2–लघु कृषक एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अथवा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक।	अधिकतम रु० 3000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।
3–सामान्य कृषक–2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक।	अधिकतम रु० 5000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त सहायता प्राप्त प्रबन्धकीय विद्यालयों के कर्मचारियों/अध्यापकों का पर्वतीय विकास भत्ता बढ़ाने की मांग

*14–श्री बची सिंह रावत (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के पहाड़ी क्षेत्र में सहायता प्राप्त प्रबन्धकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों व अध्यापकों को पर्वतीय विकास भत्ता मात्र पचास रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है जबकि अन्य समस्त सहायता प्राप्त प्रबन्धकीय हाईस्कूलों व इण्टर कालेजों के कर्मचारियों/अध्यापकों को एक सौ चालीस रुपया पर्वतीय विकास भत्ता न्यूनतम प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त सहायता प्राप्त प्रबन्धकीय विद्यालयों के कर्मचारियों/अध्यापकों को न्यूनतम 140 रु० (एक सौ चालीस रुपये) पर्वतीय विकास भत्ता प्रतिमाह प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में किसानों की पैदावार और मिल उत्पादित वस्तुओं का समानुपाती मूल्य निर्धारित करने की मांग

*15–श्री बचनू राम पटेल (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के किसानों की पैदावार के मूल्य मिल उत्पादित वस्तुओं की पैदावार के मुकाबले निरन्तर गिरते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सन् 1967 को आधार वर्ष मानकर कृषि उपज के मूल्यों के दाम मिल उत्पादित मूल्यों के समानुपाती करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि उपज के मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है । अतः समानुपाती मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न नीतिगत है जो भारत सरकार के स्तर का है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक मौका दें, उत्तर दिला दें ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अनुमति नहीं देता । प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन त्याग कर चले गये)

जनपद बांदा में फसलों को सूखने से बचाने की मांग

*16–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में फसलों का पलेवा कराने एवं कहीं-कहीं पानी देने के बाद बसवा एवं मोहान बांधों से पानी नहरों में छोड़ना बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि पानी जलस्तर से नीचे है ? यदि हां, तो फसल की बुआई कराने के बाद हजारों एकड़ फसल सूखने से बचाने हेतु शासन क्या व्यवस्था करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जल की सीमित उपलब्धता के अनुरूप कृषकों द्वारा उपयुक्त फसल चक्र अपनाने की आवश्यकता है ।

*17–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

[दि० 16-3-94 को अता० प्र० सं०–18 द्वारा उत्तरित]

नोटः–नत्थी 'घ' के ता०प्र०सं० 15 पुकारे जाने के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद देवरिया के कसया विधान सभा क्षेत्र में खराब नलकूपों को ठीक कराये जाने की जानकारी

*18–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र कसया के किस-किस ग्राम सभा में राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं जिससे सिंचाई सुविधा बाधित हो रही है ? क्या सरकार इन खराब नलकूपों को ठीक कराकर पुनः चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया के कसया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सप्ताहांत दिनांक 31-3-94 को अस्थाई रूप से यांत्रिक दोष के कारण ग्राम–सोन्हुला राम नगर, रामपुर, महुआरी व खटहा पटखौली में स्थापित राजकीय नलकूप खराब थे।

उपरोक्त तीनों नलकूप चालू हो चुके हैं।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र उसेहत में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना

*19–श्री बनवारी सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र उसेहत में कोई सिंचाई व्यवस्था न होने से कृषकों को सिंचाई के लिये परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी ट्यूबवेल वहां पर लगाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उसेहत विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को राजकीय एवं निजी नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जनपद कार्यान्वयन अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धनावंटन के पश्चात् ही कराया जा सकता है।

इलाहाबाद जनपद के फूलपुर में जल प्लावन समस्या का निराकरण

*20–श्री नजमुद्दीन तथा श्री हीरामणि पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में जल प्लावन की जो समस्या है उसके लिये सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जल प्लावन की समस्या दूर करने हेतु योजना सरकार मास्टर प्लान के अन्तर्गत कार्यवाही करके वहां पर जल प्लावन की समस्या को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। जल प्लावन की समस्या हेतु इलाहाबाद जनपद का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया गया है।

ड्रेनेज मास्टर प्लान की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी

1–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चयनित अम्बेडकर गांवों में कौन-कौन सी सुविधायें की जाती है ? वह कब तक पूरी की जायेंगी ?

श्री श्रीराम यादव–

चयनित अम्बेडकर ग्रामों में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं :—

1–निःशुल्क बोरिंग एवं पम्पसेट की सुविधा उपलब्ध कराना।

2–अम्बेडकर ग्रामों के पात्र परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना।

3–ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाना।

4–अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से सड़क से जोड़ा जाना।

5–प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती में खड़ंजे एवं नालियों का निर्माण।

6–निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास योजना को अम्बेडकर गांव हेतु प्राथमिकता दिया जाना।

7–प्रत्येक अम्बेडकर गांव में कम से कम दो इण्डिया मार्क–2 के हैण्डपम्प लगाया जाना।

8–अम्बेडकर ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला उपलब्ध कराया जाना।

9–अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना।

10–नवजात शिशुओं का टीकाकरण।

11–पशुओं का टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था किया जाना।

12–समन्वित बाल विकास योजना लागू किया जाना।

13–10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत सिंचाई हेतु उथले एवं गहरे नलकूप उपलब्ध कराया जाना।

उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध संसाधनों से वरीयता के आधार पर करायी जा रही हैं। उक्त संदर्भित सुविधाओं को 5 वर्षों में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

रिव्यू याचिका संख्या–46/89, उ० प्र० शासन बनाम पी० डी० सिंह के रिजोइण्डर एफीडेविट में संगणक पद पर की गयी प्रोन्नतियों का उल्लेख एवं विवरण

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिव्यू याचिका संख्या–46/89, उत्तर प्रदेश शासन बनाम पी० डी० सिंह के रिजोइंडर एफीडेविट में क्या शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उन्होंने अनर्ह प्रारूपकारों को अर्ह प्रारूपकारों की वरिष्ठता सूची में लगाकर संगणक पद पर प्रोन्नतियां दी है ? क्या संगणक पद, अर्ह, प्रारूपकार पद से प्रोन्नति का पद है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त त्रुटि का सुधार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में ड्राइंग संवर्ग हेतु ड्राफ्ट सर्विस रूल के आधार पर प्रारूपकारों को प्रोन्नति दिये जाने की मांग

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1951 में ड्राइंग संवर्ग हेतु ड्राफ्ट सर्विस रूल तैयार हुए थे ? क्या उनके आधार पर सिंचाई विभाग में अर्ह प्रारूपकार एवं अनर्ह प्रारूपकारों के वेतनमान रु० 120–250 तथा 85–200 क्रमशः नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त ड्राफ्ट्स सर्विस रूल के आधार पर नियुक्तियां कब तक की जाती रही हैं ? क्या अनर्ह प्रारूपकारों को विभाग में प्रोन्नतियां उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रणाकोट, जनपद टिहरी गढ़वाल में चिकित्सक के नियुक्ति की जानकारी

4–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रणाकोट, टिहरी गढ़वाल में डाक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र रणाकोट, टिहरी गढ़वाल में डाक्टर की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल देवप्रयाग व टिहरी गढ़वाल में महिला डाक्टर की नियुक्ति कब की गयी थी ? क्या महिला डाक्टर की नियुक्ति होने पर भी यह पद खाली पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिला डाक्टर की नियुक्ति शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में महिला चिकित्सक की तैनाती 25-2-94 को की गयी थी ?

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[7वें सोम में अता० प्र० सं०–63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विद्युत सेल में अधिकारियों के प्रोन्नति का प्रकरण

7–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सेल में अधिकारियों के प्रोन्नति के प्रकरण में शासनादेशों की प्रतिलिपि एवं अन्य सूचनाएं संघ को दिलाने हेतु राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, उ० प्र० लखनऊ का 8-2-94 या फरवरी, 94 के पहले पखवारे का कोई पत्र शासन/निदेशालय में प्राप्त हुआ है ? क्या इसी विषय में विधायक श्री हरपाल सिंह का भी कोई पत्र दि० 15/94 शासन/निदेशालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रों में क्या-क्या अभिलेख/सूचनाएं मांगते हुए किस-किस कार्यवाही की मांग की गयी है ? क्या-क्या अभिलेख सूचनाएं विधायक एवं संघ को दे दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें न देने का क्या कारण है ? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ के पत्र में निम्न अभिलेख/सूचनाओं की मांग की गयी है :—

प्रोन्नति संबंधी शासनादेश की प्रति, उपनिदेशक (विद्युत) के पद की अद्यतन स्थिति एवं प्रोन्नति से संबंधित विद्युत सेल सेवा नियमों के किसी भी परिवर्तन के आदेशों की प्रति ।

संघ द्वारा वांछित अभिलेख/सूचनाएं संघ को भेज दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

संघ के पत्र द्वारा वांछित सूचनाएं संघ को प्रेषित कर दी गयी हैं।

परिवहन विभाग में अभियन्ताओं के वेतन भुगतान संबंधी श्री राम आसरे वर्मा, स० वि० स० के पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन अभियन्ताओं को वेतन भुगतान हेतु विधायक श्री राम आसरे वर्मा का कोई पत्र दिनांक 14-2-94 या फरवरी, 94 उसमें उल्लिखित संलग्नकों सहित शासन एवं महानिदेशालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का मुख्य विवरण क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, महानिदेशालय में पत्र प्राप्त हुआ है।

सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम तपसी का पुरवा में किये गये विकास कार्यों की जानकारी

9–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम तपसी का पुरवा, मजरा धमौड़ा, थाना–रामपुर मथुरा, जिला सुल्तानपुर में आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस गांव के गलियारों/रास्तों पर खड़ंजा लगाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं।

ग्राम तपसी का पुरवा में दो छोटे हैण्ड पम्प ग्राम सभा द्वारा तथा एक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा लगाया गया है। एक निःशुल्क बोरिंग वर्ष 93-94 में श्री नैपाल पुत्र श्री दुलारू की हुई है। ग्राम तपसी पुरवा से धमौड़ा तक 1110 मीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण स्वीकृत है, जिस पर 300 मीटर कार्य हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण चयन सूची में कथित धांधली के आरोप की जांच

10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र० द्वारा दिसम्बर, 1993 के अन्त में फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण में चयन में अनेकों गम्भीर अनियमितताओं की जांच अपर

निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की गयी ? क्या उक्त जांच में जांच अधिकारी द्वारा किये गये चयन को निरस्त करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज कर लाखों रुपये की हेराफेरी कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का औचित्य क्या है ? उक्त में कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी उस चयनित सूची को निरस्त कर प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि शासन द्वारा जांच रिपोर्ट एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए ही चयन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कतिपय टेक्निकल पदों का चयन सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा न कराने की मांग

11–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आने वाले सभी टेक्निकल पदों का फार्मेसिस्ट लैब टेक्निशियन उपचारिका एन० एम० ए०, लैब सहायक नेत्र सहायक के प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी टेक्निकल पदों का चयन प्रशिक्षण के लिये निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि फार्मेसिस्ट लैब टेक्निशियन एक्सरे टेक्निशियन के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी एक अशासकीय संस्था है ? यदि हां, तो अशासकीय संस्था के द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयन कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सही है कि सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो अशासकीय संस्था है ? केवल टेक्निकल पदों के चयनित होने के उपरान्त उन्हें परीक्षा कराने का ही अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अशासकीय संस्था से चयनित करने का कार्य समाप्त करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से निदेशक, प्रशिक्षण का पद सृजित किया गया है तथा कतिपय मेडिकल एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है । निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा उपचारिका प्रशिक्षण, नेत्र सहायक तथा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है ।

यद्यपि स्टेट मेडिकल फैकल्टी एक स्वायत्तशासी संस्था है, किन्तु तकनीकी पदों पर प्रशिक्षण कराये जाने हेतु भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये अधिकृत किया गया है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी, निदेशक प्रशिक्षण के नियंत्रणाधीन रखी गयी है परन्तु जब तक स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सुसंगत नियमों में संशोधन नहीं किया जाता तब तक प्रश्न में उल्लिखित अन्य तकनीकी पदों के प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं कराया जा सकता। नियमों में संशोधन विचाराधीन है।

ग्राम भखौली, वि० खण्ड—अमानीगंज (खण्डासा), जनपद फैजाबाद को जवाहर रोजगार योजना में आवंटित एवं व्यय धनराशि की जानकारी

12—श्री मित्रसेन यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान ग्राम भखौली, विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा), जनपद फैजाबाद में वर्ष 1989 से अब तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है और अनुचित लाभ उठाया है ? यदि हां, तो वर्ष 89 से अब तक उक्त ग्राम सभा के वर्षवार अवमुक्त जवाहर रोजगार योजना की कुल धनराशि क्या है और उक्त धनराशि किन-किन विकास कार्यों में व्यय किये जाने का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त गांव के विकास कार्यों का भौतिक परीक्षण कराकर व्यय की गयी धनराशि का सत्यापन करायेंगे और दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायेंगे ?

श्री श्रीराम यादव—

जी हां, अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में आया है।

ग्राम सभा भखौली को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 89-90 से अब तक दी गयी धनराशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष 89-90 में	...	80,770.00
,, 90-91 में	...	60,115.00
,, 91-92 में	...	33,354.00
,, 92-93 में	...	57,193.00
,, 93-94 में	...	40,989.00
		2,72,421.00

प्रधान द्वारा निर्बल वर्ग आवास, सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा, सामाजिक वानिकी, कूप मरम्मत हैण्ड पम्प तथा प्रशासनिक मद पर धनराशि व्यय की गयी है।

भौतिक सत्यापन कराया गया है। मु० 92,788.89 रुपये का व्यापहरण पाया गया। प्रधान के विरुद्ध एफ० आई० आर० दिनांक 31-3-94 को थाना खण्डासा में दर्ज कराई गई है। विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली करने हेतु परगनाधिकारी, बीकापुर को निदेशित किया गया है।

अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद द्वारा निकाले गये दैनिक श्रमिकों को नियमित किये जाने की जानकारी

13–श्री मित्रसेन यादव–

क्या उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में विगत दस वर्षों से कार्यरत 16 श्रमिकों को माली के रिक्त पद पर नियमितीकरण न करके कार्य से मुक्त कर दिया है ? क्या इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ ने रिट पिटीशन नं०–28383 वर्ष 1988 के अपने निर्णय में उपरोक्त मजदूरों को 3 माह के अन्तर्गत नियमितीकरण के आदेश दिनांक 28-4-92 को पारित किया है ? मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

दिसम्बर, 87 से फरवरी, 88 के मध्य कार्य की कमी के कारण 15 श्रमिक कार्य पर नहीं रखे गये थे। इन श्रमिकों द्वारा दायर याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा इनके विनियमितीकरण हेतु विचार करने के आदेश दिनांक 28-4-92 को दिये गये थे । किन्तु दैनिक श्रमिकों के विनियमितीकरण का प्राविधान नियमों में नहीं है । वर्तमान में उपलब्ध तीन रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 6 व 7 अप्रैल, 94 को किया गया जिसमें प्रश्नगत 15 आकस्मिक दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित हुए। चयन का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है ।

ग्राम्य विकास विभाग में आडिट तथा लेखा संवर्ग का नाम परिवर्तन एवं वेतनमान की जानकारी

14–श्री अनिल कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे० आ०–1–165/दस–92–10(एम), दिनांक 29-7-92 के संलग्नक के प्रस्तर–12 में वेतनमान 1200–2040 में कार्यरत सहायक लेखाकारों के 80 प्रतिशत पदों को क्या लेखाकार पद नाम से वेतनमान 1400–2600 में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या ग्राम्य विकास विभाग ने पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आज तक उक्त के संबंध में कोई विभागीय आदेश निर्गत नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

— प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29-7-92 शासनादेश नहीं है अपितु यह पत्र श्री इन्दु कुमार पाण्डेय, सचिव, वित्त के अर्द्धशा० प० सं०–वे० आ०–165/दस–92-101 (Yb)/89, दिनांक 29 जुलाई, 1992 है जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आडिट तथा लेखा संवर्ग के पदों के संबंध में शासन के वित्त विभाग में लिये गये सामान्य निर्णय प्रशासकीय विभागों को संसूचित करते हुए समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से वेतनमानों की स्वीकृति विषयक शासनादेशों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु संशोधित आदेश का आलेख वित्त विभाग की सहमति हेतु मांगा गया है । लेखा संवर्ग के बारे में प्रश्नगत अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा शासन का यह निर्णय प्रशासकीय विभागों को संसूचित किया गया है कि सहायक लेखाकार वेतनमान रु० 1200–2040

1200–2040 तथा लेखाकार वेतनमान रु० 1400–2600 को सम्मिलित संख्या के 20 प्रतिशत पद सहायक लेखाकार रु० 1200–2040 के वेतनमान में और 80 प्रतिशत पद लेखाकार पदनाम से रु० 1400–2600 के वेतनमान में रखे जायं ।

जी हां ।

जनपद स्तर की सूचना प्राप्त न होने तथा लेखा संवर्ग के लेखा लिपिकों के पदनाम परिवर्तन का विभागीय प्रस्ताव शासन में विचाराधीन रहने के कारण अब तक इस विभाग में प्रश्नगत शासनादेश जारी नहीं हुआ है । पदनाम परिवर्तन के उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन का निर्णय हो गया है तथा उसे अस्वीकृत कर दिया गया है । अब जनपद स्तर की सूचना प्राप्त करके प्रश्नगत विभागीय शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा ।

जिला अस्पताल, गाजीपुर के सर्जन एवं ई० एम० ओ० द्वारा फर्जी नसबन्दी किये जाने की शिकायत संबंधी प्रकरण की जांच रिपोर्ट

15–श्री अफजाल अंसारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 1991-92 में सर्जन, एवं ई० एम० ओ० जिला अस्पताल, गाजीपुर द्वारा फर्जी नसबन्दी किया जाना सत्य पाया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन को फर्जी नसबन्दी होने की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कितने केस फर्जी नसबन्दी के पाये गये हैं ? क्या उक्त फर्जी नसबन्दी करने वाले डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वित्तीय वर्ष 1991-92 में जनपद गाजीपुर के सर्जन एवं ई० एम० ओ० जिला अस्पताल, गाजीपुर के विरुद्ध की गयी फर्जी नसबन्दी की शिकायत संबंधी प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है । उक्त प्रकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तिम रूप से दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

लेखा लिपिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलाल गंज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

16–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखा लिपिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलाल गंज, जनपद लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र के आधार पर पत्र संख्या–शिकायत/लेखा/93/55/3-1, दिनांक 20-8-93 की जांच पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, के आधार पर शिकायत वापस ले ली गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठी शिकायत करने संबंधी तथ्य प्रकाश में आने पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनलाल गंज, जनपद लखनऊ में कार्यरत श्री एस० एल० पाल के विरुद्ध दो शिकायती पत्र क्रमशः चिकित्साधिकारी एवं अंशकालीन दाइयों के प्राप्त हुए । मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–शिकायत/लेखा/93/55/3-1, दिनांक 20-8-93 के द्वारा जांच करायी गयी । जांच में शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी । अंशकालीन दाइयों द्वारा की गयी शिकायती पत्र पर किसी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं था । दूसरे शिकायती पत्र पर चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर पाये गये ।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हुए कि किसने शिकायत की है । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गरीबों के लिये राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की जानकारी

17–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक निश्चित आय वर्ग के नीचे के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में गरीबों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पहले से ही अनुमन्य है ।

जनपद देवरिया के हाटा तहसील में जेठन नाले की सफाई

18–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील में स्थित जेठन नाले की सफाई न होने से ग्राम मथौली बाजार की हजारों एकड़ फसल का नुकसान, जल जमाव से हो रहा है? क्या उक्त जल जमाव दूर करने हेतु जेठन नाले की सफाई कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

वर्तमान में सफाई का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद के हाटा तहसील में महुई माइनर को ठीक कराये जाने की जानकारी

19–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के तहसील हाटा में स्थित महुई माइनर जो चेगौना ताल तक ठीक है, आगे नहीं खोदी गयी है, जिससे जल जमाव होता है ? क्या महुई माइनर चेगौना ताल से आगे ठीक किया जायेगा, जिससे जल जमाव दूर हो सके। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

महुई माइनर पूरी लम्बाई 3.7 कि०मी० में खुदी हुई है। माइनर की टेल का पानी फालतू होने पर चेगौना ताल में गिरता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देवरिया के हाटा तहसील में नरायनपुर माइनर की खुदाई का कार्य

20–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के तहसील हाटा में नरायनपुर माइनर करीब पचास मीटर न खोदे जाने से उक्त क्षेत्र में जल जमाव होता है, जिससे फसलों का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या अधूरी माइनर को खोद कर उसे पूरा करके जल जमाव दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नरायनपुर राजबाहा का कोई भाग खुदाई हेतु शेष नहीं है। जल जमाव का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों की चालन क्षमता अवधि एवं रिबोरिंग कराये जाने की मांग

21-श्री बचनू राम पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप के सुचारु रूप से कार्य करने की अवधि क्या निर्धारित है ? सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के तहत क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगे राजकीय नलकूप की कार्य करने की क्षमता है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी राजकीय नलकूपों को रिबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय नलकूप के सुचारु रूप से कार्य करने की अवधि 17 वर्ष अथवा 57 हजार घंटे जो भी पहले पूर्ण हो, निर्धारित है।

जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्मित कतिपय राजकीय नलकूप अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात भी अपेक्षित अनुरक्षण एवं मरम्मत के फलस्वरूप सिंचाईरत है।

सामान्य आयु व्यतीत होने के साथ-साथ कतिपय राजकीय नलकूपों के निकास में अपेक्षित गिरावट न होने के कारण।

जी नहीं। राजकीय नलकूपों की रि-बोरिंग, क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, जनपद योजना के प्राविधान के अन्तर्गत करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद के विकास खण्ड आराजी लाइन्स के पंचकोसी मार्ग पर हैण्ड पम्प लगाया जाना एवं शौचालय का निर्माण

22-श्री बचनू राम पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक लाइन्स, जिला वाराणसी के पंचकोसी मार्ग पर शासन की नीतियों के अनुसार कितने हैण्ड पम्प और शौचालय बनाये गये ? उनके निर्माण कार्य पर शासन का कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सच है कि मौके पर हैण्ड पम्प और शौचालय का निर्माण नहीं किया गया ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से मौके पर जांच करायेंगे ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित भी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव-

वाराणसी जनपद में लाइन्स नामक ब्लाक नहीं है। उक्त जनपद के विकास खण्ड आराजी लाइन्स के पंचकोसी मार्ग पर हैण्ड पम्प और शौचालय बनाने के बारे में शासन की कोई नीति नहीं है, परन्तु स्थानीय स्तर पर यात्रियों की सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखकर पंचकोसी मार्ग पर 45 हैण्ड पम्प तथा 2 सामुदायिक शौचालय बनाये गये है। उक्त हैण्डपम्प एवं शौचालय निर्माण पर क्रमशः 6.60 लाख रुपये तथा 19,540 रुपये शासकीय धन व्यय हुआ।

उपरोक्त निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद के विकास खण्डों के चलित एवं खराब नलकूपों का विवरण

23–श्री बचनू राम पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड आराजी लाइन, विकास खण्ड विद्यापीठ, विकास खण्ड हरहुआ, विकास खण्ड पिण्डरा, जिला वाराणसी में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? कितने नलकूप ठीक हैं और कितने खराब हैं ? कितने राजकीय नलकूपों में नालियां, ट्रांसफार्मर और समर, सेबुल एवं स्टार्टर खराब हैं ? क्या सरकार अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, वाराणसी से इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन, काशी विद्यापीठ, हरहुआ व पिण्डरा में क्रमशः 142, 92, 95 व 97 अर्थात कुल 433 राजकीय नलकूप हैं ?

407 राजकीय नलकूप चलित हैं ।

16 राजकीय नलकूप असफल हैं तथा 10 नलकूपों का परित्याग प्रस्तावित है ।

साप्ताहांत 14-4-94 को उपरोक्त विकास खण्डों में 5 नलकूपों के ट्रांसफार्मर खराब हैं । चलित 407 नलकूपों में से 321 नलकूपों की गूल जीर्ण-शीर्ण है तथा 44 सबमर्सिबुल सेट व 55 स्टार्टर पुराने होने के कारण मितव्ययी नहीं रह गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों को सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना

24–श्री बचनू राम पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों को सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पायी है ? यदि नहीं, तो क्या यह भी बतायेंगे कि उर्वरक जमीन और बारहों महीनों बहने वाली नदियों के होते हुए एवं जमीन के नीचे सरलता से पानी निकालने की परिस्थितियां होते हुए प्रदेश में कुल कितनी कृषि भूमि असिंचित रह गयी है ? उसे सींचने के लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

बलिया जनपद में स्थापित नलकूपों की संख्या एवं खराब नलकूपों एवं नालियों को ठीक कराया जाना

25–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कुल कितने राजकीय नलकूप लगे हैं ? इसमें कितने नलकूप ठीक कार्य कर रहे हैं और कितने बन्द हैं जो नलकूप बन्द हैं वे कब ठीक हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बलिया के अन्तर्गत 597 राजकीय नलकूप, 60 विश्व बैंक नलकूप व 71 इण्डोइच नलकूप अर्थात कुल 728 नलकूप निर्मित हैं।

कुल 708 नलकूप चलित अवस्था में हैं।

चलित नलकूपों में से साप्ताहांत 14-4-94 को अस्थायी रूप से यांत्रिक दोष से 28 राजकीय नलकूप व 2 विश्व बैंक नलकूप अर्थात कुल 30 नलकूप तथा विद्युत दोष से 14 नलकूप राजकीय व 1 विश्व बैंक नलकूप अर्थात 15 नलकूप बन्द थे। 14 राजकीय नलकूप असफल हैं, जिनमें से 3 की रिबोरिंग दिनांक 31-3-94 तक हो चुकी है। इसके अलावा 6 राजकीय नलकूपों का परित्याग प्रस्तावित है।

यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को शीघ्र ही ठीक कराकर चालू किया जा रहा है।

26–श्री पारकण्डेय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया में राजकीय नलकूपों की नालियों की बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों को सिंचाई में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि किन-किन नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त हैं ? क्या इन नालियों की मरम्मत हेतु अतिरिक्त धन आवंटित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। जनपद बलिया के अन्तर्गत कुछ राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली निरन्तर उपयोग के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण होने के कारण सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जी हां। कुल 211 नलकूपों पर लगभग 141 कि०मी० जल वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण है।

जनपद योजना के वित्तीय प्राविधान एवं जिला स्तर से उपलब्ध धनराशि से क्षतिग्रस्त गूलों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाता है।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बलिया के कतिपय गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की मांग

27–श्री पारकण्डेय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बलिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी के पार जबंही, शिवपुर दियर, प्रानपुर आदि गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराने हेतु कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां एक प्रा० स्वा० केन्द्र मंजूर करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से ग्राम शिवपुर दियर (गंगापार) व जबही में वर्ष 1992-93 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है। प्रश्न में उल्लिखित शेष ग्रामों के संबंध में जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही शासन स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव है।

प्रदेश में कृषि एवं प्रसार डिप्लोमाधारियों का समायोजन

28–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं प्रसार डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के 14-9-89 के फैसले के अनुसार उनके पूर्व मुख्य मंत्रित्वकाल में दिनांक 27 अगस्त, 1990 को कोई आदेश जारी किया गया था ? क्या उसके अनुपालन में कृषि निदेशक द्वारा 600 नियुक्तियां की गयी ? उक्त आदेश का पूर्ण पालन अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। किन्तु दिनांक 27-8-90 को प्रमुख सचिव, कृषि विभाग की ओर से जारी किये परिपत्र में अन्य विभागों के साथ कृषि निदेशक से भी कृषि प्रसार डिप्लोमाधारकों को सेवा नियोजित किये जाने के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी थी।

जी नहीं।

29–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

30–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर में बिलों में घपला एवं पेड़ों की अवैध कटान के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री चरन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मु० नगर के वित्तीय वर्ष 91-92, 92-93 तथा 93-94 में एम० एण्ड आर० बाढ़ सुरक्षा आदि कार्यों में फर्जी वर्कआर्डर एम० बी० तथा बिलों द्वारा करोड़ों का घपला, इमारती पेड़ों की अवैध कटान आदि में अनेक गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रारम्भिक जांच के आधार पर इमारती पेड़ों के अवैध कटान एवं अन्य कतिपय अनियमिततायें पायी गयी हैं ।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ताओं को कार्यों से हटाकर सम्बद्ध किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार जनपद के खादर क्षेत्र में गंगा नदी में बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने की मांग

32–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या सिंचाई मंत्री हरिद्वार जनपद के खादर क्षेत्र में प्रति वर्ष गंगा नदी में बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि के कटाव को रोकने हेतु बांध अथवा ठोकरें बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की नीति मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को कटाव से सुरक्षा प्रदान करने की नहीं है ।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में ग्राम सभाओं की संख्या एवं खाद्य वस्तुओं के आवंटन की जानकारी

33–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर में कुल कितनी गांव सभाएं हैं ? प्रत्येक में कितनी यूनिटें हैं और कितनी खाद्य वस्तुएं (चीनी एवं मिट्टी का तेल दोनों ही) आवंटित की जा रही हैं ? क्या प्रत्येक गांव सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं । यदि नहीं, तो उसका पृथक-पृथक कारण क्या है ? क्या कुछ गांव सभा की दुकानें दूसरी गांव सभा से भी सम्बद्ध की गयी हैं ? यदि हां, तो उसके सम्बद्ध किये जाने की तिथि तथा एक दूसरे के मध्य दूरी क्या है ? उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी नगर बीसलपुर तथा बिलसंडा की भी कराते हुए क्या यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि खाद्य वितरण व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल 310 ग्राम सभाएं हैं ।

सूची संलग्न है। (संलग्नक एक) †

26 ग्राम सभाओं को छोड़कर प्रत्येक ग्राम सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। दुकानें निम्न कारण से रिक्त चल रही हैं :—

(1) विक्रेताओं द्वारा त्याग-पत्र देने से–03

(2) अनुबन्ध-पत्र जमा न करने के फलस्वरूप–16

(3) निलम्बित होने से–07

रिक्त दुकानों वाली ग्राम सभाओं की सूची कारणों सहित संलगन है। (संलग्नक–दो) †

जी हां।

सूची संलग्न है। (संलग्नक–दो)

नगर बीसलपुर एवं नगर बिलसंडा में कोई दुकान रिक्त नहीं है इसलिये सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता है। आवंटन कम होने के कारण निर्धारित मानक से कम चीनी तथा मिट्टी का तेल वितरण कराया जा रहा है।

श्री रमेश कुमार तिवारी, कानपुर डी० ए० ओ०, कानपुर की फर्जी नियुक्ति किये जाने की शिकायत

34–श्री राम करन आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमेश कुमार तिवारी जिनका स्थानान्तरण कानपुर डी० ए० ओ० कानपुर से राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में किया गया है उनकी नियुक्ति फर्जी है तथा यह भी सही है कि वह अपने ही हाथ से अपनी सेवा पुस्तिका बनाकर लाये हैं तथा उनकी फाइल में न तो कोई ओरिजीनल नियुक्ति और न अन्य आदेश हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उनकी नियुक्ति पहले चतुर्थ श्रेणी के पद पर की गयी थी तथा गलत तरीके से उनके पिता जो विभाग में ही अधिकारी हैं द्वारा गलत तृतीय श्रेणी की नियुक्ति दिखाकर अपने अधीनस्थ बनाये रखे ? क्या सरकार इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराते हुए दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

† छापी नहीं गई।

जनपद बाराबंकी में तहसील नवाबगंज के ग्राम रामपुर जौगा को जवाहर रोजगार योजना में आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्य की जानकारी

35–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–रामपुर जौगा, पो० बरौली,जाटा, तहसील नवाबगंज, ब्लाक बंकी, जनपद बाराबंकी को वर्ष 1989 से वर्ष 1994 तक जवाहर रोजगार योजना की कितनी किश्तें दी गयी हैं ? कितनी किश्तों को ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेट्री द्वारा उपयोग कर लिया गया है और कितनी किश्तें ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेट्री के खाते में जमा है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेट्री द्वारा कहां-कहां ग्राम सभा में और किस-किस वर्ष कितना कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा रामपुर जोगा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कुल सत्रह (17) किश्तें दी गयी हैं ।

कुल उपलब्ध कराई गई धनराशि रुपये 1,31537.40 में से केवल मु० 901.93 रुपये ग्राम सभा में अवशेष है जिसमें से 845.13 रुपये बैंक में जमा है व 56.80 रुपये प्रधान के पास नकद है ।

ग्राम सभा के सभी मजरों में कार्य कराया गया है । वर्ष 1989-90 में 410 मीटर कच्चा मार्ग व 45 मीटर खड़न्जा वर्ष 1990-91 में 353 मीटर कच्चा मार्ग व 168 मीटर खड़न्जा वर्ष 1991-92 में 355 मीटर कच्चा मार्ग व 140 मीटर खड़न्जा वर्ष 1992-93 में 200 मीटर कच्चा मार्ग व 140 मीटर खड़न्जा तथा वर्ष 1993-94 में 180 मी० कच्चा मार्ग, 453 मी० खड़न्जा व एक निर्बल वर्ग आवास निर्मित कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय मार्गों को स्वीकृत कराने विषयक निदेशक, मण्डी परिषद् को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

36–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, मण्डी परिषद् को प्रश्नकर्ता का 12-8-93 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें शाहजहांपुर जनपद के कई मार्गों को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से अनुमोदित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मण्डी परिषद् के पत्रांक मु० अभि० (599)/93-2069, दिनांक 9-9-93 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर (कबीर चौरा) वाराणसी में रोगियों से अवैध पर्ची शुल्क लिये जाने की शिकायतें

37–श्री रंगनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर (कबीर चौरा) वाराणसी (25 शैय्यायुक्त) अस्पताल में प्रति रोगी की दर से पर्ची पर एक रुपया रोगी शुल्क लिया जाता है जबकि 25 शैय्या वाले अन्य राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में शुल्क नहीं लिया जाता है ? क्या शासनादेश के अनुसार भर्ती रोगी शुल्क को छोड़कर पर्ची शुल्क समाप्त किया जा चुका है ? क्या इस संबंध में सरकार दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल जनपद के रुद्रपुर नगर में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव

38–श्री तिलक राज बेहड़–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के रुद्रपुर नगर में खेल स्टेडियम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो खेल स्टेडियम की स्वीकृति कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अम्बेडकर ग्राम–उमरीखुर्द, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन में अनुसूचित जाति के लोगों की रिंग बोरिंग में धांधली का आरोप

39–श्री चैनसुख भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम–उमरीखुर्द, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन में कितनी रिंग बोरिंग अनुसूचित जाति के लोगों की हुई है ? क्या सभी रिंग बोरिंग पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनको अविलम्ब पूर्ण कराया जायेगा ? क्या इस गांव की रिंग बोरिंगों में शासनादेश के अनुसार पाइप लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन रिंग बोरिंग की उच्च स्तर से तकनीकी जांच करवायेगी ? क्या जांच कराने के उपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

अम्बेडकर ग्राम उमरीखुर्द, ब्लाक कुठौन्द, जनपद जालौन में अनुसूचित जाति के लोगों की कोई बोरिंग नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मौदहा, जनपद हमीरपुर में कतिपय चिकित्सकों की नियुक्ति का विवरण

40-श्री बशीरउद्दीन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा, जनपद हमीरपुर में सर्जन, फिजीशियन, रेडियोलोजिस्ट, बाल रोग व दन्त रोग विशेषज्ञ तथा एनस्थेटिक के पद स्वीकृत हैं ? क्या उक्त सभी पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है ? कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? उनमें कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि पद स्वीकृत नहीं हैं तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मौदहा; जनपद हमीरपुर में सर्जन तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सृजित है । अन्य शेष पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं ।

जी नहीं ।

स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद इस समय रिक्त है ।

चिकित्सक की नियुक्ति शीघ्र किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

उक्त पदों के सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

मौदहा, जनपद हमीरपुर में यूनानी चिकित्सालय का भवन निर्माण एवं चिकित्सकों की नियुक्ति

41-श्री बशीरउद्दीन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौदहा, जनपद हमीरपुर में 15 (पन्द्रह) शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय के भवन निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस चिकित्सालय में जितने पद चिकित्साधिकारी के स्वीकृत हैं उनमें चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

जिला योजना में उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु परिव्यय उपलब्ध होने पर भवन निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मौदहा, जनपद हमीरपुर में चिकित्साधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं और एक पद पर चिकित्सक तैनात है एवं एक पद महिला चिकित्साधिकारी का रिक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन होने पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

42–श्री राजेन्द्र सिंह–

[8वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा संस्तुत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन

43–श्री विश्वनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कार्य हित एवं जनहित में चरित्र-सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की शर्त को शिथिल करते हुए लगभग 9 वर्ष बाद उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा संस्तुत "होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की तत्काल सशर्त नियुक्ति" हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-3-94 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-4-94 को पारित अन्तरिम स्थगनादेश के परिपेक्ष्य में मामला विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में चन्दन प्यास नदी के तटबंध की निर्माण योजना

44–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि नेपाल सीमा से सटे विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के सैकड़ों ग्राम सभा ठूठीबारी, मरचहवा आदि हर वर्ष नेपाल से निकल कर झरही नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, नेपाल सरकार द्वारा नेपाल को बचाने के लिये तटबन्ध का निर्माण कराया है ? क्या इसके कारण हर वर्ष झरही नदी के पानी के उफान आने से जनपद महराजगंज के उपरोक्त सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ के कारण जान-माल की भारी क्षति होती है ? क्या बाढ़ से बचाव व राहत कार्य में सरकार का लाखों रुपया हर वर्ष खर्च होता है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1987-88 में सिंचाई विभाग, गोरखपुर द्वारा नेपाल तटबन्ध के बढ़ाकर बाढ़ बचाव के ठूठीबारी तटबन्ध परियोजना बनायी थी ? यदि हां, तो परियोजना का प्रारूप क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां, बाढ़ के वर्षों में क्षति होती है।

जी हां।

झरही नदी (उत्तर प्रदेश में इसका नाम चन्दन प्यास) की बाढ़ से बचाव हेतु 16.(8) कि० मी० लम्बे तट बांध के निर्माण की योजना है जिसमें से 11.215 कि० मी० तटबन्ध का कार्य विभिन्न चरणों में पूर्ण किया जा चुका है।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम सभा पैलावर को जवाहर रोजगार योजना में आवंटित एवं व्यय धनराशि का विवरण

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पैलावर, पोस्ट राजपुर, जनपद कानपुर देहात के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1992-93 एवं 93-94 में उक्त ग्राम सभा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उनका व्यय किन-किन मदों में हुआ ? क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उक्त ग्राम सभा को वर्ष 1992-93 में मु० 38,912.00 रुपया एवं 1993-94 में मु० 36,940.00 रुपया की धनराशि आवंटित की गयी और उनका व्यय निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष 1992-93	व्यय धनराशि
(1) खड़न्जा निर्माण	19,086.00
(2) मिट्टी कार्य	19,366.00
(3) प्रशासनिक व्यय	278.50
	38,730.50

वर्ष 1993-94	
(1) खड़न्जा मरम्मत	18,780.00
(2) अनुरक्षण व्यय (मिट्टी का कार्य)	4,600.00
(3) वृक्षारोपण	3,860.00
(4) मिट्टी का कार्य	9,683.00
	36,923.00

जी नहीं । धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद लखनऊ के बस्तौली सदर में कुकरैल तटबन्ध में अर्जित भूमि के भुगतान की मांग

46-श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बस्तौली सदर लखनऊ की भूमि खाता संख्या–492/2 रकबा लगभग 11 बिसवा जो कि कुकरैल तटबन्ध के विस्तार हेतु शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ द्वारा वर्ष 1989 में अर्जित कर ली गयी थी, का मुआवजा क्या संबंधित खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां । अर्जित की गयी प्रश्नगत रकबे की भूमि 4 सह खातेदारों के नाम अंकित है जिसमें से 2 खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है और 2 सहखातेदारों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत न करने के कारण अभी तक प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है ।

मौदहा, जनपद हमीरपुर में लिफ्ट कैनालों में लगे पम्पों की संख्या एवं बेजेमऊ में अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

47–श्री बशीरउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौदहा जनपद हमीरपुर के बैजेमऊ व छानी में लिफ्ट कैनालों में कितने पम्प लगे हैं ? क्या यह सभी पम्प चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सभी नहर की मुख्य व उपशाखा के टेल तक पानी किसानों को मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या बेजेमऊ में इसका न चल पाने का कारण 1000 (एक हजार) ट्रांसफार्मर के स्थान पर 600 (छः सौ) क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा होना है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बैजेमऊ लिफ्ट कैनाल में तीन तथा छानी लिफ्ट कैनाल में दो चरणों में है, के प्रत्येक चरण में पांच-पांच पम्प लगे हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

छानी लिफ्ट कैनाल फीडर की ओ० सी० बी० वर्ष 1991 में जल जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में पम्प नहर चालू करने हेतु इसको बैजेमऊ फीडर की ओ० सी० बी० से जोड़ दिया गया था । इस फीडर की ओवर लोडिंग हो जाने के कारण छानी पम्प नहर के मात्र तीन-तीन पम्प ही एक साथ चल पाते हैं । बैजेमऊ पम्प कैनाल पर लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारण मात्र दो पम्प ही एक साथ चल पाते हैं ।

जी हां ।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में निघासन विधान सभा क्षेत्र में निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय एवं इन्दिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण

48–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के निर्वाचन क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीण जनता हेतु पक्के आवास निर्माण कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त निर्धन जनता घास फूस की झोपड़ी बनाकर जीवन निर्वाह करते हुए प्रत्येक वर्ष की आग की चपेट का शिकार हो जाते हैं और शासन द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु करोड़ों रुपये राहत कार्य हेतु व्यय किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मद में प्रत्येक वर्ष होने वाले व्यय को मद्देनजर रखते हुए उससे निजात हेतु उक्त निर्धन व्यक्तियों को पक्के आवास निर्माण करा देने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव–

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना एवं इन्दिरा आवासीय योजना संचालित की जा रही है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को चरणबद्ध ढंग से आवास उपलब्ध कराने की सुविधा प्रचलित है।

वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक जनपद लखीमपुर खीरी के निर्वाचन क्षेत्र निघासन में निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत क्रमशः 2017 निर्बल वर्ग आवासों तथा 304 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बहराइच द्वारा अनियमित नियुक्त किये जाने के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री शब्बीर अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, बहराइच के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां चुनाव आयोग द्वारा रोक होने के बावजूद भी की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियों में शासनादेशानुसार क्या प्रक्रिया बनाई गई ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि दण्डित करायेंगे तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

विभागीय रोक के दौरान नियुक्तियां की गई।

जी हां।

चुनाव समाप्त हो चुका था, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी।

जी हां।

जी हां।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में नहरों का रखरखाव

50–श्री राजीव कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ? क्या सभी नहरों से सिंचाई हेतु समुचित पानी उपलब्ध रहता है ? यदि हां, तो उनकी कुल क्षेत्रवार संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी खराब नहरों के रखरखाव की कोई व्यवस्था शासन स्तर से विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमार गंज, फैजाबाद में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की जानकारी

51–श्री जगन्नाथ प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमार गंज, जनपद फैजाबाद के विज्ञापन संख्या 1/1986 में विज्ञापित वरिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन की नियुक्तियां की गयीं ? क्या उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का निर्धारित आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चयन समिति द्वारा किन-किन नामों की संस्तुति की गयी थी और उनमें किन-किन को नियुक्ति आदेश निर्गत किया गया तथा कितने को रोक दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद जेल में स्थित शव विच्छेदन गृह में नये भवन का निर्माण

52–श्री जगन्नाथ प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगे कि जनपद फैजाबाद जेल में स्थित शव विच्छेदन गृह (चीर घर) अत्यन्त छोटा एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और दरवाजे भी टूटे हुए हैं जिससे जनता द्वारा रात्रि में शवों को सुरक्षित रखने में अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न होती है ? यदि हां,तो क्या सरकार प्रकाश एवं पंखे युक्त (हाल टाईप) नये शव विच्छेदन गृह का अविलम्ब निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शव विच्छेदन गृह के नये भवन (आवश्यकतानुरूप) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 1994 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत दीनदयाल मिनी डेरी परियोजना की प्रगति एवं लक्ष्य की जानकारी

53–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत दीनदयाल मिनी डेरी परियोजना को सम्पूर्ण प्रदेश में निष्प्रभावी सा कर दिया गया है तथा जनपद पीलीभीत में इसे समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो प्रत्येक योजना आच्छादित जनपदों में वर्षवार प्रगति क्या है ? निर्धारित लक्ष्य सहित विवरण क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जनपद पीलीभीत में दो वर्षीय परियोजना का कार्यकाल 1991-92 एवं 1992-93 तक था । विशेष मांग पर शासन द्वारा जनपद में परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष (1993-94) तक के लिये बढ़ा दी गयी है ।

वर्ष 1991-92 से वर्ष 1993-94 तक परियोजनान्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष हुई प्रगति का जनपदवार विवरण ''परिशिष्ट–क'' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 216 पर)

मेसर्स रत्नाकर गैस एजेन्सी गांधीनगर, बस्ती में पड़ी डकैती तथा हुई क्षतिपूर्ति की मांग

54–श्री ऊदल–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में ''रत्नाकर गैस एजेन्सी गांधी नगर'' में गैस गोदाम पर (जो म्युनिस्पल क्षेत्र में है) 1993 में दो बार डकैती पड़ी है ? क्या डकैत लगभग 249 गैस सिलेन्डर लूट ले गये थे ? क्या सरकार प्रदेश के अन्सारी भाइयों की भांति उक्त अनु० जाति के उद्यमी को भी कुछ सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मैंसर्स रत्नाकर गैस एजेन्सी गांधी नगर, बस्ती द्वारा दिनांक 18-3-93 और 9-11-93 को डकैती पड़ने की दो प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई । दिनांक 18-3-93 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में 249 सिलेन्डर लूटने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई । दिनांक 18-3-93 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की तफ्तीश/विवेचना सी० बी० सी० आई० डी० गोरखपुर द्वारा की जा रही है तथा दिनांक 9-11-93 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी की जा चुकी है तथा दि० 6-12-93 को रिपोर्ट लगा दी गयी है ।

किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद महराजगंज के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण

55–श्री राम अधार यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में बाढ़ विभीषिका को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में 171 किलोलीटर मिट्टी का तेल शासन द्वारा आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में महराजगंज जनपद में कोई बाढ़ नहीं आयी ? यदि हां, तो उक्त 171 किलोलीटर मिट्टी का तेल कहां खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद महराजगंज में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए माह सितम्बर, 1993 में 400 किलो लीटर तथा माह अक्टूबर, 1993 में 139 किलो लीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया था ।

वर्ष 1993 में जनपद की चारों तहसीलों में कुल 253 गांव बाढ़ से प्रभावित थे, जिनमें 274 किलो लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स राजीव कुमार संजीव कुमार गोरखपुर को पट्रोल डीजल डीलर का गलत लाइसेन्स दिये जाने विषयक प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही

56–श्री राम अधार यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में राजीव कुमार संजीव कुमार गोरखपुर को शासनादेश के विरुद्ध जनपद महराजगंज में पेट्रोल एवं डीजल बेचने का लाइसेन्स जारी किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बिना अन्डरग्राउन्ड टैंक के पेट्रोल बेचने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या नियमानुसार पेट्रोल पम्प के 5 कि० मी० के अन्दर पेट्रोल डीलर की नियुक्ति हो सकती है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैसर्स राजीव कुमार संजीव कुमार गोरखपुर के नाम 19-8-93 को आबकारी विभाग के अधिकारी (जिला आबकारी अधिकारी) द्वारा पेट्रोल स्टोरेज का लाइसेन्स जिला परिषद् काम्पलेक्स महराजगंज के लिये जारी किया गया था। अनियमितता की जानकारी होने पर उक्त लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है। बिना अन्डरग्राउन्ड टैंक के 5 कि० मी० के अन्दर पेट्रोल डीलर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। जून, 1993 में उक्त फर्म राजीव कुमार संजीव कुमार को महराजगंज नगर हेतु पेटी डीजल डीलर का लाइसेन्स जारी किया गया है जिसके संबंध में सहायक आयुक्त, खाद्य, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांच की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र में नलकूप लगवाने की मांग

57–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद का अधिकांश भाग गंगा नदी से मिला हुआ है, जिसमें नहर द्वारा सिंचाई असम्भव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्रफल का मास्टर प्लान बनवा कर नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

नये नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की स्वीकृति के पश्चात् किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ में निर्बल वर्ग आवास योजना में घोटाले के कथित आरोप के विरुद्ध कार्यवाही

58–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1989-90 से निर्बल वर्ग आवास योजना चालू है ? क्या उक्त योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति अभिलेखों में दिखायी गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधिकांश विकास खण्डों में अभी तक 1989-90 से 1992-93 तक के प्रत्येक वर्षों में कई आवासों की धनराशि लाभार्थियों को दी ही नहीं गयी है, जिसका प्रमाण उनकी कैशबुक है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलत प्रगति रिपोर्ट का उच्चाधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण बिन्दु को छिपाने का औचित्य क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो वांछित कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं। संदर्भगत योजना वर्ष 1988-89 से चालू है

जी नहीं। वर्षवार प्रगति विवरण संलग्न है।

जी नहीं। योजना के प्रारम्भ से वर्ष 1992-93 तक अब कोई भी धनराशि लाभार्थी समूहों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 217 पर)

बांदा जनपद के कर्वी तहसील में बरुपा बांध से निकाली गयी मुख्य नहर द्वारा सिंचाई सुविधा की जानकारी

59–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बांदा जिले के कर्वी तहसील में बरुपा बांध से निकली मुख्य नहर पर लगभग एक तिहाई भाग पर नहर का पानी आज तक नहीं पहुंचा है ? क्या यह भी सही है कि हर वर्ष आधी नहर के बाद वाले हिस्से में, बाद बुआई तो हो जाती है लेकिन फिर बाद में पानी न मिलने से फसल सूख जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस बाबत क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या इस वर्ष अब वहां की फसल को सूखने से सरकार बचाने का उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । मुख्य नहर की टेल तक पानी गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर स्थित जरगो बांध नहर से सिंचाई हेतु माइनर निकालने/खोदने की योजना

60–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला स्थित जरगो बांध नहर से बांध के पास के सोनऊर, बखियाबाद व नुआब आदि अनेक गांवों की भूमि की सिंचाई हेतु एक माइनर निकालने/खोदने की योजना विभाग ने वर्ष 1992 में तैयार की थी ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य को कब से शुरू किया जायेगा ? उक्त योजना से कौन-कौन से गांव व कितनी भूमि लाभान्वित होगी ? उस योजना पर कितना खर्च अनुमानित है ? क्या इसे वर्ष 1994-95 में पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

योजना का आरम्भ होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

उक्त योजना से ग्राम नुआब, विशुनपुर, जरहां, बखियाबाद, जमुआर आदि ग्रामों में 1615 एकड़ खरीफ तथा 404 एकड़ रबी फसल में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

वर्ष 1992 में इस योजना की लागत रु० 98.61 लाख थी । अब श्रमिक एवं सामग्री दरों में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि सम्भावित है ।

जी नहीं ।

योजना का आरम्भ होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विकास खण्ड में ग्वेलीखाल से गालीगांव तक सड़क निर्माण

61–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-94 प्राप्त हुआ है जो कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में स्थान ग्वेलीखाल से तथा गालीगांव तक करीब 3 कि०मी० मोटर मार्ग बनाये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग 5 कि० मी० शासनादेश दिनांक 31-3-94 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में उप मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

62–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रत्येक तहसील मुख्यालय में उप-मुख्य चिकित्साधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत तथा तहसील भिकियासैंण में उप मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रत्येक तहसील मुख्यालय में उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नियुक्त करने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र के तथ्यों की जानकारी एवं कृत कार्यवाही

63–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-6-92 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है ? क्या उन तथ्यों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो किससे तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम दुर्गापुर व उमापुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कृत कार्य एवं आवंटित धनराशि के दुरुपयोग का आरोप

64–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुर्गापुर, उमापुर, विकास खण्ड बल्दीराय, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में कौन-कौन सी जनसुविधाएं और विकास के कार्य अब तक किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करके गम्भीर अनियमितताएं की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम दुर्गापुर, उमापुर में जनसुविधा एवं विकास के निम्न कार्य कराये गये हैं :—

जनसुविधा एवं विकास कार्य	गांव का नाम	
	दुर्गापुर	उमापुर
1–जवाहर रोजगार योजना	सम्पर्क मार्ग	सम्पर्क मार्ग खड़न्जा
2–लघु सिंचाई योजना	7 सामान्य	7 सामान्य
निःशुल्क बोरिंग	9 मिलियन वेल	1 मिलियन वेल
3–आवास निर्माण योजना :		
निर्बल वर्ग आवास	2	1
इंदिरा आवास	3	–
4–पेयजल योजना :		
इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प	1	2
5–शिक्षा योजना :		
प्राइमरी पाठशाला	1	–
6–एकीकृत ग्राम विकास योजना	6	5

उक्त गांवों में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग एवं अनियमितता का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के कतिपय विकास खण्डों में दस लाख कूप योजनान्तर्गत तालाबों की खुदाई पर व्यय का विवरण

65–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औराई सेवापुरी, भदोई, ज्ञानपुर तथा सुरियावां वि० खण्ड जनपद वाराणसी में दस लाख कूप योजनान्तर्गत कितने तालाब खोदे गये ? क्या वे मानक के अनुरूप हैं ? किन स्थानों पर तालाब खोदे गये ? क्या वे पूर्व के तालाबों पर ही खोदे गये हैं ? यदि हां, तो उन पर कितनी लागत दिखाकर भुगतान किया गया है ?

श्री श्रीराम यादव–

दस लाख कूप योजनान्तर्गत विकास खण्ड औराई, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर तथा सुरियावां में कुल 99 तालाब खोदे गये हैं ।

भूमि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के अनुसार तालाब का निर्माण हुआ है । सूची संलग्न हैं ।

जी नहीं । अपितु ऐसे पांच तालाब जो सिल्टिंग के कारण समतल हो गये थे, पर खुदाई कार्य हुआ है ।

भदोही में 3 समतल तालाबों के निर्माण पर मु० 1,11,220.00 तथा ज्ञानपुर में 2 समतल तालाबों के निर्माण पर मु० 1,27,422.00 रुपया व्यय किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 218–221 पर)

जनपद आगरा के किरावली तहसील में फतेहपुर सीकरी शाखा के टूटने से हुई हानि एवं क्षतिपूर्ति की मांग

66–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम त्रिपुरी पर फतेहपुर सीकरी शाखा के दिनांक 11/12 जनवरी, 1994 को टूटने पर जो किसानों की फसल, मकान और पशु सम्पत्ति की हानि हुई है उसकी आर्थिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस मद पर कितनी कितनी धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फतेहपुर सीकरी शाखा जनवरी, 1994 में जब रबी की फसल की पूर्ण जल मांग की पूर्ति हेतु चल रही थी, वर्षा के कारण कृषकगणों द्वारा ऊपरी भाग में स्थित नहरों व कुलावों को एकायक बन्द कर देने के फलस्वरूप शाखा के मील 14-0-0 दायीं पटरी पर जल स्तर बढ़ने से ग्राम त्रिपुरी के पास दिनांक 16 व 17-1-94 की रात्रि में खांयी हो गयी, जिसके कारण केवल 55.67 एकड़ भूमि में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हुई मकान, पशु, सम्पत्ति की हानि की कोई सूचना नहीं है । इसमें से नहरी कमाण्ड क्षेत्र की 21.61 एकड़ फसल की क्षति के लिये कृषकों को राहत वर्तमान फसल रबी 1401 फसली की जमाबंदी में सिंचाई कर में छूट देकर दी जा रही है ।

राहत धनराशि का आंकलन जमाबंदी में किया जा रहा है जो अभी फाइनल नहीं हुई हैं ।

जनपद चमोली गढ़वाल में नगरासू–डांडाखाल–धनपुर मोटर मार्ग में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

67–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल में नगरासू-डांडाखाल–धनपुर मोटर मार्ग से, कोदिमा व जसौली गांव की क्षतिग्रस्त जमीन का मुआवजा आज तक किन परिस्थितियों में

नहीं दिया गया है ? कब तक इन्हें मुआवजा दिया जायेगा ? क्या इसके विलम्ब के कारणों की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

धारा–4 की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित न हो पाने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोचर द्वारा आपसी समझौते के आधार पर प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पौड़ी से प्रतिकर की धनराशि वापस प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

भूमि अर्जन हेतु धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित न होने के कारण जारी विज्ञप्ति स्वतः समाप्त हो गयी। अतः जांच का औचित्य नहीं बनता।

उपरोक्त कारणों से प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में नगरासू की बन्द नहर को खोलने की मांग

68–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षों से जनपद चमोली में नगरासू की नहर किन परिस्थितियों में बन्द पड़ी है ? क्या इसे तत्काल ठीक किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली में नगरासू नहर गत वर्षों से भूकम्प/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द पड़ी है।

जी हां। विश्व बैंक द्वारा पोषित भूकम्प मद में प्राप्त धन से क्षतिग्रस्त भाग पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

अप्रैल, 1994 के अन्त तक नहर को चला दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में नगरासू-डांडाखाल–धनपुर मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण की मांग

69–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि नगरासू-डांडाखाल–धनपुर मोटर मार्ग सन् 1977 से निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इतने वर्षों बाद भी इस सड़क का पूरा निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? इस मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कब तक हो जाना चाहिए था ? क्या शीघ्र ही इस मार्ग को जसौली तक पक्का किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत लम्बाई तक पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त कारणों से प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में लाभान्वित चर्म रोगियों की संख्या

70–श्री बदन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल के चर्म रोग वार्ड में वर्ष 1993 में कितने चर्म रोगियों का इलाज हुआ है ? क्या यह सही है कि चर्मरोग वार्ड की छत गिर रही है जहां भर्ती रोगियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त भवन का पुनर्निमाण न करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

सरोजनी नायडू अस्पताल के चर्म रोग वार्ड में वर्ष 1993 में 74 चर्मरोगियों का इलाज हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में आगरा नहर के मील 82 अपर के टूटने से हुई हानि एवं क्षतिपूर्ति की मांग

71–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नहर मील 82 अपर पर माह दिसम्बर, 1993 में टूट गई थी ? यदि हां, तो क्या नहर टूटने से किसानों की फसल को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की गई थी ? यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि बिना बोई हुई रह गई थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 6-7 दिसम्बर, 1993 की रात्रि में आगरा नहर के मील 083-3-100 दाई पटरी को कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से काटने के कारण नहर में खांदी हो गई ।

कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से नहर काटने के कारण क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

खांदी के पानी के फैलाव के कारण 22.00 एकड़ क्षेत्र में रबी फसल की अवधि में बुवाई नहीं की गई ।

जनपद आगरा में कृषि उत्पादन समिति फतेहपुर सिकरी द्वारा दुल्हारा से डिठवार मार्ग का निर्माण

72–श्री बदन सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में दुल्हारा मार्ग से डिठवार मार्ग 3 कि० मी० कृषि उत्पादन समिति फतेहपुर सीकरी द्वारा लेपन कार्य, वर्ष 1993-94 में किया गया है ? यदि हां, तो इस संड़क पर अभी से लेपन उखड़ने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सड़क निर्माण की जांच तकनीकी सेल से करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दुल्हारा से डिठवारा मार्ग की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, अपितु मण्डी परिषद् के पत्रांक : मु० अभि० (602)/92-1562 दिनांक 7-7-92 द्वारा दुल्हारा मार्ग से मई सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3 कि० मी० की स्वीकृति दी गई जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपनिदेशक (नि०) आगरा द्वारा सम्पर्क मार्ग से निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रिमिक्सिंग की गिट्टी नहीं उखड़ रही है, व कार्य विशिष्टियों के अनुरूप हो रहा है।

उपनिदेशक (नि०), वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी है जिनके द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया गया है। अतः तकनीकी सेल से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने के कारण पुनः जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में नलकूप के पुराने सेटों को बदलने की मांग

73–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र 285 जहानाबाद फतेहपुर में अधिकांश राजकीय नलकूप पुराने मशीनरी सेटों के कारण बन्द रहते हैं ? क्या सरकार अवगत है कि अब तक एक भी मशीनरी सेट नए नहीं बदले गये हैं ? क्या जिला योजना में संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

वर्ष 1993-94 में 3 नये सबमर्सेबुल पम्प-सेट व 3 नए सबमर्सेबुल मोटर बदले गये हैं।

जी हां। आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता के आधार पर मशीनरी बदली जाती है।

सिंचाई विभाग में विशेष चयन आयोजित कर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

74–श्री नन्दलाल सिंह पटेल तथा श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोन्नति/नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये विशेष चयन करने का शासनादेश संख्या–22/43/1982–कार्मिक–1, दिनांक 30-1-89 जारी किया गया ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता पद पर प्रोन्नति में वर्ष 89 से अब तक कितने विशेष चयन आयोजित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता पद पर विशेष चयन आयोजित कराकर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

कोई नहीं ।

अधीक्षण अभियन्ता का पद "श्रेष्ठता" के आधार पर भरा जाने वाला पद है तथा "श्रेष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये नियमानुसार एकल पात्रता सूची बनाये जाने का प्राविधान है । एकल पात्रता सूची में आरक्षित वर्ग से समुचित संख्या में अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में आरक्षित श्रेणी के पद रिक्त हैं । विशेष चयन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्री नन्दलाल सिंह पटेल तथा श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण लागू है ? यदि हां, तो इस पद पर वर्तमान में कितने अधीक्षण अभियन्ता अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत हैं ? अनुसूचित जाति/जनजाति के अधीक्षण अभियन्ता के कितने पद रिक्त हैं ? क्या मुख्य मंत्री इन पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से भरने हेतु विशेष चयन आयोजित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कोई नहीं ।

45 पद रिक्त हैं ।

अधीक्षण अभियन्ता का पद श्रेष्ठता के आधार पर भरा जाने वाला पद है जिस पर एकल पात्रता सूची तैयार करके कार्यवाही की जाती है । वर्तमान में पात्रता सूची में आरक्षित वर्ग के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं । विशेष चयन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सेल में अनियमितताओं की जांच संबंधी संघ द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

76–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सेल में अनियमितताओं की जांच संबंधी जांच अधिकारी डा० ओ० पी० मेहरोत्रा निदेशक (महिला) ने कोई पत्र दिनांक 16-2-94 पटुवाडांगर (नैनीताल) एवं लखनऊ के कर्मचारी संघ के अध्यक्षों को दिनांक 24-2-94 को साक्ष्य देने हेतु जारी किया है ? उक्त पत्र पटुवाडांगर संघ के अध्यक्ष को कब तथा किस माध्यम से प्राप्त कराया गया है ? क्या इसी क्रम में लखनऊ के कर्मचारी संघ से पत्र फरवरी, 94 जांच अधिकारी एवं निदेशालय/शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र फरवरी, 94 में किन आधारों पर क्या-क्या मुख्य बिन्दु उठाये गये हैं तथा क्या-क्या मांग की गयी है ? प्रकरण में अग्रिम जांच से पूर्व क्या संघ के पत्र का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो तदनुसार पत्र के निस्तारण न किये जाने का क्या औचित्य एवं कारण हैं ? क्या मंत्री जी संघ के पत्र का निस्तारण कराकर अग्रिम जांच पूरी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1994 को संघ के अध्यक्ष को डाक द्वारा प्राप्त कराया गया है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

1-माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी के पत्रांक-190 दिनांक 11 जनवरी, 1994 में जांच के बिन्दु पर कार्यवाही कराया जाना।

2-अभियंत्रण इकाइयों में कार्यरत प्रभारी इन्जीनियर्स का स्थानान्तरण किया जाना।

3-कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना।

4-स्थापना कार्य एक ही विभाग में सम्पादित होना।

5-अभियंत्रण सेवा कर्मियों का एक ही कैडर बनाया जाना।

6-विद्युत सेल के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाया जाना।

7-सेवा नियमों में परिवर्तन।

8-श्री मुजीबुर्रहमान को मूल विभाग में वापस भेजने की कार्यवाही किया जाना।

9-सचिवालय प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाना।

10-पटवाडांगर संघ को जांच में साक्ष्य हेतु बुलाया जाना।

11-भिन्न-भिन्न योग्यताओं के आधार पर शासन को भ्रमित करना।

जी हां, जांच में इन पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का समावेश कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी संघ एवं माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी के पत्रांक-190 दिनांक 1 जनवरी, 1994 के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों पर विस्तृत जांच निदेशक (महिला) एवं निदेशक (चिकित्सा) के स्तर से पूर्ण करायी जा चुकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में पी० वी० सी० द्वारा नालियों एवं पाइप लाइन का कार्य कराया जाना

77-श्री मदन गोपाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि निर्वाचन क्षेत्र 285 जहानाबाद, फतेहपुर में पी० वी० सी० द्वारा लगाये गये 20 नलकूपों में नाली तथा पाइप लाइनें नहीं हैं, जिसके कारण सिंचाई कार्य असम्भव है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एन० टी० पी० सी० योजना के अन्तर्गत लगाये गये 20 नलकूपों पर अभी आवश्यकता से कम लम्बाई में पी० वी० सी० पाइप-लाइन निर्मित हुई है जिससे नलकूप क्षेत्र की समुचित रूप से सिंचाई नहीं

हो पा रही है । आवश्यक धन की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण प्रणाली बढ़ाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा में निर्माणाधीन विकास भवन में कथित घोटाले की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

78–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-12-93 का पत्र, जो कि सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को संबोधित एवं गोण्डा में निर्माणाधीन विकास भवन से संबंधित अधिशासी, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप से संबंधित था पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच में अनियमिततायें पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता श्री एस० डी० सिंह, ग्रामीण अभियन्ता सेवा प्रखण्ड गोण्डा को शासनादेश संख्या–2अ/38–7–94–61क/93, दिनांक 27-1-94 द्वारा निलम्बित करते हुए आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

विकास भवन में प्रयुक्त गिट्टी, सरिया, विद्युत सामानों तथा विभागीय स्टोर में विभिन्न सामानों के आदान प्रदान की अनियमितताओं के बारे में अभी जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में अन्तर्गस्त अधिशासी अभियन्ता को अनुपूरक आरोप पत्र देने एवं सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध तद्नुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण कार्य की जानकारी

79–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1985-86 के वित्तीय वर्ष में जिला विकास अभिकरण, बस्ती से आज के सिद्धार्थनगर जनपद में (तत्कालीन बस्ती जनपद) ग्राम-परसौना ग्राम रमपुरवा एवं मुड़िका को बंधे से जोड़ने के लिये लिंक बांध बनाने हेतु ड्रेनेज विभाग, सिद्धार्थनगर (उस समय जनपद-बस्ती) को धन मिला था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ग्राम परसौना, रमपुरवा एवं मुड़िला में लिंक बांध का निर्माण एवं पुलिया लगाने का कार्य अब तक अवशेष है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अधूरी सड़क तथा पुलिया के निर्माण को पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । प्राप्त धनराशि का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य कराया जा चुका है । केवल रमपुरवा सम्पर्क मार्ग का लगभग 40% कार्य अवशेष है ।

जी नहीं । यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन-० आर० ई० पी०) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 तक कराया गया था । योजना समाप्त हो जाने के कारण रामपुर सम्पर्क सड़क एवं पुलिया बनाने का अवशेष कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी थी ।

उ० प्र० उपचारिका सेवा संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण किया जाना एवं प्रोन्नति में बैकलाक पूर्ण किये जाने की जानकारी

80–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० उपचारिका सेवा संवर्ग में शासन द्वारा स्वीकृत सिस्टर के कुल 1189 पदों में 18 व 2% की दर से अनुसूचित जाति/जनजाति के नियमानुसार 238 पदों के विपरीत कुल कितनी सिस्टर कार्यरत हैं ? क्या शासनादेश संख्या–22/43/1982–कार्मिक–2 दिनांक 22 अगस्त, 1991 व शासनादेश संख्या–1990/40-1-92-13(7)/92 दिनांक 25-7-92 द्वारा सिस्टर का सम्पूर्ण बैक लाक पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या अब इसे पूर्ण करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्या अब इसे पूर्ण करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है ? क्या उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ ही प्रोन्नति में अनु० जाति के अभ्यर्थियों का प्रोन्नति में सम्पूर्ण आरक्षण का बैक लाक तत्काल पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

238 पदों के विपरीत अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल 64 सिस्टर वर्तमान में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

चूंकि प्रोन्नति में बैकलाक पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में कतिपय संवर्गों में स्वीकृत स्थायी पदों एवं आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की जानकारी

81–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पी० एम० एस०, पैरामैडिकल, नर्सिंग, बी० एच० डब्लू०, एच० बी०/एच० भी लिपिकीय व अन्य संवर्ग में शासन द्वारा कुल कितने स्थायी पद स्वीकृत हैं ? क्या उनमें शासनादेश संख्या–15/25/75 रा० एकी० दिनांक 10-5-76 व संशोधित संख्या–22/6/83 कार्मिक–2 दिनांक 25 मार्च, 1989 का पालन करके प्रथम स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करके तत्काल स्थायीकरण में आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ नगर में चिकित्सालय निर्माण

82–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर में 300 शैय्याओं के निर्माणाधीन चिकित्सालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

निर्माण कार्य का पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अतः कोई निश्चित तिथि सूचित करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों में विज्ञान विषय की मान्यता देने की मांग

83–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विज्ञान के इस युग में भी पर्वतीय क्षेत्र के अधिकतर विद्यालयों में, विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है ? क्या सरकार ज० इ० का०, सुरखेत एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल व प० इ० क० इन्दिरा पुरी, एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल तथा प० हा० मवाणी धार में विज्ञान की मान्यता शीघ्र देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद नैनीताल के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

84–श्री बंशीधर भगत–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि नैनीताल जनपद में बेताल घाट, रामगढ़ तथा कोटाबाग, रामनगर के पर्वतीय क्षेत्रों के सड़कों के निर्माण के लिए ली गई भूमि का मुआवजा वहां के गरीब कृषकों को 10-10 साल के बाद भी अब तक नहीं मिल पाया है ? क्या उक्त विभाग द्वारा इस पैसे को उन्हें देने से प्रकरण उलझाया जा रहा है ? क्या सरकार इन कृषकों की भूमि का मुआवजा दिलाने के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद नैनीताल में बेतालघाट के 2 मार्गों, रामगढ़ के 4 मार्गों, कोटाबाग के तीन मार्गों तथा रामनगर के 11 मार्गों के लिये ली गई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है ।

जी नहीं । प्रतिकर भुगतान की विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है ।

औपचारिकतायें पूर्ण होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ।

औपचारिकतायें पूर्ण होते ही ।

जनपद नैनीताल में कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों को अन्यत्र बसाये जाने की मांग

85–श्री बंशीधर भगत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली अतिवृष्टि में नैनीताल जनपद के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़ धारी रामनगर कोटाबाग में कितने गांव तबाह हो गये ? क्या उन्हें अन्यत्र बसाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में नलकूप अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहीत भू-स्वामियों को नौकरी में समायोजित करने का मामला

86–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप अधिष्ठापित करने हेतु जिन लोगों की भूमि अध्यापित की जाती है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नलकूप चालक या सिंचाई विभाग में अन्य कोई नौकरी दी जाती है ? यदि हां, तो उसकी समय सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि काशी विद्यापीठ ब्लाक मे पिछले एक साल के अन्दर ऐसे कितने लोगों को नौकरी दी गई है और उनके नाम क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को नलकूप सहायक पद पर चयन में 10 अतिरिक्त अंक देकर वरीयता दिए जाने का ही प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है ।

काशी विद्यापीठ ब्लाक में वर्ष 1993-94 में योग्यता के आधार पर दो नलकूप सहायक का चयन हुआ जिसमें एक अभ्यर्थी श्री मुहाल राम, नलकूप निर्माण हेतु ली गयी भूमि के स्वामी का वारिस है ।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में तैनात आयुर्वेदिक एवं यूनानी महिला चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण

87–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने अपने आदेश संख्या 1408 क 9/5/99–408/88 दिनांक 1-10-91 के द्वारा ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को नियमित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि एक साल पहले सं० 6213/चिकि०–4/5/म–16/1985 के आदेश के तहत नियुक्त महिला चिकित्साधिकारियों को दिनांक 5-5-92 के शासन के निर्णय के बावजूद अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें कब से नियमित करने जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 यथा संशोधित 1986 के अन्तर्गत ही किया जाना संभव है ।

जी हां । शासन के निर्णय दिनांक 5-5-92 के अन्तर्गत महिला चिकित्साधिकारियों के तदर्थ नियुक्ति का प्रकरण अंशकालिक चिकित्साधिकारियों के समायोजन के प्रकरण के साथ सम्बद्ध किया गया है तथा इस हेतु मा० मंत्रि-परिषद् के आदेशानुसार मुख्य सचिव महोदय समीक्षा कर टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे । तद्नुसार मुख्य सचिव महोदय ने कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है, जिसमें सचिव चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त न्याय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि नामित किये गये हैं । समिति द्वारा पूरे प्रकरण पर समीक्षा की जायेगी ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में विधि सहायकों का स्थानान्तरण

88–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में विधि सहायक के कितने पद विद्यमान हैं ? क्या विधि सहायक को सौंपे गये कार्य एवं उत्तरदायित्वों को भली-भांति निर्वहन करने से संबंधित कार्य संबंधित विधि सहायकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विधि सहायक को विधि अनुभाग से हटाकर अनाधिकृत रूप से किसी अन्य अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विधि सहायकों को किसी अन्य अनुभाग में सम्बद्ध किये जाने का मापदण्ड क्या है ? किसी विधि सहायक को विधि अनुभाग से, बार-बार निर्णय अनुभाग में तैनात करने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

5 पद ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनधिकृत रूप से नहीं अपितु कार्यहित में एक विधि सहायक को विधि अनुभाग से भिन्न अनुभाग में तैनात किया गया है ।

कार्यहित में ।

वहां विधि संबंधी कार्य सम्पादन हेतु ।

कार्यहित में ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा रोगियों के दिये जाने की जानकारी

89–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र, ईसानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी में कार्यरत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डा० एस० के० सक्सेना उक्त ग्राम में अपना मुख्यालय बनाकर रह रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि ग्रामीण आवासीय भत्ता एवं अन्य सुविधायें विभाग द्वारा निःशुल्क दिये जाने के बावजूद भी, उक्त चिकित्सक अस्पताल में रोगियों को क्यों नहीं देखते हैं ? यदि उक्त चिकित्सक मरीजों को देखते हैं, तो मरीजों को दिये गये पर्चे में क्या उक्त डाक्टर के हस्ताक्षर हैं ? यदि हां, तो कितने पर्चों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

डा० एस० के० सक्सेना उक्त ग्राम में जनवरी, 1994 से अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं।

उक्त चिकित्सक द्वारा रोगी देखे जाते हैं, परन्तु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होने के कारण इन्हें प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना पड़ता है जिसके कारण चिकित्सा अधिकारी द्वितीय/तृतीय द्वारा भी मरीजों को देखा जाता है।

वाह्य रोगियों के पर्चे रोगी के पास रह हैं जिसके कारण उनके विषय में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। वाह्य रोगी पंजिका में उक्त चिकित्सक की हस्तलिपि की गयी प्रविष्टियों के अनुसार 27 रोगी उनके द्वारा देखे गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईसानगर, लखीमपुर-खीरी के गृह दर्शक स्व० श्री कृष्ण अवस्थी के देय अवशेषों का भुगतान

90–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रा० स्वा० केन्द्र, ईसानगर जिला लखीमपुर खीरी पर पूर्व में कार्यरत गृह दर्शक, श्रीकृष्ण अवस्थी की दिनांक 17-11-89 को सेवाकाल में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक जी० पी० एफ० लिंक० इन्श्योरेन्श का भुगतान उनकी विधवा पत्नी को क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि जिला उपभोक्ता फोरम ने भी दिनांक 29-7-93 को उनके भुगतान हेतु निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या शासन विधवा मिथिलेश देवी को उक्त भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

भुगतान के आदेश दे दिए गये हैं।

जी हां।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इलाहाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जानकारी

91–श्री नजमउद्दीन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० सभा क्षेत्र नवाबगंज इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 90-91 से वर्ष 93-94 में अब तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इलाहाबाद द्वारा कितने सम्पर्क मार्गों के ऊपर निर्माण कार्य कब-कब एवं किस-किस स्तर तक कराया गया है ? उनमें से प्रत्येक मार्ग पर किये गये व्यय का विवरण क्या है? क्या कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० द्वारा जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड इलाहाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 1990-91 से 93-94 तक निर्मित संपर्क मार्गों के भौतिक प्रगति तथा प्रत्येक मार्गों पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न है।

जी नहीं। कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 222-223 पर)

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में मण्डी निर्माण परिषद् द्वारा कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण की जानकारी

92–श्री नजमउद्दीन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, जनपद-इलाहाबाद में मण्डी निर्माण परिषद्, इलाहाबाद द्वारा मऊ आइमा, थाना-चौराहा से बाका जलालपुर सम्पर्क मार्ग एवं मऊ आईमा विकास खण्ड चौराहा से सराय बादशाहा कुली वाया, अलावलपुर सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक वर्ष 91 में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति किये गये उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पर्क कार्य का निर्माण कार्य न कराने के कारण एवं सम्पर्क मार्ग पर नियुक्त ठेकेदार, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोण्डा जनपद के उतरौला तहसील में लगाए गए नलकूपों की संख्या एवं खराब नलकूपों को ठीक कराया जाने की मांग

93–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की उतरौला तहसील में कुल कितने राजकीय ट्यूबवेल हैं और वे कहां-कहां लगे हैं ? उनमें से कहां-कहां से ट्यूबवेल खराब हालत में बन्द पड़े हैं ? क्या खराब ट्यूबवेल को चालू करने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा की उतरौला तहसील के अन्तर्गत कुल 67 राजकीय नलकूप हैं, जिनकी ग्रामवार सूची संलग्न है।

सप्ताहान्त 14-4-94 को ग्राम महदेइया, बरईबुजुर्ग व शाहपुरइटई में स्थापित 3 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से तथा ग्राम–मछली पेहर, शिवपुरमंहत व सोहनजोत में स्थापित 4 राजकीय नलकूप विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बंद हैं।

जी हां।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 224-226 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मपुर जनपद गोरखपुर का उच्चीकरण

94–श्री बेचन राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मपुर, गोरखपुर को 30 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में उच्चीकृत करने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो शासन को इसमें कौन सी कठिनाई है ?

श्री बलराम यादव–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर योजना है। तद्नुसार जिला योजना में इस हेतु परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्थापना की कार्यवाही संभव है।

मण्डी समिति परतावल जनपद गोरखपुर में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

95–श्री बेचन राम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, परतावल, जनपद–गोरखपुर में वर्ष 1981 से 1983 तक के शासनादेश के अनुसार प्रोन्नतियां प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसमें अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? मंडी समिति गोरखपुर के पत्रांक 430 दिनांक 10-1-94 के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित प्रत्यावेदन के शीघ्र निस्तारण हेतु मंडी परिषद् को लिखा गया है।

शारदा सहायक खण्ड–39, इलाहाबाद के नारायणपुर राजबहा के कि० मी० 6 से 9 के मध्य हो रहे जल रिसाव को रोकने की मांग

96–श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय "गुरूजी"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खंड–39 इलाहाबाद (नारायणपुर राजबहा) जो मणियाहूं ब्रान्च से निकली है, के कि० मी० 6 से कि० मी० 9 तक, काफी जल रिसाव होने के कारण किसानों की उपजाऊ भूमि नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम हेतु कौन सा प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्यान निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला

97–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या उद्यान मंत्री को ज्ञात है कि उद्यान निदेशालय, लखनऊ में लिपिकीय पदों की अत्यधिक कमी है तथा उद्यान के विभिन्न अनुभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से राजकीय कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्गवार उनकी संख्या कितनी है ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान में, वर्ष 1983-84 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत है ? अब तक उन्हें क्यों नियमित नहीं किया गया है ? क्या उक्त अनुभवी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या इन्हें अतिशीघ्र नियमित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

वर्गवार संख्या निम्नलिखित है:–

1–शिक्षित दैनिक श्रमिक	32
2–शिक्षित इलेक्ट्रीशियन	1
3–शिक्षित नलकूप चालक	1
4–वाहन चालक	1
5–अशिक्षित दैनिक श्रमिक	24
योग:–	59

जी हां ।

दैनिक श्रमिकों को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

पद रिक्त होने पर तथा सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार अर्ह होने और इस हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

समय का निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय नगरों में संचालित राशन की दुकानों की संख्या एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संचालित दुकानों की संख्या

98–श्री धर्मपाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुरजा जनपद बुलन्दशहर सिकन्दराबाद तथा अनूपशहर नगरों में क्रमशः कितनी-कितनी राशन की दुकान संचालित है ? उक्त दुकानों में से कितनी दुकानें पिछड़े वर्ग के द्वारा संचालित हो रही हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र खुरजा, सिकन्दराबाद एवं अनूपशहर नगरों में उचित दर की दुकानों की संख्या तथा उनमें पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संचालित दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	नगरों का नाम	कुल दुकानों की संख्या	पिछड़े वर्ग द्वारा संचालित दुकानों की संख्या
1.	खुरजा	36	3
2.	बुलन्दशहर	55	4
3.	सिकन्दराबाद	17	2
4.	अनुपशहर	7	–

फैजाबाद जनपद के तारुन विकास खण्ड के ग्राम सभा आगागंज टिकरी में निर्बल वर्ग आवास निर्माण में कथित घोटाला एवं अवैध वसूली का आरोप

99–श्री परशुराम यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड तारून की ग्राम सभा आगागंज टिकरी में वर्ष 1988-89 में 20 निर्बल वर्ग आवास बनाने हेतु एक लाख बीस हजार रुपया विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भवन बनवा दिये गये थे ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त आवासों में मात्र 12 आवास ही बनाये गये थे ? क्या यह भी सत्य है कि कल्वा बेवा सामई, दयाराम पुत्र जोखन, राम लखन पुत्र बहुरूपी, आसरे पुत्र सोमई, मुरली पुत्र घूरन आदि ग्रामवासियों से, जिनका आवास नहीं बनाया गया है ? उनसे भी धन की वसूली किस्तों में कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पूरे प्रकरण की जांच कराकर, जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । प्रश्नगत आवासों के निर्माण के लिए रुपये 1,02,354.60 नकद व 3,276.60 रुपये मूल्य का खाद्यान कुल रु० 1,05,631.20 अवमुक्त किया गया ।

सभी भवन पूर्ण नहीं है । केवल 6 आवास पूणरूपेण पूर्ण हैं एवं 5 आवास आंशिक रूप से पूर्ण हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आई एम० ओ० (सिंचाई विभाग) में लिपिक एवं ड्राइंग संवर्ग में प्रोन्नति के मापदण्ड की जानकारी

100–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० एम० ओ० में अधीक्षण अभियन्ता के अधिकारों के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग एवं ड्राइंग संवर्ग के कर्मचारियों को ग्रेड से ग्रेड प्रोन्नति प्रदान किये जाने का शासकीय व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची, उनको देय अलग-अलग ग्रेडों की अलग-अलग बनायी जाती है ? क्या उनको पदोन्नतियां ग्रेड से ग्रेड में प्रदान की जाती हैं, जबकि ड्राइंग संवर्ग में प्रारूपकारों के वर्ष 1947 से दो ग्रेड थे ? क्या अर्ह प्रारूपकार ग्रेड–1 वेतनमान 120–250 तथा अनर्ह प्रारूपकार ग्रेड–11 वेतन रु० 85–200 में नियुक्तियां की गयी थी ? क्या इस संवर्ग की वरिष्ठता सूची ग्रेड–1 की वरिष्ठता सूची में ग्रेड–11 को लगाकर उनके विभाग में नियुक्ति की दिनांक से नयी वरिष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो दोनों संवर्ग के कर्मचारियों हेतु भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार से सम्मिलित वरिष्ठता सूची सिंचाई विभाग में अन्य कितने संवर्गों की बनायी गयी है ? क्या इस प्रकार से वरिष्ठता सूचियां बनाये जाने का संवैधानिक/शासकीय सिद्धान्त नहीं है, किसकी गलती से ऐसा हुआ है ? क्या इसका निराकरण करा दिया जायेगा ? यदि हीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी जनपद में बेतवा कैनाल प्रखण्ड में कतिपय माइनरों के रख-रखाव हेतु आवंटित एवं व्यय धन का विवरण

101–श्री रतनलाल अहिरवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद बेतवा कैनाल प्रखण्ड में बेतवा कैनाल, गढ़मऊसेमरी, सिया व बराटा माइनर के रख-रखाव हेतु वर्ष 1989 से 24-2-94 तक कितनी धनराशि दी गयी है ? कितनी धनराशि इस मद में खर्च की गयी है व कितनी अभी शेष है ? क्या यह भी सत्य है कि अभी तक पांच वर्ष के समय में कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अभी तक इसके लिये दोषी अधिकारियों को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

झांसी प्रखण्ड, बेतवा नहर के अन्तर्गत बेतवा कैनाल, गढ़मऊ, सेमरी एवं सिया नहरों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1989 से 24-2-94 तक रु० 10.35 लाख की धनराशि दी गई तथा वराठा माईनर के नाम से इस प्रखण्ड में कोई नहर नहीं है।

रु० 10.35 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच की मांग

102–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के मुख्य चिकित्सालयों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी कितनी शिकायतें 1992 से मय सबूत के जनता समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कितने मामले उनके खिलाफ अभी तक विचाराधीन है ? क्या शासन द्वारा इन पर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1992 से अब तक तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी के विरुद्ध कुल 26 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। एक अन्य प्रकरण में प्राथमिक जांच के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। शासन द्वारा अब तक प्राप्त समस्त शिकायती पत्रों पर भी जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री ख्याली राम, वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड झांसी का स्थानान्तरण का प्रकरण

103–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्यालय में नियुक्त लिपिक श्री ख्याली राम की अनुपस्थिति एवं राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखने विषयक कितनी शिकायतें 1992 से जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को प्राप्त हुई हैं ? क्या यह भी सत्य है कि अक्टूबर, 1992 में इन्हीं शिकायतों के आधार पर, इनका स्थानान्तरण बांदा के लिए किया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण रोका गया है ? क्या यह भी सत्य है कि संबंधित कार्यालय से श्री ख्याली राम का निवास प्रेमनगर, झांसी मात्र 3 किमी० की दूरी पर है। क्या उनके द्वारा स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने एवं अनुशासनहीनता करने पर उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव--

इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहां। अक्टूबर, 92 में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल झांसी द्वारा श्री ख्याली राम, वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड झांसी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखण्ड बांदा से सम्बद्ध किया गया था जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 30-12-92 द्वारा समाप्त कर दिया।

इनका निवास खण्डीय कार्यालय झांसी से लगभग 4.00 कि० मी० दूरी पर है।

जी नहीं।

जिन परिस्थितियों में इनकी झांसी प्रखण्ड से बांदा प्रखण्ड में सम्बद्धता के आदेश किए गये थे, उसकी जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर उक्त आदेश का अनुपालन न करने के संबंध में इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मऊ में विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर ग्राम नत्थूपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण

104--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में ग्राम नत्थूपुर क्षेत्र नत्थूपुर, जिला--मऊ में शासन द्वारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनना अति आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

ग्राम नत्थूपुर, क्षेत्र नत्थूपुर, जिला मऊ में वर्ष 92-93 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं अपितु उपकेन्द्र का भवन निर्माण स्वीकृत किया गया था।

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा निस्तारण के उपरान्त निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जायेगा।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के खडगपुर, शाहपुर सोपाईबांध के निर्माण कार्य एवं उसके भुगतान की जानकारी

105--डा० मोहसिन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खडगपुर, शाहपुर सोपाईबांध (जि० गोरखपुर) पर 14 से 15 कि० मी० पर वर्ष 1979 में श्री मुन्नू खां ठेकेदार ने शाहपुर सोपाई बांध (जिला--गोरखपुर) के संबंध में कोई काम कराया है ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

106–डा० मोहसिन्–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अनुबन्ध के द्वारा श्री मुन्नू खां ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का, श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी (जे० ई०) द्वारा की गयी एम० बी० को बिना किसी आदेश व अधिकार के श्री सदानन्द (जे० ई०) ने काटकर, पुनः एम० बी० किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अन्तिम भुगतान की माप श्री सदानन्द, अवर अभियन्ता द्वारा की गई जिसे श्री मुन्नू खां, ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107–डा० मोहसिन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खडगपुर शाहपुर सोपाई बांध (जि० गोरखपुर) में 15-16 कि० मी० पर श्री मुन्नू खां ठेकेदार ने 2.25 रु० घन मी० पर कार्य करने का टेण्डर दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य श्री बब्बन प्रसाद को रु० 3.46 प्रति घनमीटर की दर पर करने को किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । परन्तु दर रु० 3.46 के बजाय रु० 3.40 प्रति घन मीटर थी ।

प्रथम टेन्डर दिनांक 27-12-78 को आमंत्रित था । जिसके अन्तर्गत श्री मुन्नू खां, ठेकेदार को अनुबन्ध करने हेतु बुलाया गया, परन्तु वे नहीं आये फलस्वरूप उनकी अरनेस्ट मनी जब्त कर ली गई ।

पुनः दिनांक 7-8-79 को टेन्डर आमंत्रित किया गया जिसमें श्री बब्बन प्रसाद ठेकेदार की न्यूनतम निविदा दर रु० 3.40 रही, जिससे उन्हें कार्य दिया गया ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्य आहार विद/आहार विद की नियुक्ति एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्य का विवरण

108–श्रीमती प्रेमलता कटियार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के किचन में मुख्य आहार विद/आहार विद के कितने पद सृजित हैं ? क्या उक्त सभी पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त आहार विद क्या इस समय उक्त रोगियों के किचन में ही बैठकर भोजन की गुणवत्ता देखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि आहार विदों की मुख्य रूप से ड्यूटी किचन में न रखकर, अन्यत्र उनकी तैनाती का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम यादव–

संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, के किचेन तथा डायटिक्स विभाग हेतु संस्थान में आने वाले रोगियों की सेवा श्रुसेवा के लिए मुख्य आहार विद का एक अन्य पद एकाडमिक विभाग हेतु भी स्वीकृत है । उपरोक्त पदों के सापेक्ष संस्थान द्वारा मुख्य आहार विद तथा आहारविद के पदों को क्रमशः 88, 89 में भरा गया था । मुख्य आहारविद के पद के सापेक्ष श्री आर० पी० बट्टा को सलाहकार डाइटिक्स के पद पर, जो कि 'पी० जी० आई० चण्डीगढ़ से अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् संस्थान में संविदा के आधार पर नियुक्ति किये गये । श्री बट्टा को संस्थान में सेवा विस्तार न मिलने के कारण वर्ष 1991 में कार्यमुक्त कर दिया गया । मुख्य आहारविद के उक्त पद को वर्ष 1989 में विज्ञापित भी कराया गया था परन्तु सुयोग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण इस पद के सापेक्ष कु० सलीला मध्यान को आहारविद के पद पर नियुक्त किया गया । कु० मध्यान के द्वारा संस्थान से त्याग पत्र देकर अन्यत्र चले जाने के कारण यह पद वर्तमान समय में रिक्त है जिसके भरने के लिए पुनः विज्ञापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आहारविद का मुख्य कार्य संस्थान में आने वाले रोगियों को आहार के संबंध में सलाह देने का है । यह कार्य आहारविद मुख्य ओ० पी० डी० में बैठकर जहां पर अन्य स्पेशलिस्ट विभागों के चिकित्सक भी मरीजों को देखते हैं, आहारविद भी अपने कक्ष में बैठकर मरीजों को आहार के संबंध में सलाह देते हैं ।

संस्थान में वर्तमान समय में एक मात्र आहारविद होने के कारण मरीजों को आहार के संबंध में सलाह देने का कार्य काफी अधिक होता है अतएव आहारविद के कार्य को किचेन में भोजन की गुणवत्ता देखने तकसीमित न रखकर व्यापक रूप से संस्थान हित में कार्य लिया जा रहा है ।

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना एवं चिकित्सकों की नियुक्ति की जानकारी

109–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 50 होम्योपैथिक चिकित्सालय, प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने का प्राविधान वर्ष 1982 से किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय खुल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1985 के बाद आज तक एक भी चिकित्साधिकारी की नियुक्ति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1985 के पश्चात् उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत 36 अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1408 सेक–9/पांच–1992–408/88–टी० सी० दिनांक 28-2-92 के द्वारा होम्यो० चिकित्साधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गयी हैं । इसके अतिरिक्त एक पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नियुक्ति की गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की मुरादाबाद तहसील के ग्राम सभा मनियां के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच

110–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गाजीपुर की तहसील–मुरादाबाद में ग्राम सभा–मनियां के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप की जांच जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेश द्वारा निकास खंड कार्यालय भांवरकोल के जे० ई० द्वारा कराई गई थी ? क्या इस जांच के अनुसार लगभग पचास हजार रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या जिला पंचायत राज अधिकारी व जिलाधिकारी के स्तर से कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रधान को बचाने के लिए पुनः जांच के आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मंगा कर जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वयं कार्यवाही करने के निर्देश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी हां । अवर अभियन्ता द्वारा जांच करने पर 47,389.00 रु० के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया ।

जी नहीं । अपितु ग्राम प्रधान के शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पनुर्जांच के आदेश दिये गये ।

पुनः जांच के आदेश शपथ पत्र के आधार पर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति जिला स्तरीय जांच को दृष्टिगत रखते हुये इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

शारदा सहायक खण्ड–43, सिंचाई विभाग जनपद फैजाबाद में ड्रेनों की सफाई के कार्यों पर फर्जी भुगतान की शिकायत

111–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1992-93 में शारदा सहायक खण्ड–43, सिंचाई विभाग, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने जनपद–फैजाबाद की ड्रेनों की सफाई के कार्य पर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का किन-किन ड्रेनों पर सफाई के कार्यों पर, कब-कब व किसे-किसे, कितना-कितना भुगतान दर्शाया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चन्दर नगर में स्थित शव विच्छेदन गृह को हटाने की मांग

112–श्री हरवंश कपूर –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि देहरादून में चन्दर नगर मोहल्ले में शव विच्छेदन गृह घनी आबादी के बीच में स्थित है ? यदि हां, तो क्या यह शव विच्छेदन गृह वहां से हटाकर आबादी के बाहर ले जाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत के विरुद्ध महानिदेशालय द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट

113–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की गम्भीर आरोप युक्त शिकायत पर उनके आदेशों द्वारा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनवरी, 94 के द्वितीय सप्ताह में पीलीभीत में जाकर वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जो सघन जांच की है, उसका क्या परिणाम निकला ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । प्राप्त प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर डा० ओ० एन० खन्ना मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत को गैर संवेदनशील संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट एवं ताड़ी खेत में कन्या हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज की जानकारी

114–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट व ताड़ीखेत में कोई भी कन्या हाईस्कूल व इण्टर कालेज राज्य सरकार द्वारा वहां पर खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

विकास खण्ड सल्ट में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवालय सल्ट है तथा विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज रानीखेत विद्यालय है ।

दोनों विकास खण्डों में कन्या विद्यालय पूर्व से ही स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

115–श्री बच्ची सिंह रावत–

[8वें शुक्र में अता० प्र० सं० 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य चिकित्साधिकारी मैनपुरी द्वारा फर्जी नियुक्ति एवं अनियमितता किये जाने के आरोपों की जांच

116–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि मुख्य चिकित्साधिकारी मैनपुरी, डा० एस० के० शर्मा ने दिनांक 5-12-93 को चतुर्थ श्रेणी में 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला रोजगार कार्यालय मैनपुरी से रोजगार अधिकारी को व्यक्तिगत पत्र लिखकर चयन किये जाने वाले उक्त 12 व्यक्तियों के ही नाम, जिला रोजगार कार्यालय से निकलवाकर, नियुक्तियां कर ली हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री जयपाल सिंह, प्रतिनिधि, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के 9 दिन पूर्व ही चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जिलाधिकारी मैनपुरी को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करके उक्त चयन को रोकने का अनुरोध किया गया था, जिसकी प्रति डा० एस० के० शर्मा मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी एवं अन्य उच्च अधिकारी को भी पंजीकृत डाक से भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी डा० एस० के० शर्मा ने दिनांक 30-6-93 को चतुर्थ श्रेणी के चयन में दि० 9-6-93 के "दैनिक जनतंत्र" में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन किया है जबकि वास्तव में उक्त विज्ञापन उस अखबार का हिस्सा न होकर अलग से छापकर रखा गया एक फर्जी विज्ञापन था ? क्या सत्य है कि दिनांक 9-6-93 के उक्त समाचार के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट–4 पृष्ठ अंकित है तथा 6 पृष्ठ अंकित नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर, दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

मुख्यालय के अपर निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच करायी जा रही है ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा अनियमितता किये जाने के आरोप की जांच करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

118–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी ने शासनादेश सं०–5619–सेप–3/पांच-90, दिनांक 4 अक्टूबर, 1990 की अवहेलना करके पिछले दो वर्षों में जनपद के सैकड़ों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी तैनाती के स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध कर दिया है और सम्बद्धता के आधार पर ही दिनांक 30-6-93 एवं 5-12-93की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि स्पष्ट शासनादेश है कि चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की नियुक्ति निदेशालय से होने के पश्चात् ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारियों को उनके द्वारा सम्बद्ध किया गया है ? क्या पूर्ण सूची मंगाकर मंत्री जी शासनादेशों की अवहेलना करने वाले दोषी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

कुल 58 अधिकारी/कर्मचारियों को सम्बद्ध किया गया ।

जी हां ।

दोषी अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119–श्री छोटे लाल वर्मा–

[8वे गुरु में अता० प्र० सं० 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना वर्ष एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोमोशन प्रणाली का निर्धारण की जानकारी

120–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ? क्या वहां कार्यरत फैकल्टी/नानफैकल्टी के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रमोशन प्रणाली निर्धारित कर ली गयी है ? यदि हां, तो इसका आधार किस संस्थान/उपक्रम पर आधारित है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1983 द्वारा हुई है ।

जहां तक संस्थान की फैकल्टी की प्रमोशन प्रणाली का प्रश्न है, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की एसेसमेन्ट प्रमोशन स्कीम के अनुसार ही ग्रहण कर ली गयी है एवं संस्थान की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित भी कर दी गयी है एवं तदनुसार फैकल्टी के प्रमोशन की कार्यवाही की जा रही है । जहां तक नान फैकल्टी की प्रमोशन प्रणाली का प्रश्न है, वह तैयार कर ली गयी थी एवं उसे संस्थान की शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया था परन्तु शासी निकाय ने उसे संस्थान की वित्त समिति को संदर्भित कर दिया था एवं यह चाहा गया था कि सर्वप्रथम संस्थान के सभी संवर्गों की पहचान (कैडर आइडेन्टीफिकेशन) का कार्य पूर्ण कर लिया जाय । इस कार्य हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से कुछ सूचनायें मंगाई गई थी जो संस्थान को प्राप्त हो गयी हैं एवं उसी आधार पर संवर्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं उसे वित्त समिति एवं शासी निकाय के समक्ष सम्यक् विचारोपरान्त रखा जायेगा एवं अनुमोदित हो जाने के पश्चात् प्रमोशन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में चिकित्सा विभाग में स्वीकृत उपचारिका के पदों की संख्या एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण किया जाना

121–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग में कितने पद उपचारिका के स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या शासन द्वारा जारी पिछड़ी जातियों के लिये निर्धारित आरक्षित कोटे के आधार पर सभी पद भर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सभी आरक्षित पदों को सरकार भरे जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में चिकित्सा विभाग में उपचारिका के कुल 4003 पद स्वीकृत हैं ।

उनमें से कुल 120 पद उपचारिकाओं के रिक्त हैं ।

जी हां। पूर्व में निर्धारित 15% आरक्षण के आधार पर पद भरे हुए हैं।

30-11-1993 तक भर दिये गये हैं। भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में वर्तमान आरक्षण कोटे के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

122–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

[दि० 30-3-94 को अता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना एवं जनपद मेरठ की तहसील सरधना में हिन्डन कृष्णा दोआब में खरीफ नहरों के निर्माण हेतु धन का आवंटन

123–श्री त्रिपाल सिंह धामा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर तहसील बुढ़ाना एवं जनपद मेरठ की तहसील सरधना में हिन्डन कृष्णा दोआब में खरीफ नहरों के निर्माण हेतु परियोजना के लिये स्वीकृत धन को क्या इसी बजट सत्र के तुरन्त बाद आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त कार्य प्रारम्भ करने की अवधि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में जो योजनाएं पूर्णता के निकट हैं उन पर धन आवंटन को प्राथमिकता दी जानी है अतः इस योजना पर धन आवंटन शेष धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच द्वारा अनुपालन

124–श्री फजलुर्रहमान अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार याचिका सं०–6762/83, दिनांक 22-2-86 के आदेशानुसार अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

125–श्री चरन सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री एम० जी० सिंघल, सहायक अभियन्ता, परिवहन के निलम्बन वापसी एवं तैनाती की जानकारी

126–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं०–72सेक–5/पांच-1991, दि० 21-1-91 के अन्तर्गत शासन को प्रेषण सहिति निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या–3-फ-ए/208-14, दि० 24-1-91 द्वारा पुनः संयुक्त निदेशक (कार्मिक) के पत्र संख्या–3-फ-ए/298, दिनांक 5-2-91 द्वारा संयुक्त निदेशक,

प्रशासन को सहायक अभियन्ता को कार्यमुक्त करने एवं पटवाडांगर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों के क्रम में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) स्तर से आहरण अधिकारी अनुभाग–12 एवं अनुभाग–3 ए सहति संबंधित अभियन्ता के नाम कोई आदेश जारी किये गये हैं ? आदेशों की संख्या/पत्रांक क्या हैं ? आदेश के प्रति अभियन्ता को कब तथा किस प्रकार तामील की गयी है ? क्या आदेश की संबंधित पृष्ठांकित प्रतियां आहरण अधिकारी अनुभाग–12 एवं अनुभाग–3 ए में जनवरी/फरवरी, 1991 में ही संयुक्त निदेश (प्रशासन) से प्राप्त हुई हैं ? क्या मंत्री जी उक्त के उत्तर के साथ संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी आदेश का मुख्य विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश सं०–72 सेक-5/पांच-91 एवं महानिदेशालय के पत्र संख्या–3 फ/340-क्यू०/298 है ।

दिनांक 24-1-91 को श्री एम० जी० सिंघल के घर पर चस्पा कर दी गयी थी ।

जी हां ।

डा० एम० एन० पाण्डे, संयुक्त निदेशक (कार्मिक) के पत्र संख्या–3फ/340-क्यू/298, दिनांक 5-2-91 द्वारा श्री एम० जी० सिंघल, सहायक अभियन्ता परिवहन का निलम्बन समाप्त कर उन्हें राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल में सहायक अभियन्ता (ई० एन्ड एम०) के पद पर तैनात कर दिया गया था । लेकिन श्री सिंघल ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के स्थान पर संयुक्त निदेशक (कार्मिक) द्वारा पत्र हस्ताक्षरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद में क्रीड़ा संकुल का निर्माण/स्थापना

127–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि गाजियाबाद में निर्माणाधीन अम्बेडकर स्टेडियम के कब तक पूर्ण हो जाने की योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खेल विभाग द्वारा गाजियाबाद में एक क्रीड़ा संकुल की स्थापना अवश्य की जा रही है । परन्तु डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम से गाजियाबाद में किसी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की पुरवा एवं मौरावां ब्रांचों से निकलने वाले रजबहों की क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत

128–श्री हृदय नारायण-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव की पुरवा ब्रांच व मौरावां ब्रांच नहर प्रणाली से निकलने वाले रजबहों माइनरों पर कितनी पुलिया टूटी हैं ? यह पुलिया कब टूटी थी ? इन सबकी जगह क्या नयी पुलिया बनाने का प्रस्ताव है ? किन-किन स्थानों पर टूटी पुलिया के स्थान पर नई पुलिया बनाने व किन स्थानों की टूटी पुलिया की मरम्मत के प्रस्ताव हैं ? मरम्मत/नई पुलियों के निर्माण कब तक हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में डीजल की नयी दुकानें खोलने के मानक का निर्धारण

129–श्री हृदय नारायण–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा में डीजल की नई दुकानें खोले जाने हेतु नई रिक्तियां घोषित करने के लिये नागरिक जिला आपूर्ति विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया था ? यदि हां, तो ऐसा सर्वेक्षण कब हुआ ? सर्वेक्षण के मानक क्या थे ? क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण में तत्समय क्षेत्रीय विधायक को जानकारी दी गयी थी ? क्या तत्समय ऐसे सर्वेक्षण की सूचना सार्वजनिक स्थल पर नोटिस के माध्यम से आम जनता को दी गई थी ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । नई दुकाने खोलने के लिये शासन द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 29-1-94 को स्थानीय आवश्यकता का आंकलन किया गया था । दिनांक 10-2-94 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से रिक्तियां घोषित की गयीं ।

स्थानीय आवश्यकता के आंकलन में विद्यमान शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । जिसमें किसी को सूचना देने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–श्री महेश बाल्मीकि–

[7वें सोम में अता प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिक/स्टोर कीपर संवर्ग की प्रोन्नति एवं सेवा नियमावली का प्रख्यापन

131–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत लिपिकों/स्टोर कीपर संवर्ग में प्रोन्नतियां कब से नहीं की जा रही हैं ? क्या यह भी सत्य है कि प्रोन्नति न

होने का मूल कारण सेवा नियमावली एवं वरिष्ठता सूची का न होना है ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त संवर्ग की सेवा नियमावली एवं वरिष्ठता सूची को शीघ्र जारी कराकर कर्मचारियों को कब तक प्रोन्नति का लाभ प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों/स्टोर कीपर संवर्ग की प्रोन्नतियां वर्ष 1992 से नहीं की जा रही हैं ।

वरिष्ठता सूची उपलब्ध है । सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है ।

सेवा नियमावली के प्रख्यापित होते ही संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार प्रोन्नति का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान के तहत उपचारिकाओं का सिस्टर के पद पर प्रोन्नति देने की मांग एवं बैक लाक पूर्ण करने की जानकारी

132–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मार्च, 1992 में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनु० जाति/जनजाति के कुल 91 उपचारिकायें सिस्टर पद पर प्रोन्नति हेतु चयनित की गयी थी ? क्या जिनमें से 31 मार्च, 1992 को मात्र 49 उपचारिकाओं के ही प्रोन्नति आदेश निर्गत हो पाये ? क्या 42 उपचारिकाओं के आदेश तीन माह में ही गोपनीय प्रविष्टियों को प्राप्त कर प्रोन्नति आदेश निर्गत करना था ? यदि हां, तो गोपनीय प्रविष्टियां मंगाकर अब तक प्रोन्नति आदेश निर्गत न करने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों का है ? क्या उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के साथ ही प्रोन्नति आदेश तत्काल निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

केवल 49 उपचारिकायें ही सिस्टर के पद पर चयनित की गयी थी शेष 42 उपचारिकाओं का चयन पूर्ण गोपनीय प्रविष्टियां प्राप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति की उपचारिकाओं की गोपनीय प्रविष्टियां पूर्ण न होने की दशा में प्रोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जा सके । इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गोपनीय प्रविष्टियां प्राप्त होते ही यथाशीघ्र आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ।

133–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से वर्ष 1993 तक कुल कितनी उपचारिकाओं को सिस्टर के पद पर प्रोन्नति की गयी ? उनमें से अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कितने अभ्यर्थियों को प्रोन्नतियां की गयी ? क्या 18 व 2% प्रतिशत की दर से अनु० जाति/जनजाति की प्रोन्नतियां दी गयी है ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है ? उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या–22/43/1982–कार्मिक–2 दिनांक 22-8-91 के अनुसार प्रोन्नतियों में सम्पूर्ण बैक लाक तत्काल पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राजपत्रित नर्सिंग सेवा नियमावली के अन्तर्गत सिस्टर से वरिष्ठ मातृका में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की जानकारी

134–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजपत्रित नर्सिंग सेवा नियमावली के भाग–7 के नियम (20) के अन्तर्गत जारी शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनु० जाति/जनजाति के नर्सिंग कर्मियों की सिस्टर से वरिष्ठ मातृका तक आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व किन अधिकारियों का है ? क्या उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासनादेश सं० 22/25/82-कार्मिक–2 दि० 31-1-89 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सं० 24/43/82/ कार्मिक–2 के अनुसार कार्यवाही कर आरक्षण कोटा तत्काल पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

राजपत्रित नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन विचाराधीन है । संशोधन के पश्चात् उक्त पदों के आरक्षित कोटे के पदों को यथाशीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी । अतः उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी की निघासन तहसील में विकास खण्ड पलिया के कतिपय ग्रामों को घोघा एवं कौड़ियाला नदी की कटान से बचाने हेतु ग्रामों को अन्यत्र बसाने की शासन की नीति

135–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी की तहसील निघासन के विकास खण्ड पलिया के अन्तर्गत थारू क्षेत्र, चन्दन चौकी से गौरी फंटा मार्ग निकट ग्राम मसान-खम्भ में घोघा नदी के निरन्तर कटान से यातायात ही नहीं बल्कि आसपास के सभी ग्राम जलमग्न होकर नष्ट हो जाने की कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या उप-थारू बाहुल्य क्षेत्र को नदी की कटान से बचाने के लिये ठोकरों की नितान्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो ठोकरों को बनवाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

घाघरा जैसी बड़ी नदियों के किनारे कटान की समस्यायें अनेक स्थलों पर है । सभी कटाव से प्रभावित भूमि व छोटी आबादियों के बचाव हेतु ठोकरें बनाना तकनीकी व आर्थिक दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है । अतः शासन की नीति बड़े बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कटान रोकने का कार्य न करके ग्रामों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री निरदेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी की तहसील निघासन के विकास खण्ड पलिया के अन्तर्गत ग्राम सूरत नगर से जस नगर तक के सभी ग्राम कौड़ियाला नदी द्वारा निरन्तर कटान से नष्ट होने की कगार पर हैं ? क्या कृषकों को करोड़ों रुपयों की फसल की हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो उक्त कटान से बचाव हेतु ठोकरों की व्यवस्था के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

कौड़ियाला (घाघरा) जैसी विशाल नदियों के किनारे भूमि का कटान एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे अनेक ग्राम व क्षेत्र प्रभावित होते हैं । उक्त कटान से प्रभावित हर ग्राम को कटान से सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है । शासन की नीति बड़े बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कटान रोकने के कार्य न करके ग्रामों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की है ।

प्रदेश में वर्ष 1993 में ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भेजा जाना

137–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जून, 1993 में ग्राम्य विकास अधिकारियों का चयन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित जनपद में अवधारित रिक्तियों की अपेक्षानुसार चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भेज दिया है ? यदि नहीं, तो क्या चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में न भेजकर चयन समिति के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है ? क्या इस विषय पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा याचिकायें प्रस्तुत की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें वापस लेने हेतु याचियों को कहा जायेगा तथा उन्हें ग्राम विकास अधिकारी के प्रशिक्षण में भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जनपदीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) नियमावली--1980 के प्राविधानों के अनुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास उ० प्र० द्वारा अंतिम चयन करके प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण में भेजे जा चुके हैं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) नियमावली, 1980 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही ही की जा सकती है।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता, नक्शानवीश एवं संगणक पदों को स्वीकृत समयमान वेतनमान दिये जाने की जानकारी

138--श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के अनुसार विभाग के अवर अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान दिनांक 1-7-82 तथा संगणक तथा अर्ह ड्राफ्ट्समैन को दिनांक 1-5-84 से स्वीकृत किये जाते समय क्या शासन द्वारा समुचित विचार किया गया था ? यदि हां, तो डिप्लोमा धारी योग्यता के पदों को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि में क्या कोई विसंगति है ? यदि हां, तो कब तक इस विसंगति को दूर किया जायगा ? अवर अभियन्ताओं को तीन समयमान तथा अर्ह ड्राफ्ट्समैन एवं संगणक को केवल एक ही समयमान वेतनमान किस आधार पर स्वीकार किया गया ? क्या इसे दूर किया जायेगा ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवर अभियन्ताओं और अर्ह ड्राफ्ट्समैन/संगणक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व परस्पर समान एवं तुलनीय नहीं हैं अतः स्वीकृति में भिन्नता है।

दूर करने का औचित्य नहीं पाया गया।

सिंचाई विभाग में डिप्लोमाधारी अर्ह नक्शानवीस का पद नाम परिवर्तित किये जाने की मांग

139–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 437/73-23/पी/3-124/73 दिनांक 1-6-73 द्वारा सिंचाई विभाग के डिप्लोमाधारी अर्ह ड्राफ्ट्मैन का पदनाम परिवर्तन किन्हीं कारणोंवश नहीं किया गया था ? क्या वे लोक निर्माण विभाग में (प्राविधिक) अवर अभियन्ता के समान योग्यता धारक तथा समान कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं ? क्या उनका पदनाम परिवर्तन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक सम्परीक्षण प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग में दरों/दर विश्लेषण एवं प्राक्कलनों की समुचित जांच हेतु इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति की मांग

140–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग की 1 जनवरी से 30 जून 1980 तक अवधि की अर्द्धवार्षिक गति प्रतिवेदन के माध्यम से सिंचाई विभाग के लिये दरों/दर विश्लेषण, प्राक्कलनों की समुचित प्राविधिक जांच हेतु सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के कर्मचारी को लोक निर्माण विभाग की भांति अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की नियुक्ति की संस्तुति की गई है, जिसे शासन द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में शासनादेश संख्या पु० आ० आ०–88/93-27-सी-8-94/193/83, दिनांक 31-5-93 द्वारा पारित आदेश प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की संस्तुति का उल्लंघन है ? क्या विभाग मे अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के समकक्ष इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अर्ह ड्राफ्टमैन उपलब्ध होने के बावजूद निम्न अर्हता आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र धारकों से उक्त डिप्लोमा धारी पद का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के उच्चन्त खाते के भुगतान में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

141–श्री कामेश्वर उपाधाय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष 1948 उच्चन्त खाते का भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि

अधिकारियों द्वारा फर्जी एवं अनावशेष प्रमाण पत्र विभाग को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों को दण्डित करते हुए उच्चन्त खाते का भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद स्तर से प्राप्त सूचना पर विचारोपरान्त स्थिति स्पष्ट नहीं होने की दशा में प्रश्नगत सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करने का निर्देश जिलाधिकारी, महराजगंज को शासनादेश संख्या–3476/38-1-18एक्यू/94, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 द्वारा दे दिया गया है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम्य विकास विभाग में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रोन्नति दिये जाने की जानकारी

142–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों से खण्ड विकास अधिकारी पद पर प्रोन्नति का प्राविधान 27 नवम्बर, 1991 के शासनादेश द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी पद पर प्रोन्नति किया गया है, क्या प्रदेश में 150 से अधिक खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो अब तक संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी पद पर प्रोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

संयुक्त खंड विकास अधिकारियों में से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अभी तक कोई पदोन्नति नहीं हुई है ।

जी हां ।

रिट याचिका संख्या–2864(एस. एस०)/1992-देवीराम शर्मा तथा खालिद अशफाक उमर बनाम राज्य सरकार तथा अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों की सूची से अग्रेतर पदोन्नति पर स्थगन के कारण खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकी है ।

जी हां । यथाशीघ्र मा० उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर या न्याय विभाग के परामर्शानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमावली लागू करने की मांग

143–श्री राम सरन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत विगत 14 वर्षों से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमावली लागू कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिक शासकीय सेवक नहीं हैं । अतः उनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत शासन द्वारा सेवा नियमावली का गठन नहीं किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० सुरेन्द्र मोहन राय की अनुसूचित जाति के आरक्षित श्रेणी में फर्जी नियुक्ति होने का आरोप

144–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा० सुरेन्द्र मोहन राय की नियुक्ति आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) में हुई है अथवा सामान्य में ? यदि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) में हुई है तो इनकी जाति क्या है ? क्या यह जाति उ० प्र० अनुसूचित जाति में आती है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गयी ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पी० ए० सी० 35वीं वाहिनी, लखनऊ में तैनात महिला चिकित्सक, डा० श्रीमती कामिनी खन्ना द्वारा अनियमित रूप से लिए जा रहे मकान किराया भत्ता की वसूली

145–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पी० ए० सी० 35वीं वाहिनी चिकित्सालय, लखनऊ में महिला चिकित्सक डा० श्रीमती कामिनी खन्ना, वर्ष 1978 से मकान का किराया भत्ता प्राप्त कर रही हैं जबकि डाक्टर कामिनी खन्ना को राज्य सम्पत्ति विभाग के आदेश संख्या एम–5184/32-378, दिनांक 3-4-78 के अनुसार आवास संख्या–70 विधायक निवास–5 आवंटित है ? क्या उनको दिया गया किराये भत्ते की वसूली सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में वसूली की जाने वाली धनराशि का निर्धारण सेनानायक 35वीं वाहिनी द्वारा की जा रही है, जिसके शीघ्र पूरा होते ही उनसे किराये भत्ते की वसूली राजस्व की तरह से की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कछवा, जनपद मिर्जापुर में आयोजित नसबन्दी शिविर में चिकित्सकों का उपस्थित न होने की शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

146–श्री भागवत पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रा० स्वा० केन्द्र कछवा, जनपद मिर्जापुर में दिनांक 25-2-94 को नसबन्दी कैम्प आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो कितनी नसबन्दी की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में कोई भी डाक्टर नहीं गया और नसबन्दी हेतु आयी महिलायें वापस हो गयीं ? यदि हां, तो सरकार ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शून्य ।

संबंधित महिला चिकित्साधिकारी की माताजी की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण वह उक्त शिविर में विलम्ब से पहुंची थी और तब तक शिविर में नसबन्दी आपरेशन हेतु आयी महिलायें वापस चली गयी थी । समय से उक्त शिविर में न पहुंचने के कारण उक्त महिला चिकित्साधिकारी को चेतावनी देकर उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका में अंकित करने के निर्देश दे दिये गये हैं । साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी को भी नसबन्दी शिविरों में भविष्य में समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करते हुए सचेत कर दिया गया है ।

जनपद टिहरी में चल रहे संस्कृत महाविद्यालय, शिक्षक, परिचारक एवं छात्रों की संख्या की जानकारी

147–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं ? प्रत्येक संस्कृत महाविद्यालय में कितने अध्यापक, परिचारक एवं छात्र हैं ? यदि छात्रों की संख्या बहुत कम या शून्य है तो कार्यरत अध्यापक एवं परिचारक क्या काम करते हैं ? क्या उन्हें बिना कार्य के वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या, जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण की मांग

148–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कब किया गया था ? क्या निर्मित भवन पर विद्यालय चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस

निर्मित भवन को किसके सुपुर्द किया हुआ है ? यदि उक्त विद्यालय भवन वीरान पड़ा है, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या दोषी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विकास खण्ड में कतिपय बेसिक पाठशालाओं का भवन निर्माण न हो सकने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

149–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग में बेसिक पाठशाला गवांण, बेसिक पाठशाला डांग, बेसिक पाठशाला नोसाबागी के भवन निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था ? इन भवनों में निर्माण पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या इनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या भवन निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं उन्हें चालू करने की मांग

150–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1992-93 में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय शासन द्वारा स्वीकृत हुए थे ? क्या कारण है कि अभी तक इन विद्यालयों को नहीं खोला गया है ? क्या वर्ष 1989 के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पांच अध्यापकों के स्थान पर मात्र तीन अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन

151–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु हिमांचल प्रदेश की औद्योगिक नीति को उत्तरांचल के विकास हेतु लागू किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या सार्थक परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति उत्तर प्रदेश राज्य की उद्योग नीतियों के अन्तर्गत ही बनायी गयी है। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऊन उद्योग के विकास के लिये समन्वित योजना के तहत ऊन बैंक की स्थापना की गयी है ।

औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु जनपद पौड़ी एवं चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्रों में दिये गये दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण एवं राजकीय सहायता की योजना

152–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु पौड़ी तथा चमोली कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष कहां-कहां दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण तथा राजकीय सहायता प्रदान की गयी ? आगामी वर्षों में कितना ऋण देने की योजना बनायी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में उद्योगों की स्थापना के लिये 8 उद्योगों को राष्ट्रीय कृत बैंकों तथा 3 उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण के रूप में वितरित किया गया ।

वर्ष 1993-94 में मार्जिन मनी ऋण हेतु 56 लाख रुपये का प्राविधान था परन्तु विगत वर्षों में स्वीकृत ऋण की वसूली संतोषजनक न होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं की गयी ।

राजकीय सहायता के रूप में वर्ष 1992-93 में राज्य पूंजी उपादान एक इकाई को पौड़ी में तथा 30 उद्यमियों को चमोली जनपद के कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र में दिया गया ।

वर्ष 1994-95 में 4 उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण तथा 32 उद्यमियों को राज्य पूंजी उपादान स्वीकृत करना प्रस्तावित है । वर्ष 94-95 में कुल 56 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा 16 लाख ऋण उद्योग केन्द्र की स्थापना हेतु प्राविधानित है । ऋण राज्य द्वारा सीधे स्वीकृत नहीं किया जाता है अपितु वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों की योजना का परीक्षण करने के उपरान्त ऋण स्वीकृत किया जाता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण का 10% मार्जिन मनी ऋण शासन द्वारा दिया जाता है।

जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज डिवीजन उपखण्ड बांसी में विभाग के गोदाम के इंचार्ज जू० इंजीनियर की लापरवाही से हुई क्षतिपूर्ति एवं अनुशासनिक कार्यवाही

153–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर ड्रेनेज डिवीजन के अन्तर्गत उप खण्ड, बांसी में ड्रेनेज विभाग के गोदाम में कुछ दिन पूर्व लगभग ग्यारह सौ बोरी सीमेन्ट जम गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोदाम के इन्चार्ज जू० इंजीनियर के द्वारा समय पर गोदाम का चार्ज न देने पर गोदाम काफी दिनों तक बन्द होने के कारण सीमेन्ट जम गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

20-9-91 व 21-9-91 को स्टोर का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 1100 बोरी में से 850 बोरी सीमेन्ट जमी हुई पायी गयी तथा अन्य सामग्री की भी कमी पायी गयी।

जी हां।

इस सीमेन्ट व अन्य सामग्री के मूल्य की धनराशि की वसूली के आदेश सम्बन्धित अवर अभियन्ता के वेतन से करने के लिये जारी कर दिये गये हैं व दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में स्व० डा० अनूप सुन्दर पाण्डे के देय अवशेषों का भुगतान

154–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को जी० पी० एफ०, ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान सामान्य स्थिति में शीघ्र देना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या निदेशक, स्वास्थ्य (परिवार कल्याण), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में उपरोक्त नियम लागू हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 92 में इस तरह के कुल कितने मामले उपरोक्त निदेशालय के किस-किस व्यक्ति के अनिस्तारित पड़े हैं ? कब तक उनको निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जी हां।

स्व० डा० अनूप सुन्दर पाण्डे सहायक निदेशक जिनके देयों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है, के अतिरिक्त इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में आई० टी० आई० ट्रेण्ड प्रमाण पत्र धारकों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा संवर्ग में शामिल किये जाने का प्रकरण

155–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइंग संवर्ग सेवा नियमावली, 1985 के पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैनशिप के अभ्यर्थी किस सेवा नियमों के अन्तर्गत विभाग में नियुक्त किये गये थे ? यदि ऐसे अभ्यर्थियों के सेवा नियम ड्राफ्ट सर्विस रूल, 1951 के अनुसार थे, तो आई० टी० आई ट्रेंड प्रमाण पत्र धारकों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा संवर्ग में शामिल करना क्या विधि संगत है ? क्या शासन को इस संबंध में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1985 से पूर्व ड्राइंग संवर्ग की कोई सेवा नियमावली नहीं थी। शासनादेश संख्या–239/ए० एन०/23/आई० डी०/105/67, दिनांक 28-2-68 के अनुसार विभाग में डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैनशिप के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी थीं।

वर्ष 1985 से पूर्व ड्राफ्ट्स सर्विस रूल, 1951 सिंचाई विभाग में प्रचलित नहीं थे। आई टी० आई० दो वर्षीय प्रमाण-पत्र ड्राफ्ट्समैन पद के लिये पर्याप्त अर्हता होने तथा डिप्लोमाधारी प्रारूपकारों के उपलब्ध न होने के कारण आई० टी० आई० प्रमाण-पत्र धारकों की नियुक्ति की गयी।

जी हां।

श्री तेजभान सिंह, स० वि० स० द्वारा प्रेषित तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

156–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र जो सी० एम० वि० को० एम०/419, 420, 421-82/फै/92, दिनांक 23-6-92 प्रमुख सचिव, चिकित्सा को भेजा गया है, की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

उल्लिखित शिकायतों की जांच निदेशक (स्वास्थ्य) से कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद जालौन के हदरुख राजबहा के सर्विस रोड के निर्माण की मांग

157–श्री चैनसुख भारती–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब से लगभग 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत जालौन–ऊमरी रोड से ग्राम अलाईपुरा तक का 3 कि० मी० राजबहा हदरुख के सर्विस रोड का निर्माण किन परिस्थितियों में लम्बित है ? क्या यह सही है कि इस सर्विस रोड के निर्माण हेतु गिट्टी और मैटीरियल मार्ग के किनारे 2 कि० मी० तक आज भी उपेक्षित पड़ा है और सर्विस रोड का निर्माण आज तक नहीं हो सका ? क्या इस रोड का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जालौन ऊमरी रोड से ग्राम अलाईपुरा तक का 3 कि० मी० राजबहा हदरुख की सर्विस रोड का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण लम्बित है।

मार्च, 1979 में 515.22 घनमीटर सामग्री की आपूर्ति इस कार्य हेतु ली गयी थी।

निर्माण कार्य का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश में सरकारी सेवारत चिकित्सकों द्वारा नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

158–श्री राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सरकारी सेवारत चिकित्सक नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

शासन की जानकारी में एलोपैथिक पद्धति का कोई चिकित्साधिकारी नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है । क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक)प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध है । जो चिकित्सक मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं । उन्हें नान प्राइवेट प्रैक्टिसिंग भत्ता नहीं दिया जा रहा है । आयुर्वेदिक यूनानी व होम्योपैथिक पद्धति के सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है ।

नियम विरुद्ध प्रैक्टिस करने की शिकायत की जानकारी होने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की सभी नहरों की पटरियों को पिच करने की योजना

159–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सरकार ने यातायात एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु प्रदेश की सभी नहरों की पटरियों को पिच रोड करने हेतु प्रतिवर्ष 50-60 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना को सम्पादित करने के लिये सिंचाई, विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि उत्पादन, मण्डी परिषद् ने अनुदान एवं अपने राज्य कोषों से अंशदान देने की स्वीकृति दी थी ? क्या सरकार ने लोक निर्माण विभाग को नहर की पटरियों को पक्का कराने के लिये धन आवंटित एवं अवमुक्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो योजना को सम्पादित न करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1992 में उन सिंचाई नहर मार्गों को जिनका उपयोग, सम्पर्क मार्गों के रूप में किया जा रहा है, पक्का कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की दशा में प्रथम चरण

में 50-60 करोड़ रु० प्राप्त करने का प्रस्ताव था। मण्डी परिषद् से रुपये 25 करोड़, पंचायती विभाग से 20 करोड़ रुपये प्राप्त होना था। इसमें सिंचाई विभाग का कोई अंशदान स्वीकृत नहीं था।

जी नहीं।

योजना का सम्पादन धन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

जनपद गोण्डा के ग्राम बढ़वा मद्धोबाजार में लगाये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी

160–श्री सफदर रजा खान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–189 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बढ़वा मद्धोबाजार, थाना सादुल्ला नगर जनपद गोण्डा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत पांच मार्ग खड़न्जा, नाली निर्माण के अतिरिक्त 12 हैण्ड पम्प सार्वजनिक स्थल पर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किस स्थान पर कहां-कहां लगाये हैं ? क्या उसकी सूचना सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां।

ग्राम सभा बढ़वा मद्धो बाजार में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 12 हैण्ड पम्प सार्वजनिक स्थल पर लगाये गये हैं जिसकी सूची निम्न प्रकार है :–

1–श्री रईस बेग पुत्र श्री अशफाक के घर के सामने
2–श्री सन्तराम पुत्र श्री सोमई " "
3–श्री जमील पुत्र श्री अब्दुलहक बेग " "
4–श्री शौकत अली पुत्र श्री अब्दुल गनी " "
5–श्री मुदस्सीर बेग पुत्र श्री वकील बेग " "
6–श्री शेर अली पुत्र श्री लाल मोहम्मद " "
7–श्री उजागर पुत्र श्री रामनाथ " "
8–श्री राजाराम पुत्र श्री अजोरे " "
9–श्री तीरथ पुत्र श्री राम लोचन " "
10–श्री बाबू रजा पुत्र श्री वसीमबेग " "
11–श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री मुस्तफा " "
12–श्री बुधन उर्फ जमील पुत्र " "
श्री मुस्तफा के घर के सामने

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में दुधई अमवाखास पहुंच मार्ग एवं बासी नदी एवं तिलंगा पट्टी व धोबहा नाले पर पुल के निर्माण की योजना

161–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में दुदही–अमवांखास पहुंच मार्ग शासन से स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितना धन खर्च होने जा रहा है ? क्या मार्ग पर पड़ने वाली बांसी नदी पर क्रमशः तिलंगापट्टी–जमुआनघाट–धोबी घटवा पर पुल निर्माण भी स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके कब तक पूर्ण होने की योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दुधई अमवाखास मार्ग को ऊंचा करने (रेजिंग) की एक योजना भारत सरकार की फ्लड प्रूफिंग योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

योजना की अनुमानित लागत रु० 71.10 लाख है ।

दुधई–अमवाखास मार्ग पर तिलंगापट्टी नाला बांसी नदी व धोबहा नाले पर तीन पुल बनाने का प्राविधान है ।

इस योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय सरकार की फ्लड प्रूफिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृती तथा धन आवंटन पर निर्भर है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 39 माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई जिनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1–श्री परशुराम यादव, 2–श्री रिजवान जहीर, 3–श्री राम विशुन आजाद, 3–श्री मित्रसेन यादव, 4–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, 6–श्री वीरेश यादव, 7–श्री अरविन्द प्रताप सिंह, 8–श्री राम कुमार शुक्ल, 9–श्री अरिमर्दन सिंह, 10–श्री राम आधार यादव, 11–श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल 12–श्री मुक्तिनाथ यादव, 13–श्री प्रीतम सिंह, 14–श्री जगवीर सिंह, 15–श्री भगवती प्रसाद सागर, 16–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 17–श्री घूरा राम, 18–श्री अमरनाथ यादव, 19–श्री मन्नू लाल कुरील, 20–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), 21–श्री चरन सिंह, 12–श्री ज्वाला प्रसाद यादव, 23–श्री दिलीप कुमार वर्मा, 14–श्री लाल मणि प्रसाद, 25–श्री बच्चा पाठक, 16–श्री तेजपाल सिंह, 27–श्री राजेश कुमार यादव, 28–चौ० श्री महराज सिंह यादव, 29–श्री मुरलीधर, 30–श्री विनय कुमार पाण्डेय, 31–श्री राम करन आर्य, 32–श्री ओम प्रकाश सिंह, 33–श्री चैन सुख भारती, 34–श्री राम पाल सिंह सैनी, 35–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया, 26–श्री कुंवर सर्वराज सिंह, 37–श्री बैजनाथ रावत, 38–श्री गया चरन दिनकर, 39–श्री उदय प्रकाश ।

जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनको छोड़कर, शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं।

स्वीकार की गयी सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

लखनऊ स्थित शेखूपुरा एवं कुर्सी रोड के बीच पड़ी आवास विकास परिषद् की खाली भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री परशुराम यादव–

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि अलीगंज लखनऊ स्थित शेखूपुरा आवास विकास कालोनी और कुर्सी रोड के बीच पड़ी आवास विकास परिषद् की भूमि पर वर्षों से असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह लोग अवैध रूप से बिजली जलाते हैं पानी के अवैध कनेक्शन लिये हुए हैं तथा कालोनी के मकानों के पास टट्टी, पेशाब, कूड़ा करकट फेंककर गन्दगी फैलाते हैं। मना करने पर मारपीट करने को तैयार रहते हैं। नित्यप्रति शराब पीकर आपस में गालीगलौज एवं मारपीट करना इनकी दिनचर्या बन गयी है। इन झोपड़ियों पर छापा मारकर पुलिस ने कई बार चोरी का माल तथा चोरों को पकड़ने में भी सफलता पायी है। इन असामाजिक तत्वों के कारण कालोनी के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। पानी, बिजली का संकट प्रायः बना रहता है। इसी कारण कालोनी के नवनिर्मित मकानों का कब्जा आवंटीगण नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में शासन के संबंधित अधिकारियों से कई बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध किया गया है, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। शासन द्वारा इन्हें अन्यत्र वैध प्लाट देने का प्रस्ताव भी किया गया, परन्तु दुराग्रहवश इन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध कब्जों, अवैध पानी, बिजली के कनेक्शनों तथा असामाजिक तत्वों को दूर कर कालोनी निवासियों को घोर मानसिक यंत्रणा से छुटकारा दिलाने हेतु शासन को आवश्यक निर्देश दिये जायें।]

गोण्डा के ग्राम कमरपुर साहुल्लाह नगर एवं उससे सम्बन्धित मार्ग का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान जहीर–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :–

गोण्डा जनपद के ग्राम कमरपुर साहुल्लाह नगर, गोण्डा एवं उससे संबंधित मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में दिनांक 12-5-92 को भू० पू० विधायक, श्री मो० हसन द्वारा दिये गये नियम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

301 के अन्तर्गत उक्त ग्राम में बिजली पहुंचाने का प्रश्न स्वीकार हुआ और उक्त के संबंध में जांच एवं खर्चे का आगणन ऊर्जा विभाग द्वारा अगस्त, 1992 में कराया गया। जिसके उत्तर में उक्त ग्राम का विद्युतीकरण शीघ्र किये जाने का आश्वासन दिया गया था किन्तु दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त आज तक उक्त ग्रामों एवं मार्ग का विद्युतीकरण कराया नहीं गया।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम एवं मार्ग पर यथाशीघ्र बिजली लगाने का कार्य शासन द्वारा कराया जाय। |

गोण्डा के ग्राम सभा मनकापुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

| मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर (गोण्डा) के अन्तर्गत वि० ख० मनकापुर में लड़कियों के लिये हाई स्कूल न होने से शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। हाईस्कूल या इण्टर की शिक्षा अध्ययन के लिये लड़कियों को प्रायः 40 या 50 कि० मी० दूर जाना पड़ता है जिसकी वजह से अधिकांश अभिभावकों की लालसा होते हुए भी अपनी लड़कियों की शिक्षा अध्ययन हेतु बाहर नहीं भेज पाते हैं, जिससे छात्राओं का शिक्षा प्रतिशत बहुत ही कम होता जा रहा है तथा अभिभावकों को बराबर अनहोनी की आशंका बनी रहती है और बहुत सी ऐसी अशोभनीय घटनायें रास्ते में आये दिन घटती रहती हैं। मनकापुर में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, टाउन एरिया, तहसील आदि सरकारी संस्थायें कार्यरत हैं। जिनके कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी काफी असुविधा होती है जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्डों में एक राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने हेतु घोषणा कर चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए मनकापुर के पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों की लड़कियों के शिक्षा स्तर उठाने एवं भविष्य को देखते हुए वि० खं० मनकापुर के ग्राम सभा मनकापुर में राजकीय कन्या हाईस्कूल तत्काल खोलने की मांग करता हूं। |

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन यादव–

| मान्यवर, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत नियमों को ताक पर रखकर कुलपति अवैध नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं पूर्ण रूप से शासनादेशों आरक्षण नीति आदि की भरपूर उपेक्षा कर रहे हैं। वित्तीय गम्भीर अनियमिततायें कर, घटिया निर्माण अन्य अनावश्यक व्यय कर, विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचा रहे हैं। विगत 10 वर्षों से दैनिक श्रमिक के रूप में काम करने वाले सैकड़ो मजदूरों की पात्रता के आधार पर रिक्त स्थाई पदों पर नियुक्ति न कर, बाहरी लोगों की मनमानी

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

ढंग से नियुक्ति करते चले जा रहे हैं। चयन समितियों का नियमों के विरुद्ध गठित कर मनचाहे लोगों को सेवा अवसर प्रदान कर, पात्र व्यक्तियों की भरपूर उपेक्षा की जा रही है। परीक्षा में प्राइवेट शिक्षण संस्था डी० ए० वी० स्कूल स्थापित कर, लाखों रु० विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार प्रशासनिक वित्तीय अनुशासनहीनता नियमों परिनियमों का खुला उल्लंघन कर, सरकार को लाखों रु० का चूना लगाते चले आ रहे हैं। इससे लोगों में गहरा असंतोष एवं परीक्षा में अशान्ति का वातावरण व्याप्त है। शैक्षिक वातावरण दूषित होता चला जा रहा है।

कृपया उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन कर, जांच कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।।

डॉ० हंसराज त्रिपाठी तथा डॉ० दुर्गा प्रसाद ओझा जो क्रमशः महाविद्यालय प्रतापगढ़ व महाविद्यालय लालगंज में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

।मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय डा० हंसराज त्रिपाठी महाविद्यालय प्रतापगढ़ में तथा डा० दुर्गा प्रसाद ओझा महाविद्यालय लालगंज में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 18 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के लिये साक्षात्कार दिया है। आयोग ने जो चयनित सूची उच्च शिक्षा निदेशक के पास भेजी, वह अध्यादेश 43, वर्ष 1991 की धारा 13(1) का उल्लंघन करती हुई त्रुटिपूर्ण थी। उसी सूची से शिक्षा निदेशक ने उक्त अध्यादेश की धारा 13(3) का उल्लंघन करते हुए आसन व्यवस्था कर दी। यदि आयोग ने अधिनियम के अनुरूप सूची बनायी होती तो उसमें उपर्युक्त अभ्यर्थियों का नाम भी शामिल होता इस सूची पर आपत्ति करते हुये अभ्यर्थियों ने महामहिम श्री राज्यपाल तथा शिक्षा सचिव महोदय को प्रार्थना-पत्र दिया कि उन्हें भी नियुक्ति प्रदान की जाय। प्रकरण को महत्व देते हुए शासन द्वारा सही स्थिति की जानकारी तथा अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिये शिक्षा निदेशक के पास कई पत्र भेजा गया। किन्तु शिक्षा निदेशक ने शासन के मन्तव्य का अनुपालन न करते हुए, अपनी कोई आख्या आज तक शासन को उपलब्ध नहीं कराया।

सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री (उच्च शिक्षा) से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए शिक्षा निदेशक से विज्ञापित महाविद्यालयों की सूची तथा आयोग द्वारा भेजी गयी चयनित अभ्यर्थियों की सूची मंगायी जाय? यह भी जानकारी मांगी जाय कि शिक्षा निदेशक ने चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य सूची में से किसको किस विज्ञापित महाविद्यालय में आसन व्यवस्था दी है? मुख्य सूची के जिन अभ्यर्थियों को अविज्ञापित महाविद्यालयों में आसन व्यवस्था दी गयी है, उन्हें विज्ञापित महाविद्यालय क्यों नहीं दिये गये? शिक्षा निदेशक स्वयं यह बतायें कि क्या आयोग द्वारा भेजी गयी सूची अध्यादेश की धारा 13(1) के अनुरूप सही है? कृपया दोनों अभ्यर्थियों के इस प्रकरण पर विचार करते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाय।।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यू० एच० एम० चिकित्सालय कानपुर में स्टोर कीपर पद पर कार्य के दौरान संबंधित कर्मचारी द्वारा डेड स्टाक में भारी गोलमाल किये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना लाते हुये शासन से त्वरित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं । यह कि संयुक्त निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन कानपुर के अ०शा०प०सं०–ए–84/735 दिनांक 15-12-84 एवं संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा इलाहाबाद की जांच आख्या संख्या एच० एल० वा० (85) 2400 दिनांक 21-9-85 में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध यह आरोप सिद्ध पाया गया है कि यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर में स्टोर कीपर पद कर कार्य के दौरान चिकित्सालय के डेड स्टाक बुक चार्ज हस्तान्तरित नहीं किया है और डैड स्टाक का भारी गोलमाल किया है ।

अतः उनके विरुद्ध सरकारी अभिलेखों को नष्ट करने के कारण अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही शासन को करना अपरिहार्य है ।]

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम मुख्यालय) लखनऊ में कार्यरत लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार श्री श्रीकृष्ण कुमार मिश्रा जो गत 7-8 माह से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरिमर्दन सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम मुख्यालय) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लेखाकार/विरिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री श्रीकृष्ण मिश्रा विगत सात-आठ माह से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं । कार्यालय द्वारा उनके खिलाफ अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है जब कि होना यह चाहिये था कि उनकी इस अनुपस्थित की सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना चाहिये था तथा कार्यवाहियां अमल में लायी जानी थीं परन्तु अभी तक उक्त श्री श्रीकृष्ण कुमार मिश्रा के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है ।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं ।]

भूतपूर्व क्षेत्रीय मंत्री, उ० प्र० मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, गोरखपुर मण्डल एवं लिपिक कलेक्ट्रेट, गोरखपुर को पुनः सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम आधार यादव–

[महोदय, आपात काल के दौरान उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय मंत्री एवं लिपिक कलेक्ट्रेट गोरखपुर श्री संकटा प्रसाद यादव को तरह-तरह से परेशान किया गया । तहसीलदार फरेन्दा से गलत रिपोर्ट मंगाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित भी कर दिया गया ।

परगनाधिकारी महराजगंज ने श्री यादव को असहनीय प्रताड़ित करके मनचाहा त्याग-पत्र लिखवाकर दिनांक 14-2-77 को ले लिया । श्री यादव उसी दिन यानि 14-2-77 को अपराह्न जिलाधिकारी गोरखपुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से मिले तथा लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-2-77 को उन्हीं के समय हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया और अपनी सरकारी ड्युटी पर कार्यरत रहने का आग्रह किया। परन्तु जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के संबंधित कर्मचारी एवं परगनाधिकारी की साजिश और मिलीभगत से श्री यादव के त्याग-पत्र की वापसी वाले पत्र को दबाकर उन्हें हर हालत में सरकारी सेवा से वंचित किये जाने का प्रयास किया गया। जिस पर आज तक कोई आदेश जिला प्रशासन ने नहीं किया और न ही श्री यादव को आज तक उनके आवेदन-पत्र दिनांक 14-2-77 को निरस्त करने की सूचना नहीं दी गयी और न ही श्री यादव को जी० पी० एफ०, ग्रेच्यूटी, पेंशन आदि का भुगतान किया जा रहा है। फलस्वरूप पूरे जनपद के कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि श्री यादव को भूतलक्षी प्रभाव यानि दिनांक 14-2-77 से सेवा में लिया जाय और उन्हें मिलने वाली समस्त सुविधा प्रदान की जाय।]

बैंकों में उ० प्र० सरकार के अनुरोध पर भुगतान में रोक लगा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री जगदम्बिका पाल–

[मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सरकार के अनुरोध पर भी बैंक और ट्रेजरी धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। क्योंकि बैंकों में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भुगतान में रोक लगा दी गयी है। जिसके कारण संभावना यह है कि 1 मई, 1994 को जब सम्पूर्ण राष्ट्र मई दिवस मनायेगा तो श्रमिकों को वेतन नहीं मिल पायेगा, तथा सरकारी कर्मचारी भी वेतन नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अत्यन्त गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जायेगा।

अतः कृपया इसके महत्व को देखते हुये नियम 301 के अन्तर्गत सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें।]

देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के कई गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुक्तिनाथ–

[मान्यवर, आपका ध्यान रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद देवरिया में भीषण आगजनी के कारण हुई तबाही की तरफ आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि रुद्रपुर विधान सभा में ग्राम सभा तिवई, पिछडरा, जद्रपरसीया, गोलौथा, अजयपुरा, खिरिया, इमिलिहा, कोइलगड़हा, गायघाट आदि दर्जनों गांवों में भीषण अग्निकांड के कारण जनधन की भारी हानि हुई है।

उक्त क्षेत्र में अक्सर आगजनी की घटनायें होती रहती हैं और जनता की भीषण बरबादी होती है। तथा उनका सब कुछ स्वाहा हो जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, उपरोक्तानुसार आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अग्नि पीड़ितों में आर्थिक सहायता, उनके बसाने की व्यवस्था तथा तत्काल अग्निशमनदल की व्यवस्था के लिए सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।]

देहरादून प्रशासन द्वारा अपनी मनमानी से डी० आर० डी० ए० योजना में निर्माण कार्य कराने एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[महोदय, जनपद देहरादून में राष्ट्रपति शासन के दौरान डी० आर० डी० ए० की बैठक आहूत की गयी थी और उसी बैठक में निर्धारित क्रमानुसार जनपद में कार्य कराये जा रहे हैं। जब प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार की स्थापना हुई, और सरकार स्थापना के पश्चात् शासन द्वारा डी० आर० डी० ए० के लिए धन उपलब्ध कराया गया तो जिलाधिकारी देहरादून का यह कर्तव्य बनता था कि डी० आर० डी० ए० की पुनः बैठक आहूत कराई जाती, ताकि जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि जनहित के निर्माण कार्यों को वरीयता के आधार पर चयनित कराते, जिससे कि हमारा इस समिति के सदस्य होने पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकने में आसानी होती, लेकिन देहरादून के प्रशासन ने अपनी निरंकुशता का परिचय देते हुए अपनी मर्जी से निर्माण कार्यों को चयनित कर उसके लिए धन आवंटित कर दिया।

मैं यहां पर सरकार का ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूंगा कि यदि प्रशासन को राष्ट्रपति शासन में चयनित योजनाओं का ही निर्माण करवाना था तो निर्माण के लिए चयनित कार्यों की वरीयता क्रम सूची में क्यों परिवर्तन किया गया ? प्रशासन द्वारा वरीयता सूची में परिवर्तन इसलिए किया गया कि इस परिवर्तन से अधिकारियों के जेब में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा गया।

देहरादून के प्रशासन ने जिस तरह से जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों का उपहास उड़ाया, उससे जनपद में प्रशासन की निरंकुशता का परिचय स्पष्ट मिलता है। प्रशासन के उपरोक्त कृत्य से जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है।

कृपया मेरे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर उत्तर दिलाने की कृपा करें।

अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में टप्पल विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने एवं जट्टारी विद्युत उपकेन्द्र के पुराने जीर्ण-क्षीर्ण तारों को बदलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगवीर सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर जनपद अलीगढ़ में विकास खण्ड टप्पल की टाउन एरिया जट्टारी में 33 के० वी० ए० का उपकेन्द्र स्थापित है। जिस पर दो ट्रान्सफार्मर 5 एम० वी० ए० के हैं। जिन पर प्रत्येक पर एक समय में एक-एक फीडर चल पाता है। जिससे पूरे इलाके में 7 या 8 घंटे विद्युत आपूर्ति हो पाना संभव होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए क्षेत्रीय किसानों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लम्बी लाइन है । जो इस उपकेन्द्र पर अत्यधिक भार होने के कारण कनेक्शन किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं ।

इसलिए टप्पल में 33 के० वी० ए० का पृथक उपकेन्द्र बनाया जाना शासन एवं परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । जिसके लिए आवश्यक धनराशि 63 लाख रुपया की स्वीकृति भी परिषद् द्वारा दी जा चुकी है । जिसकी एक किस्त मिली थी, जिसमें स्विचरूम बन गया था परन्तु सरकार बदल जाने भा० ज० पा० सरकार आने के कारण बाकी किस्तें नहीं मिल पायीं थी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार किसानों को 16 घन्टे बिजली नहीं मिल पा रही है । जिससे वहां रह रहे ग्रामीणों एवं उनके पशुओं को पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ।

इसलिए टप्पल उपकेन्द्र के निर्माण हेतु शेष स्वीकृत धनराशि अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय । तथा जट्टारी विद्युत उपकेन्द्र के पुराने जीर्ण-शीर्ण तारों के कारण आए दिन जान-माल की हानि होती है । वर्तमान में दिनांक 19-4-94 को प्रातः 8.00 बजे टप्पल के जहानगढ़ गांव में तार टूटने के कारण खलिहान पर काम करते दो कृषक व जानवर मर गये, व खलिहान जल गया । जिससे जनता में भय व आक्रोश व्याप्त है । कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है ।

अतः मान्यवर, लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि टप्पल में नया विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु शेष धन दिलाया जाय । तथा जीर्ण-शीर्ण तार तुरन्त बदलवाये जायं ।]

बी० टी० सी० प्रशिक्षण में चयन हेतु आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भगवती प्रसाद सागर–

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

मान्यवर, श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री नन्द राम, निवासी-ग्राम कफलसरी, पो०–मनान, जनपद-अल्मोड़ा ने दिनांक 3-10-1993 को सहायक महाविद्यालय, अल्मोड़ा से बी० टी० सी० प्रशिक्षण में चयन हेतु अनुक्रमांक–6440 द्वारा परीक्षा दी है । प्रार्थी अनुसूचित जाति तथा एक अध्यापक का आश्रित भी है । उक्त में चयन हेतु 10 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र, 15 प्रतिशत अध्यापक आश्रित पुत्र एवं 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण भी है । जो इन सभी कोटों को पूर्ण करते हैं इनको अभी तक बी० टी० सी० प्रशिक्षण में नहीं लिया गया जो शासन के नीतियों तथा नियमों का पूर्णतया उल्लंघन किया गया है । जबकि प्रार्थी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है जो कि अनुसूचित जातियों के लिए खुलेआम नीतियों के खिलाफ है ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अनुसूचित जातियों की पूर्णतया उपेक्षा की है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर उचित अभ्यर्थी को लाभान्वित कर सके।]

ग्राम डोटल गांव जनपद अल्मोड़ा में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

[महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

महोदय ग्राम डीटलगांव पी० ओ० गवगवालीपोखर तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में 60 परिवार अनुसूचित जाति के सदस्य रहते हैं। गत दस वर्षों से विद्युतीकरण के लिए सभी स्तर पर निवेदन कर चुके हैं जबकि उक्त गांव से एक किलोमीटर की दूर तक बिजली उपलब्ध है। काफी निवेदन के पश्चात उक्त हरिजन बस्ती में लगभग चार वर्ष पूर्व से बिजली के खम्भे रखे हुए हैं किन्तु विद्युतीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया जो कि उपरोक्त हरिजन बस्ती विद्युतीकरण से वंचित रह रहा है। अधिकारियों ने शासन के नीतियों तथा नियमों को पूर्णतया उल्लंघन किया है जो कि हरिजनों के खुलेआम नीतियों के खिलाफ है।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को जोकि सरकार की नीतियों के खिलाफ हरिजनों के पूर्णतया उपेक्षा है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर हरिजन बस्ती को विद्युतीकरण से लाभान्वित कर सके।]

राज्य सम्पत्ति विभाग के विधायक निवासों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्हें विभाग के अनुभागों में सम्बद्ध कर दिया गया है, को उनके मूल विधायक निवासों में वापस बुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री घूरा राम–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग के विधायक निवासों में कार्यरत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के अनुभागों में सम्बद्ध किये जाने से विधायक निवासों में माननीय विधायकों को हो रही असुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से अनुभागों से सम्बद्ध शुरू हुआ है तब से विधायक निवासों में कर्मचारियों का अकाल पड़ गया है कर्मचारियों की कमी के कारण बचे हुए कर्मचारियों से उनकी क्षमता से अधिक कार्य पड़ रहा है। माननीय विधायकों का समय से कार्य भी नहीं हो पा रहा है। विधायक निवासों की आवासीय संख्या के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा शासन में विधायक निवासों के कर्मचारियों के सम्बद्ध हो जाने से विधायक निवासों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता है तथा सम्पूर्ण पत्रावलियों की गोपनीयता भी भंग हो रही है।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करता हुए मांग करता हूं कि शासन की गरिमा तथा माननीय विधायकों की प्रदत्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये तत्काल अनुभागों से सम्बद्ध विधायक निवासों के कर्मचारियों के सम्बद्ध करने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए इनके मूल विधायक निवासों में वापस किया जाय ।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ० प्र० के मुख्य अभियन्ता द्वारा शासनादेशों के विरुद्ध अवैध नीतियों की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अति लोक महत्व के विषय को लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री सिद्दीकी द्वारा शासनादेशों को ताक पर रख कर पैसा लेकर चपरासी, क्लर्क तथा अवर अभियन्ता के पद पर सैकड़ों नियुक्ति की गई, इसकी जांच श्री अध्यक्ष राजस्व परिषद् द्वारा कराई गई परन्तु यह अड़ंगे लगाकर जांच पूरी नहीं होने दे रहे हैं अब पुनः कुछ नियुक्तियां की गई हैं । अब निदेशक बन गये हैं । स्थानान्तरण में पैसा लेना आम बात है । इनके द्वारा देवबन्द में सम्पत्ति खरीदी गई है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

मछुआ समुदाय के जीवकोपार्जन हेतु स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति, लि० सिसवारा, इकौना, बहराइच को बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चरन सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

जिला परिषद् गोण्डा के अन्तर्गत मथुरा नौका घाट का ठेका 3 वर्ष की औसत पर 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके वर्ष 1993-94 (1 अक्टूबर, 1993 से 30 सितम्बर, 1994) के लिए स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति, सिसवारा, इकौना, बहराइच को दिनांक 5-8-93 को 38578 रुपये में दिया गया था । इसी समिति को वर्ष 1991-92 व 92-93 में भी दिया गया था । समिति के अध्यक्ष श्री श्याम लाल निषाद ने दिनांक 5-8-93 को 10,000 रुपये तथा दिनांक 21-9-93 को 10,000/- (कुल 20,000/-) जिला परिषद् गोण्डा में जमा कर दिया था, तथा अवशेष धनराशि 18578/- रु० जमा करने हेतु दिनांक 31-1-94 तक का समय दिया गया था । शासनादेश दिनांक 27-9-94 में धनराशि किस्तों में जमा करने की व्यवस्था के बावजूद भी घाट के संचालन का चार्ज समिति को न देकर परिषद् ने अपनी व्यवस्था में समिति के सदस्य श्री धनी राम से करवा रही थी इसी बीच अपर मुख्य अधिकारी गोण्डा ने बिना किसी नोटिस अथवा 20,000/- रु० वापस किए बिना स्वार्थवश एवं भ्रष्ट तरीके से नौका घाट से 80 किमी० दूर स्थित मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० तुलसीपुर गोण्डा को 3 वर्ष के लिए 40,000/-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रु० जमा कराकर शेष धनराशि बाकी करके ठेका दे दिया और उक्त समिति द्वारा 1 वर्ष के लिए 20,000/- रु० जमा करके समय दिए जाने के बाद भी ठेका निरस्त कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त घाट जनपद गोण्डा और बहराइच की सीमा पर स्थित है जिसके संबंध में आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने 22-1-92 को यह निर्णय लिया था कि मथुरा घाट जनपद बहराइच की सीमा में स्थित है इसलिए जिले के अन्दर का अभिप्राय बहराइच जिले से होगा। जिला परिषद् गोण्डा घाट के संबंध में मात्र प्रबन्धक की भूमिका निभायेगी। इस आदेश के अनुपालन में स्थानीय समिति को ठेका दिया गया था। गोण्डा की समिति को ठेका दिये जाने के कारण उक्त घाट का संचालन श्री शब्बीर अहमद द्वारा किया जा रहा है जो एक पूंजीपति, बदमाश एवं गिरोह बन्द व्यक्ति है।

अतः शासन से मांग करता हूं मछुआ समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० सिसवारा, इकौना बहराइच का ठेका बहाल किया जाय तथा शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाय।।

जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र में व्याप्त गंभीर पेयजल के संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

।मान्यवर, विधान सभा मछली शहर में स्थित गांव सतहरिया, सरोखनगर, जयपालपुर, उमरगंज, भसोट, सेमरिया, जखनियां, उकुनी, पवांरा, सजई कला, खुर्द, कसेरवा-बसेरवा, कमासिन, आदि गांवों में जलस्तर नीचे चले जाने से कुएं सूख गये हैं। निजी नलकूप से पानी नहीं उठ पा रहा है। जिसके कारण उपरोक्त दर्जनों गांवों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है तथा पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद बहराइच में बाल विकास योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दिलीप कुमार वर्मा–

।महोदय, जनपद बहराइच में बाल विकास योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत 6 लाख रुपये की धनराशि, जिला कार्यक्रम अधिकारी व संबंधित लिपिक द्वारा कमीशन के चक्कर में आहरण नहीं किया गया, उक्त धनराशि ट्रेजरी द्वारा पास की जा चुकी है। आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय न प्राप्त होने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः इस अविलम्बनीय एवं गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय और आंगनबाड़ी कर्मियों को तत्काल मानदेय प्रदान किया जाय।।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता इण्टर कालेज, आलमबाग, लखनऊ में प्रबन्धक एवं पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किये गये अनियमित कार्य की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालमणि प्रसाद–

। मान्यवर, मैं शासन का ध्यान जनता इण्टर कालेज, आलमबाग, लखनऊ में प्रबन्धक एवं पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विद्यालय में गत वर्षों में छात्रों के विभिन्न मदों से अनियमित शुल्क वसूला गया। ननकू चपराशी को जबरन अवकाश पर दिखाकर दूसरे चपरासी की नियुक्ति कर दी गयी। तथा वेतन निकाला गया। वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री जवाहर लाल त्रिपाठी की अवैधानिक ढंग से सेवायें समाप्त की गयीं। प्रबन्ध समिति का कभी चुनाव नहीं हुआ। अविधिक प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी कोषों से धन का अव्यवहरण किया गया। विद्यालय के प्रभूत कोष की जमीन बेची गयी। विद्यालय में बनाई गयी दुकानों से प्राप्त राशि को प्रबन्धक ने अपने खाते में जमा कर लिया। इन अनियमितताओं के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे अध्यापकों एवं कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित तथा अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं। ।

टाउन एरिया, सहतवार, जनपद बलिया में 33 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बच्चा पाठक–

। महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत टाउन एरिया सहतवार जनपद बलिया में लगभग 5 वर्षों से एक 33 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा था। जिसको अधूरा ही छोड़ दिया गया है इसलिये पूरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति न हो पाने के कारण सिंचाई आदि नहीं हो पा रही है तथा शीत गृह, छोटे-छोटे उद्योग तथा कृषि कार्य ठप्प हो जाने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि 33 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराया जाय। ।

कृष्णा नगर मार्केट, आलमबाग, लखनऊ के पार्किंग स्थल पर किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजपाल सिंह–

। महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार ने दिनांक 29 अगस्त, 1994 को एक समझौते के अन्तर्गत "दि इवाक्वीन सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड" के लिए 9.85 एकड़ भूमि अर्जित की थी सोसाइटी द्वारा उक्त भूमि की कुल धनराशि अदा किए जाने के बाद सरकार ने सोसाइटी के पक्ष में भूमि का ट्रांसफर कर दिया था। उक्त भूमि कृष्णानगर, आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। सोसाइटी ने टाउन एण्ड कन्ट्रीप्लानर से नक्शा पास करा कर उक्त भूमि पर मार्केट (दुकानों) और भवनों का निर्माण कराके समिति के सदस्यों को विक्रय के आधार पर आवंटित किया था सोसाइटी ने मानचित्र के अनुरूप मार्केट के सामने पार्किंग हेतु स्थान छोड़ा था जिस पर दुकानदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है कुछ दुकानदारों ने अवैध निर्माण करा लिया है और कुछ दुकानदार निर्माण करा रहे हैं जिसकी वजह से कृष्णानगर मार्केट के सामने का पार्किंग स्थल खत्म हो गया है जिससे नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है उक्त के संबंध में संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गयी परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में कृष्णानगर मार्केट के पार्किंग स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को गिरवाने एवं कराये जा रहे अवैध निर्माण को रोकवाने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाय तथा सदन में चर्चा भी कराई जाय।।

विद्युत भण्डार निरीक्षण मण्डल, महानगर, लखनऊ में तैनात सहायक अभियन्ता को निलम्बित करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेश कुमार यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

राज्य विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपये के घाटे के नायक विद्युत भंडार निरीक्षण मण्डल महानगर, लखनऊ में तैनात श्री कृष्ण गोपाल पुरी (75013) एक मात्र सहायक अभियन्ता हैं जो विगत दस वर्षों से राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 3 करोड़ 86 लाख रुपये की क्षति पहुंचा चुके हैं तथा जिसके विरुद्ध वर्तमान समय में राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा विभिन्न घोटालों में लिप्त होने के कारण दो-दो जांच (संख्या–121/91 एवं संख्या–60/92) विगत 2 वर्षों से चल रही हैं जिसके परिपेक्ष्य में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के लिखित आदेश दिनांक 30-6-1992 के अनुसार उक्त अभियन्ता को तत्काल निलम्बित करने के आदेश पारित किये थे जिसके अनुपालन में अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या–1719–अनु० कार्य एवं सं०–05/ए/92, दिनांक 11-11-92 को निलम्बित कर दिया गया है।

विगत वर्ष माह सितम्बर, 1993 को उक्त भ्रष्ट अभियन्ता ने परिषद् के अभियन्ता संघ द्वारा अनुचित धन-बल का प्रयोग करके पुनः बहाल कराकर भ्रष्ट अभियन्ता को पुनः विद्युत निरीक्षण मण्डल, लखनऊ में तैनाती करा दी है जो कि सरासर नियम विरुद्ध है।

अतः आपसे सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि उक्त भ्रष्ट अभियन्ता श्री कृष्ण गोपाल पुरी (75013) को उपरोक्त दोनों राज्य सतर्कता अधिष्ठान की जांच समाप्त होने तक पुनः निलम्बित करके लखनऊ से 500 कि० मी० की दूरी पर किसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट कार्य प्रणाली में तैनाती कराने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुरजोर मांग करता हूं ताकि उक्त भ्रष्ट अभियन्ता लखनऊ में रहकर जांच को प्रभावित न कर सके चूंकि उक्त अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता (जांच) के पत्र संख्या–4234/कन०–273/ई०सी० (9)/83, दिनांक 19-12-86 के द्वारा रुपये 5 लाख 23 हजार की हेराफेरी करने के कारण आरोप पत्र भी दिया जा चुका है जो कि आज तक अनिर्णीत है। अतएव उक्त प्रकरण की भी शीघ्र जांच कराने की मांग करता हूं।]

ग्राम सभा घोड़वल, जिला–फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि सं०–974 का आवंटन उक्त ग्राम सभा के पात्र व्यक्तियों को ही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महराज सिंह यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम सभा घोड़वल, तहसील–बीकापुर, जिला–फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि संख्या–974 काफी अरसे से रिक्त पड़ी है तथा उसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। यदि शासन द्वारा उक्त भूमि का आवंटन तत्काल नहीं किया जाता है तो कतिपय व्यक्तियों द्वारा उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त ग्राम समाज की भूमि संख्या 974 का आवंटन उक्त ग्राम सभा के ही पात्र व्यक्तियों को किया जाय।]

केन कैनाल बांदा की ध्वस्त नहरों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरली धर–

[महोदय, सानुरोध अवगत कराना है कि जनपद बांदा का बबेरू भू-भाग केन कैनाल बांदा की टेल में पड़ता है। औरन रजबहा 18.669 कि० मी० कमासिन रजबहा 30.509 कि० मी० बबेरू रजबहा 31.038 कि० मी० एवं औगासी पम्प कैनाल की साड़ा आदि माइनरों से सिंचाई होती है। नहरों की सफाई के नाम पर उपलब्ध धनराशि ठेकेदारों से मिलकर केवल कागजों में सफाई अभियान चलता रहा। आज भी अनेक नहरों में सफाई न होने से तलहटी में छः से आठ वर्ष पुराने बबूल आदि के पेड़ मौजूद हैं। औरन रजबहा में 10 कि० मी० के बाद कमासिन रजबहा में 13 कि०मी० के बाद, बबेरू में 14 कि० मी० के बाद एवं साड़ा रजबहा में परका ग्राम के बाद एक बूंद सिंचाई जल पहुंचाने का साहस नहीं किया गया है। नहरों की 70 फीसदी साइडें ध्वस्त हैं तथा फाल्स, हेड आदि नष्ट हो चुके हैं। परिणामतः कृषकों को उपरोक्त कमियों एवं संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप सिंचाई जल उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि नहरों में ही स्थान-स्थान पर उच्च क्षमता के नलकूप अधिष्ठापित करवा दिये जायें तो लाखों जन-समूह का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है और कंगाली से बचाया जा सकता है। साथ ही नहरों पर कराये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं लागत की तकनीकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराकर लापरवाही पर अंकुश लगाकर भविष्य में सुधारात्मक शिक्षा दी जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि केन कैनाल बांदा उपरोक्त नहरों की मरम्मत एवं उल्लिखित सुझावों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश जारी करने की कृपा करेंगे।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

21/1, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के समीप स्थित ईसाई समुदाय कालोनी में खड़न्जा एवं नाली निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनय कुमार पाण्डेय--

[मैं आपके माध्यम से सदन में एक अति महत्व का तथ्य यह लाना चाहता हूं कि लखनऊ में 21/1, विक्रमादित्य मार्ग के समीप एक बड़ी ईसाई समुदाय की कालोनी है जहां खड़ंजा व नाली की व्यवस्था न होने से यहां के गरीब नागरिक वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे हैं । बरसात में पूरी कालोनी में रास्तों पर पानी भर जाता है जिससे महिलायें और बच्चे कीचड़ में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कभी-कभी यह गन्दा पानी घरों में घुसकर तमाम नुकसान करता है । इस समय गर्मी का मौसम है और इसके तुरन्त बाद बरसात आने वाली है और वही नारकीय परिस्थितियां फिर उत्पन्न होंगी । अधिकारी इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के इन गरीब लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से इस कालोनी में खड़न्जा एवं नाली की अविलम्ब व्यवस्था कराने के निर्देश देने की कृपा करें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भू-सम्पत्ति को प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से सहकारी आवास समितियों को बेचे जाने के कारण प्राधिकरण को हो रही हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य--

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

नजूल भूमि खसरा नं० 607 स्थित बालकगंज, लखनऊ रकबा पांच बीघा सात बिसवा तेरह बिस्वांसी तथा खसरा नं० 52 व 53 स्थित मोहल्ला रामनगर वार्ड सआदतगंज, लखनऊ रकबा दो बीघा सात बिसवा आठ बिस्वांसी पर श्री भोला नाथ पुत्र श्री रघुबर दयाल निवासी 405/52 माली खां सराय चौक, लखनऊ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से सांठ-गांठ करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और अब उक्त खसरा नं० 607 की भूमि अर्जुनगंज सहकारी आवास समिति तथा खसरा नं० 52 व 53 की भूमि न्यू फ्रेन्ड्स सहकारी आवास समिति को एक करोड़ रुपये में बेच दिया है । प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से उक्त नजूल सम्पत्ति पर कब्जा करके सहकारी आवास समितियों को बेचे जाने के कारण प्राधिकरण को आर्थिक हानि पहुंचायी जा रही है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर नजूल सम्पत्ति को हड़पने से बचाया जाये तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फतेहपुर के खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त घोर वित्तीय अनियमितताएं एवं कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ओम प्रकाश सिंह–

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं । सम्प्रति जनपद फतेहपुर में खाद्य एवं रसद विभाग में घोर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है शासन की व्यापारिक हितों को दृष्टिगत रखकर बनाई गई योजनाओं पर एक सोची-समझी साजिश के तहत कुठाराघात किया जा रहा है, व्यापारियों का खुला शोषण एवं भयादोहन किया जा रहा है । वैसे तो जिले के पच्चीसों बड़े एवं सैकड़ों छोटे एवं मझोले व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है फतेहपुर जनपद का बिन्दकी कस्बा जिले का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है यहां लगभग चालीस छोटी-बड़ी मिलें हैं । अधिकांश मिलों के मालिकान इस शोषण और उत्पीड़न के लिए शासन को दोषी मानकर आक्रोशित हैं । उदाहरण स्वरूप महर्षि राइस मिल बिन्दकी को लिया जा सकता है । मिल द्वारा सरकार को नियमानुसार लेवी चावल के रूप में दिए जाने वाले चावल की मात्रा विगत् 8 वर्षों से 15 से 20 हजार कुन्तल प्रतिवर्ष रही है । वर्ष 1992-93 में सोलह हजार कुन्तल चावल दिया गया जिसमें से 11 हजार कुन्तल चावल उठा । शेष मात्रा मिल में रही । इसी बीच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा एक साजिश के तहत निहित स्वार्थ वश उक्त चावल को मिल से उठवाकर अन्य स्थान पर संग्रहीत करवाया गया । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त चावल की बिक्री में उच्च बोलीदाता महर्षि राइस मिल को रु० 561/–प्रति कुन्तल की दर से निविदा स्वीकार की गई । एतदर्थ रु० 50,000/– की धरोहर धनराशि जमा कराई गई किन्तु अप्रत्याशित रूप से सुविधा शुल्क के नाम पर धन की मांग किए जाने के कारण तथा मिल द्वारा उक्त धन देने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण मिल के हिस्से के चावल की रिलीज नहीं दी गई । परिणामस्वरूप मिल द्वारा निविदा का चावल नहीं उठाया जा सका इसी बीच पुनः साजिश कर उसी चावल को रु० 401/–प्रति कुन्तल की दर से अपने चहेते व्यक्ति जिसके यहां चावल संग्रहीत था, को चावल की बिक्री कर दी । इस प्रकार शासन के धन का रु० 160/–प्रति कुन्तल की दर से कुल 4630 बोरी में लगभग रुपये 7 लाख का नुकसान किया गया तथा दोनों दरों के बीच की धनराशि को सुविधा शुल्क के रूप में वसूल कर बंदर बांट कर लिया गया । यहां पर विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि शासन को 7 लाख रुपये की चोट दिए जाने के साथ ही उक्त मिल का कम्पोजिट लाइसेंस के सेक्युरिटी रु० 5,000/–जब्त कर उसे निलम्बित कर दिया जिसके फलस्वरूप मिल नहीं चलाई जा सकी । राइस मिल के मिल के हार्लिंग लाइसेंस के तहत भी किसी दूसरी फर्म का कस्टम हर्लिंग हेतु एग्रीमेंट नहीं होने दिया गया । जिससे मिल एकदम बन्द हो गई और सैकड़ों श्रमिक बेकार हो गए हैं । ऐसी ही घटना इन्हीं अधिकारियों के द्वारा फतेहपुर जनपद के ही थरियांव कस्बे की राइस मिलों के साथ घटित की गई जिसमें लगभग शासन का 9 लाख रुपये का नुकसान हुआ । इस प्रकार शासकीय क्षति के साथ ही व्यापारिक हितों पर भी कुठाराघात किया गया है । जिससे शासन की छवि धूमिल करने में मुख्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पद्म हुआ माना गया ।

में मुख्य रूप से वरिष्ठ निरीक्षक बिंदकी उप संभागीय अधिकारी फतेहपुर तथा संभागीय खाद्य नियंत्रक इलाहाबाद का हाथ रहा है।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि कृपया सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय तथा जांच के समय के तत्कालीन अधिकारीगण वहां पर पदस्थ न रहें जिससे जांच कार्य प्रभावित न हो सके। इससे शासन की छवि साफ होने के साथ ही व्यापारियों में भी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।]

जनपद जालौन के सलइया बुजुर्ग (घाट) में पहूज नदी पर पक्का पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चैनसुख भारती–

[मान्यवर, जनपद जालौन की विधान सभा कोंच के ग्राम सलइया बुजुर्ग से लगा हुआ पहूज नदी का घाट है, यह घाट जनपद जालौन के नगर कोंच और जनपद भिण्ड (म० प्र०) के नगर दमोह को व्यापार से जोड़ता है। पहूज नदी तक दोनों ओर से पक्की सड़कें हैं। करोड़ों लोगों का इस घाट से आना जाना है। किन्तु पुल न होने के कारण जनता को बहुत परेशानी रहती है।

अतः सलइया बुजुर्ग (घाट) के पास पहूज नदी पर पक्के सेतु का निर्माण लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के तहत सूचना दे रहा हूं। आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करवाए जाने की कृपा करें।]

डायमण्ड डेरी सरकारी कालोनी लखनऊ में पेयजल समस्या का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर सर्वराज सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान डायमंड डेरी सरकारी कालोनी में पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त कालोनी में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उससे आसपास के अन्य इलाकों में पानी की सप्लाई होने से डायमंड डेरी को सरकारी कालोनी के दूसरे और तीसरे मंजिल के भवनों में पानी का संकट आ गया है। कुछ दिन पूर्व पानी की सप्लाई के लिये यहां पर एक पम्प हाउस बनाया गया था लेकिन वह निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ है। अभी गर्मी प्रारम्भ होने से पूर्व ही पानी का प्रेशर कम हो गया है जिससे दूसरे और तीसरे तल पर पानी 6.30 बजे के बाद प्रायः बन्द हो जाता है। इस कालोनी के लिये जो पम्प हाउस बना है उससे बाहर के एक मंजिला भवनों में पानी की सप्लाई जोड़ देने से स्वाभाविक है कि सरकारी कालोनी जो दो और तीन मंजिल की है, उनमें पानी नहीं पहुंच पाता है।

अतः मैं शासन का ध्यान इस समस्या के त्वरित समाधान हेतु आकर्षित करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपमान करने की नियत से हरिजन शब्द का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध स्पष्ट दण्डात्मक कार्यवाही हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरण दिनकर–

। मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारों ने सरकारी विभागों एवं अभिलेखों में हरिजन शब्द न प्रयोग करने के संबंध में समय-समय पर अनेकों शासनादेश निर्गत किये गये हैं, किन्तु बोलचाल व समाचार पत्रों में खूबसूरती से सन्दर्भित शब्द का प्रयोग विशेष वर्ग के लिये किया जा रहा है । प्रायः हरिजन शब्द का अर्थ ईश्वर के करीबी होने के व्यापक पैमाने पर प्रचार करके कुछ लोग आपत्तिजनक शब्द को टिकाये रखना चाहते हैं, किन्तु जिन लोगों के लिये यह शब्द प्रयोग किया जाता है, हिन्दू वर्ण व्यवस्था में उन्हें ईश्वर तो दूर उनके नाम काल्पनिक स्थानों का छूना भी अपराध समझा जाता है । देश के लाखों मन्दिरों, एवं विशेष पूजागृहों में बैठे पुजारियों का वर्ग जो ईश्वर के नजदीकी रिश्तेदार रहे हैं, सन्दर्भित शब्द उनके लिये अवश्य शोभा देता है और जिस अर्थ का प्रचार किया जा रहा है उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता है, किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सन्दर्भित शब्द अत्यन्त आपत्तिजनक है, इसलिए किसी वर्ग विशेष के लिए प्रयोग किया जाना सामूहिक अपमान है । जब तक लिखित और मौखिक रूप से उक्त शब्द का प्रयोग किया जाना संज्ञेय अपराध घोषित नहीं किया जायेगा तब तक रोक लगा पाना असंभव है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संदर्भित शब्द के लिखित व मौखिक प्रयोग किये जाने पर रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट आदेश पारित कराने की कृपा करें । ।

जिला विकास अधिकारी, बांदा के कथित भ्रष्ट कारनामों की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदय प्रकाश–

। ससम्मान अवगत कराना है कि श्री सोनपाल सिंह, जिला विकास अधिकारी बांदा द्वारा अवैध कमाई के बल पर तत्कालीन जिला अधिकारी श्री शम्भू नाथ शर्मा से सांठ-गांठ करके 7-8 विभागों का ड्राइंग एण्ड डिस्पर्सिंग स्वयं बन गया । कई विभागों के अधिकारियों को श्री शुक्ला से डांट पिलाकर उनका चार्ज जिलाधिकारी से आदेश कराकर स्वयं ले लिया । जैसे जिला पंचायत राज अधिकारी, आचार्य प्रशिक्षण संस्थान बांदा, भुगतान अधिकारी जिला सहकारी बैंक बांदा, मुख्य अधिकारी जिला परिषद् बांदा, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी बाल विकास परियोजना एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आदि । मध्य सत्र में खण्ड विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी रामनगर, आदि का स्थानान्तरण किया जाना, परियोजना निदेशक के मकान में जबरिया कब्जा व जिलाधिकारी से प्रताड़ित कराना, शिक्षा निदेशक के आदेश द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी हमीरपुर को बांदा का चार्ज लेने संबंधी के विपरीत चार्ज न दिया जाना कलेक्ट्रेट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मौरंग की नीलामी में श्री सोनपाल द्वारा लाखों रूपयों की वसूली कर मनचाहे लोगों को दिलाना, भाजपा को जिताने हेतु मतगणना में श्री सोनपाल के जरिये मतगणना में मनचाहे जातिवादी अधिकारियों द्वारा कर्वी व बांदा विधान सभा के बसपा प्रत्याशियों को हराने की रणनीति तय करना एवं जिलाधिकारी के जरिये अनु० जाति के कर्मचारियों को सामूहिक उत्पीड़न कराना आदि गम्भीर अनियमितताएं की गयीं। श्री सोनपाल द्वारा कम से कम 20 लाख रुपये की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं की गयी हैं। वर्तमान समय में श्री शुक्ल की भांति श्री दुबे (जिलाधिकारी बांदा) के जरिए विभिन्न गड़बड़ियां की जा रही हैं। डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत चेक डैमों के नाम पर समस्त विधान सभा सदस्य एवं मंत्रीगण के लिखित अवरोध के बाद भी धन निकासी कर गम्भीर भ्रस्टाचार किये जा रहे हैं एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध न कराकर उपेक्षा की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण ऐतिहासिक भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं की गहन जांच हेतु विशेष समिति के गठन हेतु उ० प्र० सरकार को स्पष्ट आदेश पारित करने का कष्ट करें।]

ग्राम सभा रामा अमरापुर जनपद उन्नाव की भूमि पर वर्ष 1986 में किये गए अनियमित पट्टे रद्द करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम सभा-रामाअमरापुर की ग्राम समाज एवं भूमि प्रबन्ध कमेटी द्वारा वर्ष 1986 में किये गये पट्टे अनियमित एवं फर्जी हैं। इसके लिये न ही भूमिहीनों की सूची बनाई गयी और न ही ऐसे बिन्दुओं पर विचार किया गया। जिनमें से बुद्धि लाल पुत्र बद्री के नाम लगभग 10 बीघा जमीन होते हुये भी ग्राम समाज द्वारा इनको भूमि नं० 1277 से 8 बिस्वा का पट्टा दिया गया, जिसे बुद्धी लाल ने रिकार्ड में हेरा-फेरी कराकर फर्जी रूप से अपने नाम 13 बिस्वा का पट्टा करा लिया है बुद्धि लाल को ऐसी भूमि का पट्टा दिया गया है, जिस पर श्रीमती मुक्तेश्वरी का लगभग 70 वर्षों से कब्जा है एवं उक्त भूमि इतने ही वर्षों से कब्जेदार द्वारा वृक्षारोपित भी है। अधिकांश पट्टे विवादित भूमि पर व अयोग्य व्यक्तियों को दिये गये हैं। जिससे ग्रामवासियों में अत्यन्त असन्तोष व आक्रोश है इसलिये अब तक उक्त पट्टों के कब्जे नहीं दिलाये जा सके हैं। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस लोकहित के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि उक्त अनियमित एवं फर्जी रूप से किये गये पट्टों को शीघ्र निरस्त करें।]

श्री जगदम्बिका पाल–

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनकी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी हैं और जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

श्री मुक्ति नाथ–

माननीय सदस्यों के नाम तो पढ़ दिये गये लेकिन कौन उपस्थित है कौन नहीं उसका संज्ञान नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी चिन्ता न करें। उपस्थित पंजिका दिखवाकर यह निश्चय कर लिया जायेगा।

शासन के आश्वासन के बावजूद पूर्वांचल में डीजल की कमी होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, तीन दिन पूर्व इसी सदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल के संकट के संबंध में प्रश्न उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि आज ही मैं गोरखपुर, के कमिश्नर, फूड एण्ड सिविल सप्लाई, सेक्रेटरी आदि सभी से बात करके आज ही डीजल का प्रबन्ध कराऊंगा। मान्यवर, कल सदन के बाद मैं गोरखपुर ट्रेन से गया था और वानस रोड से श्री हरि शंकर तिवारी भी मेरे साथ ये आया हूं। तो जब मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने तीन दिन पहले कार्य स्थगन सूचना पर यहां आश्वासन दे दिया जिससे हम लोग आश्वस्त हो गये कि इसमें अवश्य कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

तीन दिन पूर्व माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आज ही व्यवस्था करा रहा हूं, जब मैंने बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ और मऊ आदि जनपदों के किसानों की डीजल सम्बन्धी समस्या को यहां उठाया था। आज उन जनपदों में हजारों-हजारों की लाईन में लोग पेट्रोल पम्पस पर लाईनें लगाए खड़े हैं, किन्तु उन्हें कहीं भी एक बूंद डीजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सारा किसानी का काम आज वहां ठप्प हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था, हमें आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये यह व्यवस्था का प्रश्न तो है ही नहीं।

(व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के सर्वश्री जगदम्बिका पाल, हरिशंकर तिवारी, राम विशुन आजाद श्री महेन्द्र सिंह माहरा आदि सदस्य सदन के फ्लोर में आ गए और श्री जगदम्बिका पाल वहीं रिपोर्टर की मेज के सामने से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

(फ्लोर से) संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन आज ही व्यवस्था करने के लिये कहा था, किसानों की फसल की मड़ाई नहीं हो पा रही है , यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । डीजल का यह संकट किसानों की फसल को चौपट करके रख देगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधा घण्टा के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी । । बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी जगदम्बिका पाल जी ने अभी डीजल की आपूर्ति बाधित होने का जो प्रश्न उठाया था, वह लगभग एक सप्ताह पहले भी उठाया गया था ।

(श्री जगदम्बिका पाल द्वारा फ्लोर क्रास करके अपने स्थान की तरफ आने पर)

श्री अध्यक्ष–

जगदम्बिका पाल जी आप क्या फ्लोर में हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने इन्हें बुला लिया था ।

तो मान्यवर, जो प्रश्न हमारे समर पाल जी ने उठाया है, यह गम्भीर है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, आज इनका आचरण ठीक नहीं है । संविधान बनाने वालों ने कुछ कायदे नियम बनाये हैं, उनका उल्लंघन करके मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई माननीय सदस्य इस तरह का आचरण न करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि पाल साहब ने गोरखपुर मण्डल में और फैजाबाद मण्डल में डीजल की आपूर्ति न होने का प्रश्न उठाया था । इसी सन्दर्भ में यहां पर सम्भवतः परसों प्रश्न आया था और हमने यह स्थिति बताई थी कि गोरखपुर में डीजल की आपूर्ति बिल्कुल नहीं है । किसानों का मड़ाई का सीजन चल रहा है रात-रात पेट्रोल पम्प पर डीजल पम्प पर खड़े रहने के बाद भी डीजल नहीं मिल पा रहा है । प्रश्न यह है कि जो कुछ डीजल में कमी आई है, गोरखपुर मण्डल में जितना

आना चाहिए था यह किन कारणों से उतना नहीं पहुंच पाया है ? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना आया है, उसका ठीक से वितरण नहीं हो पा रहा है, जो आया है, उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है, खुले आम बेचा जा रहा है । जो लोग ज्यादा दाम दे रहे हैं, उनको मिल रहा है और जो लोग

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

कन्ट्रोल रेट पर लेना चाहते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है । सरकार डीजल उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हो रही है, नाकारा साबित हो रही है । मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि वितरण व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है उसके कारण डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । पूरे जन सामान्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है । इसके अभाव में उद्योग नहीं चल सकते हैं, विशेष रूप से जब रबी की फसल मड़ाई के लिये हो, रोज मौसम बदल रहा है, कहीं बरसात हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है । आज रात में भी पूर्वांचल में जबरदस्त आंधी आई । आज किसानों को जल्दी है इस बात की, कि किस तरह से मड़ाई करके अपनी फसल को वह घर ले जाय, खलिहान में नष्ट न होने पाये । ऐसे समय में सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं सहमत हूं कि डीजल की आपूर्ति जितनी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पा रही है लेकिन जितना डीजल मिल रहा है, उसका उचित वितरण नहीं हो पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल के सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, यह इस बार की बात नहीं है लगभग 10 वर्षों से जब किसानों की फसल मड़ाई के करीब पहुंचती है पूर्वांचल के इन जिलों में जानबूझ कर ऐसा संकट पैदा किया जाता है । यह पूरी तरह से वहां के व्यापारियों और अधिकारियों की सांठ गांठ से होता है । यह गम्भीर विषय है, किसी दल का नहीं है । जनता से जुड़ा है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में भी हो, सरकार कठोर कदम उठाये, पूरी सख्ती के साथ यह सुनिश्चित कराये कि वहां पर डीजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने वादा किया था कि जिलाधिकारियों को इस विषय में निर्देशित करेंगे । दो वरिष्ठ सदस्य उधर से आ रहे थे कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही है, कोई नियंत्रण नहीं है । सरकार के आश्वासन के बाद भी संकट और बढ़ गया है । मान्यवर यदि उस अंचल में जहां बरौनी से डीजल आता है तो प्रदेश के दूसरे अंचल से प्रदेश के रिजर्व स्टाक से पूर्वांचल में पहुंचाना चाहिए । ऐसा ही बुन्देलखण्ड और झांसी में संकट बना है । इस मौके पर साल भर की कमाई खेत-खलिहान में पड़ी है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करना मुनाफाखोरों की साजिश है और सरकार द्वारा कदम उठाये जाएं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे खेद है कि सदन की वेल से आया उस समय ऐसा एहसास नहीं था कि पीठ पर कोई है । श्रीमन् इस समय संसदीय परम्पराओं की बात हो रही है यह सदन की परम्परा है कोई प्रश्न उठाता है तो यह जनता के हित से जुड़ा हुआ होता है । ऊदल जी वरिष्ठ सदस्यों में से हैं । सरकार की तरफ से स्पष्ट आश्वासन आ जाए और उसमें स्पष्ट कार्यवाही न की जाए तो संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन है। तीन दिन पूर्व का उल्लेख किया जा रहा है । मिर्जापुर में डीजल का संकट हो गया है । सोनभद्र में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है । बुन्देलखंड, झांसी, ललितपुर की भी यही स्थिति है । इन किसानों को सुविधा देने के लिए गेहूं की फसल की मड़ाई के लिये किसान को 16 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी पिछले दिनों बिजली का संकट हुआ तो सहकारिता मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि पिछले दिनों में

16 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बिजली का उत्पादन घटा है। एक तो बिजली से किसान ट्रेसिंग कर सकते हैं पम्पिंग सेट्स से मड़ाई कर सकते हैं। आज किसानों को डीजल बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रात को ओले पड़े। फैजाबाद, गोरखपुर में आंधी आई। खेत में जो फसल खड़ी थी वह भीग गई। किसान की फसल है उसका गेहूं खेतों में पड़ा है। किसान को उसकी चिन्ता लगी है। वह शीघ्रातिशीघ्र अपने अन्न की मड़ाई करके घर ले जाना चाहता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था जिलाधिकारी से पूछकर इस समस्या का हल करेंगे। इसमें भारत सरकार या जिलाधिकारी किससे बात की गई ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकट नहीं है इसलिए किरनपाल सिंह जी को समस्या नहीं लग सकती है। उत्तर प्रदेश के बीस जिलों में डीजल का संकट पैदा हो गया है जिससे किसान 5-5 किलो के जरीकेन के डिब्बे को लेकर पेट्रोल पम्प पर खड़े हुए हैं। किसान चिलचिलाती धूप में, खुले आसमान में खड़ा है संसदीय कार्य मंत्री ने तीन दिन पूर्व आश्वासन दिया था जब यह परिस्थितियां हैं सत्तापक्ष के सम्मानित विधायक कहते हैं कि पेट्रोल पम्प तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसानों को फेस करने की क्षमता नहीं है। आपकी बात हो गई उस विभाग के सचिव को बुलाया ? इस बार डीजल का आम रिक्वायरमेंट कम आया है लेकिन इसमें कोई मिलीभगत है। डीजल और पेट्रोल पम्प के लोगों से। पिछले साल दो तीन साल से जब किसानों की मड़ाई का समय आया है तो पन्द्रह दिन पहले डीजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। किसान को 15-15 रुपये ब्लैक पर पेट्रोल खरीदना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस संकट को हल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं उनसे स्पष्ट आश्वासन दिला दें। जिस तरह की व्यवस्था हो बता दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल जी ने जिस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उस विषय की गंभीरता पर किसी को आपत्ति नहीं है। विषय तो गंभीर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। प्रश्न यहां यह उपस्थित है कि जिन नियमों के तहत यह प्रश्न उठाया जा रहा है, वह नियमतः है या नहीं ? आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि तमाम सदस्यों ने लिखित रूप से सूचनाएं दी हैं। उन सूचनाओं को सुना नहीं जा सका है। अतः पाल साहब की सूचना का क्या औचित्य बनता है ? कम से कम जिन माननीय सदस्यों ने लिखित रूप से सूचनाएं दी हैं, जिन पर अभी आपका निर्णय सुरक्षित होगा, उनको सुनने के बाद इनकी सूचना पर सुना जा सकता था। सवाल यह नहीं है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितना गंभीर है, इससे तो पूरा सदन सहमत है कि विषय बहुत गंभीर है। प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से इस विषय को उठाया गया है, वह नियमित है या अनियमित ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसे सुन लिया गया है तो अब इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना अपने आप में अव्यवस्थित है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, बरौनी से डीजल सप्लाई होता है। सदन के संज्ञान में यह आ चुका था कि बरौनी से डीजल सही तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। सरकार के संज्ञान में यह भी था कि किसानों की मड़ाई का समय है। सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद सरकार चूंकि पूर्वी जिले के किसानों को डीजल की आपूर्ति संज्ञान में होने के बावजूद नहीं कर पाई, जानबूझकर किसानों को परेशान करने की नीयत से यह काम किया गया है। जब यह मालूम था कि इस समय ज्यादा डीजल की आवश्यकता है व बरौनी से डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो क्या कारण है कि अन्य जगहों से डीजल की आपूर्ति नहीं की गई ? इसलिए मेरा आरोप है कि जानबूझकर संज्ञान में रहने के बावजूद किसानों का ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जानकारी रहते हुए भी किसानों का जो अहित हुआ है। खेत में किसानों के जौ, गेहूं आदि की फसल भीग गई है और वह बीज बोने लायक नहीं रह गया है। इसलिए किसानों की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाय। व जानबूझ कर किसानों को डीजल की आपूर्ति नहीं की गई तो इसमें दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं इस पर एक मिनट लेना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, यह केवल मैदानी क्षेत्र का ही मामला नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में भी डीजल का संकट है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

* श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह मामला जिस नियम के अन्तर्गत उठाया गया है उसी नियम के अन्तर्गत बोल रहा हूं। यह मामला बुंदेलखंड से और उत्तराखण्ड से भी संबंधित है। जैसा कि मा० पाल साहब ने कहा यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामला गंभीर है। हमारे क्षेत्र की जो जानकारी है वह भी आप सुन लें। माननीय मंत्री जी के उत्तर देने के पहले मुझे भी सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी जिस नियम के अन्तर्गत यह मामला सुना गया है उसी नियम के अन्तर्गत इनको भी सुन लें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, किसी नियम का प्रश्न नहीं है, विषय गंभीर है केवल यह प्रश्न है। आपने मा० पाल साहब को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की इजाजत दी है चूंकि आपने इजाजत दी है और उसी के तहत मैं कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं अगर डीजल की कमी होती है तो हम लोगों को रिजर्व कोटे से, डी० एम० या डी० एस० ओ० का जो रिजर्व कोटा है उससे डीजल मिलता है। इस बीच डीजल का संकट गहरा गया है जैसा कि मा० पाल साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, उत्तराखण्ड में जो तराई भावर का क्षेत्र है, वहां पर फसलों की कटान का समय है और इस समय वहां डीजल की काफी खपत होती है लेकिन वहां पर डीजल की कमी है। एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपकी कोई सूचना नहीं है आप कैसे बोल रहे हैं ? आपने बिना सूचना के बोलना शुरू कर दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण सूचना पर आपने कृपा की, मा० पाल साहब को इजाजत दी और इसी विषय पर मुझे भी सुन लें। उत्तराखण्ड से भी यह विषय संबंधित है। मैं एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पहाड़ों पर प्रति यूनिट 8 किलो गेहूं दिया जाता था उसको घटाकर 3 किलो कर दिया गया है। वहां पर पहले जैसी व्यवस्था की जाय और प्रति यूनिट 8 किलो दिया जाय इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, वहां पर 8 किलो की जगह पर 3 किलो दिया जा रहा है यह उचित नहीं है इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों ने नियम 56, 300, 311 की सूचनायें दे रखी हैं। आप बिना किसी सूचना के, किसी मामले को उठाकर चर्चा कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चल सकती है। इस तरह से दूसरे माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं, वह अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

सारे मामले गंभीर हैं, लेकिन यह सदन नियम से ही चलेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 110 देखें । नियम 110 के अन्तर्गत बिना पूर्व सूचना के अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्ताव रखा जा सकता है । मान्यवर, इसके खण्ड–6 में यह व्यवस्था है कि किसी कार्य को स्थगित करने के प्रस्ताव बिना सूचना के किये जा सकेंगे । मान्यवर, बिना पूर्व सूचना के अध्यक्ष की अनुज्ञा से खण्ड–6 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है, अध्यक्ष अनुज्ञा देते हैं और आपको ग्राह्य लगेगा, तो आप प्रस्ताव रखने की अनुमति दीजिएगा, इस समय तो मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर तो प्रस्ताव लाया जाता है । सदन की अनुज्ञा क्या आपने मांगी ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, मान्यवर, आप नियम 110 देखें । नियम 110 में निम्नलिखित प्रस्ताव बिना सूचना के लिये जा सकेंगे, उसका खण्ड–6 देख लें । मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि यहां पर जो कार्य चल रहा है, इसको स्थगित करके आप इसको सुन लें । यह हमारा इन्टरप्रिटेशन है, आपका जो इन्टरप्रिटेशन होगा, उसे हम स्वीकार कर लेंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, हम तो मानते ही हैं कि मा० पाल साहब बहुत जागरूक सदस्य हैं । जब कोई प्रश्न उठाया जाता है और उस पर कार्यवाही का आश्वासन दे दिया जाता है, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आश्वासन समिति की हो जाती है । इस समय किसानों के गेहूं की मड़ाई का कार्य डीजल की वजह से विशेष रूप से पूर्वी जिलों में नहीं हो पा रहा है । पिछले दिनों में जिलाधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिये गये थे । अगर कहीं डीजल में ब्लैक हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करें । आज पूरी स्थिति हमारे सामने हैं, दि० 25-4-94 तक गोरखपुर मण्डल में 8,416 किलो लीटर डीजल उपलब्ध हुआ था, जब कि 18,000 किलो लीटर डीजल उपलब्ध होना था, हमारे प्रदेश में 3 रिफाइनरी से डीजल आता है, एक बरौनी, पश्चिम बंगाल की बजबज रिफाइनरी का उत्पादन कम हो गया है । बजबज और मथुरा की रिफाइनरी में कोई कमी नहीं है । इसमें सचिव स्तर से प्रयास किये गये, आवश्यकता होगी, तो मुख्य मंत्री स्तर से भी प्रयास किये जायेंगे । इन दो-तीन दिनों में वहां पर कोई डीजल की दिक्कत नहीं रहेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो रिजर्व स्टाक था, उस डीजल को उपलब्ध नहीं कराया है । (व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री किरनपाल सिंह और श्री राम आसरे वर्मा की, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को प्राप्त अनेकों सुविधाओं से वंचित किये जाने के बारे में है ।

(व्यवधान के मध्य)

दूसरी सूचना श्री चरन सिंह की, मछुआ समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड, सिसवारा, इकौना, जनपद बहराइच को बहाल किये जाने के बारे में है।

तीसरी सूचना राम करन आर्य की, बालागंज लखनऊ स्थित नजूल भूमि–खसरा नं० 687 पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने के बारे में है।

चौथी सूचना श्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), श्री जगवीर सिंह की, प्रदेश में सस्ता न्याय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री घूरा राम की, राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारियों एवं वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारियों से उच्च वेतनमान पदों को अनुसूचित जाति के कोटे से न भरे जाने के संबंध में है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया था, उसका सही उत्तर नहीं आया, इसके विरोध में, मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 1994 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी की मांग

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पहले एक प्रश्न यहां पर उठाया गया था और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास सूचना जो आई है, वह सही नहीं है, गलत है, वह पूर्ण नहीं है और यह कहा गया था कि कल उसका जवाब दिया जायगा। उसके बारे में, मैं अपेक्षा यह कर रहा था कि सदन के शुरू होने से पहले उसका जवाब आ जायेगा कि आई० जी० वेस्टर्न जोन के जो हैं, वह सूचना लेकर आयेंगे। मैं बहुत सब्र के साथ उम्मीद कर रहा था, लेकिन मजबूरी में समय बीतता जा रहा है और जो माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने आश्वासन कल दिया था, उसके बारे में सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया है, उत्तर हो तो दिला दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आज ही उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

इंजीनियरिंग कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कतिपय सुविधाओं से वंचित रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(समय 1 बजकर 25 मिनट)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने नियम 308 के अन्तर्गत एक गंभीर प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, दो शासनादेश हैं एक शासनादेश वेतन आयोग सं० 343/10–48 (एम)/1981 दिनांक 14 फरवरी, 1983 और दूसरा 3483/84/311/82 दिनांक 26 अप्रैल, 1994 हैं। यह शासनादेश सभी इन्जीनियरिंग कालेजों को प्राप्त करा दिये गये हैं और 12 साल से ऊपर बीत गये हैं, लेकिन इनको न तो निरस्त किया गया है और न आज तक कभी प्रभावी हुये और नहीं कार्यान्वित किया जा रहा है और

उसका यह परिणाम निकला है कि जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, उनको जो लाभ होना चाहिये था, वह नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं उनको अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया है। मान्यवर, यह गंभीर प्रकरण है कि अधिकारी अब तक इन शासनादेशों से या तो भिज्ञ नहीं हैं या तो जानबूझकर इनको लागू नहीं किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जिन शासनादेशों का मैंने उल्लेख किया है उनको प्रदेश के सभी इन्जीनियरिंग कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिये कार्यान्वित करें और जो भी अधिकारी बाधक बने हों, जिन्होंने कर्मचारियों के हकों को छीना हो, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं देख लें। यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है और औचित्य के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। माननीय वर्मा जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं और अनुभवी सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि नियमों के अन्तर्गत उसको उपस्थित करने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो भावना व्यक्त की गयी हैं, उससे सहमत हूं, लेकिन इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उचित होगा कि आप निर्देश कर दें कि जिन शासनादेशों का उल्लेख किया है, उनको लागू कर दिया जाय।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं इसको देख लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

इसको निरस्त किया जाता है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी 300 के अन्तर्गत सूचना है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी कोई सूचना नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक हाई कोर्ट की बेंच न खोले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, बहुत गंभीर विषय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन् 1980 से लगातार आन्दोलन चल रहा है। वहां पर वकील हर शनिवार को हड़ताल रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच खोलने के बारे में ...

मान्यवर, यह विषय अनेक बार इस माननीय सदन में.....

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नही आता है। यह कहां से औचित्य का प्रश्न बनता है ?

श्री किरनपाल सिंह–

यह सदन में आ चुका है।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना आपने नियम 300 में दी है, यह प्रश्न औचित्य का कैसे बनता है ?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यर, सन् 1980 से आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कचहरियों में शनिवार को काम बन्द रहता है और यह सरकार की नीति भी रही है जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में आयी है उसने यह वायदा किया है कि इस प्रदेश के गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाया जायेगा इसके बारे में आयोग भी गठित हुआ, केन्द्र तक विषय गया, बार-बार सरकार की मंशा यहां आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाय। मान्यवर, कभी-कभी जब बात होती है तो सरकार कह देती है कि कई स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं आगरा है, मेरठ है, मुरादाबाद है, देहरादून है और अब रामपुर भी है इन स्थानों में किसी स्थान पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें। स्थान के विवाद के विषय के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि स्थान का विवाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिये कोई नही है। सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये किसी भी स्थान पर जहां पर सरकार को सुविधा हो किसी एक स्थान पर बेंच की स्थापना कर दें। पश्चिम के लोगों में इस बात पर कोई विवाद नहीं है लेकिन आप इलाहाबाद के बड़े-बड़े वकीलों के दबाव में कि कहीं वह नाराज न हो जायं, इस वजह से सरकार निर्णय लेने में असमर्थ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़े-बड़े वकील हैं, बहुत-बहुत नामी वकील हैं लेकिन वहां पर हाईकोर्ट की बेंच नहीं है इसलिये वह बेचारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अपना जीवन पूरा कर जाते हैं यदि वहां पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापना हो तो यह वकील वहां पर भी जायं। यह विषय लगातार जारी है। सन् 1980 से लगातार वकील हड़ताल कर रहे हैं। पहले जनान्दोलन हो चुका है लोग जेल जा चुके हैं और आज सरकार स्थान का बहाना कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी स्थान के विवाद में नहीं है सरकार की जहां मर्जी हो वहां उस स्थान पर, किसी भी स्थान पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा कर दे। मैं यही मांग करना चाहता हूं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, नियम तो यह है कि जिस प्रश्न पर एक चर्चा हो जाती है उस सत्र में इस पर बार-बार चर्चा नहीं की जाती है। विगत दिनों प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर दिया जा चुका है इस सत्र में यह बहुत ही विवादित मसला है जो माननीय नेता जनता दल ने कहा है उसके हम प्रतिवाद में या समर्थन में

नहीं जाना चाहेंगे। नियमों के अन्तर्गत इस सत्र में प्रश्नों के द्वारा इसका उत्तर दिया जा चुका है इसलिये नियम 300 में यह नहीं आता है। इस में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से इस संबंध में परामर्श कर रही है और मुख्य न्यायाधीश का अभिमत प्राप्त हो चुका है, भारत सरकार से प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय होगा।

श्री अधिष्ठाता–

यह सभी नियम 300 में नहीं आती हैं इसलिए निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी, विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (17वां संशोधन) नियमावली, 1993 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 813ई-2/तेरह-93-503-83, दिनांक 6 मार्च, 1993 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी, विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1099-ई-2/तेरह-239-88, दिनांक 1 अप्रैल, 1993 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1099-ई-2/तेरह-239-88, दिनांक 1 अप्रैल, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–3628-ई०-2/तेरह-178-93, दिनांक 25 अगस्त, 1993 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–3628-ई०-2/तेरह-178-93, दिनांक 25 अगस्त, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 22-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–780-ई-2/तेरह-93-37(1)-84, दिनांक 6 मार्च, 1993 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–780-ई-2/तेरह-93-37(1)-84, दिनांक 6 मार्च, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1991 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1992

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हो गया।

(कार्यसूची में अंकित याचिकाओं के उपस्थापन हेतु संबंधित सदस्यों का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जनहित की याचिकायें हैं, इसको रखा हुआ माना जाय।

(उक्त मांग को स्वीकार नहीं किया गया)

(इसी मध्य सदन की बत्ती गुल हो जाने पर)

---

† छपा नहीं गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

यही 16 घंटे बिजली देंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

देखिये, एक सेकेण्ड में आ भी गयी ।

मद संख्या–12

(श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

वे नहीं हैं ।

मद संख्या–13

(श्री सतीश भाटिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

मद संख्या–14

(श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

मद संख्या–15

(श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

मद संख्या–16

(श्री अजय कुमार पोइया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

मद संख्या–17

(श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

मद संख्या–18

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

वे नहीं है ।

मद संख्या–19

(श्री हरवंश कपूर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मद संख्या–20

(श्री बालेश्वर त्यागी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–21

(श्री धनराज यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–22

(श्री डा० राम बाबू हरित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–23

(श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–24

(श्री सुधीर कुमार बालियान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–25

(श्री रवीन्द्र शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–26

(श्री रमापति शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–27

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

मद संख्या–28

(श्री धनराज यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–
वे नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता:–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 व 27 अप्रैल, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

अप्रैल, 1994

27 बुधवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 —आधा घण्टा

(ख) उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994. —आधा घण्टा

2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3–4.00 बजे अपरान्ह

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना नियम–311 के अन्तर्गत दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, इस प्रकार नियम–56 में कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना श्री राम आसरे वर्मा व श्री किरनपाल सिंह श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम बिशुन आजाद व श्री प्रीतम सिंह जी की पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपने नाम के साथ हरिजन शब्द जोड़े जाने तथा उत्तर प्रदेश से निकलने वाली पुलिस पत्रिका के अप्रैल अंक को जब्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल की जनपद हमीरपुर में डकैतों के गिरोह के सक्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री रमापति उर्फ रमाकान्त जी की यू० पी० स्टेट एग्रो के सेवा अभियन्ता देवरिया द्वारा अपात्र व्यक्तियों को ट्रैक्टर दिलाकर छूट की राशि हड़पने एवं फ्री बोरिंग योजना तथा पेयजल योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये के गबन के संबंध में है । चौथी सूचना श्री जगवीर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) व श्री किरन पाल सिंह की अलीगढ़ व कतिपय अन्य जिलों में बिगड़ी सिंचाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री वासुदेव सिंह जी की जनपद बुलन्दशहर के थाना स्याना अन्तर्गत रमपुरा गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किये जाने के संबंध में है । छठी सूचना श्री ऊदल जी की जनपद गाजीपुर के थाना बिरनो के अन्तर्गत पुलिस द्वारा पीटे जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री शूरवीर सिंह सजवाण व श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी की सम्पूर्ण प्रदेश में डायरिया, आंत्रशोथ तथा उल्टी दस्त जैसे संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी जी की उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में शराब की खुली बिक्री तथा शराब की दुकानें खोले जाने के संबंध में है । नवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) जी की प्रदेश में सुगमता से शस्त्रों के लाइसेंस न मिलने से उत्पन्न के स्थिति संबंध में है । दसवीं सूचना श्री राकेश सचान जी की भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान इलाहाबाद द्वारा ग्रामीण विकास के नाम पर की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है । ग्यारहवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह व श्री राम आसरे वर्मा जी की जिला परिषद् गोण्डा के अन्तर्गत मधुरा नौका घाट की ठेके की नीलामी के संबंध में है । बारहवीं सूचना श्री तेजभान सिंह जी की दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के प्रबन्धक द्वारा कथित रूप से किये गये घोटाले के संबंध में है इसमें पहली सूचना को मैं सुन रहा हूं । माननीय राम आसरे वर्मा जी कृपया बोलें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

कल जब हम लोगों ने इसी विषय को यहां पर सदन में उठाया था तो आपकी पीठ से यह आदेश हुआ था कि कल सबसे पहले इसे लेंगे तब सुनेंगे । तो हम लोगों को भी इसमें कृपा पूर्वक सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय वर्मा जी का नाम बुला लिया है। उसके बाद मैं आपको सुन लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है उसमें मेरे नाम के साथ श्री किरनपाल सिंह जी का भी नाम जुड़ा हुआ है उचित होगा कि आप पहले उन्हें सुन लें क्योंकि वह हमारे दल के नेता हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अभी एक पुस्तिका पुलिस विभाग की ओर से छपी थी।

(सदन की बिजली गुल हो जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

यही 16 घंटे बिजली आप दे रहे हैं ?

(बिजली के तुरन्त आने पर)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

देखिये एक सेकेन्ड में आ भी गयी है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इस पत्रिका के सम्पादक श्री कृष्णकान्त चतुर्वेदी हैं। यह पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर मुरादाबाद में आई० जी० के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लिखा है और इसके प्रकाशक हैं श्री वी० पी० कपूर जो कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया होता है। यह पत्रिका जो छपती है यह पुलिस विभाग से संबंधित होती है और इसमें राजनीतिक समीक्षा या राजनीतिक विचार आने की कभी परम्परा नहीं रही है। मान्यवर, पिछले दिनों इस प्रदेश में एक विवाद हुआ, हरिजन शब्द को लेकर, महात्मा गांधी जी के नाम के बारे में तरह-तरह की बातें की गयीं, उन्होंने हरिजन शब्द क्यों दिया, क्या धारणा थी, क्या उनकी मंशा थी ? उसी को ध्यान में रखते हुए शायद इस पुलिस अधिकारी ने अपने नाम के सामने हरिजन शब्द लगाया और यह बात अलग है कि हरिजन शब्द लगाते वक्त उन्होंने महात्मा गांधी जी की जो धारणा या मंशा थी, उसको सम्मान देने के लिये हरिजन शब्द लगाया। लेकिन यदि तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी को अपना नाम परिवर्तन करने से पहले शासन से अनुमति लेनी चाहिए, बोर्ड में जाना चाहिए, लेकिन अनुमति नहीं ली गयी। इस पत्रिका में 3-4 लेख भी हैं, जिनके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, यह सरकारी पत्रिका है। मान्यवर, इन लेखों में राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक कमेन्ट्री है, जो कम से कम पुलिस जैसी संस्था के लिये अच्छी परम्परा नहीं है, कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनका तबादला कर दिया गया है और उनके खिलाफ कोई डी० जी० पी० मेहता हैं, जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हैं। मान्यवर, यदि एक ओर देखा जाय तो के० के० चतुर्वेदी व्यक्ति के रूप में उन्हें देखा जाय तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, यह उनका अधिकार था, उनकी भावना थी, लेकिन वह पुलिस के बड़े प्रशासनिक अधिकारी

हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगाकर क्या अपराध किया है, क्या अपराध नहीं किया है, इसकी जांच एक पुलिस के अधिकारी ही कर रहे हैं। मान्यवर, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि यह पत्रिका जो है, इसके प्रकाशक, इस प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो जांच हो रही है, वह इस वजह से हो रही है कि कोई अपराध हुआ है, कोई दोष हुआ है, कोई कन्डक्ट गलत है किसी अधिकारी का। मान्यवर, इसमें क्या अकेले सम्पादक ही दोषी है, क्या उसके प्रकाशक, जो इस प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनके खिलाफ भी कोई जांच होगी ? मान्यवर, के० के० चतुर्वेदी के खिलाफ जांच हो रही है तो श्री वी० पी० कपूर के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। डी० जी० पी० इस प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या प्रदेश सरकार किसी से जांच करवायेगी ? मान्यवर, इससे प्रदेश भर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है। हमारा पुलिस प्रशासन किस काम के लिये, किस दायित्व के लिये है, उसके कर्तव्य क्या हैं, वह सब डिफाइन है, लेकिन इस तरह का विवाद उत्पन्न होने से एक बात साफ लोगों के मन में आती है कि क्या पुलिस में जो अनुशासित फोर्स है, क्या इसमें भी कोई राजनीतिक सोच, राजनीतिक चहलपहल, राजनीतिक उथल-पुथल विचारधारा चल रही है। क्या इस विचारधारा के गहरा होने से पुलिस फोर्स में आगे चलकर कोई विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है और मेरा आपसे आग्रह है कि यह तात्कालिक विषय है, अविलम्बनीय भी है, महत्वपूर्ण भी है, पूरे प्रदेश की पुलिस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी महानिदेशक, जो इस पत्रिका के प्रकाशक हैं, उनके खिलाफ जांच कौन करेगा ? मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप सारे विषयों को रोक कर इस पर चर्चा करायें और सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार इसको किस रूप में ले रही है, उस पुलिस अधिकारी को सरकार दण्डित करेगी या बधाई देगी या क्या करेगी, यह बात सदन में स्पष्ट होनी चाहिए। अगर पुलिस फोर्स को इस तरह की अनुमति दी जायेगी कि पत्रिका में कुछ भी छपने लगे राजनैतिक कमेण्टरी छपने लगे, इस तरह की गम्भीर स्थिति आज प्रदेश में पैदा हुई है। इसको गम्भीरता से लेते हुए, इस पर कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर माननीय नेता जनता दल श्री किरनपाल सिंह ने अपने विचार रखे, उस पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज यह विषय जो सम्मानित सदन के सामने आया है, यह विषय आज केवल इस अधिकारी से जुड़ा हुआ नहीं है, आज यह सरकार किनकी नीतियों पर चलेगी, किन महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करेगी, आज इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार अपनी बचनबद्धता दोहराई है कि हमारी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा० लोहिया, बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलेगी, तो जो सरकार की नीतियां होती हैं, जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं, उन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता करना हर अधिकारी का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि जब भी कोई अधिकारी होता है तो इस बात का शपथ लेता है कि जो भी सरकार प्रजातंत्र में चुनी जायेगी और भी नीतियां निर्धारित की जायेंगी, जो कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे, उन नीतियों और कार्यक्रमों को वह प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ लागू करेगा। उसने इस सरकार की नीतियों के प्रति अपनी बचनबद्धता को दोहराई है अगर यह सरकार गांधी जी के पथ पर

चल रही है तो पिछले दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर पूरे प्रदेश में कुप्रचार न किया गया होता। सारे महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं, सारे महापुरुष प्रातः स्मरणीय और अनुकरणीय होते हैं। प्रदेश की सामान्य जनता दो महापुरुषों में कभी तुलना नहीं करती। अगर सरकार ऐसे महापुरुषों, जिसके लिये कहती है कि हम उनके आदर्शों पर, उनके रास्ते पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके द्वारा दिखाये गये मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करेंगे, लेकिन अगर ऐसे महापुरुषों के खिलाफ दुष्प्रचार होता है, उनके खिलाफ वितण्डा खड़ा किया जाता है तो उससे पुलिस फोर्स भी प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस पत्रिका का दायित्व है कि प्रदेश के पुलिस बल में एक अनुशासन बनाये रखा जाये क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति हैं, प्रदेश के तमाम विषय और विचार समाचार-पत्रों में आते रहते हैं, वाद-विवाद और चर्चा में आते रहते हैं, इसलिये वह भी प्रभावित होंगे। यह उच्च पदस्थ अधिकारियों का कर्तव्य था, उनका नैतिक दायित्व था कि वह प्रदेश के पुलिस बल के लोगों को पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति और संविधान के प्रति मार्गदर्शन करें। उसने अपना कोई लेख नहीं लिखा, पुलिस पत्रिका आपके पास भी होगी। उस पुलिस पत्रिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिये जो बड़े-बड़े समाचार पत्रों में प्रभात जोशी का जनसत्ता और अमर उजाला में सम्पादकीय लेख लिखा गया अगर उन सम्पादकीय लेखों को, महात्मा गांधी के कहे हुए वाक्य, जो इस देश के लिये एक दिशा देते हैं, सिद्धान्त देते हैं, उस देश की एक थाती है, पूंजी है, अगर उस थाती को ले करके, उस सम्पादकीय लेखों को उस लेख में लिखा गया तो मान्यवर, वह कोई अपराध नहीं है। मान्यवर, अगर कोई अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगाता है तो वह गौरव की बात है क्योंकि महात्मा गांधी को यह शब्द बहुत प्रिय था। मान्यवर, उस अधिकारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहे हुए कथनों को जो पूरे देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में शोध चल रहा है, पूरा मुल्क गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है ऐसे महात्मा गांधी के ऊपर जिसने लेख लिखा, मैं तो समझता हूं कि उस पुलिस अधिकारी को राज्य सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए। इस पत्रिका में पहले भी समाचार पत्रों के लेख लिखे जाते रहे, इससे पहले भी इस तरह के विचार राजनीति में आते रहे लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई, समय-समय पर इस तरह के लेख लिखे जाते रहे उन लेखों पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर आप इस पुलिस पत्रिका को देखें तो केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिये ही लिखा, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आलोचना की, कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और भी आलोचनायें की, लेकिन हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, हम दबाव में नहीं है, इस हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पढ़ा न हो और, जानता न हो। मान्यवर, मैं कहता हूं कि कोई भी हिन्दुस्तानी नागरिक हो, भारत के संविधान में उसकी जरूर आस्था होगी, अगर संविधान में आस्था नहीं है तो वह भारत का नागरिक नहीं है। संविधान के नियमों के, संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ, उसके उपबन्धों के विपरीत अगर वह आचरण करता है तो वह राजद्रोह करता है, वह देशद्रोही कहलाता है। संविधान में इसकी अभिव्यक्ति है कि स्वतंत्रता प्रदत्त है, मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार आचरण करना कोई गलत काम नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि- आल सिटिजन्स सैल हैव दि राइट--

(ए) राइट टू फ्रीडम आफ स्पीच एण्ड एक्सप्रेशन।

(बी) राइट टू एसेम्बल पीसेबली एण्ड विदाउट आर्म्स।

(सी) राइट टू फोर्म एसोसियेशन्स आर यूनियन्स ।

(डी) राइट टू मूव फ्रीली थ्रो आउट दि टेरिटोरी आफ इण्डिया ।

(ई) राइट टू रिसाइड एण्ड सेटिल इन एनी पार्ट आफ दि टैरिटोरी आफ इण्डिया ।

(एफ) राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर टू कैरी आन एनी एक्यूपेशन, ट्रेड आर बिजनेस ।

5-6 उपबन्ध दिये गये हैं । प्रदेश में रहने वालों के लिये बोलने का पूरा अधिकार और स्वतंत्रता है, व्यापार करने वाले के लिये समाज में रहकर कहीं भी व्यापार कर सकता है और कहीं भी बस सकता है। मान्यवर, उसने सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है और न ही किसी तरह का विरोध किया है, वह पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनको अनुशासन में रहना चाहिये, लेकिन उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, अगर वह अनुशासनहीनता करते तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी, उन्होंने लेख लिखा है, उन्होंने सरकार के खिलाफ तो कोई लेख लिखा नहीं है बल्कि सरकार की वचनबद्धता को दोहराया है, जिस पर आप सरकार चलाना चाहते हैं, और यह सरकार चल रही है, इसी पर तो आप सरकार चलाने के लिये कटिबद्ध हैं, सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह इस बात को यह सरकार दोहराती है, इस अधिकारी के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है, इससे पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग दो धड़ों में बंट गया है, लेकिन इस पर सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर में यह स्पष्ट करें कि हम किसी अधिकारी को दण्डित नहीं करेंगे, जांच की बात की गयी है, हमारे एडीशनल डी० जी० श्री धर्मवीर मेहता हैं शायद इसको भी देख रहे हैं, इससे पूरे अधिकारियों में कुण्ठा की भावना व्याप्त होगी, इस तरह की परिस्थितियों में प्रदेश में भी नयी सरकार चलाना मजबूरी हो जायेगी, इस तरीके से स्थिति, परिस्थिति में जल्दबाजी में किया गया यह काम है । बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने आलोचना की, लेकिन वह तो सरकार का सहयोगी दल है, यह भी जनभावनाओं के खिलाफ है, बनारस में, जौनपुर में कितनी ही इस तरह की घटनायें हैं, किस तरह से इनको शान्त किया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर घटनायें नहीं होती है, घटनायें होती रहती हैं और लोगों की पिटाई भी हो रही है, यह इस तरह से हो रही हैं जैसे कोई मामूली बात हो । जो अधिकारी के साथ किया गया है ऐसा आचरण अधिकारियों के खिलाफ है, सरकार में बैठने वाले लोग हैं, इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उन पर दबाव डालेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालेंगे, उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही या उत्पीड़न की कार्यवाही की जायेगी तो पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति व्याप्त हो जायेगी । इससे मेरा आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायी जाय । स्पष्ट लेख लिखे जाने में, कोई प्रसंग उद्धरित किये जाने में, जो सूक्तियां हैं, गांधी जी की सूक्तियां हैं, प्रदेश गांधीवाद की तरफ था । आज हमारा देश गांधी जी के विचारों और उनके दर्शन से जुड़ गया है । तो अगर उनकी सूक्तियों का उल्लेख किया जाय तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हो, उत्पीड़न की कार्यवाही हो तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी मैं समझता हूं उससे अनुशासनहीनता पैदा होगी । इस तरह की पुलिस दल में स्थिति पैदा हुई तो इस पर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिकारियों को निष्पक्षता के आधार पर, योग्यता के आधार पर काम करना होता है । अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है, केवल योग्यता उसकी पहचान होती है, क्षमता उसकी पहचान होती है । आज अधिकारियों की जाति के आधार पर, पक्षपात के आधार पर कार्यवाही की गयी तो निश्चित तौर पर उनमें कुण्ठा व्याप्त होगी, इससे विषमता बढ़ा रहे हैं । इसलिये इस विषय को ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक पत्रिका छपी है संपादक के रूप में श्री के० के० चतुर्वेदी और प्रकाशक के रूप में पुलिस महानिदेशक श्री कपूर । तो कपूर साहब से ही हम अपनी बात शुरू करेंगे । जब प्रकाशक के रूप में एक पत्रिका छपी है और इस पत्रिका के अन्दर कुछ भी छपा हो आपत्तिजनक या अनापत्तिजनक उस पर प्रकाशक की मुहर लग गयी तो प्रकाशक पूरी तरह से उसके लिये जिम्मेदार होता है । इसलिये इस पत्रिका में कहीं से भी कपूर साहब जो पुलिस महानिदेशक हैं को जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता है ।

दूसरी बात अगर सरकार की वचनबद्धता पुलिस द्वारा निभाये जाने का प्रयास किया जाने लगा तो फिर सरकार को सरकार कहने के काबिल माना नहीं जा सकता है । फिर तो पुलिस राज करेगी । पुलिस फोर्स एक अनुशासित फोर्स है और अनुशासित फोर्स अगर जाति-पांति की इस तरह की भावना से काम करेगी तो मैं समझता हूं कि सेवा में आने समय जिस संकल्प और शपथ के साथ अधिकारी अपने को जोड़ते हैं वह उससे अपने को अलग कर रहे हैं । हरिजन शब्द जोड़ कर कृष्ण कान्त चतुर्वेदी ने समाज में दलितों का मखौल उड़ाने का प्रयास किया है । अगर उनके दिमाग में दलितों के प्रति स्नेह पैदा हो गया था, प्यार पैदा हो गया था तो इस्तीफा देकर कमर कस कर समाज सुधार के लिये काम करने निकल पड़ते तो हम उनका साथ देते । हरिजन शब्द जोड़ कर दलितों का मखौल उड़ाने का प्रयास किया गया है । पुलिस फोर्स के अन्दर एक जातिगत भावना भड़काने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया है । यह सुनियोजित प्रयास पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की सांठ गांठ के तहत किया गया है, एक जातीय विद्वेश की भावना से किया गया है । वह जातिगत भावना से अलग हट कर काम नहीं कर रहे हैं । शासन की नीति है जो यह कहते हैं दबे, पिसे, दलितों और पिछड़ों की भावना उभारेंगे । तो मैं कहता हूं कि अगर शासन की इस वचनबद्धता को पूरा किया है तो इस तरह से कृष्ण कांत चतुर्वेदी और कपूर पूरा नहीं कर रहे हैं इससे तो प्रदेश में पुलिस बल के अन्दर और बाहर भी एक विद्रोह की भावना पैदा हो जायेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस महानिदेशक जो हैं मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि पुलिस महानिदेशक इस कुर्सी पर बैठे रहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है उम्र घटाने और बढ़ाने में वह तो माहिर हैं । उन्होंने जन्म कुन्डली पेश कर उम्र घटाने और बढ़ाने का काम किया है तो ऐसे महानिदेशक और जो समाज के दलितों की भावना का मखौल उड़ाने का काम किया है एवं श्री चतुर्वेदी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये शासन को निर्णय लेना चाहिए । मान्यवर, जिस दिन से हरिजन शब्द जोड़ दिया गया था उसी दिन से

वह सेवा में रहने के लायक नहीं रह गये थे चूंकि उन्होंने अपनी शपथ के साथ विश्वासघात किया जिसको लेकर वह सेवा में आये थे।

मैं पुन : निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जघन्य अपराध चतुर्वेदी ने किया है उससे कम जघन्य अपराध जो महानिदेशक श्री कपूर हैं वह कम अपराधी नहीं हैं। उसी आधार पर देखें तो पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारिता के प्रशासक की पूरी जिम्मेदारी होती है और यदि मुकदमा चलता है तो वह अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाता है क्योंकि पत्रिका में जो छपा होगा उसमें प्रशासक की जिम्मेदारी मानी जायगी। इसलिये जो साजिश की गयी है उसमे जो अधिकारी शामिल हैं इसकी गहराई से शासन को छानबीन करनी चाहिये। यदि ईमानदारी के साथ दलितो की भावना को ऊपर लाना चाहते हैं तो अधिकारी को छूट न दें कि वह उनकी भावना का मजाक उड़ा सके। जो शासन की नीति है जिसके तहत पुलिस फोर्स काम करती है यदि उससे अलग होकर कोई आचरण अधिकारी करता है तो शासन उससे सख्ती से निपटेगी। इसलिये अनुरोध है कि चतुर्वेदी और कपूर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये मंत्री जी को यहां पर घोषणा करनी चाहिए। जांच का इसमे कोई सवाल नहीं रह गया है चूंकि तथ्यों ने साबित कर दिया है कि अपराधी कौन हैं इसलिये जब सदन के संज्ञान में सारे तथ्य आ गये हैं तो शासन को निर्णय घोषित करने में पीछे नहीं हटना चाहिये इसलिये इसको कार्य स्थगन के रूप में स्वीकृती दें और व्यापक चर्चा करायें।

श्री राम बिशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जब हम आजाद हैं तो इस प्रजातंत्र शासन में किसी को यह हक नहीं है कि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने नाम के सामने हरिजन शब्द जोड़ता है तो वह गांधीवादी भावना को लेकर चलता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 1857 की गदर में जब मंगल पाण्डेय जी की भावना को ठेस लगी थी तो ब्रिटिश हुकूमत का पत्ता साफ हो गया था इसलिये यदि आज पुलिस फोर्स के खिलाफ हरिजन शब्द जोड़ने पर कार्यवाही की जाती है तो वह सरकार के विरुद्ध होगा इसलिए सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिये काम किया है।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम बिशुन आजाद–

पूरे देश की आजादी के लिये महात्मा गांधी ने अपनी भावनाओं और प्राणों को न्योछावर कर दिया था, देश के लिये उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। देश की आजादी के लिये वह शहीद हो गये और आज हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य ने यहां यह कहा है कि हरिजन शब्द जोड़ने के बाद उसने जघन्य अपराध किया है। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिये अपना अभूतपूर्व योगदान देकर शहीद हुए थे और हरिजन व्यक्तियों के लिये दलितों के उत्थान के लिये देश की आजादी के लिये पूरा-पूरा योगदान दिया था उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री के० के०

चतुर्वेदी ने जो अपने नाम के साथ हरिजन शब्द जोड़ा है, उसने बड़े साहस का औचित्यपूर्ण कार्य किया है, ऐसा करके महात्मा गांधी को सम्मान दिया है, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को सम्मान दिया है। श्री के० के० चतुर्वेदी ने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द जोड़ा है तो उन्हें इस सरकार को दण्डित करने के बजाए सम्मान देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। सरकार ने उनके विरुद्ध जो कार्यवाही करने का आदेश दिया है, उससे गांधी जी की भावनाओं को और उनकी आत्मा को सरकार ने चोट पहुंचाई है। मान्यवर, जिसने पूरे देश में हमारे लिये अपनी आवाज उठाई, जिसकी बदौलत आज हम यहां विधान सभा में बैठे हैं, उसका पक्ष लेने वाले के खिलाफ हम कोई कार्यवाही करें, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती है। श्री के० के० चतुर्वेदी ने अपने नाम के सामने 'हरिजन' शब्द जोड़ा, इससे उसने पूरे देश का और राष्ट्र का सम्मान किया है।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री चतुर्वेदी ने अपने नाम के साथ हरिजन शब्द जोड़कर महात्मा गांधी की भावनाओं का सम्मान किया है और इस अधिकारी को दण्डित करने का जो निर्णय इस सरकार ने लिया है उससे बढ़कर अपने आप में कोई अनुचित कार्यवाही हो नहीं सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश के लिये और विशेष कर दबे-कुचले दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो किया, मैं समझता हूं कि उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई और उसी की बदौलत आज हम विधान सभा में बैठे हैं और उनके द्वारा जो एक सन्देश हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया गया, उस सन्देश के प्रति हम सबको आदर भाव और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि सरकार ने उस अधिकारी के विरुद्ध जिस अधिकारी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए अपने नाम के साथ हरिजन शब्द का प्रयोग किया, दंडित करने का प्रयास किया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और निन्दा करते हैं। (व्यवधान) ऐसे विश्व प्रसिद्ध महापुरुष के नाम पर, उसके बलिदान पर जिस तरह से सदन में उंगली उठायी गयी, यह अपने आप में शर्मनाक घटना है। मैं इस सबकी भर्त्सना करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि जिस अधिकारी ने बापू जी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको हर तरह से पुरस्कृत करना चाहिए।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रीमन्, महत्वपूर्ण इसलिये है कि पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी के० के चतुर्वेदी ने अपने नाम के पहले हरिजन शब्द लिखकर अपना नाम हरिजन श्री के० के० चतुर्वेदी कर दिया है। मेरा कांग्रेस के भाइयों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम घसीट रहे हैं। प्रश्न यह है और हमको देखना यह है कि जब यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है उसके पहले के किसी अंक में भी इन्होंने अपना नाम हरिजन श्री के० के० चतुर्वेदी लिखा है? महात्मा गांधी के योगदान का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग उनके योगदान को मानते हैं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह विचारणीय है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देखने की बात यह है कि जब से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है उसमें इसके सम्पादक या

प्रकाशक ने या के० के० चतुर्वेदी साहब ने अपने नाम के सामने शुरू से ही हरिजन शब्द जोड़ रखा है, अगर ऐसा है तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है श्रीमन् कि हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में हरिजन शब्द को हटा दिया गया है। दो एक साल से हरिजन शब्द के प्रचलन पर भी रोक है। महात्मा गांधी के समय में हरिजन शब्द का प्रयोग बहुत होता था। महात्मा गांधी "हरिजन" अखबार निकालते थे। हरिजन शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। पहले बहुत प्रयोग किया जाता था किसी दलित भाई भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते थे लेकिन इधर 3/4 साल से हरिजन शब्द पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किसी को हक नहीं है कि वह किसी दलित भाई के लिये हरिजन शब्द का प्रयोग करे। श्रीमन्, अब देखना यह है कि के० के० चतुर्वेदी साहब को, जो संविधान बना है, हिन्दुस्तान का, जिसको बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और हमारे देश के महापुरूषों ने बनाया उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये जो 18 से 20 फीसदी का रिजर्वेशन दिया गया है, क्या ये चतुर्वेदी साहब उसमें से सैलेक्ट होकर आये हैं या अलग से जनरल में से आये हैं ? अगर वह उस रिजर्वेशन के हिस्से से चुनकर आते तो कोई बात नहीं थी वह अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी हरिजन शब्द लगाते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, वह इसके पात्र होते बिना पात्र हुए इन्होंने हरिजन शब्द जोड़ दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। श्रीमन्, महात्मा गांधी के बारे में बहुत लेख लिखे गये हैं। यह इधर दो-तीन महीने से विवाद चल रहा है, महात्मा गांधी के बारे में और अम्बेडकर के बारे में। मैं समझता हूं इसी रोष में आकर इन्होंने अपने पद की गरिमा को भी नहीं समझा। अपनी पुलिस फोर्स की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको भी नहीं समझा और इस तरह से मखौल हरिजन लिख कर दलितों का उड़ाया है। तो जितने हमारे दलित वर्ग के भाई हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग पुलिस फोर्स में हैं या अन्यत्र हैं उनका मखौल बनाने के अलावा दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं इसका नतीजा यह होगा कि पुलिस जो शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदार है, कानून की रक्षा के लिये जिम्मेदार है। अनुशासित फोर्स है। अनुशासन कौन बनायेगा जो उच्च पदों पर उस विभाग में बैठे होंगे अगर उच्च पदस्थ लोग अनुशासनहीनता का काम करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा ? संविधान के अन्तर्गत, नियमावली के अन्तर्गत जो शपथ विभाग की लिये होंगे, कपूर साहब ने ली होगी वह शपथ-पत्र भी उनको इस तरह की इजाजत नहीं देता होगा। ऐसे लोगों को जो डी० जी० पी० साहब प्रकाशक हैं, उन्होंने इसको देखा नहीं उनको भी देखना चाहिए था कि हमारा सम्पादक क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है ? डी० जी० पी० की जांच कौन करेगा, इसकी जांच एक ही सज्जन कर सकते हैं मुख्य सचिव जी, जो डी० जी० पी० के ऊपर हैं। मुख्य मंत्री जी कर सकते हैं। इसलिए नम्रतापूर्वक निवेदन मैंने किया। महात्मा गांधी के लिये क्या कहते हैं दलितों की चिन्ता है, पूरे प्रदेश में सभी विभागों में है, फोर्स में हैं उनको अपमानित करने का काम किया है इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

चन्देल जी खड़े हैं यह बोलते हैं तो इनको बुलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर नहीं, प्रमोद तिवारी जी इसमें आप बोलें आपको बुला लिया है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

गृह विभाग का बजट है। गृह विभाग के बजट पर आप बोल लीजियेगा।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

इस पर दो मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपने सूचना पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसलिये आग्रह न करें।

अभी तो दो मिनट की बात कह रहे हैं फिर पांच मिनट लगा देंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, के० के० चतुर्वेदी के प्रकरण पर इस सदन में गम्भीरता से विचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 'हरिजन' शब्द लगाकर श्री कृष्ण कांत चतुर्वेदी ने कोई गलत काम नहीं किया है।

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, 'हरिजन' शब्द का मतलब होता है : हरिजन भगवान का जन। ईश्वर का जन। चूंकि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर इनको हरिजन शब्द से चिढ़ है तो अपने नाम के आगे मत लगायें। लेकिन हरिजन शब्द पर जो अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे यह लगता है कि यह सवर्ण विरोधी सरकार है।

अगर इनका यही आचरण रहा तो सरकार पर से सवर्णों का विश्वास उठ जायेगा। अगर उक्त अधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही हुई, तो यह पूरी सवर्ण जाति का अपमान होगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इसकी गम्भीरता इस पर चर्चा करा कर ही समझी जा सकती है। मान्यवर, यह ऐसा विषय है जिसमें किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए। मैं इसकी गम्भीरता, लोक महत्व अविलम्बनीयता को देखते हुए इसी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह पत्रिका क्यों छपनी है। यह पत्रिका कोई पुलिस कोर्स नहीं है। जो आई० पी० एस० या अन्य परीक्षा में में पढ़ाया जाता है। यह

कोर्स का विषय नहीं है। तमाम पत्रिकाएं सर्विसेस के साथ इसलिए छपती हैं कि उनसे मनोरंजक बातें प्राप्त हो सकें। आज समाज में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। उनकी सामूहिक अभिरुचियां बढ़ सकें तथा उनको विभाग के अलावा भी जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिये तमाम विभाग यह पत्रिकाएं छापते हैं। यह पत्रिका इसलिए छपती है कि जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं, अगर वह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहें तो न पढ़ें। इसमें आज जो विषय समाज को आन्दोलित कर रहा है उस पर विभिन्न विचारधाराएं हैं। उन्हीं विभिन्न विचारधाराओं से अपने पाठकों को अवगत कराना होता है। मान्यवर, यही इस पत्रिका के प्रकाशक ने किया। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में जो सम्पादकीय छपते हैं, वह हिन्दुस्तान में जिन सम्पादकों को इज्जत के साथ पढ़ा जाता है उन्हीं का संकलन करके प्रस्तुत कर दिया गया है। उनके विचारों को उसी प्रकार छाप दिया गया है न इसमें कोई कटौती की गई न कुछ अपनी तरफ से जोड़ा गया। यह पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि वह निर्णय करें। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हरिजन शब्द की आज की उत्पत्ति नहीं है। यह महात्मा गांधी जी का दिया हुआ शब्द है। यह शब्द उन परिस्थितियों में दिया गया था, जब हमारे अनुसूचित जाति/जनजाति के भाइयों को दलित कहा जाता था। उनको अछूत कहा जाता था। अन्त्यज कहा जाता था। उस समय एक सम्मान जनक शब्द दिया गया। कुछ समय बाद हमारे भाइयों को वह शब्द अपमानजनक लगा तो वह शब्द हटाकर अनुसूचित जाति और जनजाति रख दिया गया तथा संविधान में इसका प्राविधान कर दिया गया। हरिजन शब्द अगर हमारे भाइयों को अच्छा नहीं लगता तो उसे विवश नहीं किया जा सकता है। वह जो शब्द पसन्द करें वही ठीक है। मान लीजिए फिराक गोरखपुरी किसी का सर नेम है और गोरखपुर शब्द कुछ दिन बाद किसी को न अच्छा लगे तो इसमें कोई अपराध तो हो नहीं गया। अकबर इलाहाबादी किसी का सर नेम है और इलाहाबाद नाम बदलकर प्रयागराज हो गया तो इसमें आपत्ति होने लगेगी।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

गौरी शंकर जी, अभी न आप विधान सभा के अध्यक्ष बने हैं और न मंत्री बने हैं, कृपया रनिंग कमेन्ट्री बन्द करिये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आप जैसा वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसी बातें कर रहा है प्रश्न यह है, मेरे मंत्री बनने या न बनने का प्रश्न नहीं है। हरिजन शब्द को जिस तरह से जस्टीफाई कर रहे हैं वह उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें गौरी शंकर जी, आपको अनुमति नहीं दी गयी है।

(शोर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, हरिजन शब्द की व्याख्या जिस तरह से की जा रही है इन जैसे अधिवक्ता से, उनसे यह उम्मीद नहीं थी। संविधान में भी अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मान्य है। विभागों के नाम भी बदल दिये गये हैं। इस बात की जानकारी आपको होगी।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, कल जब मैं बोल रहा था तो यह लोग क्यों बोल रहे थे ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

इन्होंने अपना विवेक खो दिया है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सत्तापक्ष के लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं, सत्तापक्ष के लोगों से ऐसे आचरण की आशा नहीं की जाती है। जो विषय उपस्थित किया गया है, गांधी जी से उसका सम्बन्ध नहीं है। मेरा आशय यह था कि उस अधिकारी ने जो किया है क्या उसको यह करने का अधिकार था या नहीं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य नियम 56 पर बोल रहे हैं। मैंने नियम 311 में सूचना दी है जिसको नियम 56 में परिवर्तित किया गया है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता जनता दल ने अभी अपनी बात कही। मेरा एक अनुरोध है, यह जो हुआ अगर सही हुआ है तो कोई बात नहीं उठती लेकिन अगर गलत हुआ है तो मुखिया को क्यों छोड़ दिया गया है। जाति के नाम से इसको न जोड़ें। इस मामले को सरकार पर छोड़ दें। इसमें जाति के नाम पर राजनीति न करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य को अपने विषय पर बोलने पर पूरा अधिकार है और मुझे अपने विषय पर बोलने का पूरा अधिकार है। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रखा गया है। कल और कोई विषय जुड़ सकता है। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह प्रतिबंधित नहीं किया है कि हरिजन शब्द का कोई अन्य जगह पर उपयोग होगा या नहीं। अनुसूचित जाति के लोग उपयोग न करें यह तो हो सकता है, अगर गांधी जी आज जिंदा होते और गांधी जी "हरिजन" अखबार निकाल रहे होते और यदि आपकी सरकार होती और गांधी जी होते

वह बहुत पहले चले गये, आपकी सरकार आने के पहले, वरना आपकी सरकार आज गांधी जी को फांसी देने के लिए तैयार हो जाती । मान्यवर, दुःखद स्थिति यह है कि आज बहुत से लोगों ने अपने आवास का नाम हरिजन रख रखे हैं । गांधी जी ने अपने समाचार-पत्र का नाम हरिजन रखा था । मान्यवर, जब उसका हवाला देना पड़ेगा, तो हरिजन शब्द कहना पड़ेगा । अगर किसी अनुसूचित जाति के लिए हरिजन कहा जायगा, तो उसके लिये यह दुःखद हो सकता है, लेकिन संविधान में यह कहां मनाही है कि हरिजन शब्द का प्रयोग न किया जाय । श्री के० के० चतुर्वेदी ने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगा लिया, तो कौन सा अपराध हो गया ? उन्होंने अपनी कांफ्रेंस में कहा था कि हरिजन शब्द बहुत प्रिय है, तो वह अपने नाम के साथ लगा लिये । अगर एक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगा लिया, तो कौन सा गुनाह किया है ? इस विषय को जाति से न जोड़ा जाय । मुझे इस संदर्भ में यह कहना है कि इस पत्रिका में जो बात है, अगर उनको नियमों और कानूनों से बांधने का प्रयास करेंगे, तो भाई ऊदल जी, किरनपाल सिंह जी, वर्मा जी, हम सब जेल चले जायेंगे । यह प्रतिबंधित पुस्तिका इनके पास बरामद होना कानूनी अपराध है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रतिबंधित पुस्तिका इनके पास बरामद होगी, तो ये जेल चले जायेंगे । अगर वर्मा जी आपके पास हो, तो तत्काल आप उसे हटा दें । मान्यवर, सरकार तो रख सकती है, इसलिए रख सकती है, क्योंकि जब उसे प्रासीक्युशन के लिए जाना पड़ेगा, तो साक्ष्य के रूप में वह प्रस्तुत कर सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी इसलिए यह बात उठा रहे हैं, क्योंकि ये अभी किताब मुझसे मांग रहे थे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय वर्मा जी ने यही अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, सर्विस मैनुअल में अगर वह अप्लाई करते कि हमें अनुसूचित जाति, जनजाति घोषित कर दिया जाय या मैं अपने के आगे हरिजन शब्द लगा रहा हूं, जिस वक्त प्रोमोशन होता है, उस वक्त आरक्षण का लाभ मिलता है, तो हरिजन शब्द का प्रयोग करके मैनुअल में वह इसको जोड़कर प्रोमोशन के लिए मांग करते .....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह पत्रिका देख लीजिए, किसके पास है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, देख लें, किसके पास यह पत्रिका है ? मान्यवर, मैं कह रहा था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ भर्ती में ही नहीं मिलता है, आरक्षण का लाभ प्रोमोशन में भी मिलता है, अगर ये हरिजन शब्द जोड़ कर लाभ लेना चाहते थे, तो यह बात थी, मान्यवर, यह तो सर्वथा सम्मान का विषय होता कि कोई अधिकारी अपने आप को कोई धर्म अंगीकृत करता है, तो यह अनुचित है । एक चीज यह निकलवा दें कि जो प्राविधान है कि जो व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के पुरुष से या महिला से शादी

करेगा तो उसको सेवा में प्रोन्नति दिया जायेगा। यह हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह गांधी जी की भावनाओं का आदर है। गांधी जी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है, चाहे जितनी व्यवस्थायें करें। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है।

श्री किरन पाल सिंह–

गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। सर्विस रूल्स क्या हैं ? यह तो सर्विस रूल्स की बात है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तिवारी जी बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को अभी समाप्त नहीं किया है, आप कैसे खड़े हो गये ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, बड़ा ही गम्भीर है, चर्चा हो रही है, जो पत्रिका प्रकाशित हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। उसकी बात सदन में आयी है। माननीय वर्मा जी ने और माननीय ऊदल जी ने दो नामो का जिक्र किया है, एक तो श्री के० के० चतुर्वेदी जी हैं और दूसरे.....

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था क्या उठाना चाहते हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

पुलिस महानिदेशक श्री कपूर का नाम लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन-जिन व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है, उनमें से एक अधिकारी श्री कपूर दीर्घा में उपस्थित हैं। या तो आप दीर्घा से बाहर उनको करें अन्यथा चर्चा नहीं हो पायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दीर्घाओं का संज्ञान नहीं रखा जाता है। यह तो संसदीय मर्यादा है कि किसी अधिकारी के पद का नाम तो लिया जा सकता है लेकिन नाम नहीं लिया जा सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं मान्यवर, संपादक ने अपने विचारों को उसमें रखा है, उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग अपने नाम के बाद किया है, लेकिन उन्होंने उसके प्रयोग के बाद किसी सुविधा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है। अगर वह उसे अपनी सेवा पुस्तिका में जोड़ने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से गलत होता। आज विचारों का झगड़ा है।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा एवं श्री गौरी शंकर के बीच कुछ बातें होते रहने पर)

मान्यवर, यह झगड़ा बन्द करा दें, मेरा ध्यान उस ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं, झगड़ा चल रहा है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि इसको न सजा का विषय बनाया जाय, न इनाम का विषय बनाया जाय। इस पर मान्यवर, जिस अधिकारी ने लिखा है उसकी नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। उसने गांधी जी के विचारों को अपने नाम के आगे जोड़ा है। इसलिए अगर कोई लेखक प्रकाशक अपने नाम के आगे तखल्लुश से हरिजन शब्द का प्रयोग करता है तो मैं प्रसन्नता व्यक्त करूंगा कि उसने इस शब्द का प्रयोग अपने नाम के आगे किया है।

(व्यवधान)

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप कोई निर्णय लें तो इसकी तात्कालिकता की तरफ ध्यान दें, अविलम्बनीयता की तरफ ध्यान दें उसके बाद हमारी तरफ देखें और अपने पीछे टंगी हुई महात्मागांधी जी की तस्वीर को भी देखें। आज आपका जो निर्णय होगा वह गांधी और गोडसे की विचारधारा के बीच का निर्णय होगा अगर आप कोई अन्यथा निर्णय लेते हैं तो गोडसे की विचारधारा को बल मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं कहना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, इनको इजाजत कहां मिली है ?

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

यह चुटकी लेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, अगर मुझे चुटकी लेना होता तो गौरी शंकर जी अनाधिकृत रूप से एक मंत्री की कुर्सी पर कब्जा किये हुए हैं हो सकता है कि गलती से बैठ गये हैं। एक पुरानी कहावत है कि गाय गाय का ब्याह हुआ तो इसलिए बैठे हों तो मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं यह हमको छोड़कर उधर गये हैं तो भगवान करे इनको जरूर मंत्रिपद मिले।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और उनके दल के अन्य माननीय सदस्यों ने जो यह पुलिस पत्रिका के बारे में यहां अपने विचार जाहिर किये उसका काफी कुछ उत्तर तो हमारे जनता दल के

सदस्यों ने ही दे दिया और हमारा काफी भार ऊदल जी ने हल्का कर दिया । यह सब लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि अब सरकार में कोई वर्ग सूचक या जाति सूचक हरिजन शब्द नहीं है । यह सही है कि आप अगर अपने नाम के आगे हरिजन लिखना चाहते हो तो लगावें, तिवारी जी लगावें चतुर्वेदी जी लगावें वह उनकी सुगमता है । हरिजन शब्द हिन्दी शब्द कोष से अलग नहीं हो गया है । सरकारी अधिकारियों के लिये नियम होते हैं, आप सब लोग भी इस बात को मानते हैं कि नियमों का पालन नहीं होगा ।

श्री ऊदल–

कोड आफ कंडक्ट है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एक अनुशासन होता है, अगर नियमों के विपरीत अधिकारी कुछ करेंगे तो नियमों की बात किस तर्क से हम यहां प्रस्तुत करेंगे । इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 3-11-48 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पूर्व दिये गये नाम में कोई परिवर्तन शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकता है । श्रीमन:, जिस अधिकारी का नाम लिया गया है, वह पत्रिका जो है, सरकारी पत्रिका है और जो वहां के प्रधानाचार्य होते हैं वही प्रकाशक होते हैं । हरिजन शब्द आगे जोड़कर एक तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया है उसकी विवेचना हो रही है जांच हो रही है । (व्यवधान) जो पत्रिका में व्यंग था, आरोप बोधक जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, आपत्तिजनक जो है, वह जांच की कार्यवाही की जा रही है । जांच में जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे, उन पर कार्यवाही होगी । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया है । आप संतुष्ट होंगे कि नियमों का पालन होना चाहिये, अगर वरिष्ठ अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है व्यंग के रूप में या अपमान के रूप में अपने नाम के आगे हरिजन शब्द बिना शासन की अनुमति के लगाता है तो मैं समझता हूं कि आप सब सहमत होंगे कि जांच होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए । कदाचित तिवारी जी भी सहमत होंगे, महत्मा गांधी जी के प्रति हमारा सम्मान है, जीवन भर सम्मान रहेगा, कड़ाई से सबको नियमों का पालन करना चाहिए और जो अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए चौड़ा सीना रखना चाहिए । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) तिवारी जी को इसमें सहयोग देना चाहिए । (व्यवधान) जहां तक कुछ माननीय सदस्यों ने डी० जी० पी० के बारे में कहा, उस पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में कोई अनुमोदन या इस तरह की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, वह उसमें आते ही नहीं । उसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी प्रधानाचार्य जो होता है उसकी होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में शेष सूचनायें जो प्राप्त हुई हैं, उनमें श्री वासुदेव सिंह की सूचना को छोड़कर सभी पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नियम 56 में यह नहीं आती हैं अत: अस्वीकार की जाती है ।

(मद संख्या 32 के पुकारे जाने पर व श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री ऊदल–

एक नियम 56 में सूचना दी थी दो मिनट सुन लें बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अगली मद ले ली है। माननीय ऊदल जी इन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, सुन लें, मुझे, नहीं तो संसदीय परम्पराओं को तोड़ना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब दूसरी मद ले ली है।

श्री ऊदल–

मैंने अध्यक्ष जी से कहा था जब आप विराजमान हो रहे थे तब भी मैंने कहा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी को सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं केवल ऊदल जी को अनुमति देता हूं 2 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री ऊदल–

मान्यवर, कल रात में दूंककाल आया था। गाजीपुर बिधुने में कल भोर में साढ़े चार बजे एक व्यक्ति पकड़ा गया जनार्दन यादव, थाना बिधुने के अन्तर्गत भोर में बन्द कर वहां के थानाध्यक्ष वहां के एस० आई० बी० डी० सिंह व मिश्रा जी दोनों एस० ओ० तथा एस० आई० मनमोहन सिंह बी० डी० सिंह ने मारा, साढ़े दस बजे थाने के परिसर में वह मर गया। इससे गाजीपुर मऊ बनारस में इस घटना को लेकर बहुत ही असन्तोष और रोष व्याप्त हो गया है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी से कहा था उन्होंने कहा था कि सुन लिया जायेगा। (व्यवधान)

(इसी मध्य कुछ क्षणों के लिए बिजली गुल हो गयी)

इस कार्य-स्थगन को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा करा दें या सरकार को निर्देशित करें कि तुरन्त इस मामले में सरकार दोनों थानाध्यक्ष और एस० आई० को निलम्बित करे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराये मृतक के परिवारजन को एक लाख रुपये का मुआवजा दें यह आप निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों उपब्धियों और पेंशन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आप अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें हां या न करा लिया जाये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इसमें कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, उपलब्धियों के सिलसिले में विधान मण्डल दल के सभी सदस्यों के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं यह नहीं समझता हूं कि आज के भीषण संकट के समय में यह विधान मण्डल दल के सभी सदस्यों के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का सारा पैसा विधान मण्डल के सदस्यों के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है। (शोर) मान्यवर, मेरी दूसरी बात यह है कि एक ओर तो जनता के बीच में यह भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार ने विधान मण्डल के सभी सदस्यों को कुछ लाभन्वित किया है और दूसरी तरफ इसमें है कुछ नहीं। सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे पारित करने के लिए न रखते तो ज्यादा उचित होता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने खुद ही सकारा है कि इसमें कुछ नहीं है और इसमें सिर्फ बदनामी ही है। जब इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं भी हो जाये। इसमें वाकई कुछ नहीं है। इसमें अपने आपको तसल्ली दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द "पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा, और–

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में–

(एक) शब्द "पचासी रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (पांच-ख ख) और खण्ड (पांच-ग) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

"(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिए भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा करें और जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करे।"

धारा 24 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण-दो में, शब्द और अंक "वर्ष 1980 में" के स्थान पर, शब्द और अंक "वर्ष 1980 में या वर्ष 1985 में" के स्थान पर, शब्द और अंक "वर्ष 1980 में या वर्ष 1985 में" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 1994 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कल एक विषय मैंने नियम–311 में उठाया था, जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा हत्या का, इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुये कहा था कि सूचना अधूरी है और कल पूरा जवाब दे दिया जायेगा। आई० जी०, मेरठ, पश्चिमी जोन से रिपोर्ट मंगाई जायेगी। मान्यवर, उसका जवाब दिलवा दें, जिससे हम जानकारी हासिल कर सकें।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता जी, कल यह प्रकरण सदन में आया था और इसकी गम्भीरता को महसूस करते हुये यह कहा गया था कि अगर एक दिन रुक जायें तो इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। कल जो जवाब आया था, उसमें मैं स्वयं मुतमईन नहीं था। आज मेरे पास पूरी जानकारी है। कल जो बिन्दु उठाये गये थे, उसमें मुख्य सवाल यह था कि कितने लोग मुजफ्फरनगर में इन्काउन्टर में मारे गये हैं, किसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी ? मृतक सुधीर कुमार की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी ? मैं बजाय इसके कि आप कोई सवाल पूछें, मैं सारा बताये दे रहा हूं। कुल इन्काउन्टर में मारे गये लोगों की संख्या 21 हैं, ऐसे लोग जो पहचान लिये गये, जिनकी शिनाख्त हो गयी, उनकी संख्या 13 है। बाकी जो लोग हैं, पुलिस इन्काउन्टर में मारे हुये, उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, न ही उनकी लाश का कोई दावेदार था। बाकी 13 की क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे पास है, आप चाहेंगे तो पूरी पढ़कर सुना दूंगा। जहां तक सुधीर कुमार का ताल्लुक है, उसको पकड़ कर मारा जाना नहीं बताया गया है, उसका इन्काउन्टर हुआ है, यह आज के अखबारों से भी आपको मालूम हुआ होगा। उस इलाके में जो चीजें बहुत आम हैं, जैसे बच्चों के अपहरण, चलते हुये लोगों की चेन खींचकर भाग जाना, मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूटकर भाग जाना, किसी के सिर पर रिवाल्वर लगाकर उसका मकान खाली करा लेना, इस तरह की चीजें वहां बहुत आम हैं। यही शिकायत इन साहब की भी थी और इसी पर इनका इन्काउन्टर हुआ है। उनका आपराधिक इतिहास मैं बता रहा हूं। वर्ष 1993 में इनके खिलाफ धारा 386 और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ, यह 386 छीनने के संबंध में है, समान छीनकर भाग जाना और जान से मारने की धमकी। उसके बाद 1994 में एक जूनियर इंजीनियर की हत्या में यह मुलजिम है और मेरे ख्याल से कत्ल के मुकदमें में किसी का मुलजिम होना आपराधिक इतिहास के लिये अच्छा खासा है, कोई कम नहीं है, यह दो बातें मुख्य हैं, इसके अलावा उसके खिलाफ छोटी-मोटी शिकायतें भी हैं। एक चीज और आप लोगों की जानकारी में देना चाहूंगा कि उसकी मां ने दूसरी शादी की थी और दूसरे शौहर से भी उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, 3 बच्चे हुये थे। उसकी मां का यह मानना है कि मेरे बेटे की हत्या उसके बाप ने कराई है। लेकिन पुलिस इस जिम्मेदारी को मानते हुये यह कह रही है कि उसने ही इसको मारा है लेकिन मरने वाले सुधीर की मां ने टेलीग्राम पुलिस को भेजा है जिसमें मां ने यह शुबहा जाहिर किया है कि उसके बेटे की हत्या उसके बाप ने कराई है क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता था कि मेरे और उसके सम्बन्ध रहें, ऐसा टेलीग्राम आया है, जिसकी कापी मेरे पास है। मान्यवर, इन हालात को देखते हुये और जो क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे पास है, उसकी जिस तरह से मौके पर मौत हुई है, उससे नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ने पकड़कर उस शख्स का कत्ल किया हो, बल्कि उसका इतिहास इस तथ्य को साबित करने के लिए काफी है।

श्री ऊदल–

कत्ल करना इन्काउन्टर में नहीं आता है, यह धारा 395 और 396 में आता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऊदल जी हम और आप सार्वजनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में काम करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिनको हम तजुर्बे के तौर पर कहते हैं, वह जाहिर नहीं होता है। वह शातिर अपराधी था।

अगर कोई शातिर मुजरिम या क्रिमिनल 10 बार अपराध करता है और नहीं पकड़ा जाता है, 11वीं बार पकड़ा जाये तो वह यही कहेगा कि मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री की शुरुआत आज से होती है, बहुत से शातिर मुजरिम होते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी से सुधीर की जो क्रिमिनल हिस्ट्री बतायी। वह 386/506 का और किसी एक मर्डर में इन्वाल्व होगा। आप जानते हैं और माननीय मंत्री जी को भी अच्छी तरह से पता है कि जिस राजनैतिक जीवन की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं और सभी को इस बात का पता है कि समाज में आपसी रंजिश के कारण भी हत्यायें हो जाया करती हैं, कभी-कभी न चाहते हुए भी उत्तेजनावश मर्डर हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि वह अपराधिक स्वभाव का होगा, झूठे नामजद भी किये जाते हैं। झूठा नामजद भी हो सकता है, उत्तेजनावश वह घटना हो सकती है। इससे यह कह देना कि वह अपराधिक स्वभाव का था या आपराधिक इतिहास का था, माननीय मंत्री जी का यह कहना उचित नहीं है। मान्यवर, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह यही है कि उसकी मां ने टेलीग्राम किया है कि उसके बेटे की हत्या उसके पिता ने करवायी है। यह पुलिस की मनगढ़न्त कहानी का एक हिस्सा और इसीलिए माननीय हरेन्द्र मलिक ने जोर देकर कहा कि इसके लिए इस सदन की एक समिति बना दी जाये ताकि सच्चाई सामने आ जाये कि इन्काउन्टर में मारा गया है या उसको पकड़कर ले जाकर मारा गया है। मान्यवर, पेशबन्दी में मां से तार दिला दिया गया, उसकी मां को तीन दिन थाने में भी रखा और फिर इसकी तरफ से टेलीग्राम दिलवा दिया ताकि उनके ऊपर इस जघन्य हत्या का आरोप न लगने पाये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वह मुकर क्यों रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी है और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आये तो आप निर्देशित कर दें और इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें और वह समिति इसकी जानकारी कर ले। अगर पुलिस ने कोई अपराध नहीं किया है तो समिति के सामने आ जायेगा और अगर पुलिस ने अपराध किया है तो वह भी सामने आ जायेगा। चोर की तफ्तीश चोर नहीं कर सकता। अगर पुलिस के खिलाफ जांच पुलिस करेगी तो सही तथ्य सामने नहीं आ पायेंगे। क्योंकि कोई भी उच्च पुलिस अधिकारी नीचे के पुलिस अधिकारी की खिलाफत नहीं करेगा इसके अलावा कुछ विभागीय मर्यादा होती है, उससे वह बंधे होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की समिति सच्चाई जानने के लिए बनाने के निर्देश देने की कृपा करें ताकि सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाने का वह काम कर सके।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने नियम–56 की सूचना दी थी, मेरे आरोप के सिद्धान्ततः माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, आपके पास पर्याप्त प्रमाण है कि लड़के को पुलिस ने उसके घर से उठाकर ले गयी और उसका कत्ल कर दिया। मान्यवर, हमारी मानसिकता दूसरी है। मैंने माननीय मंत्री जी को पूरी बात बताकर स्पष्ट कर दिया था, मुजफ्फरनगर में कल ही दो लड़कों को पुलिस ने मारा है, यह सही है कि वह बदमाश थे, मैंने कहा भी था और यह अनुरोध करूंगा कि जांच करा लें, कि जनता ने पकड़कर पुलिस को दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहूंगा पहला

तो यह है कि जो 22 नामी बदमाश मुजफ्फरनगर में है, उनमें से कितने मारे गये और ऐसे कितने लोगों का इनकाउण्टर हुआ है कि जिनका अपराधिक इतिहास नहीं है ? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन 8 लोगों को रविन्द्र वगैरह को घर से पकड़कर लाये थे । दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि वास्तव में सुधीर इन्काउन्टर योग्य था, क्या उसने इतना गम्भीर अपराध कर दिया ? जे०ई० के कत्ल में शामिल था ? यह तय था कि जांच, तफ्तीश के प्रकाश में आ रहा था ? कृपा करके इन दो बिन्दुओं पर प्रकाश डाल दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मलिक साहब ने 21-22 लोगों के संबंध में और उनमें से इन्काउन्टर में मारे गये लोगों के संबंध में कहा है, किसी एक का या ऐसा कोई नहीं है जिसका अपराधिक इतिहास न हो, सभी का है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, 22 नामशुदा है, कितने मारे गये और कितने नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह बात सच है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अपराधिक इतिहास न हो । मेरे पास सूची है, सबका अपराधिक इतिहास है, अगर आप कहें तो उनमें से सबके नाम और इतिहास को बोलना चलूं । मान्यवर, मैं इस विषय में बहुत बहस में नहीं जाना चाहता हूं बहस होगी तो बहुत सी नयी बातें निकलेंगी, साबित हो गया है जितने मुकदमात थे उसमें कोई भले आदमी यह नहीं थे, यह साबित होना है कि भले आदमी नहीं थे, 307 में मुल्जिम है, अब तो कत्ल करने का प्रचलन चल गया है, अगर किसी की सामने से नाराजगी है तो वह उसे खुद नहीं मारता है बल्कि अब तो किराये से कत्ल करवाया जाता है, तो असली कातिल तो वह है जो कत्ल करवाता है न कि वह जो कत्ल करता है ।

श्री ऊदल–

क्या सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि जिसको चाहें इन्काउन्टर कर दे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री ऊदल–

आप कानून बतायें कि पुलिस को यह अधिकार दिया गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुकदमात 302 का है, आप खुद उसमें नामजद हैं, माननीय ऊदल जी आप तो जानते हैं कि पुलिस की जी० डी० में नाम आ जाने से वह नामित माना जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह नियम–56 में सूचना दी थी, माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है, मैं तो यह समझता हूं कि जो जवाब है, और जो जवाब रखा है, वह मजबूरी में सुनाया है और ऐसा नहीं है कि आपको निश्चित जानकारी न हो, लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो गुनाह हुए हैं आपने....आप बिल्कुल न्याय पसन्द हैं, ईमानदार हैं। हमारी निश्चित जानकारी है कि इस लड़के का नाम 506, 386 और 302 में तफ्तीश के बाद उजागर हुआ, उसके पहले यह नामजद नहीं था। उस लड़के को सरेआम घर से उठाकर ले गये, थाने में रखा गया, यह हमारी निश्चित जानकारी है उसके बाद पुलिस ने उसको मार दिया और इन्काउन्टर बता दिया। हमारी जानकारी के आधार पर, आपने भी खुद कहा है टूटी-फूटी सूचना प्राप्त हुई है, तो इसकी जांच जिले के अधिकारियों से न करा कर अपराध अनुसन्धान विभाग लखनऊ से करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपने यह जानना चाहा था माननीय मलिक साहब ने कि कितने इनामी बदमाश हैं, इनामी बदमाश 40 हैं जो मारे गये हैं वह 5 हैं जिसमें से एक मुजफ्फरनगर का भी मारा गया है और 5 गिरफ्तार हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस सारी बहस से हट कर मरने वाले से मां और भाई का खूनी रिश्ता होता है मैं समझता हूं कि मां से ज्यादा दर्द किसी को नहीं होगा, आपको भी होगा, हमें भी होगा क्योंकि हम समाज सेवा में लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मां को होगा उसके बाद किसी को होगा तो भाई और बाप को होगा। अभी तक मां की तरफ से कोई शिकायत नहीं आयी है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मरने वाले की मां किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है या उसमें पुलिस का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी।

(व्यवधान)

(मद संख्या 33 पुकारे जाने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं आप क्यों रोक रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

जांच कौन करेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

पहले रिपोर्ट तो दर्ज कराइये।

श्री किरन पाल सिंह–

अपराध अनुसन्धान शाखा से जांच करा दीजिये। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री किरन पाल सिंह–

पहले हमारी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री तेजपाल सिंह आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1989 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाना है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 के निरसन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

2–यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सुधीर कुमार की हत्या विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 1994 की नियम 56 की सूचना पर जानकारी मांग (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

पद संख्या 35 चर्चा जारी रहेगी ।(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

चर्चा कराते रहेंगे, पहले उत्तर दिला दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सीट पर तो जायं । (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

एक बेगुनाह लड़का मारा गया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपने आसन पर पहले जायें और वहां से अपनी बात कहें ।

(जनता दल के माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर वेल से वापस गये)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मामला सही है इसलिए पुलिस की रिपोर्ट पर मुझे शक है । इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले को अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच करवायें ।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं किसी का पक्ष लेते हुए नहीं बल्कि जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुसार कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों पुलिस की सख्त कार्यवाही के फलस्वरूप उस पूरी पट्टी में क्राइम पर रोक लगी है । यदि हम उसमें दूसरा रुख अख्तियार करेंगे तो ठीक नहीं है और इसमें मिनिस्ट्रियल जांच चल रही है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसमें लड़के को पुलिस घर से उठा कर ले गयी है, वहां क्राइम बढ़े हैं लेकिन यदि पुलिस क्राइम कन्ट्रोल के नाम पर और वाहवाही लूटने के नाम पर नवजवान लड़के को घर से ले जाकर मार दिया जाये और आप अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मान्यवर, आप निर्देश दें कि इसकी अपराध अनुसन्धान विभाग से शासन जांच करायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, चूंकि इसमें मिनिस्टीरियल जांच चल रही है इसलिए दूसरी जांच कराना सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री हरेन्द्र जी ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं उन्हें एस० आई० आर० के रूप में दर्ज करने की व्यवस्था करके क्या इसकी जांच करायेंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, ठीक है सी० आई० डी० से चेक-अप करा लेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यदि आप इस हत्या की निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं तो हमारी मांग है कि मंत्री जी क्या इसमें सी० आई० डी० से जांच कराने का स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए हम इसकी सी० आई० डी० से जांच करा लेंगे।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग (जारी) †

†श्री अकबर अली–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गृह एवं सामान्य प्रशासन पर जो बजट पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज प्रदेश में सामान्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 26 अप्रैल, 1994 की कार्यवाही से।

प्रशासन के नाम पर जो सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को परेशान करने का तरीका निकाला जा रहा है, उसके संबंध में कुछ तथ्य मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। अभी कल आजमगढ़ के कुछ मुसलमान लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। उन मुसलमानों को जो पशु वध के लिए लाइसेंस निर्गत हुआ करते थे, उस पर वहां के पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसी तरह से कानपुर देहात के जिला मजिस्ट्रेट ने.....

नियम 341 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं सुबह से आज इस माननीय सदन में खड़ा हो रहा था, जैसा कि आज तक कभी मेरे साथ नहीं हुआ है, वह मेरे साथ हुआ। जो मेरे साथ हुआ, मुझे बोलने को नहीं दिया गया, उसके बारे में समुचित जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे अपनी बात को न बोलने दिया न ठीक से रखने दिया....

श्री अध्यक्ष–

मैंने खबर भेज दी थी। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिये....

श्री ऊदल–

मैंने अपनी परम्पराओं को तोड़ा एक बार नहीं पच्चीस बार कहा, लेकिन नहीं। तो आप सरकार को कम से कम निर्देश तो दे दें कि वह इस मामले की जांच करवायें। आप नहीं थे तो मुझे पहली बार आज यह कहना पड़ा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लीजिये। ऐसा है कि ऊदल जी कि मैं एक आवश्यक कार्य से चला गया था अपने कक्ष में और जब मैंने यह सुना कि आप बार-बार कह रहे हैं, लेकिन आपको अवसर नहीं मिल रहा है, तो मैंने सचिव साहब को भेजा। मैंने आपका नाम कह दिया था (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं इसीलिए व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी कोई हो, जो उस पीठ पर बैठ गया निर्णय अपना लेगा, खबरों के आधार पर नहीं और मान्यवर, दूसरी बात यह है कि माननीय ऊदल जी ने जो कहा तो उस समय पीठ पर विराजमान पीठासीन अधिकारी ने ऊदल जी को सुनने के लिए आश्वस्त भी किया था।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

हमारी भी सुनें, मान्यवर, सुन लीजिये। जो प्रकरण ऊदल जी उठाना चाहते थे वह सदन के संज्ञान में भी आ गया और आप उचित समझें तो ऊदल जी को सुन लीजये।

श्री अध्यक्ष–

आप कहियेगा मैं सुनुंगा, मैं अनुमति दे रहा हूं आपको।

श्री ऊदल–

कल 26 तारीख को जिला गाजीपुर के थाना बिधूना के थानाध्यक्ष, जिनका नाम है श्री मनमोहन मिश्र वह अपने एक एस० आई० के साथ वहां के एक युवक जिसका नाम जनार्दन यादव है, उसको घर से रात में पकड़ लाये और थाना परिसर में रखकर प्रातः साढ़े चार बजे पेड़ में बांध दिया और पेड़ से बांधकर मारना शुरू किया और अगले दिन 10.30 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। मैं समझता हूं कि रात को आज वहां बड़ा भारी हंगामा होगा। थाने का घेराव होगा और एस० पी० के यहां भी घेराव होगा। रात को 12.00 बजे मेरे पास ट्रंककाल आया। मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है पुलिस का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जो लोग अपराधी नहीं हैं या छोटे-मोटे अपराध करते हैं, उनको पकड़ लेती है और अपने प्रमोशन के लिए इस तरह से पकड़कर इन्काउन्टर कर देती है। पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है सुबह से यह प्रकरण यहां चल रहा है। मैंने श्रीमन्, कभी भी किसी प्रश्न को उठाने के लिए, कभी किसी से नहीं कहा, आपके कक्ष में भी नही कहा कि इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया जाय लेकिन मान्यवर, आज जिस तरह की यह घटना घटी है, मुझे रात को 12.00 बजे जागना पड़ा जिसके तहत मेरी तबीयत भी खराब हो गयी। मैं पहली बार आपके कक्ष में भी गया। आपने आश्वासन दिया था। मेरा निवेदन है मान्यवर, इन लोगों का निलम्बन किया जाय। संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाय। चाहें तो न्यायिक जांच करा ली जाय। रिटायर्ड जज से या वर्किंग जज कोई हो उससे करवायी जाय। जिनके घर के लोगों को मारा है उनको कम से कम एक लाख की अनुग्रह धनराशि सहायता के रूप में दी जाय। मान्यवर, यही मेरा निवेदन था और यही निवेदन करने मैं आपके कक्ष में गया था। मैं कोई बहस नहीं करवाना चाहता बस माननीय मंत्री जी सन्तुष्ट कर दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, अभी ऊदल जी ने जो सूचना दी है, वहां के कमिश्नर से जांच करा लेंगे और जांच के बाद भी हम आपको बुलाकर सन्तुष्ट कर देंगे।

श्री ऊदल–

उनको तब तक वहां से हटा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम आपसे बात कर लेंगे।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

श्री अकबर अली–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। अभी मैं कानपुर देहात की बात कर रहा था। इसे पहले आजमगढ़ की बात बतायी थी। कानपुर देहात में कमिश्नर साहब ने, जिलाधिकारियों ने जो पशु बध लाइसेंस निर्गत होते थे जिला परिषद् द्वारा उसके लिये आदेश पारित कर दिये कि कोई भी पशु बध लाइसेंस निर्गत नहीं किये जायेंगे। इससे प्रदेश में एक अजीब माहौल, एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। संविधान में हर किसी को व्यवसाय करने का, अपनी रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है।

लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को जब लाइसेंस नहीं निर्गत किये जा रहे हैं तो उनके सामने रोजी-रोटी का मसला दरपेश हो गया है, वह परेशान हाल हो गये हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में चन्द्र शेखर सिंह पशुधन राज्य मंत्री थे इन्होंने एक आदेश निकाला था जिसके तहत प्रदेश की समस्त बध शालाओं पर रोक लगा दी गई थी, उसके विरोध में व्यवसायी माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद में गये। वहां से आदेश जारी किये गये कि यह व्यवसायिक मसला है, किसी के व्यवसाय पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जो राजाज्ञा थी माननीय हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं उसके तहत भाजपा का शासन खत्म होते ही यहां दोबारा आदेश निर्गत हुए और लाइसेंस जारी किये जाने लगे। अब प्रदेश में यह गरीबों, दलितों और मुसलमान की सरकार चुनकर आई है, जिसमें सबको बराबरी का हक है और बड़ी बड़ी आशाएं हैं। हमारी सरकार सबको न्याय देने जा रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, यह सम्प्रदायिक लोग हैं। यह चाहते हैं कि किसी तरह से दलित शोषित समाज की सत्ता शासन में आयी है उसको अपाहिज बना दिया जाए। इस पर गौर करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शासन ने रोक लगाई है जो-जो प्रस्ताव आये हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। व्यवसायियों को तत्काल लाइसेंस की व्यवस्था की जाए। हमारी सरकार की बदनामी करने का षडयन्त्र किया जा रहा है। यह जलसे करते हैं मीटिंग करते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी का जनपद इटावा है वहां मीटिंग हुई वहां मुसलमानों के घर जला दिए गए। उनकी फसलों को जला दिया गया उनके मकानों को जलाया गया, जब कहा गया कि मुकदमा कायम करें, मामला गम्भीर है मुकदमा कायम करके मामले की गभीरता को देखा जाए, उसमें पता नहीं क्या हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ है बताया है, कहा जाता है यह खुद कातिल हैं जिनके घर जले हैं। मैं कहना चाहता हूं जब यह कातिल हैं जिनके घर जले हैं बदमाश हैं। इन्होंने गलत काम किया है तो जिन्होंने फसलों को जलाया है वह कौन से शरीफ लोग हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनको गिरफ्तार किया जाए। श्रीमन् जो गनर दिए जा रहे हैं यह चिन्ता का विषय है विधायकों के अलावा गनर तमाम लोगों को दिए गए हैं उससे मितव्ययिता पर बोझ पड़ा है जिनको गनर देने चाहिए उनको गनर नहीं दिए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं जिनकी जान-माल को खतरा है उन को गनर दिए जाएं। शस्त्रों के लाइसेन्स है वह दलितों और शोषितों को ज्यादा मिलने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

(दो सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वह नहीं कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय लाइसेंस इस तरह से बांटे गए, उस समय यह नहीं देखा गया कि कौन आदमी अपराधी प्रवृत्ति के है कौन सही आदमी हैं। मान्यवर, जो लाइसेंस दिए गए हैं उनकी पुनः जांच कराई जाए। अगर अपराधी प्रवृत्ति के हों तो लाइसेंस को निरस्त किया जाए। जो दलितों की किसानों के हितों की बात करते हैं इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जब अनुसूचित जाति के तबके के लोग थाने पर जाते हैं तो वहां का दरोगा यह कहता है कि तुम्हारी सरकार है उसकी एफ०आई०आर० नहीं लिखी जाती है किसी कारणवश उसकी एफ०आई०आर० लिखनी पड़ी तो उस एफ०आई०आर० को नहीं लिखते हैं जिससे पीड़ित होता है। महिलाओं का जो मान्यवर उत्पीड़न हुआ है वह कहीं छिपा नहीं है। दौना कांड जाना-माना कांड है पूरे प्रदेश की जनता पुलिस के खिलाफ आ गई लेकिन सरकार जो महिलाओं की रक्षा की बात करती है। महिलाओं के विकास की बात करती है। लेकिन महिलाओं के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

हमारे क्षेत्र में एक थाना वजीरगंज है वहां एक दरोगा पुक्तेश्वर राय हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे एक सम्मानित सदस्य को बेइज्जत किया था। आज वह अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान करते हैं। अगर चोरी या डकैती होती है उन लोगों के नाम लिख लेते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको रोकने में यह सरकार असफल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के अत्याचारों को समाप्त किया जाए व श्री तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी तक यह परम्परा रही है कि जो कटौती का प्रस्ताव रखता है, जो बजट रखता है उसके ठीक पूर्व बोलने की अनुमति दी जाती रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर भाषण में कह लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं थोड़ा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं पक्ष और विपक्ष के उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पक्ष या विपक्ष में अपनी राय रखी। कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इस सम्बन्ध में जिन्होंने अपने विचार रखे है, मैं उन सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कुछ सुझाव रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल भी मैंने कहा था कि सिपाहियों पर कुछ प्रतिबन्ध हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। जिले के बार्डर का अंकुश है, वह उचित नहीं है। आवास के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और आहार के लिए जो पैसा मिलता है, वह कैदियों से भी कम है। कैदियों को सात रुपया मिलता है जबकि पुलिस के सिपाही को तीन रुपया मिलता है। वेतन के संबंध में मैंने कहा था, वह किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में मैंने कहा था। किशोरों का मामला विधान सभा में बहुत ही गम्भीर रूप से उठा था कि किशोर की हत्या कर उसकी लाश को विधान सभा सचिवालय में मिली थी। पर इस सरकार की यह अक्षमता थी, कि उस प्रकरण को सुलझा नहीं पाई। इन्हें उस मामले को सी०बी०आई० को सौंपना पड़ा। यह पुलिस प्रशासन की अक्षमता का प्रतीक है। जहां सरकार का मुख्यालय है, जहां सचिवालय है वहां लाश मिली रक्त के कई संकेत भी मिले, लेकिन पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाई। यह सरकार के लिए कलंक की बात है। इसी तरह से कानपुर और बनारस का प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। यह सरकार पर सवालिया प्रश्न चिन्ह है। वह प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। इन सभी पर अंकुश लगाने की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन से वर्तमान समय की

तुलना की जाय तो कानून व्यवस्था की स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आई है । किन्हीं भी परिस्थितियों में समाज में जो साम्प्रदायिकता और जातीयता का जहर फैल रहा है, उस पर मा० मुख्य मंत्री जी अंकुश लगाएंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मा० मुख्य मंत्री जी अपना बजट का प्रस्ताव वापस ले लें और हमारा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं । माननीय नेता कांग्रेस और माननीय हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) और सभी माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय भी रखी और सुझाव भी दिए । खुशी की बात है कि सरकार की जो नीति है और जिन उसूलों को लेकर हमें समर्थन मिला उन उसूलों पर सरकार पूरी तरह से कायम है । जहां तक अपराधों की तुलना का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने भाषण में पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि ला-एंड-आर्डर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खत्म हो गयी है, जंगल राज है किसी की जान अब सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रह गयी है, तो इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है इसीलिये हमने तुलनात्मक आंकड़े दिये थे और कहा था कि भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार से, हमारी सरकार में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है । जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, इस समय महामहिम राज्यपाल के संरक्षण में और उनके सहयोग से सरकार चल रही है । मैं प्रमोद तिवारी जी से कहूंगा कि मैं राष्ट्रपति शासन से इस शासन की तुलना नहीं कर सकता । आप भी सहमत होंगे कि महामहिम राज्यपाल के शासन से तुलना करना कोई उचित नहीं है । मान्यवर, मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां तक गाजियाबाद में बच्चे के अपहरण का सवाल है, हम सब दुखी हैं, चिन्तित हैं और पूरी तरह से प्रयास है कि बच्चे को अपराधियों के हाथ से मुक्त कराया जाय और इसमें पूरी तरह से पुलिस सक्रिय है । हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हम और आप मिलकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, नेता हैं उनका भी सहयोग चाहूंगा । आखिर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था अच्छी हो रही थी तभी ऐसा अवसर आया कि 4 साल के बच्चे को उठा लिया गया, इसमें एक षडयंत्र लग रहा है और जांच के बाद पता लगेगा और जल्दी ही बच्चे को मुक्त करा लिया जायगा । जहां तक श्री प्रमोद तिवारी, श्री हरेन्द्र सिंह जी (मुजफ्फरनगर) ने निर्बल वर्ग को भयमुक्त वातावरण मिलने की बात कही है और यह कहा है कि पुलिस अपराधियों के साथ है, माननीय ऊदल जी ने जो कहा है, तो हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अपराधियों के लिये पुलिस होगी, भले आदमियों के लिये पुलिस नहीं होगी । हमारा पहले भी नारा था कि इस सरकार में अपराधी तो छिपकर निकलकर जायगा लेकिन भला आदमी सीना तान कर निकलेगा । (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार का यह प्रयास है और इसका नतीजा आपके सामने आयेगा । जहां तक आई०एस०आई० पर कड़े नियंत्रण का सवाल तिवारी जी ने उठाया, तो सरकार पूरी तरह से आई०एस०आई० पर नजर रखे है और केन्द्र सरकार से बाकायदा सम्पर्क बना हुआ है । जाति और धर्म के आधार पर यह सरकार न चली है और न चलेगी । (मेजों की थपथपाहट ।) जाति और धर्म के आधार पर हमारी सरकार की कोई कलम नहीं चलेगी, जाति और धर्म के आधार पर कलम चले तो

सभी माननीय नेताओं को छूट देता हूं कि हमारी कलम को पकड़ने का आपको अधिकार है, टोकने का आपको पूरा अधिकार है । हम जाति और धर्म के नाम पर कोई काम नहीं करेंगे । जहां तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है, उनमें आज पूरी तरह से सुरक्षा की भावना है । आपको जानकारी मिली होगी जब यह त्योहार, होली और ईद हुये तो ईद पर इतनी नमाज कभी नहीं पढ़ी गयी जितनी कि इस वर्ष पढ़ी गयी । यह इस बात का प्रमाण है कि अल्पसंख्यकों के दिलों में कोई भय नहीं है । और हमें ही नहीं, हमारे जो विरोधी भी हैं, राजनैतिक विरोधी हैं, उन्होंने मुझको टेलीफोन करके कहा था कि हजारों मुसलमान बच्चे शहर में घूम-घूम कर ईद मना रहे हैं । तो हमारे अल्प संख्यकों के अन्दर सुरक्षा की भावना अवश्य है । जो अच्छे अधिकारी हैं, उनको हम प्रोत्साहन देंगे । देहरादून के जो अग्रवाल की हत्या बताया था, उसमें हमने पुलिस को हथकड़ी डाल कर जेल भेजा है । जहां पर हम पुलिस को प्रोमोशन दे रहे हैं, वहीं पर हम गलत काम करने वालों को सजा भी दे रहे हैं । इस तरह से जो हमने इन्साफ का वादा किया था, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है । माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक ने एक सवाल उठाया था कि जो सब-इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग में हैं, उनको एक हजार रुपया महीना दिया जाता है, हमने यह तय कर लिया है कि जब वे ट्रेनिंग में जायेंगे, तो उन्हें पूरी तनख्वाह दी जायगी, क्योंकि पी०सी०एस० के लोग या अन्य लोग जो ट्रेनिंग में जाते हैं, उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है, तो हम समझते हैं कि जो आपका प्रमुख मुद्दा था, उससे आप सहमत हो गये होंगे । जहां तक अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल है, किसी तरह से पक्षपात नियुक्तियों में नहीं किया जायगा, इससे पूरा सदन, पूरे नेता सहमत होंगे और मैं माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, हमने आपके सुझाव को मान ही लिया है । महामहिम राज्यपाल के समय से अपराध की कमी रही ही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपके सदन को चलाने के लिए यहां पर जो रक्षक हैं, उनको पदोन्नति का अवसर होता है, उनकी सेवाओं का लाभ उन्हें नहीं होता है...

श्री अध्यक्ष–

वह तो हम और आप बैठ कर बात कर लेंगे, क्या उसमें परेशानी है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

इसीलिए मान्यवर, मैंने कुछ कहने से पहले ही कह दिया । मान्यवर, कई बार कटौती के प्रस्ताव मैंने वापस लिया है । आपने मेरे सुझाव को मान लिया है, इसलिए आप मेरी बात मान लें, आप अपना बजट वापस ले लें और मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,45,85,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,48,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

विधेयक की प्रतियां वितरित की जाय ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994

31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग की अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1994 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में वर्ष 1994-95 के लिए 2,19,67,75,61,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग (उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1994) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 2,19,67,75,61,000 रुपये (केवल दो सौ उन्नीस अरब, सड़सठ करोड़, पचत्तर लाख और इकसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	11,81,89	*10*	11,81,99
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	18,77,47	*19,35,00*	38,12,47
		पूंजी	83,60,00	*10,40,00*	94,00,00
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	38,77	..	38,77
		पूंजी	5,00	..	5,00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	4,79,82	*10*	4,79,92
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	27,13,03	*200*	27,15,03
		पूंजी	6,35,01	..	6,35,01
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	34,04,64	*603*	34,10,67
		पूंजी	17,37	*5,72*	23,00
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	1,80,06	*65,14*	2,45,20
		पूंजी	89,05,00	*3,98,02*	93,03,02
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	33,37,53	..	33,37,53
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	2,54,79	..	2,54,79
		पूंजी	8,92,17,00	..	8,92,17,00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	40,94,13	*18,13*	41,12,26
		पूंजी	6,08,10	..	6,08,10

1	2			3
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	3,44,79,95	3,12	3,44,83,07
	पूंजी	1,06,12,53	50	1,06,13,03
12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	52,35,42	..	52,35,42
(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	50,00	..	50,00
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	11,70,89,38	50	11,70,89,88
(ग्राम्य विकास)	पूंजी	16,97,50	..	16,97,50
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1,11,29,79	21	1,11,30,00
(पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	96,94,85	50	96,95,35
	पूंजी	1,08,45	..	1,08,45
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	10,96,30	2	10,96,32
(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	12,01,01	..	12,01,01
17 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	14,46,46	2	14,46,48
	पूंजी	2,00	..	2,00
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	20,21,71	23,91,77	44,13,48
(सहकारिता)	पूंजी	2,00,28,80	15,62,50	2,15,91,30
19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व	2,23,70	..	2,23,70
तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	95,55	3,63,46	4,59,01
	पूंजी	..	..	..
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	50,77,84	5,00,86	55,78,70
	पूंजी	17,71,12,60	70,00,50	18,41,13,10
22 खेल विभाग	राजस्व	7,59,23	..	7,59,23
	पूंजी	5	..	5
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	28,32,33	9,80	28,42,13
	पूंजी	..	5,13	5,13
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	17,12,67	18,72,64	35,85,31
	पूंजी	81,04,00	4,81,00	85,85,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	46,22,20	2	46,22,22
	पूंजी	8,00,00	..	8,00,00
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	9,89,47,37	59,73	9,90,07,10
	पूंजी	5,00,00	73,53	5,73,53
27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	56,38,02	..	56,38,02
	पूंजी	..	..	..
28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	27,66,12	..	27,66,12
	पूंजी	..	..	..
29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	1,16,58	1,16,58
	पूंजी	..	..	..
30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	61,81	..	61,81
	पूंजी	..	..	..
31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	96,56,36	25	96,56,61
	पूंजी	70,02	..	70,02
32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3,12,50,28	1,00	3,12,51,28
	पूंजी	31,54,87	..	31,54,87
33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा	राजस्व	78,32,16	2	78,32,18
	पूंजी	85,48	..	85,48
34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	18,80,18	..	18,80,18
	पूंजी	..	..	..
35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	1,53,03,75	39	1,53,04,14
	पूंजी	6,77,66	..	6,77,66
36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1,47,27,88	50	1,47,28,38
	पूंजी	1,98,00	..	1,98,00
37 नगर विकास विभाग	राजस्व	4,23,45,98	..	4,23,45,98
	पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
38 नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	5,84,23	..	5,84,23
	पूंजी	..	..	..
39 भाषा विभाग	राजस्व	61,52	..	61,52
	पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3
40 नियोजन विभाग	राजस्व	74,26,51	..	74,26,51
	पूंजी	60,00,00	..	60,00,00
41 निर्वाचन विभाग	राजस्व	19,51,78	..	19,51,78
	पूंजी	..	..	..
42 न्याय विभाग	राजस्व	93,46,42	15,26,92	1,08,73,34
	पूंजी	5,00,00	..	5,00,00
43 परिवहन विभाग	राजस्व	12,73,07	12	12,73,19
	पूंजी	10,01	..	10,01
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	5,75,67	..	5,75,67
	पूंजी	24,44,82	..	24,44,82
45 पर्यावरण विभाग	राजस्व	1,81,02	..	1,81,02
	पूंजी	5,00	..	5,00
46 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	60,90	..	60,90
	पूंजी	..	..	..
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	84,04,95	3,00,02	87,04,97
	पूंजी	21,19,29	..	21,19,29
48 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	86,79	2,73	89,52
	पूंजी	..	..	..
49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	57,83,80	..	57,83,80
	पूंजी	25,00	..	25,00
50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	64,97,17	35	64,97,52
	पूंजी	7,20,00	..	7,20,00
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के	राजस्व	45,04,38	75,81,65	1,20,86,03
के संबंध में राहत)	पूंजी	1,41,23	27,47	1,68,70
52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा	राजस्व	2,47,08,62	1,52,53	2,48,61,15
अन्य व्यय)	पूंजी	10,72	10,52	21,24
53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1,13,21	..	1,13,21
	पूंजी	1,00	..	1,00
54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,00,09,35	4,15	2,00,13,50
	पूंजी	..	..	..
55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	11,39,46	56,32	11,95,78
	पूंजी	8,88,89	1,00	8,89,89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2				3
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	8,07,82	29,50	8,37,32
		पूंजी	5,23,09	10	5,23,19
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	6	6
		पूंजी	2,28,18	93	2,29,11
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,48,40,07	10	1,48,40,17
		पूंजी	2,45,88,00	50	2,45,88,50
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	16,77	..	16,77
		पूंजी	..	..	..
60	वन विभाग	राजस्व	87,00,66	20	87,00,86
		पूंजी	15,53	..	15,53
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6,00,46,34	29,22,65,37	35,23,11,71
		पूंजी	36,55,00	21,45,09,08	21,81,64,08
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	4,65,60,60	15,37	4,65,75,97
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	17,98,03	..	17,98,03
		पूंजी	89,19	..	89,19
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	6,39,68,34	..	6,39,68,34
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	31,14,47	3	31,14,50
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	33,96	52,91,13	53,25,09
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	3,63,01	13,91	3,76,92
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	10,05,91	25,29	10,31,20
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,20,00	..	1,20,00

1	2				3
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	18,73,06	..	18,73,06
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	14,89,84,26	1,42,37,54	16,32,21,80
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	9,68,81,08	90,05,55	10,58,83,63
		पूंजी	19,50	..	19,50
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2,45,02,54	2,70,85	2,47,73,39
		पूंजी	5,61,01	..	5,61,01
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	7,78,49	..	7,78,49
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	9,35,59	..	9,35,59
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	34,94,05	2	34,94,07
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	50,34,69	20	50,34,89
		पूंजी	1,12,40	..	1,12,40
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	51,30,89	4	51,30,93
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	1,03,98,02	2	1,03,98,04
		पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	1,99,32,26	2	1,99,32,28
		पूंजी	50,03	..	50,03
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	4,53,78	2	4,53,80
		पूंजी	..	..	..
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	5,90,49	29,93	6,20,42
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	19,01	2	19,03
		पूंजी	७	२	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
84 सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	41,62	2	41,64
	पूंजी	..	..	..
85 सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	56,71	..	56,71
	पूंजी	..	..	..
86 सूचना विभाग	राजस्व	14,22,45	..	14,22,45
	पूंजी	..	..	..
87 सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	7,97,84	2	7,97,86
	पूंजी	24,48	..	24,48
88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	55,11	2	55,13
	पूंजी	36,00	..	36,00
89 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	64,02,58	*1,15*	64,03,73
	पूंजी	..	..	..
90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	2,89,03	..	2,89,03
	पूंजी	..	..	..
91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	12,70,72	*4*	12,70,76
	पूंजी	..	..	..
92 सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	6,86,85	2	6,86,87
	पूंजी	27,88	..	27,88
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,29,88,72	*1,00*	2,29,89,72
	पूंजी	1,23,25,55	..	1,23,25,55
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	6,51,58,70	*3*	6,51,58,73
	पूंजी	5,65,09,45	*1,00*	5,65,10,45
95 उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	1,90,32,83	*20,02*	1,90,52,85
	पूंजी	1,27,88,53	*22,00*	1,28,10,53
योग :	राजस्व	1,17,66,65,62	*33,81,80,17*	1,51,48,45,79
	पूंजी	45,67,90,30	*22,51,39,52*	68,19,29,82
कुल योग :		1,63,34,55,92	*56,33,19,69*	2,19,67,75,61

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

रुड़की विश्वविद्यालय के सिनेट में सदस्यता हेतु नाम निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "रुड़की विश्वविद्यालय के सिनेट" में सदस्यता के लिये विधान सभा के 4 सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 22 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय के सिनेट में सदस्यता के लिये विधान सभा के 4 सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "रुड़की विश्वविद्यालय के सिनेट" में सदस्यता के लिये विधान सभा के 4 सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 22 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय के सिनेट में सदस्यता के लिये विधान सभा के 4 सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–28ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

श्री बालेश्वर त्यागी जी नहीं हैं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 27-4-94 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई—पहली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत अपूर्ण मार्गों को पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । दूसरी सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों की क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में । तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की जनपद गाजीपुर के भदौरा विकास खण्ड अन्तर्गत गहमर लिफ्ट कैनाल की सिंचाई क्षमता को बढ़ाये जाने के संबंध में । अगली सूचना श्री राकेश सचान की जनपद कानपुर देहात की घाटमपुर तहसील अन्तर्गत राज्य योजना में स्वीकृत मार्गों को पूरा कराये जाने के संबंध में । अगली सूचना श्री विनय कुमार पाण्डेय की जनपद फतेहपुर के कस्बा बिन्दकी स्थित राजर्षि राइस मिल के लेबी चावल की बिक्री खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा घोटाला किये जाने तथा मिल मालिकों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है । अगली श्री चैनसुख भारती की जनपद जालौन की नगरपालिका कोंच के गन्दे नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे । अगली सूचना श्री नजमउद्दीन की जनपद इलाहाबाद की सोराव तहसील अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की जलमग्न भूमि की जल निकासी हेतु साइफन निर्माण कराये जाने के संबंध में । अगली सूचना श्री जगवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में जट्टारी एवं विसावा में उपमण्डी स्थल बनाये जाने के संबंध में । अगली सूचना श्री मन्नूलाल कुरील की जनपद बांदा के विकास खण्ड मऊ के ग्राम बरहा कोटरा में जल संस्थान की टंकी में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । अगली सूचना श्री अमरनाथ यादव की वाराणसी के 243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पितरकुंडा जगतगंज, हरतीरथ, रतुआपुरा एवं दारानगर हनुमान फाटक आदि क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । जो सदन में माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनकी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनकी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है यह आपने मान्यवर, कहा है । सूचनाएं तो आपके संज्ञान में आ गयीं, वह तो आप को दी गयी हैं नियम 51 में दी गयी हैं, अगर कोई संबंधित सदस्य इस समय नहीं है मौजूद तो आप तो निर्णय कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के दल ने सदन का वाक आउट किया है तीन दिन के लिये, आने के लिये कहा गया नहीं आये, अगर उनकी कोई सूचना है तो कैसे कह देंगे ?

जनपद पीलीभीत की तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर.. ....

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[जनपद पीलीभीत के न्यायालय के दो कर्मचारी श्री अली अहमद प्रस्तोता तथा श्री मदन लाल, फौजदारी अहलमद और अधिवक्ताओं के मध्य कतिपय कारणों से मतभेद हो गया था फलस्वरूप दिनांक 8-3-94 से तहसील मुख्यालय बीसलपुर पर परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का बहिष्कार बीसलपुर के अधिवक्ताओं द्वारा प्रारम्भ किया गया । अधिवक्ताओं के ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में परगना मजिस्ट्रेट बीसलपुर द्वारा संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन्हें भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी दे दी गयी है। इसी के अनुक्रम में बार एसोसियेशन बीसलपुर द्वारा दिनांक 22-3-94 से न्यायालय के बहिष्कार किये जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है तथा अधिवक्तागण न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं ।]

गाजियाबाद शहर के सीवर व बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

गाजियाबाद में सीवर के निस्तारण हेतु.....

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसके लिये हडको के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था हेतु योजना प्रस्तुत की जा चुकी है । इस योजना को अब यमुना एक्शन प्लान में शामिल कर लिया गया है । वर्तमान में सीवर का निस्तारण जल निगम द्वारा बनाई गई ट्रंक सीवर के माध्यम से सलेज फार्म अथवा आक्सीडेशन फौन्ड के लिये छोड़ी गयी निचली भूमि के माध्यम से निस्तारण हो रहा है ।

यह सत्य नहीं है कि नालों अथवा सीवर का पानी इधर-उधर फैल रहा है । जहां पूर्णरूपेण या निस्तारण की व्यवस्था नहीं है वहां सीवर का पानी नालों के माध्यम से नीची भूमि में निस्तारित हो रहा है ।

जहां तक प्रताप विहार एवं विजय नगर का प्रश्न है उसमें आन्तरिक सीवर की व्यवस्था सम्पूर्ण भाग में की गयी है । सफाई के कारण सीवर में रुकावट आ जाने के कारण कभी-कभी पानी इधर-उधर बहने लगता है । उसकी सफाई करायी जाती है और उसके अन्तिम निस्तारण की व्यवस्था जल निगम के माध्यम से चल रही है जो आने वाले समय में शीघ्रपूर्ण की जानी प्रस्तावित है । इसी प्रकार गाजियाबाद

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अथवा सिटी बोर्ड द्वारा जिन कालोनियों का रख-रखाव किया जा रहा है उनमें व्यवधान उत्पन्न होने पर सफाई करवा दी जाती है।

सफाई में सुधार लाने के लिये समय-समय पर अभियान चलाये जा रहे हैं तथा नालों की सफाई स्टाफ एवं ठेकेदारों द्वारा करायी जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि सफाई व्यवस्था नगर में शून्य है। सिटी बोर्ड पूरी सक्रियता के साथ नालों एवं क्षेत्रीय सफाई व्यवस्था बड़ी जागरूकता के साथ कर रहा है। अतः किसी महामारी की शंका निर्मूल है। 21 जुलाई, 1993 को अतिवृष्टि के कारण काफी क्षति अवश्य हुई थी परन्तु त्वरित कार्यवाही कर पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी।]

जनपद वाराणसी की दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई द्वारा फर्जी गन्ना भुगतान के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

दि काशी सहकारी चीनी मिल लि०, ...

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[औराई द्वारा जनपद इलाहाबाद के उद्दीन एवं कनैली क्रय केन्द्र क्रमशः 17-12-93 तथा 12-12-93 को मिल समिति के तौल कार्य में अनुभवी वरिष्ठ कर्मचारियों को अधिकार-पत्र देकर संचालित कर दिये गये थे। क्रये केन्द्र कनेली एवं उद्दीन पर तौल कार्य के लिये क्रमशः सर्वश्री अशोक कुमार सिंह, जय शंकर सिह एवं शम्भू नाथ मौर्य तथा क्रय केन्द्र उद्दीन पर सर्वश्री अमृत लाल गुप्ता, सुरेन्द्र सिंह तथा केदार तैनात किये गये थे। क्रय केन्द्र कुमिहयांवा पर गन्ना परिवहन ठेकेदार जयसवाल नहीं थे, बल्कि श्री जवाहर लाल त्रिपाठी ठेकेदार नियुक्त किये गये थे। अतः श्री जयसवाल द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप निराधार है।

सीजन 93-94 में अपने समस्त क्रय केन्द्रों पर मिल द्वारा भुगतान भेजकर त्वरित गति से गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। मिल गेट पर केवल गेट पर आपूर्ति किये गये गन्ने का ही भुगतान किया गया। क्रय केन्द्रों के केवल उन कृषकों का भुगतान जो क्रय केन्द्र पर अपना भुगतान नहीं ले पाये थे, उनका भुगतान मिल गेट पर किया गया। अतः कोई भी फर्जी गन्ना मूल्य भुगतान मिल द्वारा नहीं किया गया है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी गन्ना मूल्य भुगतान की कोई शिकायत मिल समिति को प्राप्त हुई है। इस प्रकार क्रय केन्द्र पर फर्जी भुगतान कराने का आरोप निराधार है।

सीजन 93-94 में कम गन्ना उपलब्धता के कारण क्रय केन्द्र हण्डिया, सुरयावां, सैय्यदराजा, चहनियां, मुहम्मदपुर, जिगना, सुरसी एवं परेऊ बाजार निरस्त कर दिये गये थे, जिन्हें गन्ना आयुक्त, उ०

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्र० के आदेशानुसार इस सीजन में संचालित नहीं किया था । इनके स्थान पर जनपद इलाहाबाद के मंझनपुर तहसील में गत लगभग 5 वर्षों से 3 क्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं । गन्ने की अधिक उपलब्धता को देखते हुए सीजन 93-94 में दो और नये क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि जनपद फतेहपुर के सर्वाधिक दूरी वाले (175कि० मी० तक स्थापित) 4 क्रय केन्द्रों को गन्ना उपलब्धता होते हुए भी, अधिक ढुलाई व्यय होने के कारण गत वर्ष ही बन्द कर दिये गये थे ।

चीनी के उपयुक्त रखरखाव के लिये निर्माणाधीन गोदाम के टेंडर सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा अनुमोदित किये गये हैं गन्ना मिल के फार्म पर मिल बाउन्ड्री के बार स्थापित 2 प्लाटों के चारों और कच्ची खाई का निर्माण किया गया है जो चीनी मिल के हित में है ।]

जनपद आगरा की नगरपालिका अछनेरा की अव्यवस्था से सीवर लाइन तथा जलोत्सारण योजना के ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नगर पालिका, अछनेरा.....

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[क्षेत्र में सीवर लाइनों की सफाई हो रही है । जो सीवर लाइनें बन्द थी, उन्हें खुलवा दिया गया है तथा ऐसी कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है कि सीवर लाइन व्यापक स्तर पर उफन रही है ।

सामान्यतया टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नेहरू रोजगार योजना एवं शासन द्वारा प्रदत्त सड़क अनुदान से निर्माण कार्य करा दिया गया है । कुछ कार्य चल भी रहे हैं सड़कों की स्थिति में पर्याप्त सुधार है एवं सड़कें अच्छी हालत में हैं ।

पेयजल आपूर्ति हेतु तीन ट्यूबवेल कार्यरत हैं और इन तीनों ट्यूबवेलों से उनकी क्षमता अनुसार जलापूर्ति की जा रही है । दो नये ट्यूबवेल तैयार हो गये हैं, परन्तु सप्लाई लाइन से जुड़ी न होने के कारण उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है । जहां पर ये ट्यूबवेल बने हैं, वहां से मुख्य सप्लाई लाइन में जोड़ने के लिये रेलवे लाइन क्रास होती है । रेलवे विभाग से अनुमति हेतु जल निगम द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है ।

नगर पालिका क्षेत्र में स्थित बधशाला की सफाई विद्यमान स्टाफ से करायी जा रही है । ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके कारण कोई भयंकर बीमारी फैलने की सम्भावना है । इस प्रकार सरकार समस्या के समाधान हेतु तत्पर एवं जागरूक है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव में जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

इसे माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

जनपद हरदोई से जारी होने वाले शस्त्र लाइसेन्सों की वैधता एरिया को बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

भारतीय संविधान में.....

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

1 शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है । प्रत्येक जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व है ।

2–आग्नेयास्त्रों का सीधा सम्बन्ध शान्ति व्यवस्था से होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि आग्नेयास्त्रों के अनावश्यक प्रसार को नियंत्रित रखा जाय । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आयुध अधिनियम, 1959 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

आयुध नियमावली की अनुसूची–11 में शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारियों का निर्धारण किया गया है । उसी अनुसूची में यह भी उल्लेख है कि जिला मजिस्ट्रेट अधिकतम राज्य की सीमा तक वैध आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी कर सकेंगे ।

3–जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त जनपद में आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों की आवश्यकता एवं उनके अनुरोध के औचित्य का परीक्षण करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर आग्नेयास्त्र लाइसेंस की वैधता सीमा निर्धारित की जाती है । जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से सन्तुष्ट न होने की दशा में शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा जिल मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलायुक्त के न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

नोट :– 1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–जनपद हरदोई में अपनाई जा रही प्रक्रिया नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त हैं।

5–इसके अतिरिक्त जो आग्नेयास्त्र लाइसेंस केवल जिला, मण्डल अथवा प्रदेश की सीमा तक वैध हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग में अस्थायी तौर पर ले जाया जा सकता है। इस हेतु आयुध नियमावली में प्रपत्र–7 का निर्धारण किया गया है।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछें।

कोई प्रश्न नहीं है। अब अगली मद लेता हूं।

जनपद रायबरेली में सफाई कर्मियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

मा० सदस्य श्री राजाराम त्यागी द्वारा विधान सभा.....

(कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[में दिनांक 22-4-94 को नियम–51 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है :—

"रायबरेली में दिनांक 15 अप्रैल, 1994 को सीवर लाइन की सफाई करते-करते सफाई कर्मियों सर्वश्री गणेश लाल तथा छोटे लाल की मृत्यु हो गयी। सफाई कर्मी मेन होल में घुसने के पूर्व गैस से बचने की सहायता सामग्री मांग रहे थे। नगरपालिका अधिकारियों ने उसे नहीं दिया और जबरन घुसने का आदेश दिया अभी तक मृतकों के आश्रितों को न तो कोई आर्थिक सहायता दी गयी है और न जबरन कार्य लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है।"

2–उक्त के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-4-94 को नगरपालिका के सफाई अनुभाग में नियमित वेतनमान पर कार्यरत सफाई कर्मचारी श्री गणेश पुत्र गुड़गुड़ तथा श्री छोटे लाल पुत्र प्यारे के संबंध में यह सूचना दी कि सीवर सफाई का कार्य करने के दौरान सीवर में गिर जाने से दोनों की मृत्यु हो गयी। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उक्त दोनों कर्मचारी तथा सफाई नायक श्री बाबू लाल के साथ मोहल्ला जोशियान पुल के निकट सीवर पर पहुंचे। उस स्थान पर सीवर की गहराई लगभग 35 फीट है। उक्त दोनों कर्मचारियों ने काफी प्रयास करके जाम सीवर लाइन को खोला और उसके खुलते ही उसमें काफी मात्रा में जहरीली गैस निकली जिससे नीचे कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी श्री गणेश तुरन्त बेहोश होकर

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीढ़ी से नीचे तलहटी में जा गिरा । उसको बचाने के लिए दूसरे सफाई कर्मचारी श्री छोटे लाल ने तत्काल अपनी कमर में रस्सा बांधा और नीचे उतर गया तथा हाथ से पहले कर्मचारी श्री गणेश को पकड़ लिया। ऊपर खड़े सफाई नायक श्री बाबू लाल एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा रस्से को ऊपर खींचना प्रारम्भ किया गया । दुर्भाग्यवश रस्सा टूट गया जिसके कारण सफाई कर्मचारी श्री गणेश पुनः नीचे गिर गया तथा उसका बचाव कर रहा दूसरा कर्मचारी श्री छोटे लाल ऊपरी सतह के मेन होल में गिर पड़ा । विभागीय अधिकारियों को इस घटना की तत्काल सूचना दी गयी । अधिशासी अधिकारी ने इसकी सूचना तुरन्त फायर ब्रिगेड तथा कोतवाली को दी और घटनास्थल पर पहुंच गये । काफी प्रयास के बाद मेन होल में फंसे सफाई कर्मचारी श्री छोटे लाल को निकाल लिया गया किन्तु तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी । सीवर की तलहटी मे गिरे सफाई कर्मचारी श्री गणेश को काफी प्रयास के बावजूद भी कांटे की सहायता से नहीं निकाला जा सका । मेन होल की तलहटी मे पानी का बहाव तेज होने के कारण श्री गणेश की लाश बह कर आगे बढ़ गयी थी । फेस मास्क के सहारे एक अन्य कर्मचारी को सीवर की तलहटी में उतारा गया तब श्री गणेश की लाश बरामद हो सकी ।

उक्त सम्पूर्ण घटना की जांच हेतु जिलाधिकारी/प्रशासक, नगरपालिका रायबरेली ने घटना की मजिस्टीरियल जांच के आदेश भी दे दिये हैं तथा इसके लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जो बिलम्बतम एक माह के अन्दर जांच आख्या जिलाधिकारी/प्रशासक को प्रस्तुत करेंगे ।

उक्त घटना के उपरान्त जिलाधिकारी/प्रशासक, नगरपालिका, रायबरेली ने तत्काल मृत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को रू० पच्चीस-पच्चीस हजार की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के आदेश दिये और तदनुसार उसी दिन संबंधित आश्रितों को उक्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी । यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त दोनों मृत कर्मचारियों के आश्रितों में से एक पात्र व्यक्ति को नगरपालिका, रायबरेली में सेवायोजित करके रोजगार दिया जाय ।]

जनपद उन्नाव में जलस्तर के नीचे गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हृदय नारायण जी कोई स्पष्टीकरण करना है ?

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मेरी नियम 51 में नोटिस थी जो इसमें पद संख्या 46 पर है जो उन्नाव जनपद के अन्तर्गत पुरवा में जल स्तर नीचे गिरने से पेयजल संकट के बारे में थी । उसका वक्तव्य अधिकारियों की गलती के कारण यहां नहीं आ पाया उसे आपने स्थगित कर दिया है । नियमावली में यह व्यवस्था है उसके अनुसार यह व्यपगत हो जायेगा उसमें या तो सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें या इसे 301 में परिवर्तित कर दें ताकि जवाब आ जाये नहीं तो आज के बाद यह लैप्स हो जायेगा ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

ध्यान आकृष्ट कर दिया था उसको वक्तव्य देने के लिये कह दिया गया था । चूंकि पेयजल जैसी समस्या का इसमें उल्लेख है, संकट है, तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं समस्या के समाधान के लिये समुचित उपाय करें ।

लखनऊ की महानगर सचिवालय कालोनी में पार्क की भूमि पर आवासीय भवन बनाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

महानगर सचिवालय कालोनी.....

(कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[इस नगर की सबसे पुरानी कालोनियों में से हैं । इसका निर्माण 38 वर्ष पूर्व वर्ष 1956 में किया गया था । जिस समय इस कालोनी का निर्माण हुआ था उस समय भूमि की कोई समस्या न होने के फलस्वरूप इस कालोनी के निर्माण के समय वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित मानकों से कहीं अधिक भूमि सड़कों, पार्किंग स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य सुविधाओं के लिये छोड़ी गयी थी यही कारण है कि आज भी महानगर सचिवालय कालोनी राजधानी की सबसे खुली कालोनियों में से है । इस कालोनी में अभी भी बड़े-बड़े भूखण्ड खाली पड़े हैं प्रश्नगत भूखण्ड एक एकड़ का है एवं इसके एक तरफ का किनारा सिविल कालोनी से मिला हुआ है फलस्वरूप इस भूखण्ड पर अतिक्रमण हो रहा है वर्तमान में इस भूखण्ड पर गोबर इत्यादि पड़ा हुआ है ।

2–इस एक एकड़ के भूखण्ड को किसी भी भावी अतिक्रमण से बचाने तथा इसके व्यवस्थित ढंग से सौन्दर्यीकरण करने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि इस भूखण्ड के बाहरी किनारों पर कोई निर्माण कार्य किया जाय । इसी दृष्टिकोण से वर्ष 1991-92 में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया एवं पर्याप्त विचारोपरान्त जून, 93 में यह निर्णय लिया गया कि इस भूखण्ड के एक किनारे पर यदि तीन ब्लाक बना दिये जायं और इसका सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय तो इस भूखण्ड को अतिक्रमण से रोका जा सकता है । इसी परिप्रेक्ष्य में इस भूखण्ड का राज्य सम्पत्ति द्वारा टाइप–2/3 के आवासों के बनाने का निर्णय लिया गया ।

3–राज्यपाल शासन में इस मामले के प्रत्येक बिन्दुओं पर पर्याप्त विचारोपरान्त राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के आवास की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इस भूखण्ड पर उस समय टाइप–2 के 50 आवासों को 3 ब्लाक में बनाने का निर्णय लिया गया था । तदोपरान्त इसमें संशोधित आदेश यह हुआ

नोट–]] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कि टाइप-3 के 48 आवास बनाये जायं । उल्लेखनीय है कि यह योजना भारत सरकार के फ्लैट रेन्टल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ।

इस योजना के बारे में महानगर कालोनी के वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि पर्यावरण की दृष्टि से इस योजना को यहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय । इसी सन्दर्भ में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी के हस्ताक्षर से एक पत्र प्राप्त हुआ । जब उनसे सम्पर्क किया गया तो उन्होंने लिखित रूप से सूचित किया कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है । पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने इस कालोनी के सामान्य अध्यासियों से भी बातचीत की तथा इस कालोनी के उपयोगिता एवं अतिक्रमण से बचाव के बारे में लोगों को बताया जिस पर यहां के अधिकांश लोग इससे सहमत थे फिर भी महानगर सचिवालय वेलफेयर कालोनी के पदाधिकारियों की तरफ से यह पत्र प्रस्तुत किया गया ।

चूंकि इस कालोनी का निर्माण महानगर कालोनी में एक भूखण्ड पर हो रहा है जिस पर पूर्व से ही बारात-घर, पम्पिंग सब स्टेशन तथा विद्युत सब स्टेशन बना हुआ है । चूंकि यह भूखण्ड मुख्यतः इस प्रकार की सेवाओं के लिये आरक्षित था फलस्वरूप इससे सामान्य अध्यासियों को कोई कठिनाई होने का प्रश्न नही उठता । इस भूखण्ड में अधिकतम स्थान खुला बच सके । इसके लिये एक कन्सलटेन्ट का सहयोग लेकर 16-16 भवनों के 3 ब्लाक प्रस्तावित हैं । ब्लाक इस भूखण्ड के एक किनारे पर है जहां पर तेजी से अतिक्रमण हो रहा है । इस प्रकार से रिक्त भूखण्ड जिसमें आवासों का निर्माण किया जाना है, का क्षेत्रफल लगभग 45,000 वर्ग फिट (एक एकड़) है । जिसमें आवासों के निर्माण के फलस्वरूप 15,000 वर्ग फिट का क्षेत्रफल कवर्ड होगा । अतः 2/3 भाग भूमि खुली रहेगी । जिसमें दो पार्क सौन्दर्यीकरण के साथ विकसित किये जायेंगे ।

अतः अन्त में यह तथ्य मा० सदस्य के संज्ञान में लाना है कि मुख्यालय पर सचिवालय के कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं के समाधान, प्रश्नगत भूखण्ड को अतिक्रमण से बचाने तथा इस भूखण्ड के सौन्दर्यीकरण करके जनोपयोगी बनाने की दृष्टिकोण से इस योजना की स्वीकृति राज्यपाल शासन में दी गयी थी । फलस्वरूप इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती ।]

बुनकरों के लिये रियायती दर पर आवंटित सूत की कालाबाजारी के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

[नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र की मिलों से राज्य हथकरघा निगम तथा यूपिका को क्रमशः 6 गांठें अर्थात 1,12,674.24 किलोग्राम (हथकरघा निगम) तथा यूपिका को 416 गांठें अर्थात 75,296 किलोग्राम सूत प्राप्त हुआ था । उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को समस्त माल नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ था जबकि यूपिका को 267 गांठें नेशनल हैण्डलूम कारपोरेशन के माध्यम से तथा 149 गांठें निजी मिलों से प्राप्त हुई थीं । कुल मात्र 75,296 किलोग्राम प्राप्त हुई ।

2–यूपिका ने इसमें से 48,487 किलोग्राम सूत महमूदाबाद, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, इटावा, हाथरस व गोरखपुर में यूपिका केन्द्रों के माध्यम से यूपिका से सम्बन्धित समितियों को दिनांक 23-3-1994 से 7-4-1994 तक आवंटित किया है । शेष सूत अभी आवंटित किया जा रहा है ।

3–उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को 1,12,674 किलोग्राम सूत उपलब्ध हुआ था जो कि गोरखपुर, गाजियाबाद, धामपुर, खलीलाबाद में दिनांक 25-3-1994 से 14-4-1994 तक प्राप्त हुआ था और यह सूत निम्न प्रकार हथकरघा निगम की परियोजनाओं में भेजा जा चुका है :—

18-3-1994	50 गांठें	गाजियाबाद
18-3-1994	150 गांठें	खलीलबाद
19-3-1994	50 गांठें	गाजियाबाद
19-3-1994	50 गांठें	गाजियाबाद
21-3-1994	150 गांठें	धामपुर
25-3-1994	25 गांठें	गाजियाबाद
14-4-1994	50 गांठें	गोरखपुर

सूत का आवंटन अभी शुरू नहीं किया गया है । आवंटन अब प्रारम्भ किया जा रहा है । राज्य हथकरघा निगम द्वारा सूत का आवंटन उनके द्वारा जारी किये गये उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार होता है। हथकरघा निगम उत्पादन कार्यक्रम जारी करते हैं और सूत देते हैं । इस सूत से बना कपड़ा हथकरघा निगम द्वारा क्रय किया जाता है । चूंकि वित्तीय वर्ष का अन्त होने के कारण हथकरघा निगम ने खरीद बन्द कर दी थी इसलिये नया उत्पादन कार्यक्रम उनके द्वारा नहीं दिया गया । हथकरघा निगम ने 6-4-1994 को नया उत्पादन कार्यक्रम जारी कर दिया है परन्तु उत्पादन अभी शुरू नहीं हो पाया है और इसलिये सूत भी वितरित नहीं हो पाया है अब यह सूत वितरित किया जा रहा है ।

जहां तक सूत के बाजार में बिकने आदि का सम्बन्ध है यह दोनों संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है । राज्य हथकरघा निगम व यूपिका को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बुनकरवार, बुनकर समितिवार, जनपदवार सूत आवंटन की सूचना प्रत्येक सप्ताह शासन को उपलब्ध करायें।]

दिनांक 19/20 मार्च, 1994 की रात में मुख्य सचिवालय भवन में 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद संख्या–51 पुकारे जाने पर और माननीय श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाये)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे पूरा पढ़ें। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि यह वक्तव्य अभी-अभी किसी को वितरित ही नहीं हुआ है और माननीय मंत्री जी इस सदन को धोखा देने के लिये उठ गये हैं। मैं यह चाहूंगा कि जब उनके पास वक्तव्य था ही नहीं तो वह क्या पढ़ रहे थे इसकी आप जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसमें कोई प्रश्न पूछ लीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ न मानकर इसे खोया हुआ मान लिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह मेरे पास है अतः इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ नगर में विगत कुछ समय से 5 किशोरों के शव विभिन्न स्थानों पर अर्द्ध नग्न अवस्था में पाये गये जिनके संबंध में थाना हजरतगंज पर अपराध संख्या 182/94, 200/94, 225/94, 226/94 व 343/94 धारा 302/201 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। अन्तिम घटना जो दिनांक 20-3-94 को घटित हुई वह सचिवालय परिसर से सम्बन्धित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सभी किशोरों की हत्या गला घोंट कर किया जाना और उनके साथ दुष्कर्म किया जाना पाया गया।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–इन घटनाओं का रहस्योद्घाटन के लिये पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन के निकट पर्यवेक्षण में स्थानीय पुलिस एवं सी० बी०, सी० आई० डी० की एक टीम गठित की गयी। सम्भावित अभियुक्तों का पता लगाने एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के लिये कई टीमें गठित की गयीं एवं विवेचना में वैज्ञानिक शाखा की भी सहायता ली गयी। किन्तु प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा उपरोक्त सभी अभियोगों की विवेचना दिनांक 25-3-94 को सी० बी० आई० को सौंप दी गयी है। जांच प्रचलित है।

3–इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन के निर्देशन पर कार्य योजना बनायी गयी है और लखनऊ नगर में चयनित प्वाइन्ट्स पर पुलिस पिकेट्स व मार्गों पर चेकिंग व पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है।

4–पुलिस की सुनियोजित एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप आम नागरिकों में भय एवं आतंक का वातावरण परिलक्षित नहीं होता है।]

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि जो लाशों का सिलसिला है, जो लखनऊ शहर के अन्दर बना और उसी कड़ी के रूप में एक लाश सचिवालय परिसर के अन्दर भी पायी गयी, माननीय मंत्री जी ने तो यह तो कह दिया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी और इस बारे में व्यवस्थाओं का पूरा सिलसिला भी इन्होंने बता दिया है। लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो यह लाशें बरामद हुई हैं इनकी बरामदगी के बाद और सदन में यह प्रकरण आने के बाद सरकार किस नतीजे पर पहुंची है? यह लाशें क्योंकि एक ही अपराध का रूप हैं, अतः सरकार क्या किसी नतीजे पर पहुंची है कि इनमें किन लोगों का हाथ रहा? हत्याएं की गयीं लेकिन हत्या का मकसद क्या था क्या सरकार को इसकी जानकारी हो पायी है और यदि इसकी जानकारी उनको हुई तो उसको भी इस सदन में अवगत करायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 25-3-94 को यह मामला सी० बी० सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है अतः इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सरकार की सदाशयता है कि उसने इसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० को सौंप दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो किशोरों की हत्या हुई यह सनसनी फैलाने के लिये, भय का वातावरण फैलाने के लिए हुई और इस घटना के बाद लाशों को महत्वपूर्ण स्थानों में डालने के लिये चयनित किया गया। इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। आपने यह बताया कि इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन के निर्देशन में एक टीम गठित की गयी है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में और भय का वातावरण न बने उसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? मान्यवर, मुरादाबाद और रामपुर के संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बता दें?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, तिवारी जी ने रामपुर का नाम लिया तो बताना चाहता हूं कि वहां कभी घटनायें हुआ करती थीं, अब नहीं होती हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

तब से बन्द हुई हैं, जब से आजम खां सहकारिता मंत्री बन गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जब से बंद हुई हैं, जब से इनके बालों की सफेदी आ गयी है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आजम खां साहब निराश न हों।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधाएं प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय बनाये जाने विषयक नियम 49 की सूचना पर चर्चा

(श्री बी० एम० सिंह के खड़े होने पर)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मैं आपकी बात सुन लूंगा। आप बता दीजियेगा।

* श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, यह मामला पत्रकार के उत्पीड़न का है। सदन में पहले भी यह मामला आया था। पीलीभीत के अन्दर पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह 16 नवम्बर का मामला है, जब बैलेट पेपर बाहर मिले थे, पीलीभीत के अन्दर, इस घटना को 17 तारीख को दैनिक जागरण ने छापा था। उसके बाद 17 तारीख को पुनः बीसलपुर में बैलेट पेपर मिले थे, इसको 18 तारीख को फिर दैनिक जागरण ने छापा था, इसको सूर्य प्रकाश अवस्थी ने छापा था। मान्यवर, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरखेड़ा गये और वहां इनको धोखे से अपनी गाड़ी में बिठाकर पीलीभीत ले आये। उसके बाद दैनिक जागरण आफिस की तलाशी ली गयी और उनको वहां जबरन बैठाये रखा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनको वोट डालने जाना था, उसके लिये जाने नहीं दिया गया और उसके बाद हिरासत में डाल दिया गया। उसके बाद सरकारी वकील तय करके, ताकि उनकी बेल न होने पाये, का प्रयास किया गया। तीन दिन के बाद जब उनको बेल मिली तो उस पर काफी रोष प्रकट हुआ और जज ने भी कहा कि इनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। मान्यवर, अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता करता है, यदि वह कोई ऐसा लेख लिखता है जो शासन के खिलाफ हो, उसकी गलती उजागर करता हो, तो क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है ? मान्यवर, इसी तरह एक एन० राम नाम का पत्रकार था, जो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जाना जाता है, जिसने बोफोर्स की रिपोर्ट को छापा था, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर, इसी तरह एक फाइनेन्शियल स्कैम हुआ था, उसमें फाइनेन्शियल टाइम्स के एक श्री निवासन थे, वह भी चर्चित हुए। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इलेक्शन अफसर जो होता है, रिटर्निंग अफसर होता है उसका कोई हक नहीं बनता है। जो गलत काम करते हैं और पत्रकार अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके विरुद्ध लिखकर सच्चाई सामने लाते हैं, तो दोष उनके ऊपर डाला जाता है। बैलेट पेपर चुनाव से पहले बाहर मिलता है तो उसके लिये वहां के रिटर्निंग आफिसर और जो चुनाव अधिकारी हैं वह दोषी हैं, पत्रकारों ने उसके खिलाफ लिखा तो पत्रकारों को उत्पीड़ित किया गया। मान्यवर, इसी तरह से पीलीभीत में जो नसबन्दी की प्रक्रिया चल रही थी, फर्जी नसबन्दी किये जा रहे थे, उसको रोकने के लिये पत्रकार वहां गये। जसवन्त सिंह वहां गये, उन्होंने देखा कि फर्जी आंकड़े दिये जा रहे हैं और नेपाल से औरतों को लाकर उनकी नसबन्दी की जा रही है।जब वह वहां गये तो वहां के ए० डी० एम० ने उनको मना कर दिया कि जो हम कहेंगे आप वही छापेंगे क्योंकि इसके पहले वहां के कमिश्नर ने कहा था कि वहां फर्जी नसबन्दी नहीं हो रही है। पत्रकारों ने जब सच्चाई को सामने रखा तो उनको सरकारी काम में बाधा डालने के केस में फंसा दिया। जिलाधिकारी, पीलीभीत के बारे में पत्रकारों ने छापा कि उन्होंने अपनी बीबी को राइफल और भाई को रिवाल्वर का लाइसेंस दिया है, तो पत्रकारों को कलेक्ट्रेट के अन्दर घुसने पर प्रतिबन्ध लगा जो कि "फ्रीडम आफ प्रेस" के विपरीत है। मान्यवर, प्रेस कौंसिल ने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके कारण पत्रकार अपनी सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसके उपर ध्यान दिया जाये। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें और जो दोषी आदमी हैं, उनको दण्डित कराया जाये और पत्रकारों के ऊपर जो झूठे आरोप हैं, झूठे मुकदमें हैं, उनको वापस लिया जाये।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में अगर पत्रकारिता नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई औचित्य नहीं रहेगा। जो प्रकरण माननीय बी० एम० सिंह ने उठाया है वह अत्यन्त गम्भीर है। लगातार यह प्रश्न विधान सभा में उठाया जाता रहा है, उन पत्रकारों का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने सच्चाई प्रकाशित की और अगर सच्चाई प्रकाशित करने के लिये कोई जिलाधिकारी या अधिकारी उन्हें दण्डित करने का प्रयास करता है तो यह उसका पूर्वाग्रह है, दुःखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सौभाग्य है कि बी० एम० सिंह जी ने यह विषय उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिये सरकार समय से कदम उठाये, इसकी मैं सरकार से सिफारिश भी करता हूं और आशा भी करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं। यह पीलीभीत का प्रकरण विभिन्न रूपों में सदन में आता रहा है और इसके साथ विधायकों के सम्मान का भी प्रश्न आया था। मान्यवर, वहां पर पत्रकारों ने जो अनियमिततायें या गैर कानूनी काम, जुल्म प्रशासन के द्वारा किये गये उसके खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की तो उनको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, यह गम्भीर विषय है। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और माननीय संसदीय कार्यमंत्री व आजम खां साहब को भी इसकी जानकारी है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जो पत्रकार पूरनपुर, पीलीभीत में रह रहे हैं अगर उनको कोई सम्मान न दें तो अपमानित न होने दें और जो उत्पीड़न की कार्यवाही प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें, कि उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल–

मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा भी यही है कि सरकार अच्छे काम को करे और जो गलत कार्य हो रहे हैं (समय 4 बजकर 25 मिनट) उससे हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष प्रतिक्रिया छापें। माननीय श्री बी० एम० सिंह जी ने इस तरह का प्रकरण उठाया है। फर्जी नसबन्दी के संबंध में एक बार इस सदन में आ गया, कि जिन महिलाओं की फर्जी नसबन्दी की गयी है वह नेपाल की रहने वाली थीं, एक

प्रकरण, बैलेट पेपर जो मिला था, उसको पत्रकारों ने सही छापा है, तीसरी बात उन्होंने छापी कि जितने लोगों को आर्म्स के लाइसेन्स दिये जाते हैं या रिन्यू किये जाते हैं उनसे एन० एस० सी० जमा करने के आदेश दिये जाते हैं, उनसे दो हजार, चार हजार या दस हजार तक की एन० एस० सी० जमा करा ली जाती है। डी० एम० ने अपनी बीबी के नाम रायफल का लाइसेन्स बना दिया और अपने रिश्तेदारों के नाम लाइसेन्स दे दिये, परन्तु उन्होंने एन० एस० सी० जमा नहीं की। तो क्या इन सारे तथ्यों और शिकायतों को जिनके सही तथ्य उजागर करने के लिये पत्रकारों ने छापा है, उनके विरुद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गयी है, उन्हें हेरेस किया गया, उन्हें बन्द किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार अवश्य कार्यवाही करे क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि जो भी समाज के या प्रशासन के या सरकार के अच्छे बुरे काम हैं, उन कामों को पत्रकार लोग छापें और उस सच्चाई को जनता के सामने लायें। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकें और उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा इसको देखें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पीलीभीत के कई तरह के प्रकरण इस सदन के संज्ञान में आये हैं, और इन प्रकरणों पर चर्चा भी हुयी है। जानबूझकर इन सब बातों को उजागर करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। दूसरी बात जिलाधिकारी ने अपनी बीबी और अपने दूसरे रिश्तेदारों को लाइसेन्स दिये और जब मान्यवर, लाइसेन्स दिये तब पत्रकारों ने उस तथ्य को सामने रखा, उसे प्रकाश में लाये, तो दो दिन के बाद लाइसेन्स कैन्सिल कर दिये गये, कैन्सिल करने के बाद पत्रकारों का उत्पीड़न शुरु कर दिया। क्या प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को इतनी छूट दे दी जायगी कि वह प्रेस की आजादी पर हमला करने लगें। पत्रकार निष्पक्षता के साथ सच्चाई को आम जनता के सामने रखता है और प्रशासनिक अधिकारी यह चाहते हैं कि वह प्रशासन की बुराइयों को उजागर न कर सकें और मान्यवर, दूसरी बात यह है, आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि कौन से ऐसे उपाय निकालेंगे कि कम से कम प्रेस की आजादी के ऊपर किसी तरह का हमला न हो सके। निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता सामने आये। पीलीभीत के प्रकरण पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो जानबूझकर उत्पीड़न किया गया है, उसको समाप्त करायें।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

पीलीभीत के प्रकरण पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो मुकदमें कायम किये गये हैं, उनको तत्काल वापस कराये जायं और इसकी व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी करें।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा, यह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण है, सभी सदस्यों ने रखा है, मैं सिर्फ एक बात कहने के लिये .....

श्री अध्यक्ष–

आप उससे अलग नहीं कहेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, खास तौर से उनकी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो पत्रकार हैं और दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में पत्रकारिता का काम करने वाले हैं, जो असामाजिक तत्वों को उजागर करने वाले हैं, उनके लिये इस तरह का रिस्क सबसे ज्यादा है । मान्यवर, श्री उमेश डोभाल थे, वह पत्रकार थे, उनकी असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी । उनकी सुरक्षा का दायित्व शासन और प्रशासन पर है । तो जब जिन पर यह दायित्व है वही उनका उत्पीड़न करेंगे तो स्थिति और भी भयावह हो जायेगी । तो मैं माननीय सदस्यों की शंकाओं के साथ अपनी आशंका मिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में जरूर कोई न कोई कार्यवाही करें ।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकारों का आदर और सम्मान होना चाहिये । यह सरकार उनके आदर और सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रखती है और आगे भी कमी नहीं रखेगी । सामने के बी० जे० पी० के माननीय सदस्यों ने प्रकरण रखा है जिस पर माननीय तिवारी जी ने तथा अन्य नेताओं ने चिन्ता व्यक्त की है, बहुत गम्भीर है । पत्रकारों के सम्मान को बहाल रखने और उनके सम्मान को कोई क्षति न हो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें यह सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है । सरकार की मंशा है कि शिकायत की जांच हो और सच्चाई जो सामने आयेगी उस पर कार्यवाही भी की जाय । अगर जांच के बाद यह प्रकाश में आया कि वह गलत हैं तो मुकदमात वापस भी हो सकते हैं ।

सत्र के लम्बे समय तक सफलतापूर्वक चलाने के संबंध में आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अन्त में कुछ कहना चाहेंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हम लोग 21 फरवरी से इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं । श्रीमन, यह इतना लम्बा सत्र पिछले कई वर्षों के बाद आपके संज्ञान में चला है । विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करेंगे आपका, आपने बड़े विद्वत्तापूर्वक इस सदन की कार्यवाही का संचालन किया और फिर हमारे नेतागण हैं ऊदल जी, किरन पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, ऐरी जी, महबूब अली साहब और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राम स्वरूप जी तथा सभी नेताओं का जो ज्ञान रहा उससे न सिर्फ इस सदन का लाभ हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश की जानकारी प्राप्त हुई । तमाम समस्यायें इन्होंने यहां पर प्रस्तुत की और उनका समाधान भी हुआ ।

श्रीमन्, इतने लम्बे सत्र में 18 विधेयक भी पारित हुए जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमारे तमाम माननीय नये सदस्य हैं उनको विशेषरूप से वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। इन संसदीय परम्पराओं को सिर्फ अक्षुण्ण रखना ही नहीं बल्कि इनमें वृद्धि करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य का निर्वहन हमारे सभी दलों के माननीय सदस्यों ने कुशलतापूर्वक किया और इतने लम्बे सत्र में नियमानुसार कार्यवाही चल सकी। आज हमारे सामने के विरोधी दल के लोग नहीं हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम सरकार के जो कार्यकलाप थे उन पर तो कोई अंगुली वह नहीं उठा पाये। इतना जरूर दुख व्यक्त करता हूं कि एक आखिरी मुद्दा बना आपकी कुर्सी का। लेकिन फिर भी आज यहां होते जैसा कल नेता सदन ने नेता विरोधी दल से अनुरोध किया था उनके अनुरोध को मानकर आज भी समाने उपस्थित होते और जो आभार चल रहा है उस चर्चा में वह भी शामिल होते। मान्यवर, यहां पर माननीय पाल जी का हम विशेष रूप से उल्लेख इसलिये करना चाहते हैं कि जब हम शाम को घर पहुंचते थे तो प्रश्नों की तैयारी में लगभग रोज ही उनका एक न एक तारांकित प्रश्न जरूर मिलता था, उससे हमको और तमाम नये सदस्यों को शिक्षा और प्रेरणा मिलती है कि प्रश्नों के माध्यम से हम तमाम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और अपने क्षेत्र तथा जनपद की सेवा प्रश्नों के माध्यम से अच्छी कर सकते हैं।

श्रीमन्, माननीय नेता सदन के प्रति हम खास तौर से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में अल्पमत में होते हुए भी पूरे देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है कि लोगों से परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अल्पमत में होते हुए भी मजबूत से मजबूत सरकार का प्रदर्शन किया जा सकता है और प्रशासनिक पकड़ को मजबूत बनाया जा सकता है।

मान्यवर, मैं श्री ऊदल जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वह वरिष्ठ सदस्य हैं और इसलिये वह अपने अनुभवों से समय-समय पर हमको सचेत करने की कोशिश किया और आवश्यकता पड़ी तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और प्रति पक्ष को भी नहीं बक्शा। मान्यवर, इसी तरह श्री किरन पाल सिंह, श्री प्रमोद तिवारी जी और अन्य नेतागण जो हैं उन्होंने जब आपकी पीठ पर आरोप लगाने का प्रश्न आया तो वे सब एक मत होकर संसदीय लोकतंत्र की परम्परा के अनुरूप प्रतिवाद ही नहीं किया बल्कि निन्दा भी किया। मान्यवर, हम सब यहां पर एक परिवार के रूप में बैठते हैं और उस कुर्सी पर जो बैठता है वह इस परिवार का मुखिया होता है इसलिये हमको छूट नहीं है कि परिवार के मुखिया, जो उस कुर्सी पर बैठा हो उसके विपरीत हम कुछ कहें। और यह नियमों और परम्पराओं में नहीं है। मान्यवर, कोई भी उस कुर्सी बैठ जायेगा लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी हो सकती है किन्तु कुछ मान्यताओं को मान कर चला जाता है इसलिये मर्यादा को बनाये रखना होता है। मान्यवर, मैंने उस दिन कहा था और आज भी कह रहा हूं और दुख से कह रहा हूं कि एक प्रतिपक्ष की सम्मानित कुर्सी होती है और देश में पहली बार उनके प्रति निन्दा का प्रस्ताव इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा में पास हुआ है। लेकिन खुशी इस बात की है कि लोकतांत्रिक शक्तियों ने एक जुटता दिखाकर, लोकतंत्र की मर्यादाओं को मान्यता देकर देश की जनता को नया सन्देश दिया है।

मान्यवर, हम अपने विधान सभा के सचिव और मार्शल सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकारियों को भी इस सदन की कार्यवाही में हमें सहयोग देते रहे और सूचना भेजते रहे उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हम पत्रकार लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को पूरे प्रदेश की जनता को अक्षरशः अवगत कराके लोकतंत्र में समाचार-पत्र जो चौथा पाया है उसको पूरी निष्ठा से निभाया। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज यह इस बजट सत्र का अन्तिम दिन है। जब हम यहां आये थे तो सर्दी में आये थे और जब जा रहे हैं तो गर्मी के मौसम में जा रहे हैं इसलिये हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगली बार बरसात में मिलेंगे और मानसून सत्र चलेगा। इसका पूरा प्रयास सरकार करेगी, जिससे एक स्वस्थ परम्परा यहां कायम हो सके। मान्यवर, यह सदन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। कई वर्षों से शायद इतना लम्बा सत्र नहीं चला जो इस बार चला है। इसके लिये मैं सत्ता पक्ष को और कार्यमंत्रणा समिति में शामिल सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस सत्र में न सिर्फ औपचारिकताएं पूरी हुई, बल्कि इस सत्र ने कुछ नये इतिहास भी लिखे हैं। पंचायती राज विधेयक इस शताब्दी का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको पारित करने का भी सौभाग्य इस सदन को मिला है। इसके लिये भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1994 भी पास हुआ है। उसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उससे स्थानीय स्वशासन में एक नये युग का सूत्रपात होगा। इस नये सत्र में एक और उल्लेखनीय और सराहनीय बात हमने अनुभव की है, मैं उसका उल्लेख न करूं तो शायद उचित नहीं होगा। यह पहली विधान सभा है, इसमें जो सम्मानित सदस्य चुनकर आये हैं, उसमें नये सदस्यों की संख्या ज्यादा रही है। लेकिन इन नये सदस्यों ने प्रश्न पूछने से लेकर सारी अन्य चर्चाओं में जिस योग्यता, समझदारी और सक्रियता से भाग लिया है, उसके लिये मैं अपने नये सदस्यों को भी बधाई देता हूं और उनके प्रति शुभकामनायें भी व्यक्त करता हूं। यह पहले भी होता रहा है, लेकिन नये सदस्य साधारणतः कुछ समय सदन में बिताने के बाद ही बोलने का यहां साहस करते थे, कार्यवाही में भाग लिया करते थे। इस बार पहली बार में ही उन्होंने अच्छी तरह से कार्यवाही में भाग लेने का प्रयास किया है। दूसरी बात इस सदन में मैं सरकार को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहूंगा कि यह सदन पहली बार अपने बजट में 70 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों पर खर्च करने के संकल्प के साथ तत्पर हुआ है। यह अपने आप में एक शुभ संकेत है। मान्यवर, गौर से देखें तो इस बार नीतिगत प्रश्न भी बहुत यहां आये और उनके उत्तर भी बहुत आये। कई नीतियां भी निर्धारित हुई भविष्य के मार्ग दर्शन के लिये। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पूर्णता आयी, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब पहले से बेहतर आये हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जवाब ज्यादा विचारपूर्ण ढंग से और योग्यतापूर्वक आयेंगे। यहां यदि वादविवाद होता है तो किसी के व्यक्तिगत प्रश्न या व्यक्तिगत विचार वह नहीं होते हैं। उस समय इच्छा यही होती है कि हम अपने विचारों से अवगत करायें और दूसरे के विचारों को जानें। कभी-कभी दोनों पक्षों के विचारों में गहरा मतभेद होता है, विरोधाभास होता है तो स्थिति खराब होने लगती है। मैं आज इस सदन के अन्तिम दिन अपने सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि वे यहां की बातें यहीं छोड़कर जायें और अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायें तो नये मन और नये विचार से जायें। वहां जाकर प्रयास यह करें कि जो सर्वसम्मत विचार यहां आये हैं, उनको जीवन में अंगीकार करेंगे और उन पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह सब अत्यन्त महत्वपूर्ण इस नाते भी रहेगा कि इस

सत्र में पहली बार जागरूकता दिखी और सम्पूर्ण सदन जिसमें विशेष रूप से सत्ता पक्ष, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया जो अपने आप में इतिहास का अंग बन गया है। और आने वाले समय में वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। असन्तोष आपका हो सकता है, मैंने भी असन्तोष दिखाया, लेकिन जब उस असन्तोष को असंसदीय ढंग से प्रस्तुत किया और जब उसे असन्तोष को नियमों के विपरीत रखने का प्रयास किया जब उस असन्तोष को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि जैसे लोग संख्या बल के आधार पर संविधान को तोड़ देना चाहते हैं तो इस सदन ने एकजुट होकर दिखाया, उसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत भारी मन से निन्दा का प्रस्ताव लाया था मेरी मंशा कदापि नहीं थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव लाया गया है। यह भी सच है कि कभी-कभी भारी मन से कठोर कदम उठाना पड़ता है और मान्यवर, ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से आने वाला इतिहास माफ नहीं करता। इस कुर्सी की गरिमा है, लोकतंत्र की परम्परा है, सदन की कुछ मान्यतायें हैं। मान्यवर, उस निन्दा प्रस्ताव के जरिये एक सन्देश देना चाहता था कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर नहीं चलता बल्कि कुछ नियमों और परम्पराओं के अनुसार चलता है कोई भी पद इससे बड़ा नहीं हो सकता है चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, नेता सदन हो या दूसरे सम्मानित सदस्य हों। मान्यवर, निन्दा प्रस्ताव लाने के पीछे हमारा इरादा कहीं से भी किसी को पीड़ा पहुंचाने का नहीं था बल्कि आने वाले दिनों में स्वस्थ परम्परा कायम रहे। यह विधान सभा भारत की सबसे बड़ी विधान सभा है, इसमें ऐसा इतिहास लिखा गया है कि आने वाली पीढ़ी गौरव के साथ पढ़ेगी और सम्मानित नजरों से उसको देख सकेगी। एक बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि इस बार गैर साम्प्रदायिक ताकतों ने एकजुट होकर साम्प्रदायिक ताकतों को दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था उसको शिरोधार्य किया है। साम्प्रदायिक ताकतों को गैर साम्प्रदायिक ताकतों ने एकजुट होकर धर्म निरपेक्षता का परिचय दिया है उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। एक बात और है, कर्तव्य है अपना इसलिये कह देना चाहता हूं।

मैं बधाई देना चाहता हूं आपके सचिवालय के सभी कर्मचारियों को कि यदि उनका सहयोग न मिलता, देर रात तक वह न बैठे होते तो कार्यवाही सृजित न हो पाती। आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। समाचार-पत्रों से जुड़े प्रेस जगत के लोग हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक सदन की कार्यवाही का प्रकाशन किया और जन समस्याओं को, उनके समाधान को जनता तक पहुंचाया उनको धन्यवाद देता हूं। एक बधाई अन्तिम तो नहीं, हां मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष रूप से देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने नाम के अनुरूप मुलायमियत का परिचय दिया। उनसे कहूंगा कि इसी प्रकार से मुलायमियत बनाये रखें, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि इसी तरह और नर्मी लायें। अन्त में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सच को झूठ कैसे साबित किया जाय और झूठ को सच कैसे साबित किया, इसके लिये कोई पुरस्कार होता तो मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी को दे देता। पूरे सदन के दौरान, जिस सख्ती के साथ झूठ बोलते हुए जिस साहस का परिचय दिया है, इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, एक नये-नये कमसिन मंत्री उभर रहे हैं, वह भी सत्य से परे बोलने की नयी-नयी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आजम खां साहब। उनकी कमसिनी बनी रहे। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, झूठ की जगह सत्य से परे कहें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जहां तक झूठ शब्द बोला है, वहां सत्य से परे लिखा जाय। मान्यवर, इस सदन में एक चीज नहीं दिखाई पड़ी, जिससे बड़ी खुशी हुई। मान्यवर, आप जब भी पीठ पर बैठे किसी दिन भी नाराज नहीं हुए। मेजें थपथपाई गईं। मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। तमाम तरह की दवाइयां ईजाद हो गयी हैं। मान्यवर, उस दवा का नाम आपसे जानना चाहता हूं जिसको लेने के बाद आपको गुस्सा नहीं आता है, इसको बताने की कृपा करें। इससे निर्वाचन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वह पता लग जायेगा। हम कल से आपके चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं। इसका राज क्या है मैं जानना चाहता हूं यदि वह आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित न करती हो तो सभी सदस्यों को बता दें।

(हंसी)

मैं पुनः आग्रह करता हूं। मान्यवर, बहुत सी चीजें हम नहीं देख पायेंगे इस सदन में आदत सी बन गई है बहुत सी चीजें हम मिस करेंगे। गौरीशंकर एडवोकेट जी श्लोक और शेरो-शायरी यहां करते थे उनको मिस करेंगे। कल मेरे पास उनकी पत्नी का फोन आया था वह कह रही थीं सदन कुछ दिन के लिये और बढ़वा दें। तो सदन तो बढ़ नहीं पाएगा।

(हंसी)

जब मैंने उनसे इसकी वजह जाननी चाही तो कहने लगीं जितने दिन सदन में रहते हैं उतने दिन घर में सुख शान्ति रहती है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको किसी न किसी काम से लगा रखें ताकि उनकी पत्नी को आनन्द और शान्ति का अनुभव होता रहे।

(हंसी)

एक बात कहकर आपसे विदा लूंगा यदि कर्तव्य पालन में कोई कटुता हमारी तरफ से आई हो तो मैं हृदय से क्षमायाचना करता हूं मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। सबसे ज्यादा चिन्ता मुझे यह हो रही है हरदोई की जनता जब रामआसरे जी यहां से जाएंगे तो वह क्या कहेंगी ? वहां की जनता उन्हें कैसे झेलेगी ?

(हंसी)

मैं उनके प्रति संवेदनायें व्यक्त करता हूं। (हंसी) मैं आपके कक्ष में आ जाऊंगा ताकि आप मुझे उस दवा का नाम बता दें।

(हंसी)

श्री किरन पाल सिंह–

बहुत लम्बे समय तक यह सत्र चला। हम सब यहां मिलकर संसदीय कार्यों को निपटाते रहे। श्रीमन् इस सदन में बहुत से ऐसे उत्तेजनापूर्ण क्षण आये। बहुत से खट्टे-मीठे अनुभव हुए। मान्यवर,

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और तिवारी जी के बाद मुझे कहने के लिये ऐसा कुछ नहीं बचता है। इस सदन का संचालन करते समय आपने जिस तरह से माननीय सदस्यों को प्रेम के साथ मौका दिया सारा सदन उसके लिये आपका आभारी है। अच्छा होता प्रतिपक्ष के लोग भी इस समय सदन में मौजूद होते, सब मिलाकर एक दूसरे से विदा लेते। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह नहीं हैं। कई मायनों में इस बार ऐतिहासिक सत्र चला। कभी-कभी सदन में बुरे क्षण भी आये हैं जब माननीय सदस्य उत्तेजित हुए हैं लेकिन वह आराम से भुलाये गये हैं। सहयोगी दलों ने सहयोगियों की भूमिका निभाई है और विपक्षी दलों ने विपक्ष की भूमिका निभाई है और प्रमोद तिवारी जी ने जो अपनी कला का परिचय दिया है सहयोग का परिचय दिया है सहयोग कैसे होता है यह उनसे सीखा जा सकता है। सरकार के दो साझा दल हैं जो सहयोगी हैं। चार-पांच साल से प्रदेश की हालत खराब है। यह सरकार चले। हमारी मंशा है कि जो यह लोकप्रिय सरकार बनी है, किसानों की सरकार बनी है, पिछड़ों, दलितों, की सरकार बनी है। वह पांच साल चले। मैं चाहता हूं कि जो सरकार के साझा दल हैं, आपस में तालमेल के साथ काम करें। ऐसा इम्प्रेसन या छाप न पड़े जो इस बार देखने को मिली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बधाई देते हुए विशेष रूप से पत्रकारों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया। उन्होंने काफी बड़प्पन व महानता दिखाई है। ऊंचे पदों पर पहुंचकर व्यक्ति को झुकना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, यह काम मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने गुस्सा दिखाया, लेकिन जब भी हम आपसे मिले, आपके गले से ऊपर गुस्सा आया लेकिन हृदय से किसी के प्रति गुस्सा नहीं दिखाई। हम सब लोग चैन से रहें, जनता की सेवा करते रहें यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह हमारा देश दुनियां का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश की छवि दुनिया में बहुत अच्छी है। हमारे देश की सभी विधान सभाओं में उत्तर प्रदेश की विधान सभा सबसे बड़ी है। यहां जो कुछ होता है, उसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है। मान्यवर, आज देश के अन्दर जितनी लोकतांत्रिक संस्थायें हैं, जिसके द्वारा हम जनता की आवाज को यहां रख सकते हैं और जनता की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आज पैदा हो गया है। हमें इन संस्थाओं को जिन्दा रखना, इनको सुरक्षित रखना और जनतंत्र को मजबूत बनाना है। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम सभी लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को और विरोधी पक्ष के लोगों को, जो सहयोगी लोग हैं, जिनका विश्वास लोकतंत्र में हैं, जनतंत्र में है, आज इस मौजूदा खतरे को पहचाने और जब कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर अलोकतांत्रिक लोग हमला करने की कोशिश करें, तो उनका मुंहतोड़ जवाब दें। इसलिये आप उसके सबसे बड़े प्रहरी हैं। जिस आसन पर आप बैठे हैं। उसके द्वारा ही इस माननीय सदन में वाणी की स्वतंत्रता, जनता की समस्याओं को उठाने की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। और जो कुछ आप कहते हैं, उनको हम लोग सत्य मानकर चलते हैं। आपने इतने लम्बे समय तक सदन को चलाने में जो अपनी भूमिका अदा की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिये चौथा स्तम्भ जो हमारे पत्रकार हैं जहां से जनता की आवाज की अभिव्यक्ति होती है और

इस माननीय सदन में जो कुछ हम कहते हैं और सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जाता है उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वह पूरे सदन के कार्यकाल में यहां पर उपस्थित रहे और यहां पर जो भावनायें व्यक्त की गयीं मैं समझता हूं कि उन्होंने सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से, यहां की भावनाओं को अपने अखबारों के जरिये प्रदेश की जनता को सचेत किया और प्रदेश की जनता भी उससे काफी नसीहत लेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति, आपके सचिवालय के अधिकारियों के प्रति, प्रेस के भाइयों के प्रति, जो हमारे रिपोर्टर हैं उनके प्रति और जो कर्मचारी हैं और जो हमारे गार्ड हैं उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं । सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों जिनका जिक्र माननीय प्रमोद तिवारी जी ने किया है, बहुत से माननीय सदस्य नये चुनकर आये हैं, उन्होंने सदन के संचालन में अपनी बात काफी अच्छे तरीके से कही है और अपनी बात मजबूती के साथ यहां पर रखी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं । उन्होंने संसदीय परम्पराओं का ज्ञान अर्जित किया है और भविष्य में भी अर्जित करेंगे यही मुझे आशा है । माननीय तिवारी जी ने कहा विदाई, तो मान्यवर, विदाई थोड़ा दुखद होती है लेकिन क्षणिक होती है इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इस विदाई को विदाई के रूप में नहीं लेंगे बल्कि इस उम्मीद के साथ हम उठ रहे हैं कि हम भविष्य में जल्दी ही मिलेंगे और प्रदेश की जो भी समस्यायें होंगी उनको हम सुलझाने में कारगर होंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र की जो हमारी संस्था है विधान सभा अगर उसके ऊपर, लोकतंत्र पर कहीं से कोई उंगली उठाये तो उसके हाथ को तोड़ देंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आज इस बजट सत्र का अंतिम दिन है । उत्तर प्रदेश दुनियां की जनसंख्या के हिसाब से 6ठां देश है और रूस के विघटन के कारण अब 5वां हो गया है । इतने बड़े प्रदेश की महान परम्पराओं वाली यह विधान सभा है । इस विधान सभा का सत्र इतना लम्बा चला यह अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि है । उपलब्धि इस बात के लिये है कि जब यह विधान सभा गठित हुयी तो उस समय न केवल माननीय सदस्य चुनकर आये थे बल्कि एक नयी विचारधारा एक नयी जमात जो शासन और सत्ता की भागीदारी से अलग थी वह लोग चुनकर आये थे । एक बहुत बड़ी चिन्ता थी, लोगों को लगता था कि शायद विधान सभा किस तरह चलेगी, किस तरह शासन चलेगा । आज हम देख रहे हैं कि न केवल शासन बखूबी और बढ़िया चला बल्कि विधान सभा का सत्र भी इतने ऐतिहासिक रूप से चला । आज सत्र का समापन हो रहा है तो इस अवसर पर मैं सम्मानित सदस्यों को, सदन के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जिक्र किया गया, उनके संसदीय कौशल का हमको लोहा मानना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से इन विषम परिस्थितियों में, उन क्षणों में किस तरह से सदन का संचालन किया, कार्यवाही का संचालन किया और ये हंस-हंस करके भी किया और सभी तरीके से कुशल संचालन किया, इसके लिये हम सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देकर बधाई देता हूं । मान्यवर, आपके बारे में तो कुछ कहना ऐसा है कि जैसे अपने बुजुर्गों के बारे में अपने मुखिया के बारे में बगैर कुछ कहे हुए अपने-आप बधाई होती है, तथापि जिस दिन आपका चुनाव था, तो मैंने आपको पीछे बैठा हुआ देखा था, तो कल्पना ही नहीं किया था कि जब आप उस पीठ पर बैठेंगे, तो इतना शक्त हो जायेंगे और उदार हो जायेंगे ।

लेकिन उसको भी साकार देख कर आज क्रियान्वयन हम आपका देखते हैं और जिस कुशलता के साथ आपने सदन का संचालन किया, उसके लिये हम आपको बधाई देते हैं। मान्यवर, बहुत सारे विधायी कार्य रहे, बहुत से नये अधिनियम बने, बल्कि कुछ बातें जो बुनियाद थीं, जैसे 3/7 को खत्म करने का जो संकल्प था, वह पूरा हुआ और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की जो बात थी, उसे पूरा किया। जो शिक्षा जगत में हम एक बात महसूस कर रहे थे कि नकल रोकने के लिये और भी तरीके थे, उसको दरकिनार करके जो आपराधिक प्रवृत्ति छात्रों के लिये लाई गयी थी, वह भी ऐतिहासिक तरीके से पूरा हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य पूरे हुए हैं। उत्तराखण्ड का जो राज्य बनाने का संकल्प है, वह इसी सत्र में आना था, लेकिन वह नहीं आ पाया। माननीय मुख्य मंत्री का जो लगाव है, उत्तराखण्ड के लिये, उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाया है, उसके लिये मैं आभारी हूं और दूसरे सत्र में जब हम लोग मिलेंगे, तब उत्तराखण्ड का विधेयक आयेगा और वह जल्द ही पारित होगा। यहां पर सभी दल के नेताओं का, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया है और आपके प्रति तो आभार व्यक्त कर ही चुका हूं और आपके जो सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और पत्रकार लोग जो हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और हम आशा करते हैं कि हम लोग जल्दी ही आकर मिलेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, लम्बा सत्र चला और इस लम्बे सत्र में कड़ुवे और मीठे दोनों तरह के तजुर्बे से हम लोग गुजरे हैं। मान्यवर, कड़ुवा तजुर्बा किसी से छिपा नहीं है और कभी भी कोई सदन चले, तो इस तरह के क्षण, इस तरह के तौर न तो सदन के सामने आये हैं और सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली इस सदन में पिछली तमाम कई विधान सभाओं में मुझे बैठने का, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक विशेष बात जो अन्य विधान सभाओं में देखने को नहीं मिली, वह इस 12वीं विधान सभा में देखने को मिली और वह यह है कि समाज के जिन वर्गों के सिलसिले में हमेशा इस सदन में चिन्ता जताई जाती रही है, यह पहला सत्र था, जिसमें कि चिन्ता से दबे लोगों को मुक्त करने के उपायों पर विचार हुआ। सरकार के पक्ष की ओर से भी बखूबी भूमिका निभाई गयी, उसकी भी हम सराहना करेंगे। इस सत्र में यह प्रयास रहा है कि सदन के सदस्यों की जिज्ञासा को शान्त किया जाये और फिर कुछ स्थिति ऐसी होती है जो अच्छी होते हुए भी सत्ता पक्ष में बैठकर नहीं कर पाते हैं, उनको भी इस सदन में अन्यथा नहीं लिया गया और मान्यवर, मैं सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी से बात शुरू करूंगा। प्रमोद तिवारी जी आज सवेरे ही, आजम खां माननीय तिवारी जी की बातों का जिक्र कर रहे थे, वह एक यादगार बनकर रह जायेगी। माननीय नेता सदन ने जिस तरह से अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर पूरे प्रदेश की जनता के बीच एक विश्वास पैदा किया है और सदन के माध्यम से उनके इस विश्वास की छाप प्रदेश की जनता तक पहुंची है, उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया है सत्र में, इसलिये मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी अपने संसदीय कौशल से हम सब का मन जीता है और जो भी जटिल प्रश्न आये उनको अपने तरीके से, चाहे कभी धमकाया हो, या समझाया हो और मुस्करा कर हल किया, और दूसरों को शान्त करने की कोशिश की, वह भी हम सभी को याद रहेगा। प्रमोद तिवारी जी की जो शैली है किसी मुद्दे को रखने की, कई विधान सभाओं में उनके साथ रहने का मौका

मिला है, लेकिन जिस तरह का निखार उनकी शैली में इस सत्र में देखने को मिला, उनसे बहुत सी बातों में मुझे भी प्रेरणा मिली है। उन्होंने हर मसले को तर्कपूर्ण ढंग से रखा है और उससे हमारे नये सदस्यों को प्रेरणा मिली है और मेरा जैसे व्यक्ति भी प्रेरित हुआ है। माननीय ऊदल जी तो प्रेरणा के श्रोत पहले से ही थे और सदैव वह जनता की समस्याओं को दूर करने के लिये संघर्ष करते रहे हैं। ऊदल जी उस समय इस आदरणीय सदन के सदस्य थे, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और जब मेरा राजनैतिक कार्य कलाप शुरु हुआ था 1957 में, उस समय वह विधायक चुनकर आये थे। मान्यवर, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही माननीय ऊदल जी से हुई थी और सबसे पहले माननीय ऊदल जी को मैं अपने क्षेत्र में ले गया था। माननीय ऊदल जी को मेरे क्षेत्र की मूंगफली आज भी याद है। हमारे दल के नेता माननीय किरन पाल सिंह जी इन्होंने जिस तरह से दल की नीतियों के मुताबिक सदन में अपनी भूमिका निभाई है मान्यवर, मैं अपनी ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारा विश्वास है कि हमारे दल को आगे बढ़ाने में आगे की ओर चलाने में और दल की नीतियों के मुताबिक इस सदन में भूमिका निभाने में न पीछे रहे हैं और न रहेंगे।

माननीय काशी सिंह ऐरी (उत्तराखण्ड क्रान्ति दल) कई बार विधान सभा में हम उनके साथ रहे और उनके उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के अभियान में भी मुझको उनके कदमों से कदम मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनके उत्तराखण्ड के जितने कार्यक्रम आयोजित हुए और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस समय पिछली सरकार में उत्तरांचल शब्द आया था और उस समय माननीय काशी सिंह ऐरी जी इस सदन में नहीं थे लेकिन मुझको लगा कि यह उत्तरांचल नाम से पर्वतीय क्षेत्र की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस समय मैंने उसका कड़ा विरोध किया था और उत्तराखण्ड को नकार कर उत्तरांचल शब्द लाना पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के साथ खिलवाड़ करना और उत्तराखण्ड को पुनः यहां पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था लेकिन उस समय विफल रहा। इस सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो कदम उठाये हैं उसके लिये मैं बार-बार इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने अपने संघर्षों से इस सरकार पर अपनी छाप बनाई और जनता को आन्दोलित करने की जो भूमिका निभाई है उसके लिये मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं।

सदन के संचालन में आपने जिस तरह से गरमी और नरमी के साथ इसको चलाया तो दोनों को अगर मिला लिया जाय तो मैं यह कहूंगा कि आपने बड़े संयम से इस सदन को चलाया है और आपका गुस्सा भी हमेशा नरमी में ही दिखाई दिया, क्षणिक रहा और कोई भी व्यक्ति उस पीठ पर बैठकर इतना तो होना स्वाभाविक है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो कभी-कभी ऐसे क्षण आते रहें हैं लेकिन जिस तरह से आपने सदन के संचालन की भूमिका निभाई है उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी यह भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही को संचालित करने में अपना दिन रात एक करके अपनी सुख सुविधाओं को बगैर देखे, अपनी भूमिका निभाई है। मैं पत्रकार बन्धुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी जागरुकता के साथ और निष्पक्षता के साथ सदन की कार्यवाही और उससे उभरे हुए तथ्यों से प्रदेश की जनता को अवगत कराने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। एक शब्द और माननीय गौरी शंकर जी के बारे में, माननीय प्रमोद तिवारी जी बार बार कह रहे हैं, गौरी शंकर जी से

मेरा वास्ता बहुत पुराना रहा है लेकिन इस सदन में एक कमी खलती रही है कि गौरी शंकर जी पिछली विधान सभाओं में शेरोशायरी से बात शुरु करते थे, भाषण उनका कम होता था और उनकी मुख से कविता के लहजे ज्यादा निकलते थे और उससे निकले स्वरों से यह सदन ज्यादा आनन्द लेता रहा है इसमें कुछ कमी रही फिर भी एक यादगार इन्होंने छोड़ी है। और सभी माननीय सदस्यो को मैं व्यक्तिगत रुप से अपनी तरफ से और अपने जनता दल की तरप से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं चाहे माननीय सदस्य जनता दल के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, माननीय सदस्य कांग्रेस के हों, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सदस्य हों निर्दलीय सदस्य हों सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मान्यवर, कटु अनुभवों से गुजरते हुए इतने लम्बे सत्र को चलाने में सहयोग प्रदान किया। मेरा विश्वास है कि यहां जो एक दूसरे से अपने कर्तव्य के निर्वहन में अगर कोई भी जरा सी भी कटुता की कोई बात रही हो तो उनको यहीं छोड़कर अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और जनता के प्रति जिस कर्तव्य के साथ हम बंधे हैं उनका हम निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, बहुत लम्बे समय तक यह सत्र चला महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी चर्चा हुई और सभी माननीय नेताओं और सभी माननीय सदस्यों ने प्रदेश के विकास के लिये, सामाजिक उत्थान के लिये, और आर्थिक समता के लिये विचार भी रखे सुझाव भी दिये और यह इतना लम्बा सत्र चला है जिसमें अवकाश जरूर ज्यादा हुए हैं लेकिन हमारे माननीय नेताओं ने और सदस्यों ने मन से अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन किया। संचालन में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मान्यवर, आप की होती है आपके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां भी होती हैं सरकार को भी बचाना पड़ता है और विपक्ष के नेताओं और माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी सदन में व्यक्त करने का अवसर आपको देना पड़ता है। इस कठिन जिम्मेदारी का आपने बड़ी निष्पक्षता से और सदन की महान परम्पराओं को निभाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। यह उत्तर प्रदेश देश का विशाल प्रदेश है और इसकी महान परम्परायें भी हैं और राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह हमारा प्रदेश सारे देश के लिये दुनिया के लिये संदेश देने वाला है। यह वह प्रदेश है जहां पर राम ने भी जन्म लिया है, कृष्ण ने भी जन्म लिया है, शिव जी की भी जन्म भूमि रही है। सीता, सावित्री और द्रोपदी–यह इनकी भी जन्म भूमि रही है। इनके अनुरूप आपके संचालन में आपके निर्देशन में माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने और सचिवालय के सभी अधिकारी कर्मचारी और पत्रकार बन्धुओं ने उस परम्परा को निभाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे एक तरफ तो खुशी हो रही है कि सदन में अच्छे वातावरण में सहयोग के रूप में उपलब्धि मिली है लेकिन इतने लम्बे समय तक लगातार लखनऊ में साथ-साथ बैठना-उठना बातचीत करना, आलोचना समालोचना की भी यहां पर समीक्षा करना और उसके अनुरूप उत्तर भी देना यह अच्छा काम हुआ है इसके लिये खुशी है।

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

लेकिन मोह तो हो ही जाता है। हमारे बहुत से साथियों को यह अनुभव होगा जब जेल में बैरक बदल दी जाती है तो जेल में रहकर भी बैरक से मोह हो जाता है। मुझे कई बार दौरा भी करना पड़ा। जब

हम माननीय नेताओं से फोन पर सहयोग की बात करते थे तो माननीय नेता कहते थे कि आप जाइये और सदन हम पर छोड़ दीजिये । कई बार माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि आप निश्चिन्त होकर जायें लेकिन विरोध पक्ष के माननीय नेता और सदस्यों को जरूर कुछ अटपटा लगता था जबकि यह नहीं होना चाहिए । सभी नेताओं और सभी दलों का, हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे पर विश्वास व्यक्त किया है उन्होंने इस दल पर बिना शर्त हमारी अल्पमत की सरकार को समर्थन दिया है । माननीय किरनपाल सिंह जी तो अपनी बहुत-बहुत मजबूती के साथ रखते रहे, कर्तव्य का पालन करते रहे और हमें इसमें बुरा नहीं लगा । कभी-कभी हमारे साथियों ने यह कहा कि माननीय किरनपाल जी ने ऐसा कहा है तो हमने कहा कि ठीक ही कहा है और जब कभी हमारे साथ आयेंगे तो इस स्तर से सच्चाई से और ईमानदारी से अपनी बात को कहेंगे । विचारों से वे हमारे साथ हैं और वह यह भी चाहते हैं कि सरकार पांच साल चले और मजबूती के साथ चले । माननीय ऊदल जी भी, चाहे हम किसी भी परिस्थितियों में हम रहे हों आज से नहीं हम मिनिस्टर रहे उस समय का भी मुझे याद है आपके सुझावों से, आपकी वाणी से हमको सदैव प्रेरणा मिली है । आपने कभी सदन में आकर यह नहीं सोचा कि हम इस दल के हैं । उन्होंने यही सोचा कि हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिये, देश के विकास के लिये आये हैं और इसी पर उन्होंने काम किया । बहुत सी घटनाएं और ऐसे अवसर आये हैं जब माननीय ऊदल जी ने सहयोग देकर हमारी सहायता की । माननीय राम आसरे वर्मा जी भी अपनी बात कहने में नहीं चूकते हैं । यह अच्छा गुण है लेकिन सहयोग देने में भी वह नहीं चूकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका पूरा सहयोग इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिये मिलता रहेगा । माननीय काशी सिंह ऐरी जी, उनका अपना एक अलग दल है और वहां की समस्याओं के लिये वह जूझते रहे हैं और यह उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि आज उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड बना यह संघर्ष उन्होंने ही शुरू किया था । आपने अपने दल का गठन किया था और हमारा उनका साथ है । देहरादून में जब बहुगुणा जी की पुण्य तिथि थी, दो साल पहले की यह बात है, हमने यह कहा था कि यह उत्तरांचल नहीं है उत्तराखण्ड है । महाभारत का इतिहास पढ़ते हैं तो चाहे पार्वती जी की जन्म के बारे में या पाण्डव के अन्तिम दिनों में जहां प्रवेश किया था, उसके बारे में देखें तो उस समय का नाम उत्तराखण्ड था । इसलिये उत्तराखण्ड नाम रखा जिसमें सबसे ज्यादा योगदान काशी सिंह ऐरी जी का है । आज हम लोग काफी दिनों के लिये अलग जा सकते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में जा सकते हैं । अब हम सब मिलकर काम भी करेंगे, लेकिन मान्यवर, कुछ क्षणों के लिये कभी-कभी कटुता या उत्तेजना भी सदन में आयी है तो वह सब भूलकर हमें यहां से जाना है, यह मेरा निवेदन है, प्रार्थना है । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरा दल है, लेकिन वह भी हमारे सहयोगी हैं । मान्यवर, हम इस सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा पत्रकार बन्धुओं के भी आभारी हैं । पत्रकार बन्धुओं ने तो हमारे बारे में धारणा ही बदल दी है । मैं जैसा आज हूं, वैसा पहले भी था और 10 साल पहले भी था माननीय ऊदल जी इस बात को जानते हैं, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता है । 1977 में जब मैं मिनिस्टर बना था, तब भी सबकी धारणा हमारे बारे में यही थी, उस समय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे । लेकिन हम बदले हैं, यह बात सबसे ज्यादा पत्रकार बन्धुओं ने प्रचारित की है । मान्यवर, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि इस देश के लिये एक शुभ संकेत है कि एक बहुत लम्बे समय 46 साल के बाद, संसदीय प्रणाली चलने के बाद, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है । एक मुद्दे पर पूरे देश के लोग एक हो सकते हैं, इसी के बलबूते पर हमारी

अल्पमत की सरकार चल रही है और मजबूती के साथ चल रही है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के किसी कोने में भी इसको खतरा नहीं है। हमने पूरे देश के सभी बड़े नेताओं से बात की है, चाहे वह जनता दल के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के नेता हों, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० के हों या प्रधान मंत्री जी हों। हमने सबसे बात की है और मुझे खुशी है कि सभी ने इस बात को माना है कि पूरे देश के नेता एक मुद्दे पर एक हैं। मान्यवर, मैं तो कोई लायक नहीं हूं, केवल पार्टी का एक सेवक हूं। प्रधान मंत्री और बड़े नेताओं, सभी ने इस बात को माना है कि फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी सहयोगी पार्टी है, वह भी लड़ रही है, यह कहकर उन्होंने बड़प्पन दिखाया है, लेकिन इसी के साथ मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है। मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने भी यही कहा कि प्रदेश की जनता का जनादेश था और जनादेश का पालन हमने स्वीकार किया और उसी का पालन करते हुए हमने आपको सहयोग दिया, समर्थन दिया, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मान्यवर, माननीय किरन पाल जी का भी सहयोग कोई कम नहीं है, लेकिन आपको अपने दल में उतनी आलोचना सहनी नहीं पड़ी है, जितनी प्रमोद तिवारी जी को। मान्यवर, हमारी सरकार को चलाने में, तिवारी जी ने दूसरे दल में रहकर भी हमारा पूरा साथ दिया है, जबकि इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में केन्द्र में है और इनकी वहां बहुमत की सरकार भी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमारी सरकार को चलाने में सहयोग किया है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं कि इनके साथियों की, पत्रकारों की और यहां तक कि सचिवालय की टिप्पणी भी इसके लिए हुई है, लेकिन उन टिप्पणियों की परवाह इन्होंने नहीं की और यह कहा कि हम जब तक, यह सरकार इशूज पर चलेगी, हम इसको समर्थन देते रहेंगे। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय प्रमोद तिवारी जी को, किरन पाल जी को, माननीय ऊदल जी को, राम आसरे जी को, महबूब अली को, ऐरी जी को तथा सभी निर्दलीय सदस्यों को, कि जिस उम्मीद और आशा के साथ आपने सरकार का समर्थन किया है, सहयोग किया है, हम उस पर खरे उतरेंगे, जिस काम को हमने पूरा करने का संकल्प किया है, उसे पूरा करेंगे, उससे डिगेंगे नहीं। मान्यवर, देश में, प्रदेश में जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, महिलायें हैं और चाहे अल्पसंख्यक हों, इनके दिलों में भय और हीनता की भावना को निकाल करके आत्मविश्वास के साथ हमें उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला है और इसलिये आज देश में जो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई संकट आया है, चुनौती आयी है तो यह देश महान बनकर आया है और भारत माता और महान उभर कर आयेंगी क्योंकि कुछ फिरकापरस्त शक्तियों ने चुनौती दी है। वह ऐसे लोग हैं जो एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं, न उनका कोई धर्म है और न जाति है। फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ हम सब एक हुए हैं और इसलिये हमने कभी महसूस ही नहीं किया, चाहे हम हैदराबाद में रहे हों, बंगलौर में रहे हों, कलकत्ता में रहे हों, पटना में रहे हों या प्रदेश के किसी हिस्से में रहे हों, हमारे मन में यह कभी नहीं लगा कि असेम्बली चल रही है और हमारी अल्पमत की सरकार है या हमारी सरकार को कोई खतरा है, ऐसा कभी नहीं लगा। इस प्रदेश के सभी नेताओं ने देश को नई दिशा दी है। अभी मैं बंगलौर गया था, आप शायद जब दौरा करेंगे, वहां जायेंगे तो आप लोग महसूस करेंगे कि आपकी विधान सभा की तरफ कितना विश्वास है, कितना महत्व है और वह यह कह रहे हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश हमारे देश में अगुवाई करके इन फिरकापरस्त ताकतों को कमजोर करना चाहिए।

आज यहां नेता विरोधी दल नहीं हैं, उनका अभाव मुझे खटक रहा है। मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि हमारा उनका गम्भीर मतभेद है और कभी भी विचारों से हमारा उनका एका नहीं हो सकता लेकिन जो संसदीय परम्परायें हैं, उनको निभाते हुए नेता विरोधी दल का जो मान और सम्मान है और उनका सम्मान हमारे सभी नेताओं ने किया है और मैं भी करता हूं। जब भी मौका आया है, सम्मान ही दिया है। मैंने कल सुबह भी कहा था कि आप आ जाइये, आप अपने विधान मण्डल दल की बैठक बुला लें, मैं कार्यवाही को कुछ समय के लिये रोक भी सकता हूं लेकिन आप आइये 2-3 दिन रह गये हैं और हम चाहते हैं कि हम जब यहां से जायें उठें तो एक दूसरे से गले मिलकर, धन्यवाद देकर, खुश होकर जायेंगे तो क्षेत्रों में विकास के कार्यों में हमारा मन लगेगा। मुझे खुशी है कि आज तिवारी जी ने अपने भाषण में ऐसा वातावरण सदन में किया जो सभी लोग याद करते रहेंगे। एक बार जब माननीय तिवारी जी नेता सदन थे तो उन्होंने जब सभी लोगों को धन्यवाद दिया था और ऐसा माहौल बना दिया था कि सब कुछ लोग भूलकर एक हो गये थे, माननीय राम शरण दास जी इस सदन में थे, माननीय तिवारी जी से बात करते निकल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गये थे। एक माहौल माननीय तिवारी जी ने बना दिया था। अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि हम लोग उठें तो कम से कम खुशी और प्यार के साथ एक अच्छे वातावरण में निकलें क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जब हम दुनिया की तरफ नजर डालते हैं तो हमारा देश हिन्दुस्तान पिछड़ा है और जब प्रदेशों की ओर नजर डालते हैं तो हमारा प्रदेश बिहार के बाद पिछड़ा है, हम नीचे जा रहे हैं, इसलिये इस पर विचार करना है, मिलजुल करके, बैठ करके। हम लोग उठेंगे लेकिन 15 दिन या 10 दिन में हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे, इस प्रदेश के विकास के लिये कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें? जहां से आये हैं, जिनके वोट से आये हैं, उनके लिये भी हमें सोचना है कि हमने उनके लिये क्या किया है? यह सही है कि और सूबों के मुकाबले हमारे सूबे के माननीय सदस्यों की सुविधायें बहुत कम हैं। कई बार बैठकें हुई सुविधायें देने के लिये, हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सुविधा बढ़नी चाहिए लेकिन हमारे मन में एक ही बात रही कि जिनके लिये हम यहां आये हैं क्या उनकी आमदनी बढ़ी है, अगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है तो हमें अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी चाहिए। हम सरकार के जो अधिकारी हैं उनके कर्तव्य और दायित्व अलग हैं, हमारे और आपके कर्तव्य अलग हैं, हम समाजसेवक हैं, हमारे माननीय सदस्यों में से कुछ मंत्री हैं, उनके कर्तव्य अलग हैं। हम उसी क्रम में देश की और प्रदेश की बात कर सकते हैं और अच्छी भाषा से करते हैं, इसकी भी अलग नीति हो सकती है। राज्य में काम करने वाले की अलग नीति हो सकती है। जनता के बीच में मोहल्ले में बैठकर देश और प्रदेश की बात उठाते हैं, किसानों की और गरीबों की बात सुनते हैं और सुनाते हैं, हमें काम करने वाले सरकारी अधिकारियों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे विधायक आज इस बात को उठा तो रहे हैं कि उन्हें सुविधायें नहीं मिली हैं, यह बात करना उचित नहीं है। जनता के बीच से सभी माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, लेकिन जब जनता की ही आमदनी नहीं बढ़ी है तो हमें ज्यादा सुविधायें कैसे मिलेंगी। अगर आमदनी बढ़ेगी तो सुविधायें बढ़ाना असंगत न होगा। हमारे माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि अगला वर्षाकालीन सत्र होना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात है, हम वर्षाकालीन सत्र बुलायेंगे, ऐसा होना भी चाहिए। एक बार जब मैं अपोजीशन में था तब इस तरह का प्रस्ताव हम लाये थे, यह प्रस्ताव मजबूती के साथ लाया गया कि 90 दिन तक सत्र चलना चाहिए, यह हमारी नियमावली में है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाये और उसे बल नहीं मिला। हां स्व० श्री सी० बी० गुप्त जी ने

जरूर सदन को सबसे ज्यादा चलाया है, पन्त जी के समय में 110 दिन तक चला है, सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में भी सदन चला है, इधर जो गिरावट आयी है और जो गिरावट हो रही है, इसके लिये हम कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो । जो भी सरकार रहे, जितना भी सदन ज्यादा चले, उसे हमारी सरकार चलायेगी ताकि विपक्षी सदस्यों द्वारा जो सरकार की कमजोरियां हैं, खामियां हैं, वह सरकार के सामने लायें, ऐसा हमारी सरकार करेगी । सरकार के हितों में बात की जाती है, कभी भी जिद में नहीं करना चाहिए । आज मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में हर क्षेत्र में एकजुटता हुई है । कुछ असामाजिक ताकतों की वजह से कभी-कभी अशान्ति कायम हो जाती है और उनकी गन्दी मानसिकता के कारण ही प्रदेश में हवा जहरीली हो रही है । हमारे जो अधिकारी है, सचिवालय के कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के संचालन में, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर अधिकारियों की आशंका हो, उनकी मानसिकता हो, कहीं भी हों, सरकार की जरूरत में, उत्तर प्रदेश का विकास और देश के विकास के लिये उनका कर्तव्य है । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचे । पुनः सभी माननीय सदस्यों को, सभी कर्मचारियों को, मार्शल को, माननीय सचिव साहब को, पत्रकारों को, पुनः माननीय अध्यक्ष का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं । हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी प्रसन्न मुद्रा में रहें । इसी प्रसन्न मुद्रा में स्वस्थ होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करते हुए स्वस्थ रहेंगे । विकास कार्यों को करते हुए समस्याओं का निदान करेंगे । खुशी के साथ प्रसन्न मुद्रा में फिर मिलेंगे ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

दो शब्द मुझे भी बोलने का मौका दें ।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

मैं माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी, माननीय नेता जनता दल, श्री किरन पाल सिंह जी, माननीय ऊदल जी, माननीय श्री वर्मा जी और सभी मंत्रियों सहित सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं । और साथ ही साथ अपने पीठासीन अधिकारियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे कार्य संचालन में समय-समय पर हमारी मदद की और मुझे सहयोग दिया ।

इसके साथ ही साथ मैं यह आशा करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि इस कुर्सी पर बैठ कर यदि कभी कोई ऐसी बात मैंने कह दी हो जो हमारे किन्हीं माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों को अप्रिय लगी हो तो वह उसे भुला देंगे । मेरे दिल और दिमाग में कभी किसी तरह की कोई ऐसी बात रही ही नहीं । मैं केवल यह चाहता रहा कि किसी तरह से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नियमों के अनुसार चले और ज्यादा से ज्यादा माननीय नेताओं के विचार, माननीय सदस्यों के विचार सदन में आते रहें, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा टेक-अप हों जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो और वह सदन के माध्यम से सुलझे, जनता को राहत मिले यह मैंने सदैव प्रयास किया ।

इसके साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने सारगर्भित तथ्यों को, लोक महत्व के प्रश्नों को इस सदन में उपस्थित किया, उन पर चर्चा हुई और उससे जनता को लाभ मिला और आगे भी मिलेगा।

इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के नेता और उनके दल के सदस्यों को भी। लेकिन यहीं पर मैं यह जरूर कहूंगा कि पता नहीं कौन सी कमी मेरे में रही जो अन्तिम क्षण में वह हमसे नाराज हो गये। माननीय ऊदल जी हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, उनकी बात कभी नहीं भूल सकता हूं, उन्होंने हाथ जोड़ कर क्षमा मांगी और कहा यह गलत परम्परा मत डालिये, तिवारी जी ने बहुत मनाया, हमारे नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बहुत कहा लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह जिद पर बने रहे ?

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ सदन में और पहले भी प्रभावित था माननीय ऊदल जी से उनका सादा जीवन और उच्च विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहे हैं, हम उनकी कार्यशैली को सदा याद करते रहेंगे।

इसके साथ-साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने धन्यवाद दिया, आपने तो माननीय तिवारी जी ऐसी संकट की घड़ी में भी जब माहौल बहुत ज्यादा गम्भीर और गरम हो गया तो आपने अपनी बात से एकदम सब को खुश कर दिया इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है।

माननीय वर्मा जी के बारे में भी कह देना चाहूंगा। माननीय वर्मा जी ने भी समय-समय पर बड़े सार्थक सुझाव दिये। लेकिन जब हमने कह दिया कि ज्यादा हो गया और मना कर दिया और कहा कि बैठ जाएं, तो उन्होंने फिर हमारी बात को मान लिया, इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सहयोग दिया वह बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने गम्भीर परिस्थितियों में भी अच्छे उत्तर दिये हैं जिनकी अब क्या प्रशंसा की जाए। (मेजों की थपथपाहट की आवाजें)

मैं यह भी कह देना चाहता हूं हमारे सभी माननीय सदस्यों ने और सभी माननीय नेताओं ने अच्छे-अच्छे विचार व्यक्त किये और जब कभी कोई गम्भीर समस्या फंस गयी तो मुख्य मंत्री जी ने अपने दो शब्दों में ही सभी को संतुष्ट कर दिया।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों, माननीय नेताओं, माननीय पत्रकारों, इस विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं सचिव, विधान सभा के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करते हुए आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण एवं नेतागण हमारी किसी बात को अन्यथा न लेकर यहां से खुशी-खुशी जाएं।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिये खड़े होंगे।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय है।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविण-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय है,
भारत-भाग्य विधाता।
जय है, जय है, जय है,
जय जय जय, जय है ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चतकाल तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27-4-1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर)

संलग्नक

मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट की प्रमुख संस्तुतियां

1–अध्यापकों का चयन अत्यन्त सावधानी से किया जाय, उच्च शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ इनकी निष्ठा एवं चरित्र भी उच्च कोटि का हो ।

2–अध्यापकगण निर्धारित प्रारूप में अपना स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

3–प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय, मैरीटोरियस छात्र/छात्राओं का ही प्रवेश किया जाय ।

4–प्रवेश की बढ़ती हुई भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

5–त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षानीति के अनुरूप तैयार किये जायं ।

6–नकल रोकने के प्रभावी एवं कारगर उपाय किये जायं ।

7–पाठ्यक्रमों को सामाजिक आवश्यकता के अनुसार रोजगार परक बनाया जाय ।

8–विश्वविद्यालयों की समितियां वित्त समिति, कार्य परिषद् आदि में शासन के उच्च शिक्षा वित्त/नियोजन विभागों के प्रतिनिधियों को रखा जाय ।

9–विश्वविद्यालयों को फीस चार्ज करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय ।

10–उच्च शिक्षा अत्यधिक राज्य सहायता प्राप्त है जिसे कम किया जाना चाहिये ।

11–परीक्षायें तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा न्यूनतम निश्चित अवधि में पूर्ण की जाय और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र को नियमित किया जाय ।

12–स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु एक परीक्षा एक पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाय और इसके लिये इण्टर-यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की जाय ।

13–यदि छात्र संघों को समाप्त कर दिया जाये या उनकी सदस्यता ऐच्छिक कर दी जाय तो पठन-पाठन का वातावरण स्वयं तैयार हो सकता है ।

14–शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रही अपराधीकरण की मनोवृत्ति को हतोत्साहित करने के सभी प्रयास किये जाने चाहिये ;

मुलायम सिंह यादव

मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

(प्रतिलिपि)

संख्या–1349/28-7-2(7)13/88

प्रेषक,

आर० एस० टोलिया,
सचिव, उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल ।

उत्तराखण्ड विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 24 मार्च 1994

विषय :–ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजनान्तर्गत रु० 10.00 लाख की अधिक्य स्वीकृत धनराशि की भूमि संरक्षण कार्यों हेतु उपयोग करने की स्वीकृति ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०–696 दिनांक 29-12-93 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1116/28-7-2(7)13/88 दिनांक 9-3-90 तथा शा० सं०–3348/28-7-2(7)13/87 दि० 6-9-90 द्वारा दिये गये स्पष्ट आदेशों के बावजूद आपके द्वारा अभी तक ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजनान्तर्गत अनुमोदित भूमि संरक्षण कार्यों हेतु अधिक्य स्वीकृत रु० 10.00 लाख की धनराशि का व्यय नहीं किया गया है जो खेद-जनक है । ऐसी स्थिति में कृपया प्रश्नगत धनराशि को उक्त योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण की अनुमोदित कार्यों पर व्यय किया जाना सुनिश्चित करते हुए दि० 30-6-94 तक उक्त धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

भवदीय,
ह०/-
(आर० एस० टोलिया)
सचिव ।

सं०-1349(1)/28-7-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर (टिहरी)

2–कोषाधिकारी टिहरी ।

आज्ञा से,
ह०/-
(आर० एस० टोलिया)
सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

(परिशिष्ट–क).

विधान सभा प्रथम सत्र 1994 के 7वें बुध के लिये निर्धारित श्री राम सरन वर्मा सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्र० सं०–53 के उत्तर का संलग्नक

सघन मिनी डेरी परियोजना, उ० प्र०

जनपद एवं वर्षवार उपलब्धि

क्र०सं०	जनपद	मिनी डेरियों की स्थापना के लक्ष्य	वार्षिक उपलब्धि				क्रमिक प्रतिशत उपलब्धि
			91-92	92-93	93-94	योग	
1	सीतापुर	734	171	291	292	754	102.72
2	पीलीभीत	252	0	57	168	225	89.29
3	बलिया	869	0	356	294	650	74.80
4	बिजनौर	731	0	263	269	532	72.78
5	अल्मोड़ा	488	0	43	275	318	65.16
6	वाराणसी	1054	0	202	484	686	65.09
7	अलीगढ़	1516	0	488	383	871	57.45
8	बस्ती	468	0	160	95	255	54.49
9	मेरठ	2222	0	364	665	1029	46.31
10	फतेहपुर	1054	0	142	266	408	38.71
11	गोरखपुर	831	0	173	97	270	32.49
12	पौड़ी गढ़वाल	397	0	18	104	122	30.73
13	लखनऊ	955	0	123	170	293	30.68
14	इलाहाबाद	1463	0	192	252	444	30.35
15	कानपुर (देहात)	1187	0	79	281	360	30.33
16	बाराबंकी	1580	6	146	234	386	24.43
17	बांदा	418	0	41	60	101	24.16
	योग	16219	177	3138	4389	7704	47.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 7वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री लाल बहादुर, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–58 के उत्तर का संलग्नक

वर्ष	1-4-93 को अवशेष	(वर्ष का लक्ष्य)	योग	पूर्ति	अवशेष
1	2	3	4	5	6
88-89	—	3428	3420	3420	—
89-90	—	4420	4420	2663	1757
90-91	1757	2635	4392	3868	524
91-92	524	2635	3159	2655	504
92-93	504	2635	3139	2131	1008
93-94	1008	2635	3643	3040	603

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

क्र०सं०	वर्ष	विकास खण्ड	तालाब निर्माण का स्थान	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
1	1990-91	औराई	1–खरगपुर	31,770-00
			2–परसोत्तमपुर	45,162-00
			3–दलपतपुर	21,438-00
			4–मुहम्मदपुर	26,398-00
			5–चकनिरंजन	25,236-00
			6–नेवादा	26,838-00
			7–गिर्दयडगांव	57,060-00
			8–महमीदपट्टी	36,666-00
			9–हरिनरायनपुर	26,442-00
			10–सिकन्दरा	42,570-00
			11–समधा	24,146-00
			12–रामापुर	30,834-00
			13–तुलापुर	55,944-00
			14–खेतलपुर	22,878-00
			15–चकापुर	29,268-00
			16–उदयकरनपुर	26,136-00
			17–जगरनाथपुर	35,721-00
			18–चिन्तामणिपुर	22,068-00
			19–बसन्तापुर	54,990-00
			20–उगापुर	36,540-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	वर्ष	विकास खण्ड	तालाब निर्माण का स्थान	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
	1991-92	औराई	1–महदेवा	68,886-00
			2–त्रिलोकपुर	18,558-00
			3–बेजवां	61,560-00
			4–लसमडिया	14,958-00
			5–नरथुआ	15,012-00
			6–वासुदेवपुर	62,662-00
			7–नटकापुर	67,000-00
			8–चककवलापति	68,000-00
			9–भरतपुर	1,12,000-00
			10–सहसैपुर	30,000-00
			11–चकवीरा	80,000-00
			12–जेठूपुर	50,000-00
			13–वर्जीकला	50,000-00
			14–माधोपुर	78,066-00
			15–लसमड़ा	87,984-00
			16–नेवादा	40,500-00
			17–हथियाडील	2,77,686-00
			18–त्रिलोकपुर	68,192-00
			19–गिर्दवडगांव	1,45,800-00
			20–तुलापुर	2,23,002-00
			21–डेहरिया	30,186-00
			22–धमहापुर	69,192-00
			23–मूरेरजई	42,876-00
			24–वासदेवपुर (द्वितीय)	97,272-00
2	1990-91	ज्ञानपुर	1–धौरहा	68,652-00
			2–धंराव	1,04,526-00
			3–जगापुर	85,698-00
			4–श्रीपुर (भिदिडुरा)	81,450-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	2	3	4	5
			5–कारीगांव	97,200-00
			6–मोहनपुर	17,820-00
			7–संसारापुर	75,664-00
			8–चोराकला	81,000-00
			9–रमईपुर	58,770-00
	1991-92	"	1–गणेशरायपुर	65,988-00
			2–कावल	75,888-00
			3–चकसिखारी	85,940-00
			4–अभिलहरा	92,700-00
			5–मीनापुर	45,833-00
			6–मऊरामशाला	94,860-00
3	1990-91	भदोही	(प्रश्न सं० 223 के अन्त में देखें)	
	1991-92	भदोही	1–कोम	43,500-00
			2–चकहरिवंशमटान	25,000-00
			3–गिरिमा	75,000-00
			4–दरनहा	1,40,000-00
			5–रमईपुर	1,01,500-00
	1990-91	सुरियावां	1–बढ़ियानी	27,049-00
			2–हरिहरपुर	45,642-00
			3–बहुताचकडाडी	43,642-00
			4–सनाथपुर	31,149-00
			5–दारापट्टी	34,745-00
	1991-92	सुरियावां	1–मैण्डा	1,40,069-00
			2–अवरना	1,16,000-00
			3–मानशाहपुर	1,64,157-00
			4–बनघट	57,000-00
			5–बरमोहनी	60,000-00
			6–बीरापुर	1,43,000-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
			7–फतूपुर	54,900-00
			8–भड़ौरा	80,000-00
			9–गौरा	1,40,000-00
5	1990-91	सेवापुरी	1–घोसिला	69,089-00
			2–रघुनाथपुर	51,152-00
			3–औदरहा	48,912-00
			4–कपसेठी	45,892-00
	1991-92	..	1–भगौतीपुर	49,824-00
			2–अरकाकंशराय	34,074-00
			3–मटुका	39,834-00
			4–वेलवा	31,069-00
			5–बहरा	47,034-00
			6–लेडुवाई	24,899-00
			7–वरकी	92,952-00
			8–हाथी	1,29,996-00
			9–आदमपुर	46,458-00
			10–सोनवरसा	60,878-00
			11–सिरिहिरा	33,102-00
			12–राम रखौना	33,404-00
			13–डीमेला	16,956-00
			14–गहरपुर	13,050-00
* 3	1990-91	भदौही	1–मर्चवार	24,000-00
			2–अभिलौरी	41,214-00
			3–खेमईपुर	40,006-00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–91 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, इलाहाबाद में वर्ष 1990-91 से 93-94 तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये गये सम्पर्क मार्गों के कार्यों की सूची

क्र०सं०	सम्पर्क मार्ग का नाम	वर्ष	किये गये कार्य का विवरण स्तरवार (कि०मी० में)					व्यय धनराशि (लाख रु० में)
			मिट्टी	पुलिया	खण्डजा	टापकोट/ इ० कोट	पेंटिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इलाहाबाद रजवहा से वीरभानपुर	90-91	0.78	—	—	-	-	0.297
2	पचदेवरा से लखनिया मार्ग	90-91	1.74	—	—	—	—	0.760
3	बदली का पुरा से नहमापुर	90-91	0.51	—	—	—	—	0.494
4	पचदेवरा लखनिया से बजहरा	90-91	0.53	—	—	—	—	0.480
5	पचदेवरा से शाहपुर	90-91	0.81	—	—	—	—	0.562
6	जगदीशपुर से कमईपुर	90-91	1.98	—	—	—	—	0.718
7	काशीपुर से पश्चिमनारा	90-91	0.99	—	—	—	—	0.539
8	सोरांव होलागढ़ से बदलीकापुरा	91-92	0.339	—	0.339	—	—	0.613
9	नवाबगंज शास्त्री मार्ग से जुडापुरकरनाई	91-92	2.50	—	—	—	—	0.621
10	बारादरी से मसनी	91-92	3.20	—	—	—	—	0.390
11	ग्राम नौबस्ता से बेलखरिया का पुरा	91-92	3.50	—	—	—	—	1.08
12	होलागढ़ मार्ग से शिवलाल का पुरा	91-92	1.00	—	—	—	—	0.327
13	नरसिंहपुर से रामगढ़ अचलू का पुरा	91-92	2.00	—	—	—	—	0.467

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	खनीनार से बारामऊ	91-92	2.50	—	—	—	—	0.84
15	सराय हरीराम से कमईपुर	91-92	1.50	—	—	—	—	1.11
16	सोरांव कल्याणपुर मार्ग से शिवलाल का पुरा	91-92	0.50	—	—	—	—	0.327
17	कल्याणपुर से सेमरा वीरभानपुर	91-92	4.50	—	—	—	—	1.25
18	हरिसेनगंज से मेहरौहा	91-92	1.50	—	—	—	—	0.67
19	वी० यू० ए० मार्ग से भिदुरा	91-92	1.00	—	—	—	—	0.68
20	वी० यू० ए० मार्ग से गंगागंज चपरी	91-92	2.00	—	—	—	—	1.40
21	कल्याणपुर से मुकुन्दपुर	92-93	1.56	—	—	—	—	0.98
22	राजापुर मल्लुआ से मनीकापुरा	93-94	1.60	—	—	—	—	0.98
23	होलागढ़ से होलागढ़ पुलिस स्टेशन	93-94	0.60	2	0.60	0.60	0.60	2.15 पाइप की आपूर्ति न होने के कारण पुलिया कार्य अवरुद्ध

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

जनपद गोण्डा के तहसील उतरौला के अन्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूपों की सूची

ब्लाक—श्रीदत्तगंज

क्रमांक	नलकूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम
1	06 यू० जी०	शाहपुर ईटई
2	08 यू० जी०	मुदानी
3	09 यू० जी०	पटमिला गिरन्ट
4	27 यू० जी०	खरगोही
5	28 यू० जी०	दत्त नगर
6	29 यू० जी०	गालिबपुर
7	30 यू० जी०	पिपरी कोतही
8	31 यू० जी०	कन्पया शेरपुर
9	33 यू० जी०	पिथरिया परसपुर
10	34 यू० जी०	देवरिया मुबारकपुर
11	35 यू० जी०	ज्वाला पुरवा
12	46 यू० जी०	गुलराहा
13	47 यू० जी०	गुलरिहा
14	48 यू० जी०	गिधौर
15	49 यू० जी०	बरहे बुजुर्ग
16	50 यू० जी०	बिश्रामपुर
17	51 यू० जी०	सम्भल
18	52 यू० जी०	शिवपुर महन्त
19	53 यू० जी०	गिधौर
20	54 यू० जी०	रामगढ़
21	55 यू० जी०	गुमढी
22	74 यू० जी०	बिश्रामपुर
23	82यू० जी०	बहरौला नगवा
24	96 यू० जी०	गौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
25	110 यू० जी०		महुआ इब्राहीम
26	113 यू० जी०		पिपरा याकूब
27	121 यू० जी०		अमिबया बुजुर्ग
28	122 यू० जी०		खरबी मझारी
29	131 यू० जी०		घनगंधा
30	137 यू० जी०		सरडीहागौर
31	139 यू० जी०		देवरिया
32	175 यू० जी०		गौर
33	176 यू० जी०		शिवपुर
34	07 यू० जी०		चसरुपुर
			ब्लाक उतरौला
35	01 यू० जी०		बड़हरा कोट
36	02 यू० जी०		पुरैनिया
37	04 यू० जी०		उतरौला
38	05 यू० जी०		नया गांव
39	06 यू० जी०		बढया पकरी
40	32 यू० जी०		रेगवां
41	62 यू० जी०		पेहर
42	63 यू० जी०		कृपा देवर
43	64 यू० जी०		रेडवरिया
44	65 यू० जी०		भटनी
45	72 यू० जी०		मैरमपुर
46	77 यू० जी०		गनवरिया बुजुर्ग
47	81 यू० जी०		बस्तीखास
48	88 यू० जी०		इमलिया बनघुसरा
49	94 यू० जी०		भानपार
50	98 यू० जी०		सकरा ईटई
51	123 यू० जी०		पिपरा राम
52	124 यू० जी०		बकसरिया
53	03 यू० जी०		बीती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्लाक गैड़ास बुजुर्ग

54	71 यू० जी०	जगन्नाथपुर
55	78 यू० जी०	ईटईरामपुर
56	79 यू० जी०	ईटईरामपुर
57	80 यू० जी०	बनवरिया
58	89 यू० जी०	हुसैनाबाद
59	97 यू० जी०	कठौलिया
60	114 यू० जी०	परायनपुर
61	115 यू० जी०	हासिमपुर
62	119 यू० जी०	पुरैना बुलन्द
63	120 यू० जी०	छितरपारा
64	132 यू० जी०	प्राणपुर
65	133 यू० जी०	दौलताबाद
66	146 यू० जी०	मोहम्मदपुर
67	147 यू० जी०	गोवर्धनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 137 विधान सभा (204)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।